2024 का विधेयक संख्यांक 183

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024

खंडों का क्रम

खंड

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. अधिनियम का लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।

भाग 2

बोर्ड की स्थापना और साधारण प्रशासन

अध्याय 1

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण बोर्ड की स्थापना

4. राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना ।
5. समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण बोर्ड का गठन ।
6. नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 2

समुद्रीय प्रशासन

7. समुद्रीय का प्रशासन महानिदेशक ।
8. अधिकारी ।
9. सर्वेक्षक ।
10. ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक और रेडियो निरीक्षक ।
11. वाणिज्यिक समुद्री विभाग ।
12. पोत परिवहन कार्यालय ।
13. जलयानों और पतन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए निकाय ।

भाग 3

जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

14. इस भाग का लागू होना ।
15. भारतीय जलयान और उसका रजिस्ट्रीकरण ।
16. भारतीय चार्टर्ड विदेशी जलयानों का रजिस्ट्रीकरण ।
17. पुनःचक्रण किए जाने के लिए ईप्सित जलयान का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण ।
18. भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार ।
19. भारतीय जलयान का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण ।
20. भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।

खंड

21. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के स्थान पर अस्थायी पास ।
22. प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और उपयोग ।
23. भारतीय जलयान या शेयरों का अंतरण ।
24. मृत्यु, दिवालिया आदि होने पर भारतीय जलयान में संपति का अंतरण ।
25. विक्रय का आदेश जहां जलयान भारतीय जलयान नहीं रहा है ।
26. जलयान या अंश का बंधक ।
27. बंधकदार के अधिकार ।
28. बंधकदार के उत्तरदायित्व ।
29. दिवालियापन से बंधक का प्रभावित न होना ।
30. बंधकों का अंतरण ।
31. कतिपय परिस्थितियों में बंधक हित का अंतरण ।
32. जलयान के नाम संबंधी नियम ।
33. परिवर्तनों की रजिस्ट्री ।
34. जहां जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किया जाना है, वहां अनंतिम प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन ।
35. रजिस्ट्री का अंतरण ।
36. परित्यक्त जलयान की पुन: रजिस्ट्री पर निर्बंधन ।
37. भारतीय जलयानों के लिए राष्ट्रीय ध्वज ।
38. भारतीय स्वरूप को छिपाना या विदेशी स्वरूप को ग्रहण करना ।
39. भारतीय जलयान के रूप में अमान्यताप्राप्त जलयान के दायित्व ।
40. जलयान के समपहरण की कार्यवाहियां ।
41. स्वामियों का दायित्व ।
42. रजिस्ट्री बही, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों का साक्ष्य ।
43. रजिस्ट्रीकरण का बंद किया जाना ।
44. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 4

समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण

45. समुद्र यात्रा वृतिकों द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र ।
46. सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र ।
47. सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण ।
48. प्रमाणपत्रों के प्रदान के लिए परीक्षा ।
49. सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना ।
50. अन्य देशों में प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों की मान्यता ।
51. विदेशी जलयानों का प्रमाणपत्रित समुद्र यात्रा वृतिकों के बिना न चलना ।
52. कतिपय प्रमाणपत्र धारकों की भारतीय जलयान में सेवा करने की बाध्यता ।
53. नियम बनाने की शक्ति ।

खंड

भाग 5

समुद्र यात्रा वृतिक

54. इस भाग का लागू होना ।
55. परिभाषाएं ।
56. समुद्र यात्रा वृतिकों का वर्गीकरण ।
57. समुद्र यात्रा वृतिकों और जलयानों को सामुद्रिक श्रम मानकों का लागू होना ।
58. पोत परिवहन मास्टर, निदेशक और समुद्री यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी के कर्तव्य ।
59. समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए न्यूनतम आयु ।
60. चिकित्सा प्रमाणपत्र ।
61. प्रशिक्षण और अर्हताएं ।
62. समुद्र यात्रा वृतिकों की भर्ती और नियोजन ।
63. समुद्र यात्रा वृतिकों के साथ करार ।
64. मजदूरी ।
65. विश्राम घंटे ।
66. छुट्टी की हकदारी ।
67. संप्रत्यावर्तन ।
68. जलयान की हानि या डूब जाने के लिए प्रतिकर ।
69. काम में लगाने के स्तर ।
70. वास-सुविधा और मनोरंजन सुविधाएं ।
71. खाद्य और खान-पान ।
72. चिकित्सा देख-रेख ।
73. पोत स्वामी का दायित्व ।
74. स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण तथा दुर्घटना निवारण ।
75. सामाजिक सुरक्षा ।
76. ध्वज राज्य उत्तरदायित्व ।
77. पत्तन राज्य उत्तरदायित्व ।
78. समुद्री श्रम अभिसमय के प्रवर्तन के लिए नियम ।
79. मजदूरी का संदाय ।
80. समुद्र यात्रा वृत्तिकों की सेवोन्मुक्ति ।
81. मृतक समुद्र यात्रा वृतिकों और छोड़ दिए गए समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी और संपति ।
82. कतिपय असंवितरित रकमों का उपयोग समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण के लिए किया जाना ।
83. पोत परिवहन मास्टरों द्वारा समुद्र यात्रा वृतिक को अंतवर्लित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन ।
84. पोत परिवहन मास्टर को दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करने की शक्ति ।
85. मजदूरी का कतिपय दशाओं में भारत के बाहर वसूली योग्य न होना ।

खंड

86. मजदूरी के लिए संक्षिप्त कार्यवाहियां ।
87. मजदूरी के लिए वादों पर निर्बंधन ।
88. मजदूरी, संवितरण, आदि, के लिए मास्टर के उपचार ।
89. समुद्र यात्रा वृतिक और उनके नियोजकों के बीच विवादों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति ।
90. जलयान के साथ खोये हुए समुद्री यात्रा वृतिक की मजदूरी, आदि का प्रत्युद्धरण ।
91. परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक को राहत और भरणपोषण ।
92. परित्यक्त जलयान के फलक पर कर्मीदल का प्रतिस्थापन ।
93. पोत परिवहन मास्टर द्वारा निरीक्षण आदि ।
94. मुकदमेबाजी की बाबत समुद्र यात्रा वृतिकों के संरक्षण हेतु विशेष उपबंध ।
95. परिवाद लाने की सुविधाएं ।
96. पोत पर अनुज्ञा के बिना चढ़ने का प्रतिषेध ।
97. जीवन या जलयान को खतरे में डालने वाले अवचार ।
98. छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति ।
99. अनुशासन के विरुद्ध साधारण अपराध ।
100. समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा माल की तस्करी ।
101. ऑफिशियल लॉग बुक में अपराधों की प्रविष्टि ।
102. अभित्यजन और छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की रिपोर्ट ।
103. विदेश में अभित्यजन की प्रविष्टियां और प्रमाणपत्र ।
104. मजदूरी के समपहरण के लिए कार्यवाहियों में अभित्यजन साबित करने के लिए सुविधाएं ।
105. समपहरण का उपयोजन ।
106. मजदूरी के लिए वादों में समपहरण और कटौती के प्रश्नों का विनिश्चय ।
107. पोत परिवहन मास्टर के साथ करार के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय ।
108. समुद्र यात्रा वृतिक को अभित्यजन के लिए फुसलाया जाना ।
109. भराई करने वालों और समुद्र यात्रा वृतिक का विवशता के अधीन वहन ।
110. मास्टर के परिवर्तन पर दस्तावेजों का उत्तराधिकारी को सौंपा जाना ।
111. विदेशी पोतों के अभित्याजक ।
112. अधिकृत लॉग बुक ।
113. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 6

बचाव और सुरक्षा

114. भाग का लागू होना ।
115. परिभाषाएं ।
116. बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं ।
117. घटनाओं की रिपोर्ट का किया जाना ।

खंड

118. संकट संकेत प्राप्त होने और खतरे में पड़े व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की बाध्यता ।
119. तलाशी और बचाव सेवाएं ।
120. रेडियो संसूचना अपेक्षाएं ।
121. जलयान के स्थिरत्व की जानकारी ।
122. भार रेखाओं का डूब जाना ।
123. जलयान द्वारा प्रमाणपत्र के बिना यात्रियों का वहन न करना ।
124. जलयान का विधिमान्य बचाव और सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना प्रस्थान न करना ।
125. कतिपय कृत्यों के लिए शास्ति ।
126. जलयान द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में स्थोरा या यात्रियों का वहन न करना ।
127. अतरण्य जलयान का समुद्र में न भेजा जाना ।
128. जल यात्रा के योग्य होने के संबंध में स्वामी की समुद्र यात्रा वृतिक के प्रति बाध्यता ।
129. बचाव और सुरक्षा प्रबंधन ।
130. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 7

जलयान से प्रदूषण का निवारण और रोकथाम तथा प्रतिक्रिया

131. इस भाग का लागू होना ।
132. परिभाषाएं ।
133. समुद्र में बहिःस्राव या परिसंकटमय पदार्थों के उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।
134. प्रदूषण को निवारित करना और उसकी रोकथाम की अपेक्षाएं तथा प्रतिक्रिया ।
135. जलयानों का समुद्र में वैद्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के बिना अग्रसर न होना ।
136. अभिलेख पुस्तिकाएं ।
137. जलयान को प्रवेश से इंकार करने, निरुद्ध करने या हटाने की शक्ति ।
138. प्रदूषण के निवारण या रोकथाम के लिए उपाय करने की और घटनाओं की रिपोर्ट करने की शक्तियां ।
139. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।
140. प्रदूषण का पता लगाने हेतु उपाय ।
141. विश्लेषकों की नियुक्ति ।
142. प्रवेश संबंधी सुविधाएं ।
143. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 8

सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन

144. सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन ।
145. प्रमाणपत्र ।
146. सर्वेक्षक की शक्ति ।

खंड

147. अभिसमय उपबंधों का अनुपालन ।

148. भारत से बाहर जारी प्रमाणपत्रों की मान्यता ।

149. भारत में विदेशी जलयानों को और विदेशों में भारतीय जलयानों को प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ।

150. जानकारी मांगने की शक्ति ।

151. निरीक्षण करने की शक्ति ।

152. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 9

सामुद्रिक उत्तरदायित्व और प्रतिकर

अध्याय 1

समुद्र में टक्कर, दुर्घटना और उत्तरदायित्व

153. इस अध्याय का लागू होना ।

154. दायित्व का प्रभाजन ।

155. जलयान, स्थोरा या संपत्ति को नुकसान या हानि ।

156. जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के नुकसान हेतु संयुक्त और पृथक्-पृथक् दायित्व ।

157. अभिदाय करने का अधिकार ।

158. टक्कर की दशा में जलयान के मास्टर का सहायता करने का कर्तव्य ।

159. अधिकृत लॉग में टक्करों की प्रविष्टि का किया जाना ।

160. जलयानों की दुर्घटनाओं की महानिदेशक को रिपोर्ट ।

161. भारतीय जलयान के नुकसान की महानिदेशक को सूचना का दिया जाना ।

अध्याय 2

समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा

162. कतिपय दावों के संबंध में नुकसानी के लिए दायित्व की परिसीमा ।

163. परिसीमन को अपवर्जित करने का आचरण ।

164. प्रति दावे ।

165. दायित्व की परिसीमाएं ।

166. यात्री दावों के लिए सीमा ।

167. दावों का संकलन ।

168. परिसीमन निधि का गठन ।

169. परिसीमा निधि का गठन किए बिना दायित्व की परिसीमा ।

170. निधि का संवितरण ।

171. अन्य कार्रवाई का वर्जन ।

172. परिसीमन के अध्यधीन सामुद्रिक दावों का अनिवार्य बीमा और अन्य वित्तीय सुरक्षा ।

173. इस अध्याय के लागू होने की परिधि ।

खंड

174. इस भाग के अध्याय 1 और अध्याय 2 के अधीन विषयों हेतु नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 3

तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

175. इस अध्याय का लागू होना ।
176. परिभाषाएं ।
177. पोत स्वामी का दायित्व ।
178. पोतों के लिए संयुक्त और पृथक् दायित्व ।
179. उच्च न्यायालय की अधिकारिता ।
180. अधिकारिता, जहां प्रदूषण नुकसान दो या अधिक राज्यों में होती है ।
181. दायित्व की परिसीमा ।
182. परिसीमा निधि का गठन ।
183. प्रतिकर के लिए दावा, जहां निधि स्थापित है ।
184. प्रत्यासन द्वारा प्रतिकर के लिए अधिकार का अर्जन ।
185. दावों का समेकन और निधि का वितरण ।
186. पोत की गिरफ्तारी और विक्रय, यदि पोत का स्वामी, आदि प्रतिकर के लिए दावों को तुष्ट करने में असमर्थ है ।
187. निधि के स्थापन के पश्चात् दावों के पालन पर प्रतिबंध ।
188. अनिवार्य बीमा या अन्य वितीय प्रतिभूति ।
189. भारत से बाहर दिए गए प्रमाणपत्र का प्रतिग्रहण ।
190. प्रमाणपत्र के बिना भारतीय पतन में प्रवेश करने या उसे छोड़ने पर रोक ।
191. वितीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।
192. सिविल दायित्व अभिसमय के संविदाकारी पक्षकारों के न्यायालय के निर्णय की मान्यता ।
193. परिसीमा अवधि ।
194. सरकारी पोत ।
195. नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 4

बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

196. इस अध्याय का लागू होना ।
197. परिभाषाएं ।
198. बंकर तेल प्रदूषण के लिए दायित्व ।
199. दायित्व से छूट ।
200. दायित्व की परिसीमा के प्रति पोत के स्वामी का अधिकार ।
201. दायित्व की परिसीमा का अवधारण ।
202. दावों का समेकन और रकम का वितरण ।

खंड

203. दावों के अधिकार का निर्वापण ।

204. अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का बनाए रखना ।

205. वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।

206. प्रमाणपत्र प्रदान करना ।

207. अनापत्ति के बिना पतन में प्रविष्ट होने या उसे छोड़ने पर रोक ।

208. अवलंबन का अधिकार ।

209. बंकर अभिसमय के संविदाकारी पक्षकारों की न्यायालय के निर्णय की मान्यता ।

210. नियम बनाने की शक्ति ।

अध्याय 5

अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि

211. इस अध्याय का लागू होना ।

212. परिभाषाएं ।

213. निधि में अभिदाय ।

214. निधि में व्यक्तियों द्वारा संदेय अभिदाय ।

215. निधि का दायित्व ।

216. निधि के दायित्व की परिसीमा ।

217. सूचना की मांग करने की शक्ति ।

218. निधि के विरुद्ध दावे और न्यायालयों की अधिकारिता ।

219. दावों का निर्वापण ।

220. प्रत्यासन और अवलंब का अधिकार ।

221. अतिरिक्त दावे के लिए निधि स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

222. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 10

समुद्री घटना और आपातकालीन प्रतिक्रिया

223. इस भाग का लागू होना ।

224. परिभाषाएं ।

225. समुद्री घटनाओं के लिए नोडल प्राधिकारी की नियुक्ति ।

226. प्राथमिक प्रतिक्रिया पक्ष ।

227. प्रतिक्रिया क्रियाविधि के लिए प्रतिक्रिया और योजना ।

228. नोडल प्राधिकारी की शक्ति ।

229. अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का अनुरक्षण ।

230. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 11

सामुद्रिक दुर्घटना पर अन्वेषण और जांच

231. सामुद्रिक दुर्घटनाएं और उनकी रिपोर्ट ।

232. केन्द्रीय सरकार की कार्यवाहियां आरंभ करने की शक्ति ।

खंड

भाग 12

ध्वंसावशेष और उद्धारण

अध्याय 1

ध्वंसावशेष

233. इस अध्याय का लागू होना ।
234. परिभाषाएं ।
235. ध्वंसावशेष के प्रापक ।
236. ध्वंसावशेषों की रिपोर्ट देने का कर्तव्य ।
237. परिसंकट का अवधारण ।
238. ध्वंसावशेष के स्थान का पता लगाना और उसे चिन्हित करना ।
239. पार्श्वस्थ भूमियों पर से जाने की शक्ति ।
240. ध्वंसावशेष के संबंध में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध ।
241. ऐसी दशा में तलाशी वारंट जहां ध्वंसावशेष अंतर्वलित है ।
242. ध्वंसावशेष को हटाने को सुकर बनाने के लिए उपाय ।
243. पोत स्वामी का दायित्व ।
244. बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों को बनाए रखना ।
245. ध्वंसावशेष के स्वामियों के दावे ।
246. लागत की वसूली का दावा करने के लिए अधिकार का निर्वापन ।

अध्याय 2

उद्धारण

247. इस अध्याय का लागू होना ।
248. परिभाषाएं ।
249. जलयान, स्थोरा ध्वंसावशेष को बचाने के लिए देय उद्धारण राशि ।
250. सरकार या पत्तन और लोक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित उद्धारण प्रचालन ।
251. उद्धारण संविदा ।
252. उद्धारकर्ता, स्वामी और मास्टर के कर्तव्य ।
253. उद्धारकर्ताओं के अधिकार ।
254. उद्धारण प्रचालनों के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्तियां और कर्तव्य ।
255. उद्धारकर्ता की प्रतिधारणा ।
256. पोत स्वामी और उद्धारकर्ता के बीच विवाद ।
257. पोत स्वामी और उद्धारकर्ता के मध्य विवादों का न्यायनिर्णयन ।
258. दावों का निर्वापन ।
259. व्यावृतियां ।
260. नियम बनाने की शक्ति ।

खंड

भाग 13

चलत, मछली पकड़ने वाले और अन्य जलयान

261. इस भाग का लागू होना ।
262. परिभाषाएं ।
263. इस संबंध में विनिश्चय का प्रश्न कि क्या कोई जलयान इस भाग के अधीन आता है ।
264. संरक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण के निवारण और बीमा के लिए अपेक्षाएं ।
265. मत्स्य जलयान का वहन किया जाना ।
266. केंद्रीय सरकार का प्रवीणता प्रमाणपत्र मंजूर करना ।
267. सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण ।
268. प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए परीक्षा ।
269. प्रमाणपत्र का वापस किया जाना, निरस्त या रद्द किया जाना ।
270. प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना ।
271. मत्स्य जलयान के संबंध में करार ।
272. भारतीय मत्स्य जलयान द्वारा मात्स्यकी की डाटा को तैयार किया जाना ।
273. किसी जलयान का विधिमान्य प्रमाणपत्रों के बिना अग्रसर न होना ।
274. गैर-यांत्रिक नोदित जलयानों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।
275. जलयानों के कर्मीदल से संबंधित विवरण को बनाए रखना ।
276. स्थोरा के माल प्रक्षेपण की जांच ।
277. समुचित अधिकारी द्वारा जलयान को निरुद्ध करना ।
278. समुद्र में न जाने योग्य जलयानों को निरुद्ध करना ।
279. छूट देने की शक्ति ।
280. नियम बनाने की शक्ति ।

भाग 14

शास्तियां और प्रक्रिया

281. अपराध और शास्तियां ।
282. शास्ति का अधिरोपण करने के लिए प्राधिकारी और उसके लिए प्रक्रिया ।
283. विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।
284. दंड की बाबत विशेष उपबंध ।
285. विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति ।
286. विशेष व्यापार जलयान के मास्टर या स्वामी की बाबत शास्तियां ।
287. कंपनियों द्वारा अपराध ।
288. जब साक्षी को पेश न किया जा सके तब अभिसाक्ष्यों का साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना ।
289. नुकसान करने वाले विदेशी जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।
290. जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।

खंड

291. जंगम संपत्ति या जलयान के करस्थम् द्वारा मजदूरी आदि का उद्ग्रहण ।

292. दस्तावेजों की तामील ।

भाग 15

प्रकीर्ण

293. यात्रा के दौरान जलयान फलक पर व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु ।

294. जलयान पर मृत्यु के कारण के बारे में या भारतीय जलयान से लापता व्यक्ति के बारे में जांच ।

295. कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक समझा जाना ।

296. अन्वेषण, जांच, आदि करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों की शक्तियां ।

297. आनुकल्पिक उपबंध और व्यवस्था को अनुज्ञात करने की शक्ति ।

298. परमाणु जलयान का नियंत्रण और सुरक्षा उपाय ।

299. विदेशी और भारतीय जलयानों को छूट ।

300. छूट देने की शक्ति ।

301. महानिदेशक की निदेश देने की शक्ति ।

302. व्यतिक्रम करने वाले पोत स्वामी के बाबत विशेष उपबंध ।

303. गहरे समुद्र में विदेशी जलयान का पीछा करना ।

304. राष्ट्रीयता के बिना जलयान के बाबत केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ।

305. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

306. अन्य राज्यों के साथ करार ।

307. जलयानों के नियंत्रण उपाय और निरुद्ध करना ।

308. निरुद्ध करने और क्षतियों के खर्चे ।

309. भारतीय जलयान से भिन्न जलयान को निरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया ।

310. उल्लघन के अधीन पतनों की बाध्यताएं और महानिदेशक द्वारा इसकी मानीटरी करना ।

311. परित्यक्त जलयान के बाबत केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

312. समुद्र यात्रा वृत्तिक के प्रमाणपत्र को रद्द, निलंबित आदि करने की शक्ति ।

313. पुनः सुनवाई ।

314. बीमा या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति का रखरखाव ।

315. इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का उपयोग और रखरखाव ।

316. जलयानों का वर्गीकरण ।

317. प्रभारों की पारदर्शिता ।

318. जानकारी मांगने की महानिदेशक की शक्ति ।

319. नियम बनाने की साधारण शक्ति ।

320. नियमों की बाबत उपबंध ।

321. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

322. नियमों, विनियमों और फीसों के मापमानों के बारे में परामर्श देने के लिए समितियां गठित करने की शक्ति ।

323. भारतीय पोत परिवहन हित की संरक्षा करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ।

खंड

324. निरसन और व्यावृत्ति ।

अध्याय 16

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 का संशोधन

325. अधिनियम 2021 का 20 का संशोधन ।

2024 का विधेयक संख्यांक 183

[दि मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024

समुद्री संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन भारत की बाध्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित की सर्वोत्तम उपयुक्त रीति में पूर्ति के लिए भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के दक्ष अनुरक्षण तथा भारतीय पोत परिवहन के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए वाणिज्य पोत परिवहन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित जलयान को लागू होंगे, जो—

(क) भारत में रजिस्ट्रीकृत हैं ; या

(ख) इस अधिनियम द्वारा इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए, जहां कहीं भी, अपेक्षित हैं ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट जलयानों से भिन्न जलयानों को लागू होते हैं, इस प्रकार केवल तब लागू होंगे जब ऐसा कोई जलयान भारत के या इसके तटीय जल के भीतर है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए और जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, इस अधिनियम के उपबंध भारतीय नियंत्रित टनभार जलयानों को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "भारतीय नियंत्रित टनभार जलयान" पद से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व और भारत से भिन्न किसी देश में पतन या स्थान पर रजिस्ट्रीकृत मत्स्य जलयान या चलत जलयान से भिन्न कोई भारतीय जलयान अभिप्रेत है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिकों" से कोई ऐसा समुद्र यात्रा वृतिक अभिप्रेत है जिसके संबंध में यह समझा गया है कि उसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या समुद्र यात्रा वृतिकों के नियोजन करार के उपबंधों के उल्लंघन में परित्याग कर दिया गया है, जहां पोत स्वामी—

(क) समुद्र यात्रा वृतिकों को वापस भेजने की लागत को पूरा करने में असफल रहता है ; या

(ख) समुद्र यात्रा वृतिकों को आवश्यक अनुरक्षा और सहायता के बिना छोड़ दिया गया है ; या

(ग) अन्यथा एकपक्षीय रूप से समुद्र यात्रा वृतिकों के साथ संबंध तोड़ लिया है जिसके अंतर्गत कम से कम दो मास की अवधि के लिए संविदा मजदूरी का संदाय करने में असफल रहना भी सम्मिलित है ;

(2) "परित्यक्त जलयान" के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं को सम्मिलित करता है, अर्थात् :—

(क) कोई जलयान, जिसका पोत स्वामी द्वारा उसकी वापसी के लिए बिना किसी आशा या उस पर वापसी के किसी आशय के बिना परित्याग कर दिया जाता है ; या

(ख) कोई जलयान, जिसके मास्टर के पास उसके प्रचालन के लिए कोई वित्तीय साधन नहीं है ; या

(ग) कोई जलयान, जिसका स्वामी अज्ञात है या जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वामी या मास्टर के अधिवास के देश के कांसुलेट या जलयान के ध्वज राज्य को सम्यक्तः अधिसूचित करने

के बावजूद पता नहीं लगाया जा सकता है ; या

(घ) कोई जलयान, जिसका स्वामी इस अधिनियम के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिकों की रक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण निवारण या उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पोत स्वामी की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए असफल रहता है और जिसका बीमाकर्ता, उद्धारणकर्ता या संविदाकार ऐसी बाध्यताओं का युक्तियुक्त समय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, के भीतर पूरा करने में असफल रहता है ; या

(ङ) कोई जलयान, जिसे भारत में किसी न्यायालय या लोक प्राधिकारी द्वारा रोका गया है, जिसके संबंध में लोक प्राधिकारी या व्यक्ति को समुद्र यात्रा वृत्तिकों की रक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण निवारण या कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन स्वामी की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए न्यायालय द्वारा उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसा करने में असफल रहता है ।

स्पष्टीकरण—उपखंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, पोत स्वामी की असफलता के अंतर्गत जलयान के चार्टरकर्ता, प्रबंधक या प्रचालक की असफलता भी सम्मिलित होगी ;

(3) किसी जलयान के संबंध में "अभिकर्ता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस रूप में कार्य करने के लिए स्वामी द्वारा प्राधिकृत है और यदि ऐसा जलयान किसी पतन पर है तो अभिकर्ता के पास पतन से भी प्राधिकार होगा ;

(4) "प्रतिदूषण प्रणाली अभिसमय" से पोतों पर अपहानिकर प्रतिदूषण प्रणाली के नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है, जो 5 अक्तूबर, 2001 को लंदन में हस्ताक्षरित किया गया ;

(5) "संपरीक्षा" से अवधारण की कोई सुव्यवस्थित और स्वतंत्र परीक्षा अभिप्रेत है, कि क्या सुरक्षा अभिसमय में यथा उपबंधित प्रबंध प्रणाली योजना व्यवस्था का अनुपालन करती है और ऐसी व्यवस्थाओं का प्रभावी कार्यान्वयन होता है और उक्त अभिसमय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं ;

(6) "स्थिरक भार जल प्रबंध अभिसमय" से 13 फरवरी, 2004 को लंदन में हस्ताक्षरित पोत स्थिरक भार जल और तलछट के नियंत्रण और प्रबंध के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2004 अभिप्रेत है ;

(7) "आधार रेखा" से राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट-भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आधार रेखा अभिप्रेत है ;

1976 का 80

(8) "सक्षमता का प्रमाणपत्र" या "प्रवीणता का प्रमाणपत्र" से धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त, सक्षमता का प्रमाणपत्र या प्रवीणता का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(9) "मुख्य पोत सर्वेक्षक" से धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट मुख्य पोत सर्वेक्षक अभिप्रेत है ;

(10) "मुख्य सर्वेक्षक" से धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (ii)

में विनिर्दिष्ट मुख्य सर्वेक्षक अभिप्रेत है ;

(11) "सिविल दायित्व अभिसमय" से तेल प्रदूषण नुकसान पर अंतरराष्ट्रीय सिविल दायित्व अभिसमय, 1992 अभिप्रेत है ;

(12) "तटीय जल" से भारत के राज्यक्षेत्रीय जल के किसी भाग के साथ राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्न-तटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अर्थांतर्गत भारत सामुद्रिक क्षेत्र से लगा हुआ कोई भाग अभिप्रेत है ; 1976 का 80

(13) "तट" के अंतर्गत संकरी खाड़ी के तट और समुद्र का कोई भाग या सामान्यतया नदी के ज्वार-भाटे के प्रवाह के भाटे और ज्वार के भीतर नदी का कोई भाग भी है और जिसमें बंदरगाह (ज्वारीय जल) नहीं होगा ;

(14) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है ; 2013 का 18

(15) "अभिसमय" से कोई अंतरराष्ट्रीय अभिसमय जिसमें भारत एक पक्षकार है, अभिप्रेत है ;

(16) "महानिदेशक" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समुद्रीय प्रशासन का महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(17) किसी जलयान के संबंध में "उपस्कर" के अंतर्गत नावें, नौका उपकरण, मशीनरी, बायलर, स्थौरा हथालन गियर, पंप और कोई फिटिंग, मास्टस, प्रोपेलर, परिधान, फर्नीचर, प्रत्येक प्रकार के जीवन रक्षा साधित्र बल्लियां, मस्तूल, रिंगिग और पाल, कोहरे के संकेत, बत्तियां, आकृतियां तथा कष्ट संकेत, औषधियां तथा चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंधी भंडार, साधित्र, चार्ट, रेडियो संस्थापन, आग रोकने, पता लगाने या बुझाने के साधित्र, बाल्टियां, कंपास, कुल्हाड़ियां, लालटेनें, लदाई और उतराई के गियर तथा सभी प्रकार के साधित्र और सभी अन्य भंडार और पुर्जे या वस्तुएं भी हैं जो जलयान की हों या जलयान के नौपरिवहन, नोदन, सुरक्षा, प्रदूषण रोकने और रक्षा के संबंध में उपयोगी या आवश्यक हों ;

(18) "मछुआरा" से समुद्र में मछली पकड़ने वाले किसी जलयान पर किसी भी क्षमता में या किसी भी कार्य को करने के लिए लगाया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे जिसे किसी भी तरीके से संदाय किया जा रहा हो, किंतु इसके अंतर्गत किसी मछली पकड़ने वाले जलयान पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में विमान चालक या व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो केवल ऐसे जलयान पर तभी काम करता है जब वह अपतट पर हो, सम्मिलित नहीं है ;

(19) "मछली पकड़ने का जलयान" से कोई जलयान अभिप्रेत है जो समुद्र में मछली पकड़ने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है ;

(20) "सकल टनभार" से धारा 20 की उपधारा (5) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सकल टनभार अभिप्रेत है ;

(21) किसी जलयान के संबंध में, "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय

अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर—

(क) जलयान का रजिस्ट्री पतन स्थित है ; या

(ख) जलयान कुछ समय के लिए है ; या

(ग) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उद्भूत हुआ है ;

(22) "भारतीय राजदूत" से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त राजदूत, उच्चायुक्त, उप राजदूत, उप उच्चायुक्त, कौंसल जनरल, कौंसल, उप कौंसल, कन्सूलर अभिकर्ता और प्रो-कौंसल अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत भारतीय राजदूत के कृत्यों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी है ;

1978 का 30

(23) "भारतीय तटरक्षक" से तटरक्षक अधिनियम, 1978 के अधीन गठित तटरक्षक अभिप्रेत है ;

(24) "भारतीय जलयान" से कोई ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(25) "समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा अभिसमय" से 19 नवंबर, 1976 को लंदन में हस्ताक्षरित सामुद्रिक दावों के लिए दायित्व की परिसीमा अभिसमय अभिप्रेत है ;

(26) "सामुद्रिक श्रमिक अभिसमय" से 23 फरवरी, 2006 को जेनेवा में हस्ताक्षरित सामुद्रिक श्रमिक अभिसमय अभिप्रेत है ;

(27) "मारपोल अभिसमय" से पोतों से प्रदूषण के निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1973 जिसमें 1978 का नयाचार भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है ;

(28) "मास्टर" से जलयान का समादेशन या उसका भारसाधक ऐसा कोई व्यक्ति (पायलट या किसी बंदरगाह मास्टर के सिवाय) अभिप्रेत है ;

(29) "बंधक" से अग्रिम में दी गई किसी धनराशि के संदाय को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए या ऋण के माध्यम से दिए गए किसी अग्रिम या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत जलयान में किसी हित का या उसमें किसी अंश का अंतरण और प्रतिभूति को सृजित करने वाले लिखत, का विद्यमान या भावी उधार या किसी करार का निष्पादन, जो किसी धनीय दायित्व को उत्पन्न कर सकता है, अभिप्रेत है ;

(30) "समुद्रीय सलाहकार" से धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट समुद्रीय सलाहकार अभिप्रेत है ;

(31) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार होगा ;

(32) किसी जलयान के संबंध में "स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका वह जलयान है या जिसका जलयान में कोई अंश है ;

(33) "यात्री" से निम्नलिखित के सिवाय ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे जलयान पर सवार करके ले जाया जाता है,—

(क) ऐसा व्यक्ति जो जलयान के कारबार के लिए किसी भी हैसियत से

जलयान पर नियोजित है या लगा हुआ है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो या तो मास्टर पर अधिकथित बाध्यताओं के अनुसरण में या किन्हीं ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन्हें न तो मास्टर न ही चार्टर, यदि कोई है, रोक सकता था या निवारित कर सकता था के कारण जलयान पर ध्वस्त, कष्टग्रस्त या अन्य व्यक्तियों को ले जाएगा ; और

(ग) एक वर्ष से कम आयु का बालक ;

(34) "यात्री जलयान" से बारह से अधिक यात्रियों को ले जाने वाला जलयान अभिप्रेत है ;

(35) "प्रदूषण क्षति" से निम्न अभिप्रेत है,—

(क) जलयान से स्थोरा, तेल या किसी अन्य सामग्री के बाहर निकलने, निस्सरण या बहने के परिणामस्वरूप जलयान के बाहर होने वाले नुकसान या क्षति चाहे जहां भी ऐसा निकलना, निस्सरण या बहना हुआ हो ; या

(ख) पर्यावरण ह्रास की लागत या निवारक उपायों की लागत और इसके अतिरिक्त निवारक उपायों द्वारा कारित हानि या क्षति ;

(36) "प्रदूषण निवारण अभिसमय" से जलयानों से प्रदूषण के निवारण से संबंधित कोई अभिसमय अभिप्रेत है जिसमें भारत एक पक्षकार है, जिसके अंतर्गत मारपोल अभिसमय, प्रतिदूषण प्रणाली अभिसमय और स्थिरक जल प्रबंध अभिसमय भी है ;

(37) "पतन" के अंतर्गत पतन सुविधा, पोत प्रांगण, पोत भंग यार्ड, पोत मरम्मत यूनिट, अपतट सुविधाएं और टर्मिनल भी है ;

(38) "पतन प्राधिकरण" से—

(क) किसी महापतन के संबंध में, महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की अधीन गठित महापतन प्राधिकरण बोर्ड अभिप्रेत है ; 2021 का 1

(ख) किसी अन्य पतन के संबंध में, किसी अन्य लागू विधि के अधीन पतनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है;

(ग) किसी टर्मिनल या स्थान के संबंध में, जो किसी पतन के भाग के रूप में नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अधीक्षण में टर्मिनल या स्थान प्रचालित होता है ;

(39) "पतन सुविधा" से कोई अवस्थान या क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत लंगर डालना या समुद्र की ओर से स्थान या जगह का इंतजार करना जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए या ऐसे अभिहित प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सम्मिलित है, जहां जलयान या किसी जलयान और पतन के बीच इंटरफेस होता है ;

(40) "रजिस्ट्री पतन" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार अधिसूचित पतन या स्थान अभिप्रेत है और किसी जलयान या चलित जलयान, मछली पकड़ने के जलयान या किसी अन्य जलयान के संबंध में ऐसा पतन अभिप्रेत है जिस पर उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है ;

(41) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं ;

(42) "प्रधान अधिकारी" से धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रधान अधिकारी अभिप्रेत है ;

(43) "कार्यवाही" के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन कोई वाद, अपील या आवेदन भी है ;

(44) "समुचित अधिकारी" से किसी पतन या स्थान पर समुचित अधिकारी के रूप में और ऐसे किसी विषयों की बाबत जिनके प्रति इस अधिनियम में, निर्देश किए गए हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(45) "समुचित वापसी पतन" से ऐसा पतन अभिप्रेत है जिस पर समुद्र यात्रा वृतिक और उसके नियोजक ने करार में या अन्यथा या करार की अनुपस्थिति में पतन जहां समुद्र यात्रा वृतिक नियोजित किया गया है या जलयान में सम्मिलित किया गया है ;

(46) किसी समुद्र यात्रा वृतिक के संबंध में, "संपति" जिसके अंतर्गत उसका व्यक्तिगत सामान भी है ;

(47) किसी पतन, टर्मिनल, पोत यार्ड, पोत मरम्मत सुविधा या पोत पुनर्चक्रण सुविधा के संबंध में, "स्वागत सुविधा" से किसी पदार्थ के बहने या उसके जमा करने की पतन, टर्मिनल, पोत यार्ड, पोत मरम्मत सुविधा या पोत पुनर्चक्रण सुविधा उपयोग के लिए जलयान को सक्षम करने की सुविधा अभिप्रेत हैं ;

(48) "रजिस्ट्रार" से धारा 18 में निर्दिष्ट भारतीय जलयान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(49) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से जलयान के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

(50) "सुरक्षा अभिसमय" से 1 नवंबर, 1974 को लंदन में हस्ताक्षरित समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय अभिप्रेत है और इसके नयाचार भी सम्मिलित है ;

(51) "चलित जलयान" से केवल पालों से नौपरिवहन के लिए पर्याप्त पाल क्षेत्र के साथ उपबंधित मुख्यतः चालित न हो, कोई पुराना या परंपरागत बना हुआ लकड़ी का जलयान अभिप्रेत है चाहे उसमें नोदन के यांत्रिक साधन लगे हों या नहीं किंतु इसके अंतर्गत क्रीड़ा नौका नहीं आती है ;

(52) "उद्धारण" से किसी जलयान या जो किसी नाव्य जल या किसी अन्य जल चाहे जो भी हो, खतरे में कोई अन्य संपति की सहायता के लिए किया गया कोई कार्य या क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(53) "उद्धारण अभिसमय" से 28 अप्रैल, 1989 को लंदन में हस्ताक्षरित उद्धारण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1989 अभिप्रेत है ;

(54) "उद्धारक" से उद्धारक प्रचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(55) जलयान के संबंध में "समुद्रगामी" से ऐसे सागर खंड से परे जाने वाला

या जाने के लिए आशयित कोई जलयान अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार में अधिसूचना द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किया जाए ;

(56) "समुद्र यात्रा वृतिक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी समुद्र में जाने वाले जलयान के फलक पर नियोजित है या किसी भी हैसियत में लगा हुआ है या कार्य करता है किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं,—

(i) कोई व्यक्ति, जो किसी युद्धपोत या किसी सैनिक या गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए किसी सरकारी जलयान में किसी भी क्षमता में फलक पर नियोजित या लगाया गया या कार्यरत है ; या

(ii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(57) "समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी" से धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी अभिप्रेत है ;

(58) सामुद्रिक सुरक्षा से संबंधित "सुरक्षा" जिसके अंतर्गत समुद्री नौवहन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित पतन सुविधा या जलयानों या किसी व्यक्ति या वस्तु की संरक्षा के लिए कोई उपाय सम्मिलित है,जो निम्नलिखित के विरुद्ध कार्रवाई करती है—

(i) आतंकवाद, अभिध्वंस, छिप कर यात्रा करने वाला, अवैध प्रवासी, शरण लेने वाले, दस्यु, सशस्त्र लूट, अभिग्रहण या मूषण ;

(ii) कोई अन्य अमैत्रीपूर्ण कृत्य या प्रभाव, जो समुद्रीय परिवहन क्षेत्र की सुरक्षा को संकट में डालता है,

जिसे स्वामियों या प्रचालनकर्ता या जलयान के भारसाधक व्यक्तियों या पतन सुविधा प्रबंधन, अपतट संस्थापन और अन्य समुद्रीय संगठनों या स्थापनों या केन्द्रीय सरकार के उपक्रम द्वारा नियोजित किया गया है ;

(59) "पोत" से जल के अन्दर, ऊपर या जल के नीचे चलने वाले जलयानों में कोई नौचालन में उपयोग किया जाने वाला या उपयोग का सामर्थ्य रखने वाला कोई जलयान अभिप्रेत है ; किंतु जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने वाला या चलत जलयान नहीं आता है ;

(60) "पोत स्वामी" से स्वामी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जलयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी और अनावृत नौका चार्टर भी है ;

(61) "पोत परिवहन मास्टर" से धारा 12 के अधीन नियुक्त पोत परिवहन मास्टर अभिप्रेत है ;

(62) "पोत परिवहन कार्यालय" से धारा 12 के अधीन स्थापित पोत परिवहन कार्यालय अभिप्रेत है ;

(63) "विशेष व्यापार यात्री" से ऐसा यात्री अभिप्रेत है जिसे विशेष व्यापार यात्री पोत में खुले डैक या ऊपरी डैक या ऐसे डैकों के उन रिक्त स्थानों में ले जाया जाता है जहां आठ से अधिक यात्रियों के लिए स्थान है ;

(64) "राज्य" से भारत सहित कोई देश अभिप्रेत है ;

(65) "समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक

अभिसमय" से 7 जुलाई, 1978 को लंदन में हस्ताक्षरित समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1978 अभिप्रेत है ;

(66) "सर्वेक्षक" से धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (घ) या धारा 9 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(67) "टिंडल" से चलत जलयान का समादेश करने वाला या उसका भारसाधक अभिप्रेत है ;

(68) "अधिकरण" से धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है ;

(69) "समुद्र यात्रा के लिए अनुपयुक्त जलयान" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है, जो जिस सामग्री से वह बना है, उसका सन्निर्माण और डिजाइन, समुद्र यात्रा वृतिकों की संख्या, विवरण और अर्हता, जिसके अंतर्गत अधिकारी भी हैं, भार, स्थोरा तथा स्थिरक भार का विवरण और भरण, उसके हल और उपस्कर की स्थिति, बायलर और मशीनरी ऐसी नहीं है कि जिससे वह प्रस्तावित समुद्र यात्रा या सेवा के संबंध में हर प्रकार से उसे उपयुक्तता प्रदान करे ;

(70) "जलयान" जिसके अंतर्गत समुद्री पर्यावरण में उपयोग होने वाले या उपयोग होने के लिए प्रत्येक विवरण के जलयान जैसे पोत, नाव, चलत जलयान, मछली पकड़ने के जलयान, पनडुब्बी, अर्ध-पनडुब्बी, जलतरणी, गैर-स्थानांतरित जलयान, जल स्थल जलयान, वायु से भूमि जलयान, आमोद-प्रमोद के जलयान, बजरा, माल नौका, चल अपतट भेदन यूनिट, चल अपतट यूनिट या किसी अन्य विवरण का कोई जलयान भी हैं चाहे वह नोदन से यांत्रिक साधनों से सज्जित हो या नहीं ;

(71) "समुद्र यात्रा" से जलयान के पतन या प्रस्थान के स्थान और उसके अंतिम पतन या आगमन के स्थान के बीच यात्रा अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पतन के भीतर क्रियाकलाप सम्मिलित है ;

(72) "मजदूरी" के अंतर्गत परिलब्धियां भी हैं ;

(73) सामुद्रिक दुर्घटनाओं पर, "ध्वंसावशेष" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :—

(क) कोई डूबा हुआ या उत्कूलित जलयान ; या

(ख) किसी डूबे हुए या उत्कूलित जलयान का कोई भाग, जिसके अंतर्गत कोई वस्तु, माल या स्थोरा जो ऐसे किसी जलयान के बोर्ड पर है या रह चुका है ; या

(ग) कोई वस्तु या माल या स्थोरा जो किसी समुद्र में उत्कूलित, डूबे हुए या बहते हुए जलयान से समुद्र में खो गए हैं ; या

(घ) कोई जलयान जो संकटग्रस्त है या होने वाला है या डूबने या उत्कूलित होने की युक्तियुक्त संभावना है, जहां जलयान या संकटग्रस्त किसी संपत्ति की सहायता के लिए महानिदेशक का समाधान हो जाने पर प्रभावी उपाय नहीं लिए जा रहे हैं ।

भाग 2

बोर्ड की स्थापना और साधारण प्रशासन

अध्याय 1

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण बोर्ड की स्थापना

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड की स्थापना ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी तारीख से, जो इस निमित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, एक बोर्ड जिसे राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड बुलाया जाए (जिसे इसमें इसके पश्चात् पोत परिवहन बोर्ड कहा गया है) स्थापित करेगी ।

(2) पोत परिवहन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) छह संसद् सदस्य जिसमें से चार लोक सभा के सदस्यों द्वारा उनमें से तथा दो राज्य सभा के सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित होंगे ;

(ख) सोलह से अनधिक ऐसी संख्या के अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम चार महिलाएं होंगी, जो केन्द्रीय सरकार पोत परिवहन बोर्ड में,—

(i) केन्द्रीय सरकार ;

(ii) पोत स्वामी ;

(iii) समुद्र यात्रा वृत्तिक ; और

(iv) ऐसे अन्य हित जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में पोत परिवहन बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए,

का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त करना ठीक समझे :

परंतु यह कि पोत परिवहन बोर्ड पोत स्वामियों और समुद्र यात्रा वृत्तिक का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की समान संख्या सम्मिलित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित सदस्यों की पदावधि सदन के किसी सदस्य की जिसके लिए वह निर्वाचित है, के समाप्त हो जाने पर यथाशीघ्र समाप्त हो जाएगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट संसद् सदस्य या उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट संसद् सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा ।

(6) पोत परिवहन बोर्ड,—

(क) भारतीय पोत परिवहन से संबंधित विषयों पर जिसके अंतर्गत उसका विकास भी है ; और

(ख) इस अधिनियम से उद्भूत होने वाले अन्य विषयों पर जिन्हें केन्द्रीय सरकार सलाह के लिए उसे निर्दिष्ट करें,

केन्द्रीय सरकार को सलाह देगा ।

(7) पोत परिवहन बोर्ड को अपने कारबार के संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(8) पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों और पदावधि, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और संदेय यात्रा तथा अन्य भते और अध्यक्ष की सेवा शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(9) पोत परिवहन बोर्ड की सहायता ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाएगी तथा उनकी नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण बोर्ड का गठन ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी तारीख से, जो इस निमित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, इस अधिनियम के अधीन समुद्र यात्रा वृतिक के कल्याण का संवर्धन करने के लिए उपायों पर साधारणतः और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों पर, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के प्रयोजनों के लिए एक सलाहकारी बोर्ड जिसे समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण बोर्ड बुलाया जाएगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् कल्याण बोर्ड कहा गया है) का गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए होस्टल या आवास और वासगृहों की स्थापना ;

(ख) समुद्र यात्रा वृतिकों की प्रसुविधा के लिए क्लबों, कैंटीन, पुस्तकालयों और अन्य समान सुख-सुविधाओं की स्थापना ;

(ग) समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए अस्पतालों और चिकित्सा उपचार की व्यवस्थाओं की स्थापना ;

(घ) समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं का उपबंध करना ;

(ङ) संकटग्रस्त या परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(च) समुद्र यात्रा वृतिकों जो विदेशी है किंतु भारतीय अधिकारिता के भीतर जल में परित्यक्त की दशा में किए जाने वाले उपाय ।

(2) कल्याण बोर्ड की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि, उसके कारबार के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, कल्याण बोर्ड के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भते वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) समुद्र यात्रा वृतिकों को सुविधाओं का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए जलयान के स्वामियों द्वारा संदेय फीस, वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा ऐसी फीस का संग्रहण या वसूली की जाएगी तथा वह रीति, जिसमें संग्रहण की लागत को घटाकर फीस के आगतों का उपयोजन किया जाएगा, वे होगी, जो विहित की जाए ।

(4) पतन आधारित कल्याण सुविधा तथा समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए किए जाने वाले कोई अन्य उपाय वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

नियम बनाने की शक्ति ।

6. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियों को भरने की रीति और उनको संदेय यात्रा और अन्य भते तथा अध्यक्ष की सेवा की शर्तें ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (9) के अधीन पोत परिवहन बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन कल्याण बोर्ड की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि, कारबार का संचालन करने की प्रक्रिया तथा ऐसे सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भते ;

(घ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन जलयान के स्वामियों द्वारा संदेय फीस, फीस के संग्रहण की प्रक्रिया और रीति जिसमें ऐसी फीस के आगमों का उपयोजन किया जाएगा ; और

(ङ) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन समुद्र यात्रा वृत्तिकों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए पतन आधारित कल्याण सुविधा और अन्य उपाय ।

अध्याय 2

समुद्रीय प्रशासन

समुद्रीय प्रशासन का महानिदेशक ।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उस पर प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों, प्राधिकार या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा समुद्रीय प्रशासन का महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के किन्हीं ऐसे उपबंधों के अधीन या उनके संबंध में, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, कोई शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं, महानिदेशक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होगी ।

(3) महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट कर सकेगा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या प्रत्यायोजित किसी शक्ति या प्राधिकार का और अधिरोपित किसी कर्तव्य का, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जैसा वह अधिरोपित करते समय ठीक समझे, ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा भी, जैसा वह इस निमित विनिर्दिष्ट करें, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा ।

(4) धारा 8 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, महानिदेशक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

अधिकारी ।

8. (1) निम्नलिखित अधिकारी जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् :—

(क) अपर महानिदेशक ;

(ख) उप महानिदेशक ;

(ग) सहायक महानिदेशक ;

(घ) सर्वेक्षक, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मलित है, अर्थात् :—

(i) नॉटीकल सलाहकार ;

(ii) मुख्य सर्वेक्षक ;

(iii) मुख्य पोत सर्वेक्षक ;

(iv) प्रधान अधिकारी ;

(v) उप नॉटीकल सलाहकार ;

(vi) उप मुख्य सर्वेक्षक ;

(vii) उप मुख्य पोत सर्वेक्षक ;

(viii) नॉटीकल सर्वेक्षक ;

(ix) इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक ;

(x) पोत सर्वेक्षक ;

(xi) कनिष्ठ पोत सर्वेक्षक ;

(ङ) पोत परिवहन मास्टर, जिसके अंतर्गत उप या सहायक पोत परिवहन मास्टर सम्मिलित हैं ;

(च) निदेशक, जिसके अंतर्गत उप निदेशक या सहायक निदेशक सम्मिलित हैं ;

(छ) ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक ;

(ज) रेडियो निरीक्षक ;

(झ) समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी ;

(ञ) कोई अन्य अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों का वेतन, भते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाए ।

सर्वेक्षक ।

9. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी ।

ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक और रेडियो निरीक्षक ।

10. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतने ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक और रेडियो निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितने वह इस अधिनियम की अपेक्षाओं की अनुपलना सुनिश्चित करने तथा रेडियो संचार से संबंधित तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के

लिए, आवश्यक समझे ।

(2) ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक और रेडियो निरीक्षक की शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

वाणिज्यिक समुद्री विभाग ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए भारत में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचिन, कांडला के प्रत्येक पतन और ऐसे अन्य पतनों या स्थानों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालय स्थापित कर सकेगी और बनाए रखेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को अधिसूचना द्वारा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचिन, कांडला के पतनों पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य पतन या स्थानों पर, वाणिज्यिक समुद्री विभाग में प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो कार्यालय का भारसाधक होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अन्य पतन या स्थान पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग का कार्यालय विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका भारसाधक ऐसा अधिकारी होगा जैसा इस निमित्त केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।

पोत परिवहन कार्यालय ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत में प्रत्येक पतन में, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, एक पोत परिवहन कार्यालय स्थापित कर सकेगी और वहां—

(क) एक पोत परिवहन मास्टर और उतने उप पोत परिवहन मास्टर और सहायक पोत परिवहन मास्टर, जो अपेक्षित हों ;

(ख) एक निदेशक और उतने उप निदेशक और सहायक निदेशक, जितने अपेक्षित हों ; और

(ग) समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी,

नियुक्त कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, भारत में या भारत से बाहर ऐसे पतनों पर समुद्र यात्रा वृत्तिक कल्याण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि किसी ऐसे पतन पर जिस पर कोई पृथक् पोत परिवहन कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है, पोत परिवहन कार्यालय का कारबार, संपूर्ण रूप या भागतः किसी ऐसे अन्य कार्यालय में, जैसा केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, संचालित होगा और तदुपरि ऐसे कारबार का संचालन तदनुसार किया जाएगा ।

जलयानों और पतन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए निकाय ।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, जलयानों तथा पतन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए, अधिसूचना द्वारा ऐसे नाम से एक निकाय का गठन कर सकेगी, जिसकी अध्यक्षता ऐसे पदनाम के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा इसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) निकाय का प्रशासन, ऐसे अधिकारी में निहित होगा, जो उपधारा (1) के अधीन गठित निकाय की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जो उपधारा (1) के अधीन गठित निकाय जैसा विहित किए जाए, जलयानों की सुरक्षा तथा पतन सुविधाओं से संबंधित ऐसे विषयों के संबंध में, विनियामक और अन्वेक्षा

कृत्यों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायी होगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन नियम विरचित करने के दौरान, केन्द्रीय सरकार, सुरक्षा अभिसमय के अधीन अन्तरराष्ट्रीय पोत तथा पतन सुविधा सुरक्षा संहिता के उपबंधों को ध्यान में रखेगी ।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन गठित निकाय, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) जलयानों की सुरक्षा तथा पतन सुविधाओं के लिए विनियामक ढांचे का उपबंध करना ;

(ख) जलयानों तथा पतन सुविधाओं से संबंधित सुरक्षा से जुड़ी सूचना का समयबद्ध संग्रहण तथा आदान-प्रदान सुनिश्चित करना ;

(ग) अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करना ;

(घ) कोई अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

भाग 3

जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

इस भाग का लागू होना ।

14. यह भाग समुद्र-चलत जलयानों को लागू होगा ।

भारतीय जलयान और उसका रजिस्ट्रीकरण ।

15. (1) कोई जलयान, तब तक भारतीय जलयान नहीं होगा जब तक कि ऐसा जलयान निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्व में और स्वामित्व के ऐसे अनुपात में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, नहीं है, अर्थात् :—

(क) भारत का नागरिक जिसके अंतर्गत कोई अनिवासी भारतीय या कोई प्रवासी भारतीय नागरिक ; या

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा स्थापित कोई कंपनी या निकाय, जिसका कारबार का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान स्थान भारत में है ; या

(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति या निकाय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) कोई जलयान, जो पूर्णतया किसी प्रवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व में है, की भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी पतन या स्थान को रजिस्ट्री के पतन के रूप में घोषित कर सकेगी और प्रत्येक भारतीय जलयान को इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ पर, इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन भारत में किसी पतन पर रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जाएगा और भारतीय जलयान के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई किन्हीं छूटों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, सीमाशुल्क प्राधिकारियों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों

और पुलिस के जलयानों से भिन्न सरकार के सभी जलयानों को, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भारतीय जलयान को भारत से भिन्न किसी अन्य राज्य में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना समुद्र के लिए अग्रसर किसी भारतीय जलयान को तब तक निरुद्ध किया जाएगा जब तक समुचित अधिकारी को विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है ।

(8) भारतीय जल में किसी भारतीय जलयान से भिन्न अभित्यक्त जलयान, जिसको पश्चातवर्ती रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी जलयान को रजिस्टर करने के लिए पात्र अस्तित्व द्वारा अर्जित कर लिया जाता है, को इस अधिनियम के अधीन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

भारतीय चार्टर्ड विदेशी जलयानों का रजिस्ट्रीकरण ।

16. किसी भारतीय चार्टरर द्वारा अनावृत नौका चार्टर सह-पट्टांतरण संविदा पर चार्टरर कोई विदेशी जलयान इस भाग के अधीन ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत हो सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आनावृत नौका चार्टर सह-पट्टांतरण" से एक अनावृत नौका चार्टर अभिप्रेत है, जहां जलयान का स्वामित्व किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्, चार्टर को, जिसको यह चार्टर्ड किया गया है , अंतरित करने के लिए आशयित है ।

पुनःचक्रण किए जाने के लिए ईप्सित जलयान का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण ।

17. कोई जलयान, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पोत का पुनःचक्रण अधिनियम, 2019 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, भारत में पुनःचक्रण किया जाना ईप्सित है, इस भाग के अधीन ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, अस्थायी रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा । 2019 का 49

भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रार ।

18. वाणिज्य पोत परिवहन विभाग का प्रधान अधिकारी या ऐसा व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, रजिस्ट्री के ऐसे पतन पर भारतीय जलयान के रजिस्ट्रार होंगे, जैसा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

भारतीय जलयान का अनंतिम रजिस्ट्रीकरण ।

19. (1) यदि कोई जलयान किसी पतन या स्थान पर, किसी भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार हो जाता है, रजिस्ट्रार ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत कर सकेगा और ऐसे अनंतिम प्रमाणपत्र का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रभाव होगा ।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता और विस्तार या रद्दकरण की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

(3) अननुमोचित बंधक को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के मानित बंद किए जाने की दशा में रजिस्टर पुस्तिका में उपदर्शित किया जाना जारी रहेगा ।

भारतीय जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।

20. (1) किसी भारतीय जलयान को ऐसी प्रक्रिया, ऐसी अवधि और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, जलयान के रजिस्ट्रीकरण का

ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, नवीकरण किया जाएगा ।

(3) महानिदेशक, किसी आदेश के माध्यम से भारतीय जलयान और जलयानों के विभिन्न वर्गों के लिए, जिनकी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की ईप्सा है, कतिपय शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(4) जब रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि किसी भारतीय जलयान के स्वामित्व के विषय में कोई शंका है तो वह उसका समाधान होने पर, कि जलयान भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है, ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) रजिस्ट्रार, इस धारा की अपेक्षाओं का समाधान कर लिए जाने पर,—

(क) रजिस्टर पुस्तिका में यथा प्रविष्ट जलयान की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत करेगा ;

(ख) यथाविहित रीति में अवधारित सकल और शुद्ध टनभार को अंतर्विष्ट करते हुए टनभार प्रमाणपत्र अनुदत करेगा ।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के विरूपित या कटफट जाने की दशा में, मूल प्रमाणपत्र के स्थान पर एक नया प्रमाणपत्र ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, अनुदत किया जाएगा ।

(7) रजिस्ट्रीकृत जलयान के,—

(क) वास्तव में या आन्वयिक रूप से खो जाने ;

(ख) किसी शत्रु द्वारा ले लिए जाने ;

(ग) जल जाने या टूट जाने पर ;

(घ) किसी भी कारण से, भारतीय जलयान न रह जाने पर ; या

(ङ) सुसंगत समय पर तत्समय प्रवत किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर,

ऐसे जलयान का प्रत्येक स्वामी घटना की जानकारी अभिप्राप्त होने पर तुरंत ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जो विहित की जाए ।

(8) प्रत्येक भारतीय जलयान को ऐसे नाम, काल साइन और शासकीय संख्या से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित किया जाएगा ।

(9) प्रत्येक रजिस्ट्रार, एक रजिस्टर पुस्तिका रखेगा, उस पुस्तिका में प्रविष्टियां करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के अभिलेखों को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रखेगा ।

(10) जब किसी रजिस्ट्रीकृत भारतीय जलयान की स्वामित्वता में कोई परिवर्तन होता है, रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार नए स्वामी के नाम को रजिस्टर करेगा और एक नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, अनुदत करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के स्थान पर अस्थायी पास ।

21. जब रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन के अनुसरण में किसी जलयान को कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुदत नहीं किया गया है, किंतु केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण, जो विहित की जाए, यह वांछनीय है कि किसी भारतीय जलयान को समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के लिए अनुज्ञा अनुदत की जानी चाहिए, केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक पास अनुदत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी और यह पास उसमें वर्णित कालावधि और सीमाओं के लिए होगा, उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के समान प्रभाव होगा ।

प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और उपयोग ।

22. (1) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जलयान के केवल विधिपूर्ण नवाचार के लिए उपयोग किया जाएगा और हर समय जलयान के भारसाधक व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा और किसी हक, गिरवी, भार या हित वह जो भी हो, के कारण निरोध में नहीं रहेगा और जलयान पर या जलयान में किसी स्वामी, बंधकगृहिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई व्यक्ति चाहे जलयान में उसका हित हो या नहीं जो उसके कब्जे में है या जिसका जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र पर नियंत्रण है, वह बिना किसी कारण के, उस व्यक्ति को, जो जलयान के विधिपूर्ण नवाचार के प्रयोजन के लिए उसकी अभिरक्षा का हकदार है या किसी रजिस्ट्रार या अन्य व्यक्ति को जो विधि द्वारा उसे लेने के लिए हकदार है, मांग पर ऐसे प्रमाणपत्र को परिदत करने से इंकार नहीं करेगा या लोप नहीं करेगा ।

(3) यदि, किसी भारतीय जलयान का मास्टर या स्वामी अपने नवाचार के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का जो जलयान के संबंध में विधिपूर्ण रीति से प्रदान नहीं किया गया है, का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध के लिए दोषी होगा और जलयान के समपहरण का उत्तरदायी होगा ।

भारतीय जलयान या शेयरों का अंतरण ।

23. (1) कोई व्यक्ति, किसी भारतीय जलयान या उसमें किसी शेयर या हित को उस समय के दौरान जब भारत या उसके किसी भाग या राज्यक्षेत्र की सुरक्षा मंजूरी द्वारा संकट में है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन जारी की गई युद्ध या बाहरी आक्रमण और आपात की उद्घोषणा प्रचलन में है, अंतरण या अर्जित नहीं करेगा और इस उपबंध के अतिलंघन में कोई प्रभावी संव्यवहार शून्य और अप्रवृत होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि यह विचार करती है कि आदेश द्वारा भारतीय पोत परिवहन के टनभार के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी ऐसे अंतरण या अर्जन के लिए अपने अनुमोदन को देने से इंकार कर सकेगी ।

(3) किसी भारतीय जलयान का कोई अंतरण या अर्जन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक,—

(क) इसके रजिस्ट्रीकरण में किए गए सभी बंधक पूर्ण नहीं हो जाते हैं या बंधककर्ता जलयान के अंतरण के लिए अपनी लिखित सहमति नहीं दे देता है ;

(ख) उस जलयान पर उनके नियोजन के संबंध में समुद्री यात्राओं के लिए देय

सभी मजदूरी या अन्य रकम इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संदत नहीं कर दी जाती है ;

(ग) कोई अवस्थित अस्तित्व किसी न्यायालय आदेश द्वारा अंतरण प्रतिषिद्ध करने के लिए या उस जलयान की बाबत नहीं कर दिया जाता है ;

(घ) कोई असंदत्त कानूनी फीस जो जलयान पर उद्गृहीत की जा सके, संदत्त नहीं कर दी जाती है और उसकी सूचना रजिस्ट्रार को नहीं दे दी जाती है ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन किसी भारतीय जलयान या उसका शेयर केवल ऐसे लिखत द्वारा ऐसे प्ररूप या रीति में जो विहित की जाए, अंतरित नहीं कर दिया गया है ।

(5) भारतीय जलयान या उसके शेयर के अंतरण के लिए लिखत ऐसी प्रकिया जो विहित की जाए, के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

मृत्यु, दिवालिया आदि होने पर भारतीय जलयान में संपति का अंतरण ।

24. किसी भारतीय जलयान या उसके शेयर में संपति किसी व्यक्ति को, किसी रजिस्ट्रीकृत स्वामी की मृत्यु या दिवालिया होने पर या इस अधिनियम के अधीन अन्तरण के सिवाय अन्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए, अन्तरित की जा सकेगी ।

विक्रय का आदेश जहां जलयान भारतीय जलयान नहीं रहा है ।

25. जहां मृत्यु, दिवालिया या अन्य कारण पर जलयान में या किसी संपति या उसके शेयर के अन्तरण के कारण से कोई जलयान भारतीय जलयान नहीं रहा है तो उसे विक्रय करने का आदेश ऐसे रीति जो विहित किया जा सकेगा, दिया जा सकेगा ।

जलयान या अंश का बंधक ।

26. (1) भारतीय जलयान का बंधक विहित प्ररूप और ऐसे लिखत के प्रस्तुत करने पर किया जाएगा, रजिस्ट्री के पत्तन पर भारतीय जलयानों का रजिस्ट्रार ऐसे रीति मे जो विहित की जाए रजिस्ट्रीकृत बही में इसे अभिलिखित करेगा ।

(2) बंधक रजिस्ट्रार द्वारा, उस समय में जिसमें वे उसे उस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करते हैं, अभिलिखित किया जाएगा और रजिस्ट्रार उसके अधीन ज्ञापन द्वारा प्रत्येक बंधक को अधिसूचित करेगा कि वह उसके द्वारा उस रिकार्ड में उसके दिन और समय को अधिकथित करते हुए अभिलिखित किया गया है ।

(3) किसी जलयान को बंधक करने के लिए या बंधक ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध अंश जो बंधक नहीं है, के लिए जहां तक यह आवश्यक, के सिवाय बंधकदार अपने बंधक के कारण जलयान या उसके अंश का स्वामी नहीं समझा जाएगा, न ही बंधककर्ता अपने स्वामित्व से विरत हुआ समझा जाएगा ।

(4) जहां रजिस्ट्रीकृत बंधक का उन्मोचन किया जाता है वहां रजिस्ट्रार, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित बंधक, धन की रसीद के पृष्ठांकन सहित बंधपत्र पेश किए जाने पर, रजिस्ट्री बही में इस आशय की प्रविष्टि करेगा कि बंधक का उन्मोचन हो गया है और ऐसी प्रविष्टि की जाने पर ऐसी संपदा, यदि कोई है, जो बंधककर्ता में निहित हो गई थी, उस व्यक्ति में निहित हो जाएगी जिसमें वह (मध्यवर्ती कार्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए) बंधक न किए जाने की दशा में निहित होती ।

(5) यदि एक ही जलयान या अंश की बाबत एक से अधिक बंधक अभिलिखित किए गए हैं तो उनको बंधकदारों को, किसी अभिव्यक्ति, विवक्षित या आन्वयिक सूचना के होते हुए भी, उस तारीख के अनुसार जिसको प्रत्येक बंधक रजिस्ट्री बही में अभिलिखित की

गई है न कि उस तारीख के अनुसार जिसको प्रत्येक बंधक की गई है पूर्विकता होगी ।

बंधकदार के अधिकार ।

27. (1) जहां किसी जलयान या अंश का केवल एक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार है, वहां वह बंधक के अधीन रकम को उच्च न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना बंधक पोत या अंश का विक्रय करके वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उपधारा (2) में उपबंधित उच्च न्यायालय में इस प्रकार देय रकम को वसूल करने से बंधकदार को निवारित नहीं करेगी ।

(2) जहां जलयान या अंश के दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार हैं वहां वे बंधक के अधीन देय रकम को उच्च न्यायालय में वसूल करने के हकदार होंगे और जब उच्च न्यायालय डिक्री पारित करके या उसके पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि बंधक जलयान या अंश डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया जा सकेगा ।

(3) किसी जलयान या अंश का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार, जो उपधारा (1) के अधीन बंधक जलयान या अंश का विक्रय करके बंधक के अधीन देय रकम को वसूल करने का आशय रखता है जलयान के रजिस्ट्री पतन के रजिस्ट्रार को ऐसे विक्रय के संबंध में पन्द्रह दिन की अग्रिम सूचना देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सूचना के साथ समुद्र यात्रा वृतिक को उस जलयान पर उनके नियोजन के संबंध में देय मजदूरी के संदाय का सबूत भी होगा ।

बंधकदार के उत्तरदायित्व ।

28. जब बंधक के चालू रहने के दौरान बंधकदार बंधक जलयान का कब्जा ग्रहण करता है या जलयान के कब्जे के लिए न्यायालय के समक्ष दावे का प्रख्यान करता है तब वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) जलयान के प्रबंध का जैसे वह उसका जलयान हो ;

(ख) बंधक जलयान की ऐसी आवश्यक मरम्मत करने का जो जलयान के सहज प्रचालन और सामान्य कार्य करने के लिए अपेक्षित हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई ऐसा कृत्य न करना जिससे जलयान नष्ट हो या उसे स्थायी रूप से क्षति हो ; और

(घ) और ऐसे अन्य उत्तरदायित्व जो विहित किए जाएं ।

दिवालियापन से बंधक का प्रभावित न होना ।

29. जलयान या अंश के रजिस्ट्रीकृत बंधक पर बंधक अभिलिखित किए जाने की तारीख के पश्चात् बंधककर्ता द्वारा किए गए दिवालियापन के किसी कार्य का इस बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं होगा कि दिवालियापन के प्रारंभ पर बंधककर्ता का जलयान या अंश पर कब्जा था या वह जलयान या अंश के बारे में आदेश देने का या उसका व्ययन करने का हकदार था या वह उसका ख्यात स्वामी था, तथा बंधकदार को दिवालिया के अन्य लेनदारों या किसी न्यासी या उसके समनुदेशिती के किसी अधिकार, दावे या हित की अपेक्षा अधिमानता होगी ।

बंधकों का अंतरण ।

30. (1) किसी जलयान या अंश के किसी रजिस्ट्रीकृत बंधक को किसी भी व्यक्ति को अंतरित किया जा सकेगा और अंतरण को प्रभावी करने वाला लिखत ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए ।

(2) वह व्यक्ति, जिसे ऐसा कोई बंधक अंतरित किया गया है, अधिमान के उसी अधिकार का उपभोग करेगा जिसका उपभोग अंतरणकर्ता द्वारा किया गया था ।

कतिपय परिस्थितियों में बंधक हित का अंतरण ।

31. जहां किसी जलयान या अंश के किसी बंधकदार के हित का अंतरण मृत्यु या दिवालियापन या इस अधिनियम के अधीन किसी अंतरण से भिन्न किन्हीं विधिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी प्रक्रिया और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए, के अनुसार किया गया है ।

जलयान के नाम संबंधी नियम ।

32. (1) भारतीय जलयान उस नाम के सिवाय वर्णित नहीं होगा जो उसका रजिस्ट्रीकरण के समय है ।

(2) रजिस्ट्रार उस नाम से किसी भारतीय जलयान को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा जो प्रस्तावित है यदि, ऐसा नाम किसी अन्य जलयान का पहले से ही है या यदि नाम इतना समान है जो परिकलित किया जाए या धोखा होना संभाव्य है ।

(3) भारतीय जलयान के नाम में कोई परिवर्तन ऐसी रीति में जो विहित की जाए, के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उल्लंघन मे कार्य करता है या कार्य करने के लिए अपने नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति को पीडित करता है या करने का लोप करता है या इस धारा के अधीन अपेक्षित किसी कार्य को करने के लोप के लिए अपने नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति को पीड़ित करता है, तो जलयान तब तक निरूद्ध रहेगा जब तक इस धारा के उपबंधों का अनुपालन न किया जाए :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात विदेशी जलयान पर लागू नहीं होगी जो भारतीय जलयान हो गया है और जिसे रजिस्ट्रीकृत करने की ईप्सा की गई है ।

परिवर्तनों की रजिस्ट्री ।

33. जब किसी रजिस्ट्रीकृत जलयान को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि वह रजिस्ट्री बही में अंतर्विष्ट उसके टनभार या वर्णन से संबंधित विशिष्टियों के समरूप नहीं है, तो यदि परिवर्तन किसी ऐसे पतन पर किया गया है, जिसका रजिस्ट्रार है, वह रजिस्ट्रार, या यदि उसे किसी अन्य स्थान पर किया गया है, तो उस पहले पतन का रजिस्ट्रार, जहां जलयान परिवर्तन के पश्चात् पहुंचता है, उसके समक्ष परिवर्तन की विशिष्टियों का कथन करते हुए, स्वामी द्वारा किए गए आवेदन पर या तो परिवर्तन को रजिस्टर कराएगा या जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किए जाने का निदेश देगा :

परन्तु इस प्रकार परिवर्तित जलयान के मामले मे जो भारतीय पतन से बाहर है, रजिस्ट्रार धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे जलयान के निरीक्षण की रिपोर्ट पर भारतीय पतन का निरीक्षण करने के लिए जलयान की किसी अपेक्षा के बिना जलयान का पुन: रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा ।

जहां जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किया जाना है, वहां अनंतिम प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन ।

34. जहां कोई रजिस्ट्रार, जलयान के रजिस्ट्री पतन का रजिस्ट्रार नहीं होने के कारण किसी जलयान में परिवर्तन के बारे में आवेदन पर जलयान को नए सिरे से रजिस्टर किए जाने का निदेश देता है, वहां वह या तो जलयान को परिवर्तित किए जाने के रूप में वर्णन करते हुए अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या विद्यमान प्रमाणपत्र पर परिवर्तन की विशिष्टियों को अनंतिम रूप से पृष्ठांकित करेगा ।

रजिस्ट्री का अंतरण ।

35. किसी जलयान की रजिस्ट्री को, रजिस्टर में जलयान के हितबद्ध स्वामियों या बंधकदारों के रूप में प्रकट सभी व्यक्तियों की लिखित घोषणा द्वारा जलयान की रजिस्ट्री के विद्यमान पतन के रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आवेदन पर एक रजिस्ट्री पतन से दूसरे को अंतरित किया जा सकेगा । किन्तु ऐसा अंतरण उन व्यक्तियों या उनमें से किसी के

अधिकारों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और वे अधिकार सभी प्रकार से उसी रीति में चालू रहेंगे मानो ऐसा कोई अंतरण प्रभावी नहीं हुआ था ।

परित्यक्त जलयान की पुन: रजिस्ट्री पर निर्बंधन ।

36. जहां कोई जलयान ध्वस्त हो जाने या परित्यक्त किए जाने के कारण या शत्रु द्वारा पकड़े जाने से भिन्न किसी अन्य कारण से भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं रह गया है, वहां जलयान को तब तक पुन: रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक उसका रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के व्यय पर किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया जाता है और उसके द्वारा उसे समुद्री यात्रा के योग्य प्रमाणित नहीं किया जाता है ।

भारतीय जलयानों के लिए राष्ट्रीय ध्वज ।

37. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा सभी भारतीय जलयानों के लिए और सरकार के स्वामित्वाधीन सभी जलयानों के लिए उचित राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर सकेगी और जलयानों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न ध्वजों की घोषणा की जा सकेगी ।

(2) इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान,—

(क) भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक दल के किसी जलयान द्वारा उसको किए गए किसी संकेत पर ;

(ख) किसी पत्तन में प्रवेश करते या उसको छोड़ते समय,

उचित राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा ।

(3) यथास्थिति, भारतीय नौसेना का कोई कमीशन्ड अधिकारी या भारतीय तटरक्षक दल का कोई अधिकारी, कोई सर्वेक्षक या कोई भारतीय कौंसलीय आफिसर किसी ऐसे जलयान पर प्रवेश कर सकेगा, जिस पर इस अधिनियम के प्रतिकूल कोई ध्वज फहराया जाता है और ध्वज को अभिगृहीत कर सकेगा और ले जा सकेगा, जो सरकार को समर्पित हो जाएगा ।

(4) किसी ऐसे जलयान पर, जो भारतीय जलयान नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसे भारतीय जलयान के रूप में प्रतीत होने वाला बनाने के प्रयोजनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तब तक उपयोग नहीं करेगा, जब तक भारतीय स्वरूप का ग्रहण किया जाना शत्रु द्वारा या किसी विदेशी युद्ध जलयान द्वारा किसी युद्धमान अधिकार के प्रयोग में पकड़े जाने से बचने के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है ।

भारतीय स्वरूप को छिपाना या विदेशी स्वरूप को ग्रहण करना ।

38. किसी भारतीय जलयान का कोई भी स्वामी या मास्टर जानबूझकर जलयान के भारतीय स्वरूप को छिपाने के आशय से उसकी जांच करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा हकदार किसी व्यक्ति से या जलयान के लिए किसी विदेशी स्वरूप को ग्रहण किए जाने के आशय से या इस प्रकार हकदार किसी व्यक्ति को प्रवंचित किए जाने के आशय से कोई बात नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा या कोई भी कागज-पत्र या दस्तावेज नहीं ले जाएगा या ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा ।

भारतीय जलयान के रूप में अमान्यताप्राप्त जलयान के दायित्व ।

39. जहां इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया गया है कि किसी भारतीय जलयान को उस रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी, वहां वह भारतीय जलयानों द्वारा सामान्यतया उपभोग किए जाने वाले किन्हीं भी विशेषाधिकारों, प्रसुविधाओं, सहूलियतों या संरक्षण का या भारतीय जलयान के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने का या भारतीय राष्ट्रीय स्वरूप को ग्रहण करने का, हकदार नहीं होगा लेकिन देयों के संदाय का

जहां तक संबंध है, जुर्माने और समपहरण दायित्व तथा ऐसे जलयान के फलक पर या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के दंड के लिए ऐसे जलयान के साथ सभी प्रकार से उसी रीति में व्यवहार किया जाएगा मानो वह मान्यताप्राप्त भारतीय जलयान था ।

जलयान के समपहरण की कार्यवाहियां ।

40. जहां कोई जलयान इस भाग के अधीन पूर्णत: या उसके किसी अंश के बारे में समपहरण के अध्यधीन हो जाता है, वहां भारतीय नौसेना का कमीशन्ड आफिसर या भारतीय तटरक्षक दल का कोई भी अधिकारी या कोई भी भारतीय राजदूत या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जलयान को अभिगृहीत या निरुद्ध कर सकेगा और उसे न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष ला सकेगा और तदुपरि उच्च न्यायालय जलयान को उसके उपस्कर सहित सरकार को समपहृत कर सकेगा और मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा, जो उच्च न्यायालय को न्यायोचित लगे तथा जलयान को न्यायनिर्णयन के लिए लाने वाले अधिकारी को जलयान या उसमें किसी अंश के विक्रय के आगमों का ऐसा भाग पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर सकेगा, जो उच्च न्यायालय उचित समझे ।

स्वामियों का दायित्व ।

41. जहां कोई व्यक्ति, स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान या जलयान के अंश में बंधक से भिन्न किसी रीति के तौर पर फायदाप्रद रूप में हितबद्ध है, वहां ऐसे हितबद्ध व्यक्ति के साथ ही साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी, तत्समय प्रवृत किसी विधि और ऐसी किन्हीं शास्तियों के प्रवर्तन की कार्यवाहियां, उक्त दोनों पक्षकारों या उनमें से किसी के विरुद्ध संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से की जा सकेंगी, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा जलयान या उसमें के अंश के स्वामियों पर अधिरोपित सभी धनीय शास्तियों के अध्यधीन होंगे ।

रजिस्ट्री बही, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों का साक्ष्य ।

42. (1) कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर और ऐसी फीस के संदाय करने पर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्री बही का निरीक्षण कर सकेगा और रजिस्ट्री बही में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(2) किसी रजिस्ट्री बही में कोई प्रमाणित प्रति किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और सभी आशयों के लिए उसका वही प्रभाव होगा जो रजिस्ट्री बही की उस मूल प्रविष्टि का है, जिसकी वह प्रतिलिपि है ।

रजिस्ट्रीकरण का बंद किया जाना ।

43. (1) किसी भारतीय जलयान का स्वामी ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को अपने रजिस्ट्रीकरण बंद करने का आवेदन कर सकेगा, यदि,—

(क) उसके रजिस्टर में किसी अतुष्ट बंधक की प्रविष्टि नहीं है ; या

(ख) मजदूरी की बाबत जलयान के मास्टर या समुद्र यात्रा वृतिक के कोई ऐसे बकाया दावे नहीं है, जिनकी सूचना दी गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार यदि उसका समाधान हो जाता है तो आदेश द्वारा जलयान की रजिस्ट्रीकरण को बंद कर देगा और रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि कर देगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वामी" के अंतर्गत कोई अंतरिती या किसी भारतीय जलयान में स्वत्व के अंतरण के अधीन हकदार कोई व्यक्ति आता है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

44. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टियों और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन किसी भारतीय जलयान के लिए शर्तें ;

(ख) धारा 15 के उपधारा (8) के अधीन परित्यक्त जलयान के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ;

(ग) धारा 16 के अधीन भारतीय चार्टर द्वारा अनावृत नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण संविदा पर विदेशी जलयान चार्टर के रजिस्ट्रीकरण के लिए रीति और शर्तें ;

(घ) धारा 17 के अधीन पुन: उपयोग के लिए ईप्सा किए जाने वाले जलयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए रीति, अवधि और शर्तें ;

(ङ) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अस्थायी प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए प्रक्रिया और धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण या इन्कारी की प्रक्रिया, विधिमान्यता और विस्तार ;

(च) धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन भारतीय जलयान की उसके रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए प्रक्रिया अवधि और फीस ;

(छ) उसके अनुसार रीति और प्रक्रिया जिसमें रजिस्ट्रार धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन भारतीय जलयान के हक में जांच करने के प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ज) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को प्रदान करने का प्ररूप और रीति सकल टन-विनिश्चित करने की रीति ;

(झ) धारा 20 की उपधारा (6) के अधीन विरूपित या विकृत हो गए रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाणपत्र के स्थान पर नए प्रमाणपत्र प्रदान करने की रीति ;

(ञ) धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान के स्वामी द्वारा प्रक्रिया का अनुपालन ;

(ट) धारा 20 की उपधारा (8) के अधीन भारतीय जलयान का नाम, परिचय संकेत और शासकीय संख्या का वर्णन करने की रीति ;

(ठ) धारा 20 की उपधारा (9) के अधीन इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री बही रखने और उनमें प्रविष्टि करने और जलयान के अभिलेखों को रखने की रीति ;

(ड) धारा 20 की उपधारा (10) के अधीन नए प्रमाणपत्र के रजिस्ट्रीकरण और जारी करने के लिए प्रक्रिया ;

(ढ) अस्थायी पास को प्रदान करने के लिए विशेष परिस्थितियां और प्ररूप जिसमें ऐसा पास धारा 21 के अधीन प्रदान किया जाएगा ;

(ण) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन लिखत का प्ररूप और रीति जिसके द्वारा भारतीय जलयान या उसका अंश अंतरित किया जाना है ;

(त) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन लिखत के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया जिसके द्वारा भारतीय जलयान या उसका अंश अंतरित किया जाना है ;

(थ) धारा 24 के अधीन मृत्यु, दिवालिया आदि पर भारतीय जलयान में संपति के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया ;

(द) धारा 25 के अधीन रीति जिसमें एक जलयान जो भारतीय जलयान नहीं है, के विक्रय के लिए आदेश ;

(ध) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन बंधक का प्ररूप और प्रक्रिया तथा रीति जिसमें रजिस्ट्रार रजिस्ट्री बहियों में बंधक अभिलिखित करेगा ;

(न) धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन जलयान के रजिस्ट्रीकृत बंधक के उन्मोचन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज ;

(प) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन नोटिस का प्ररूप ;

(फ) धारा 28 की खंड (घ) के अधीन बंधककर्ता के अन्य उत्तरदायित्व ;

(ब) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन बंधक को अंतरित करने के लिए रीति और बंधक के अंतरण को प्रभावित करने वाले लिखत के प्ररूप ;

(भ) धारा 31 के अधीन बंधक के हित के पारेषण के लिए प्रक्रिया और शर्तें ;

(म) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमे भारतीय जलयान का नाम परिवर्तित किया जा सकेगा ;

(य) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री बही के निरीक्षण और रजिस्ट्री बही की किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति के लिए फीस ;

(यक) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को बंद करने के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति ;

(यख) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

भाग 4

समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण

समुद्र यात्रा वृतिकों द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र ।

45. (1) प्रत्येक भारतीय जलयान मे ऐसे प्रचालन के क्षेत्र और ऐसे कर्मीदल मापमान के साथ जो विहित किया जाए, समुद्री यात्रा वृतिक उपलब्ध होंगे ।

(2) समुद्री यात्रा वृतिक जलयान में अपनी रैंक के लिए समुचित या ऐसे उच्चतर प्रवर्ग का जो विहित किया जाए, धारा 46 के अधीन प्रदत क्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र रखेगा :

परंतु भारतीय राष्ट्रिक जिसमें महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसा प्रमाणपत्र या सक्षमता के विदेशी प्रमाणपत्र के साथ भारत के विदेशी नागरिक शामिल हैं, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, भारतीय जलयानों पर सेवा कर सकेंगे ।

सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र ।

46. (1) जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी, प्रशिक्षण, सत्यापन और निगरानी मानकों के उपबंधों के अध्यधीन, समुद्र यात्रा वृतिकों के ऐसे भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए ऐसी आवश्यकताओं और ऐसी प्रक्रियाओं सहित, जो विहित की जाएं, यथास्थिति, सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक समुद्र यात्रा वृतिक प्रशिक्षण, सत्यापन और निगरानी मानक अभिसमय के अनुसार सेवा, आयु-सीमा, चिकित्सक दृष्टया योग्यता, प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें खान बोर्ड प्रशिक्षण शामिल हैं, अर्हताएं और परीक्षा की बाबत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसी अन्य अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं सहित, जो विहित की जाएं, ऐसे अन्य सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगा ।

(4) प्ररूप, फीस, विधिमान्यता की अवधि और सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र के अभिलेख को रखने की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण ।

47. (1) महानिदेशक समुद्रीय शिक्षा, प्रशिक्षण और निर्धारण के लिए संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रशासन, सर्वेक्षण और मानीटर करेगा और इस भाग के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए यथा लागू ऑन बोर्ड प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन की रीति को अनुमोदित करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र तब तक नहीं प्रदान किया जाएगा जब तक इस धारा के उपबंधों के अनुसार समुद्री यात्रा अभिसमय के लिए प्रशिक्षण, सत्यापन और निगरानी मानकों के अधीन सत्यापन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण न हो ।

(3) महानिदेशक, इस भाग के प्रयोजनों के लिए किसी सर्वेक्षक या व्यक्ति या व्यक्ति की निकाय को किसी भी सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस निमित इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, महानिदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) महानिदेशक, उपधारा (3) के अधीन निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थान ने इस भाग के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है तो ऐसे सामुद्रिक प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूर किया गया अनुमोदन निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी प्रशिक्षण संस्थान प्रचालन से संबंधित किसी सूचना की प्राप्ति पर ऐसी प्रक्रिया जो विहित की जाए, के अनुसार ऐसे संस्थान के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही कर सकेगी ।

(6) किसी पतन पर प्रत्येक पाइलट या व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा है, समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण और प्रक्रिया के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जो महानिदेशक द्वारा आदेशित किया जाए, विनिर्दिष्ट करेगा ।

प्रमाणपत्रों के प्रदान के लिए परीक्षा ।

48. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के अधीन सक्षमता या प्रवीणता के प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों की सक्षमता का मापन और परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए परीक्षक के रूप में समुद्री यात्रा अभिसमय के लिए प्रमाणन और निगरानी करने प्रशिक्षण के मानकों के अनुसार अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकेगी ।

(2) नौटिकल सलाहकार मास्टर और डैक विभाग कार्मिक के लिए मुख्य परीक्षक होगा और मुख्य सर्वेक्षक इंजन विभाग कार्मिक के लिए मुख्य परीक्षक होगा :

परंतु नौटिकल सलाहकार और मुख्य सर्वेक्षक की अनुपस्थिति में केंद्रीय सरकार, मुख्य परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए किसी सर्वेक्षक को प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा संचालन की रीति, प्रभारित की जाने वाली फीस और उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परीक्षकों को किए जाने वाले संदाय ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं ।

(4) धारा 46 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट, जारी करने वाला प्राधिकारी सक्षमता का प्रमाणपत्र या प्रवीणता का प्रमाणपत्र परीक्षा को पास करने वाले और फलक यान पर उसकी संयमता, अनुभव, योग्यता और साधारण अच्छे आचरण के समाधानप्रद साक्ष्य के साथ उस प्रमाणपत्र की श्रेणी के लिए सक्षमता के वांछनीय स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षक द्वारा सम्यक् रूप से रिपोर्ट किए गए प्रत्येक आवेदक को प्रदान करेगा ।

(5) यदि जारी करने वाला प्राधिकारी परीक्षक की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह आवेदक की पुनःपरीक्षा की अपेक्षा कर सकेगा जिसमें आवेदक के शंसापत्र और चरित्र की जांच शामिल है ।

(6) यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी प्रमाणपत्र को रखने वाले किसी व्यक्ति ने उसे मिथ्या या गलत सूचना के आधार पर अभिप्राप्त किया है या वह अनुशासनहीनता या अवचार या असक्षमता का दोषी है या सुरक्षा या प्रदूषण निवारण के संबंध में लोप या कारित किए जाने का ऐसा कोई कार्य किया है या उसके लिए जोखिम कारित की है, जो जीवन या संपति या पर्यावरण को संकट में डाल सकता है, तो वह सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र को प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द कर सकेगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(7) कोई व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र उपधारा (6) के अधीन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा दिया गया है, निलंबित किया गया है या रद्द किया गया है तो वह व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाए, ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे केंद्रीय सरकार ने, अधिसूचना द्वारा, अपील प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया हो, अपील कर सकेगा ।

(8) जब कभी इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए किसी प्रमाणपत्र को रखने वाला कोई व्यक्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसका ऐसा प्रमाणपत्र खो गया है या उसे उससे वंचित कर दिया गया है, तो जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रदान करेगा और ऐसी प्रति के सभी प्रभाव मूल के समान होंगे ।

सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना ।

49. (1) प्रत्येक जलयान का मास्टर समुचित अधिकारी को मांग करने पर कर्मीदल की सूची सहित जलयान के समुद्र यात्रा वृतिकों के सक्षमता प्रमाणपत्र, मास्टर सहित कर्मीदलों के प्रमाणपत्र की श्रेणियों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाली सूची के साथ पेश करेगा ।

(2) कोई सर्वेक्षक किसी भी युक्तियुक्त समय पर यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि एसटीसीडब्ल्यू अभिसमय के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्र रखने वाले समुद्र यात्रा वृतिक वास्तविक रूप से नियुक्त किए गए हैं और उपस्थित हैं, ऐसे जलयान के फलक पर जा सकेगा, जिसको इस भाग के कोई उपबंध लागू होते हैं और वह पतनों और समुद्र में कर्तव्यों की निगरानी के लिए ऐसे समुद्र यात्रा वृतिकों की उपयुक्तता के लिए अपना समाधान करेगा ।

अन्य देशों में प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों की मान्यता ।

50. (1) जहां भारत से भिन्न किसी देश में, उस देश में तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन कोई सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के समरूप है, तो यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) वे शर्तें, जिनके अधीन उस देश में कोई भी सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, तत्स्थानी प्रमाणपत्रों के लिए इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित शर्तों से अनिम्न सक्षमता के मानकों की पूर्ति करती हैं ; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए प्रमाणपत्र उस देश की विधियों के अधीन प्रदान किए गए तत्स्थानी प्रमाणपत्रों के बदले उस देश में स्वीकार किए जाते हैं,

तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि उस देश में प्रवृत विधियों के अधीन प्रदान किए गए किसी भी सक्षमता प्रमाणपत्र को इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए तत्स्थानी सक्षमता प्रमाणपत्र के समतुल्य के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(2) समतुल्य के रूप में इस धारा के अधीन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र, पृष्ठांकन के ऐसे प्रमाणपत्र के साथ जारी किया जा सकेगा, जो विहित किया जाए और पृष्ठांकन के ऐसे प्रमाणपत्र को धारण करने वाला व्यक्ति उस पर ऐसे विचार करेगा जैसे इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो ।

विदेशी जलयानों का प्रमाणपत्रित समुद्र यात्रा वृतिकों के बिना न चलना ।

51. (1) किसी विदेशी जलयान का प्रत्येक मास्टर, भारत में किसी पतन या स्थान पर समुद्र में जाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान सुरक्षा अभिसमय और समुद्री यात्रा वृतिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण मानक प्रमाणन और निगरानी के अनुपालन में समुचित प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृतिकों की ऐसी अपेक्षित संख्या है ।

(2) कोई सर्वेक्षक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी युक्तियुक्त समय पर यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि सुरक्षा

अभिसमय और यात्रा वृतिकों के लिए मानक प्रशिक्षण प्रमाणन और निगरानी के अनुसार जारी किए गए प्रमाणपत्र रखने वाले समुद्र यात्रा वृतिक वास्तविक रूप से नियुक्त किए गए हैं और उपस्थित हैं, ऐसे जलयान के फलक पर जा सकेगा और वह पतनों और समुद्र में कर्तव्यों की निगरानी के लिए ऐसे समुद्र यात्रा वृतिकों की उपयुक्तता के लिए अपना समाधान करेगा ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षक या कोई अन्य किसी विदेशी जलयान में सुरक्षा अभिसमय और यात्रा वृतिकों के लिए मानक प्रशिक्षण प्रमाणन और निगरानी की अपेक्षाओं के संबंध में कमी की रिपोर्ट करता है और केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे जलयान का समुद्र में जाना असुरक्षित होगा तो उस जलयान को इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षाएं पूरी किए जाने तक निरुद्ध किया जा सकेगा ।

कतिपय प्रमाणपत्र धारकों की भारतीय जलयान में सेवा करने की बाध्यता ।

52. किसी भी ऐसे समय पर, जिसके दौरान भारत की सुरक्षा को संकट है या संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन जारी आपात की उद्घोषणा के दौरान इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन जारी भारतीय सक्षमता प्रमाणपत्र या मान्यता प्रमाणपत्र रखने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भारतीय जलयान पर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टिया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन जलयान की विभिन्न प्रवर्गों, क्षेत्रों और प्रचालन के प्रकारों के आधार पर समुद्री यात्रा वृतिकों के कर्मीदल मापन ;

(ख) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र की श्रेणी और शर्तें तथा उन निर्बन्धनों के अधीन जिन पर समुद्री यात्रा वृतिक भारतीय जलयान पर सेवा कर सकेंगे ;

(ग) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन समुद्री यात्रा वृतिक विभिन्न श्रेणियों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए अपेक्षाएं और प्रक्रिया;

(घ) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन समुद्र यात्रा वृतिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अपेक्षा और प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप, फीस, ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्य अवधि और वह रीति, जिसमें प्रमाणपत्र की प्रतियां रखी और अभिलिखित की जाएंगी ;

(च) प्रक्रिया जिसमें केंद्रीय सरकार धारा 47 की उपधारा (5) के अधीन

महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना प्रचालित किए जा रहे प्रशिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगी ;

(छ) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा संचालित करने की रीति, प्रभारित की जाने वाली फीस और परीक्षकों को किया जाने वाला संदाय ;

(ज) प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति धारा 48 की उपधारा (7) के अधीन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा ;

(झ) धारा 48 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फीस, यदि वह खो जाए या उससे वंचित कर दिया जाए;

(ञ) धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन पृष्ठांकन ;

(ट) कोई अन्य विषय, जिसका किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 5

समुद्र यात्रा वृतिक

इस भाग का लागू होना ।

54. जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय यह भाग निम्नलिखित को लागू होगा,—

(क) प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक ;

(ख) भर्ती और नियोजन सेवाएं ;

(ग) पोत के स्वामी ।

परिभाषाएं ।

55. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सामुद्रिक श्रम प्रमाणपत्र घोषणा" से जलयान के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या इस निमित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन द्वारा की गई घोषणा जिससे सामुद्रिक श्रम अभिसमय के उपबंधों में दी गई अपेक्षाएं और मानक प्राप्त किए जा सकें, अभिप्रेत है ;

(ख) "भर्ती और नियोजन सेवा" से पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन अभिप्रेत है, जो नियोजकों की ओर से समुद्र यात्रा वृतिकों की भर्ती या नियोजकों के साथ समुद्र यात्रा वृतिकों का नियोजन करने में लगा हुआ है ।

(ग) "जलयान स्वामी" से जलयान का स्वामी या प्रबंधक अभिकर्ता या केवल नाव के किराएदार के रूप में कोई संगठन या व्यष्टि जिसमें स्वामी से जलयान के प्रचालन के लिए उत्तरदायी ग्रहण किया है और जो ऐसे उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर समुद्री श्रम अभिसमय के अनुसार जलयान स्वामी पर अधिरोपित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को लेने के लिए सहमत है, भले ही कोई अन्य संगठन या व्यष्टि जलयान स्वामी की ओर से कतिपय कर्तव्य या उत्तरदायित्वों को पूरा

कर रहा हो, अभिप्रेत है ।

समुद्र यात्रा वृतिकों का वर्गीकरण ।

56. (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध किसी पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में नियोजित या नियुक्त समुद्र यात्रा वृतिक को लागू होंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार, विभिन्न प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृतिकों के वर्गीकरण, ऐसे प्रवर्गों के समुद्र यात्रा वृतिकों के न्यूनतम कर्मीदल मापमान और जलयानों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मापमान के लिए नियम बना सकेगी ।

(3) समुद्र यात्रा वृतिको को, सुरक्षा को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए और जलयान पोतारोहन या गैर-पोतारोहन, तट छोड़ने के लिए निर्बाध गतिविधि और जब आवश्यक हो तट आधारित चिकित्सा उपचार के लिए मुख्य कर्मकार समझा जाएगा ।

समुद्र यात्रा वृतिकों और जलयानों को सामुद्रिक श्रम मानकों का लागू होना ।

57. (1) सामुद्रिक श्रम अभिसमय में यथा अंतर्विष्ट मानक सभी समुद्र यात्रा वृतिकों और इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पोतों को लागू होंगे किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(क) ऐसे जलयान, जो अनन्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग में या ऐसे परिरक्षित जलमार्गों या क्षेत्रों के भीतर या निकट पार्श्वस्थ, जहां पत्तनों से संबंधित तत्समय प्रवृत कोई विधि लागू होती है, के भीतर जलमार्गों में चलते हैं ;

(ख) मछली पकड़ने के कार्याकलापों में लगे जलयान ;

(ग) परंपरागत रूप से बनाए गए जलयान जैसे ढो और जंक ;

(घ) युद्ध या नौसेना सहायक जलयान ।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जलयान और भारत जलयान के सिवाय प्रत्येक जलयान जब वह भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, ऐसे निबंधनों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, समुद्री श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रदान किए गए प्रमाणपत्र को कब्जे में रखेगा ।

(3) कोई जलयान तब तक समुद्री यात्रा नहीं करेगा जब तक उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उसके पास न हो ।

(4) पोत का स्वामी और भर्ती तथा नियोजन सेवा प्रदाता संयुक्त रूप से और पृथक रूप से पोत स्वामी के उतरदायित्वों के निर्वहन के लिए उतरदायी होगा और ऐसा सेवा प्रदाता धारा 281 और धारा 282 के अधीन अपराधों और शास्तियों के प्रयोजन के लिए पोत स्वामी समझा जाएगा ।

पोत परिवहन मास्टर, निदेशक और समुद्री यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी के कर्तव्य ।

58. (1) पोत परिवहन मास्टरों का,—

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में समुद्र यात्रा वृतिकों की नियुक्ति और सेवोन्मुक्ति को मानीटर करने ;

(ख) ऐसे समुद्री यात्रा वृतिक जो ऐसे नियुक्त किए गए हैं, को उचित समय पर फलक पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए साधन प्रदान करना ;

(ग) ऐसे निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र और समुद्री यात्रा वृतिकों के पहचान दस्तावेज जो विहित किए जाएं, जारी करना ;

(घ) मास्टर, पोत स्वामी या उसका अभिकर्ता और किसी समुद्री यात्रा वृतिकों के बीच विवादों की सुनवाई और विनिश्चय करना ;

(ङ) भारत के सिवाय विदेश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान के मास्टर, स्वामी या उसके अभिकर्ता के साथ विदेशी समुद्री यात्रा वृतिकों के भारतीय जलयान क्षेत्र में किसी विवाद के उत्पन्न होने पर परिवाद को रजिस्ट्रीकरण के देश के सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेगा और ऐसे परिवाद की एक प्रति महानिदेशक, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय को भेजेगा ।

(2) निदेशक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,—

(क) भर्ती और नियोजन सेवा विनियमित और नियंत्रित करने और—

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्री यात्रा वृतिकों की भर्ती या नियोजन के लिए कोई फीस या अन्य भार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या पूर्णतः या भागरूप में राष्ट्रीय कानूनी चिकित्सा प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय यात्रा वृतिक पुस्तक और पासपोर्ट या अन्य समान व्यष्टिक यात्रा दस्तावेज जिसमें यद्यपि बीजा की लागत जो पोत के स्वामी द्वारा दी जाएगी, शामिल नहीं है, को प्राप्त करने वाले यात्रा वृतिकों की लागत के सिवाय यात्रा वृतिक द्वारा नहीं दिया जाएगा ;

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्वेषण के लिए विद्यमान पर्याप्त मशीनरी और प्रक्रिया, यदि आवश्यक हो, भर्ती और नियोजन सेवाओं के क्रियाकलापों को अंतर्विष्ट करने वाला परिवाद; और

(iii) समुद्री यात्रा वृतिकों के प्रवर्गों के संबंध में समुद्री यात्रा वृतिकों के रजिस्टर का रखरखाव करने के लिए ऐसी शर्तें जो विहित की जाए, के अध्याधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन भर्ती और नियोजन सेवा प्रदाता के लेखाबहियों और वितीय दस्तावेजों और अनुमोदित किए गए समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण और सत्यापन करना जो महानिदेशक द्वारा निदेशित किया जाए ;

(ग) पोत मास्टर के ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करना जो महानिदेशक द्वारा निदेशित किए जाएं ।

(3) समुद्री यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,—

(क) भारत में किसी पतन पर नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के मामले में या समुद्री यात्रा वृतिकों के कल्याण के संबंध में ऐसे कृत्य का पालन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाएं ;

(ख) भारत के बाहर किसी पतन पर नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के मामले में समुद्री यात्रा वृतिकों के कल्याण के संबंध में ऐसे कृत्य और भारतीय राजदूत के ऐसे कृत्य का पालन करेगा जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं और ऐसे कृत्यों का वही प्रभाव होगा जैसे वे इस भाग के प्रयोजन के लिए किसी भारतीय राजदूत द्वारा निष्पादित किए गए हों ।

(4) पोत मास्टर या निदेशक या समुद्री यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी ऐसे अन्य

कृत्यों का निष्पादन भी करेगा जो इस निमित केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।

समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए न्यूनतम आयु ।

59. कोई व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, किसी जलयान के फलक पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं होगा या कार्य नहीं करेगा ।

चिकित्सा प्रमाणपत्र ।

60. कोई व्यक्ति जब तक समुद्र यात्रा वृतिक के पास इस प्रभाव का ऐसा प्रमाणपत्र जो ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाए, जारी किया गया हो, न हो कि वह उस क्षमता में नियोजित होने के लिए चिकित्सीय दृष्टि से योग्य है, किसी जलयान में किसी क्षमता में कार्य करने के लिए किसी समुद्र यात्रा वृतिक को नियुक्त नहीं करेगा या समुद्र में नहीं ले जाएगा ।

प्रशिक्षण और अर्हताएं ।

61. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगी कि समुद्र यात्रा वृतिक साधारण रूप से या समुद्र यात्रा वृतिकों का कोई प्रवर्ग विशिष्ट रूप से उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किसी जलयान या जलयान के किसी वर्ग में किसी क्षमता में नियुक्त नहीं किया जाएगा या समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि उनमें से प्रत्येक ऐसी अर्हता धारण न करता हो जो सुरक्षा अभिसमय और समुद्र यात्रा वृतिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण मानक प्रमाणन और निगरानी के अनुसार महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्र यात्रा वृतिक जलयान पर कार्य नहीं करेगा जब तक वे अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए प्रशिक्षित या सक्षम रूप से प्रमाणित या अन्य अर्हता न रखते हों और उन्होंने जलयान फलक पर कार्मिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा न कर लिया हो ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रशिक्षण और प्रमाणन अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा ग्रहण किए गए आज्ञापक लिखत के अनुसार होगा ।

समुद्र यात्रा वृतिकों की भर्ती और नियोजन ।

62. (1) समुद्र यात्रा वृतिक,—

(क) इस भाग के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति धारण करने वाली भर्ती और नियोजन सेवा अभिकरण द्वारा ; या

(ख) भारतीय जलयान के मामले में ऐसे जलयान के लिए जो उनके स्वामित्व में है, स्वामी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) ऐसे जलयान के संबंध में जो उनके स्वामित्व में है, भारतीय जलयान के स्वामी के सिवाय भर्ती और नियोजन सेवा के कारबार को जारी नहीं रखेगा जब तक उसके पास इस भाग के अधीन जारी की गई वैध अनुज्ञप्ति न हो ;

(ख) किसी जलयान में इस अधिनियम के अधीन किसी समुद्र यात्रा वृतिक को नियुक्त नहीं करेगा जब तक समुद्र यात्रा वृतिक के पास अन्यथा छूट के सिवाय इस भाग के अधीन जारी किया गया सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृतिक पहचान दस्तावेज न हो ;

(ग) किसी समुद्र यात्रा वृतिक या किसी व्यक्ति से समुद्र यात्रा वृतिक या

उसकी ओर से किसी व्यक्ति से फलक पर प्रशिक्षण या नियोजन देने के लिए, समुद्र यात्रा वृतिक भर्ती या नियोजन के लिए या समुद्र यात्रा वृतिक या व्यक्ति को फलक पर प्रशिक्षण या नियोजन प्रदान करने के लिए, समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में फलक पर प्रशिक्षण या नियोजित करने के लिए किसी पारिश्रमिक या फीस या अन्य भार की मांग नहीं करेगा या ग्रहण नहीं करेगा :

परंतु समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र, सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र या पहचान दस्तावेज और पासपोर्ट और अन्य समान व्यष्टिक यात्रा दस्तावेजों को प्राप्त करने की लागत समुद्र यात्रा वृतिक या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी किंतु इसके अंतर्गत ऐसे बीजा की लागत जो पोत स्वामी द्वारा जारी किया गया हो, शामिल नहीं है ;

(घ) किसी जलयान के फलक पर उनकी भर्ती और नियुक्ति के संबंध में समुद्र यात्रा वृतिकों के बीच कोई विभेद,—

(i) समुद्र यात्रा वृतिकों के प्रतिनिधित्व करने वाले किसी विशिष्ट संघ में उनकी सदस्यता या सदस्यता की कमी के आधार पर ;

(ii) किसी ऐसे प्रशिक्षण संस्थान जिससे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या उनके लिए सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र प्रदान करने के स्थान के आधार पर, नहीं करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार या इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि राष्ट्रहित में या समुद्र यात्रा वृतिक के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट भारतीय जलयान से भिन्न मास्टर या पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता को ऐसे जलयान पर समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति से प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(4) उपधारा (1) के अभिसमय में नियुक्त समुद्र यात्रा वृतिक की सेवाएं भाग 4 के अधीन प्रमाणन के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त नहीं होंगी ।

(5) महानिदेशक ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक जो अपने निजी ज्ञान से उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के अतिलंघन में समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में नियोजन अभिप्राप्त करता है, का सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र या सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा या वापस ले सकेगा :

परंतु किसी प्रमाणपत्र को निलंबित करने या वापस लेने के लिए कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक समुद्र यात्रा वृतिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(6) इस भाग के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति रखने वाला प्रत्येक भर्ती और नियोजन सेवा अधिकरण—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान स्वामी परित्यक्त समुद्री यात्रा वृतिकों को संप्रत्यावर्तित करने की वित्तीय योग्यता रखता हो ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान स्वामी ऐसे संप्रत्यावर्तन से पूर्व उनके भरण-पोषण और अपेक्षित चिकित्सा सहायता के साथ परित्यक्त समुद्री यात्रा वृतिकों

को संप्रत्यावर्तित करे ;

(ग) मृत्यु की दशा में मृतक समुद्री यात्रा वितिक पार्थिव शरीर को भेजे ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि उस जलयान पर श्रम की दशा में जहां समुद्री यात्रा वृतिक नियुक्त है और समुद्री यात्रा वृतिक नियोजन करार के अनुरूप है ;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि क्षति विलोपन या मृत्यु की कोई घटना जलयान यात्रा में कारित हो जाती है तब ऐसी सूचना की प्राप्ति से चौबीस घंटों के भीतर ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे प्राप्ति और रीति से जो विहित की जाए, रिपोर्ट करेगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती किए गए या भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किए गए समुद्री यात्रा वृतिक के संबंध में और भर्ती और नियोजन निबंधनों और शर्तों में किसी परिवहन सहित नियोजन सेवा अधिकरण की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति या ऐसे समय पर जो विहित की जाए, सुपुर्द करेगा ;

(छ) ऐसे अन्य उत्तदायित्व ग्रहण करेगा जो विहित किए जाएं ।

समुद्र यात्रा वृतिकों के साथ करार ।

63. (1) मास्टर या प्रत्येक भारतीय पोत का स्वामी या भारतीय जलयान के लिए भर्ती या नियोजन सेवा अभिकरण या विदेशी जलयान ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के साथ, जिसे वह नियुक्त करता है, समुद्र यात्रा वृतिक नियोजन करार करेगा और उसकी एक प्रति पोत परिवहन मास्टर को प्रस्तुत करेगा ।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर किसी पतन में रजिस्ट्रीकृत किसी भारतीय जलयान का मास्टर या ऐसे पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता, जिसने उस पतन की या ऐसे पतन की, जिसमें उसके समुद्र यात्रा वृतिक नियुक्त किए गए हैं, विधि के अनुसार सम्यक् प्ररूप में किए गए समुद्र यात्रा वृतिकों के साथ करार किया है, भारत में के किसी पतन में ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक को नियुक्त कर सकेगा,—

(क) जो भारत का नागरिक नहीं है और जो उस देश के, जिसमें जलयान रजिस्ट्रीकृत है या उस देश के, जिसमें उक्त करार किया गया था, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र या पहचान का कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज रखता है ; या

(ख) जो भारत का नागरिक है और जो इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र रखता है,

और खंड (क) और खंड (ख) द्वारा नियुक्त कोई भी समुद्र यात्रा वृतिक पूर्वोक्त करार पर हस्ताक्षर कर सकेगा ।

(3) समुद्र यात्रा वृतिक, समुद्र यात्रा वृतिक नियोजन करार पर हस्ताक्षर करने से पहले परीक्षा करने के लिए अवसर देगा और करार पर सलाह देने के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि उसने अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को पर्याप्त रूप से समझकर स्वतंत्रतापूर्वक करार किया है ।

मजदूरी ।

64. (1) भारतीय जलयान का प्रत्येक पोत का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्र यात्रा वृतिकों को शोध्य पूर्ण संदाय उन्हें एक माह से अनधिक के अंतराल पर किया जाएगा और शोध्य संदायों और संदत्त रकम जिसके अंतर्गत मजदूरी और अतिरिक्त संदाय

भी है का मासिक लेखा दिया जाएगा ।

(2) यदि समुद्र यात्रा वृतिक को, समुद्र यात्रा वृतिक नियोजन करार के अधीन देय मजदूरी की बाबत किसी रकम का मासिक अंतराल के भीतर संदाय नहीं किया जाता है, तो समुद्र यात्रा वृतिक प्रत्येक दिन के लिए जब वह असंदत्त रहता है, समुद्र यात्रा वृतिक नियोजन करार के अधीन अंतिम देय मजदूरी की दर पर ऐसे ब्याज के साथ जो विहित किया जाए, जब तक कि उसे पूरी रकम संदत्त नहीं की जाए, मजदूरी का हकदार होगा, किंतु ऐसा ब्याज देय नहीं होगा, यदि ऐसे मासिक संदाय किए जाने में असफलता—

(क) युक्तियुक्त त्रुटि ; या

(ख) दायित्व के बारे में युक्तियुक्त विवाद ; या

(ग) समुद्र यात्रा वृतिक के कार्य या चूक ; या

(घ) किसी अन्य हेतु, जो संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं का सदोष कार्य या चूक नहीं है,

के कारण थी ।

विश्राम घंटे ।

65. प्रत्येक पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियोजन में प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसे विश्राम घंटे प्रदान किए जाते हों जो विहित किए जाएं ।

छुट्टी की हकदारी ।

66. भारतीय जलयान का प्रत्येक पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, संदत्त वार्षिक छुट्टी अनुज्ञात की जाती हो ।

संप्रत्यावर्तन ।

67. (1) समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं बिना किसी व्यय के संप्रत्यावर्तन का अधिकार होगा ।

(2) भारतीय जलयान का प्रत्येक पोत स्वामी ऐसी वित्तीय सुरक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्र यात्रा वृतिक ऐसी रीति में जो विहित की जाए सम्यक् रूप से संप्रत्यावर्तित किए जाएं, प्रदान करेगा ।

(3) जब भारत के बाहर किसी पत्तन पर समुद्र यात्रा वृतिक की सहमति के बिना और उस अवधि जिसके लिए वह नियोजित किया गया था, की समाप्ति से पहले उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, मास्टर, पोत स्वामी या उसका अभिकर्ता, इस अधिनियम द्वारा उनमें से किसी पर अधिरोपित किसी अन्य संबद्ध बाध्यता के अतिरिक्त समुद्र यात्रा वृतिक की पंक्ति या रेटिंग के अनुसार उसके भरण-पोषण के लिए और उस समुद्र यात्रा वृतिक की उचित वापसी पत्तन पर वापसी के लिए पर्याप्त उपबंध करेगा ।

(4) यदि मास्टर, पोत स्वामी या उसका अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृतिक के संप्रत्यावर्तन में विफल हो जाता है, तो भरण-पोषण और उचित वापसी पत्तन तक यात्रा के व्यय, यदि समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा अदा किए गए हैं, उसे शोध्य मजदूरी के रूप में वसूली योग्य होंगे, और यदि भारतीय उच्चायोग द्वारा अदा किए गए हैं तो धारा 91 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में सरकार को शोध्य ऋण का गठन करेंगे ।

जलयान की हानि या डूब जाने के लिए प्रतिकर ।

68. किसी जलयान की हानि या डूब जाने की दशा में, पोत स्वामी, प्रत्येक ऑन बोर्ड समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसी हानि या डूब जाने के परिणामस्वरूप बेकारी के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति, जो विहित की जाए, करेगा ।

काम में लगाने के स्तर ।

69. प्रत्येक जलयान पर ऐसी संख्या में, जो विहित की जाए, फलक पर समुद्र यात्रा वृतिक यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित होंगे, कि जलयान, समुद्र यात्रा वृतिकों की फटीग के बारे में सरोकार और समुद्र यात्रा की विशिष्ट प्रकृति और परिस्थितियों को हिसाब में लेते हुए सभी परिस्थितियों के अधीन सुरक्षा का सम्यक ध्यान रखते हुए सुरक्षापूर्वक और दक्षतापूर्वक प्रचालित किए जाते हैं ।

वास-सुविधा और मनोरंजन सुविधाएं ।

70. प्रत्येक पोत स्वामी, ऑन बोर्ड काम करने वाले या रहने वाले समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए, समुद्र यात्रा वृतिकों के स्वास्थ्य की अभिवृद्धि से संगत, ऐसी वास-सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान या अनुरक्षित करेगा ।

खाद्य और खान-पान ।

71. (1) प्रत्येक पोत स्वामी समुचित क्वालिटी, पोषण मूल्य या मात्रा में, खाद्य और पेय जल जो समुद्र यात्रा वृतिक की अपेक्षाओं को पर्याप्त रूप से पूरा करता हो और भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखता हो, प्रदान करेगा ।

(2) किसी जलयान पर समुद्र यात्रा वृतिक को नियोजन की अवधि के दौरान प्रभारमुक्त खाद्य और जल प्रदान किया जाएगा ।

(3) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्र यात्रा वृतिक जो जलयान पर रसोइए के रूप में नियोजित है, महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षित, अर्हित और सक्षम पाया गया हो ।

चिकित्सा देख-रेख ।

72. यह पोत स्वामी का कर्तव्य होगा कि वह जलयान पर नियोजित समुद्र यात्रा वृतिकों को बिना खर्च, स्वास्थ्य संरक्षण और चिकित्सा देख-रेख प्रदान करने के लिए ऐसे उपाय करे, जो विहित किए जाएं ।

पोत स्वामी का दायित्व ।

73. (1) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान पर नियोजित समुद्र यात्रा वृतिकों को जब समुद्र यात्रा वृतिक नियोजन करार के अधीन सेवा करते समय या ऐसे करार के अधीन उनके नियोजन से उद्भूत, बीमारी, क्षति या मृत्यु होने के वितीय परिणाम की बाबत तात्विक सहायता और समर्थन का अधिकार प्रदत्त किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात समुद्र यात्रा वृतिक को तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उपलब्ध किसी अन्य विधिक उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण तथा दुर्घटना निवारण ।

74. प्रत्येक पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान पर कार्यरत समुद्र यात्रा वृतिकों को उपजीविका स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान किया गया हो और वे ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो महानिदेशक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जलयान पर सुरक्षित और स्वास्थ्य कर और पर्यावरण में निवास कार्य करे और प्रशिक्षण प्राप्त करे ।

सामाजिक सुरक्षा ।

75. सभी समुद्र यात्रा वृतिकों को सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण की ऐसी सभी शाखाओं, जो विहित की जाए, तक पहुंच होगी ।

ध्वज राज्य उत्तरदायित्व ।

76. (1) केन्द्रीय सरकार, ध्वज राज्य उत्तरदायित्वों से संबंधित समुद्री श्रम अभिसमय संहिता के भाग क के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) समुद्री श्रम स्थितियों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए प्रभावी प्रणाली की स्थापना ;

(ख) निरीक्षण करने और प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सक्षम लोक संस्थाओं

या अन्य संगठनों को प्राधिकृत करना ;

(ग) नियमित निरीक्षण, मानीटरी और अन्य नियंत्रण उपायों की प्रभावी और समन्वित प्रणाली ;

(घ) समुद्री श्रम अभिसमय के भंग की समुद्र यात्रा वृतिकों की अधिकथित शिकायत की ऋजु, प्रभावी और त्वरित सुनवाई के लिए ऑनबोर्ड शिकायत प्रक्रिया; और

(ङ) पालन और प्रवर्तन ।

(2) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे भारतीय जलयानों जो समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा को कार्यान्वित और अनुरक्षित करेंगे, को विनिर्दिष्ट करेगी ।

पतन राज्य उत्तरदायित्व ।

77. (1) केन्द्रीय सरकार, पोत राज्य उत्तरदायित्वों से संबंधित समुद्री श्रम अभिसमय संहिता के भाग क के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) तटीय शिकायत प्रतितोष प्रक्रिया की स्थापना ;

(ख) पतन के निरीक्षण के लिए प्रक्रिया की स्थापना;

(ग) पालन और प्रवर्तन ।

(2) महानिदेशक, जलयान के निरीक्षण के लिए प्रणाली और पतन राज्य निरीक्षण के लिए प्रक्रिया अधिसूचित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) नियमित निरीक्षणों की प्रभावी और समन्वित प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित पूरी सूचना अंतर्विष्ट करते हुए इलैक्ट्रानिक निरीक्षण डाटा बेस के विकास, अनुरक्षण और अद्यतन की अपेक्षा; और

(ख) निरीक्षण डाटा बेस में भारतीय पतनों पर बुलाए गए सभी जलयानों की जोखिम रूपरेखा विनिर्दिष्ट किया जाना ।

समुद्री श्रम अभिसमय के प्रवर्तन के लिए नियम ।

78. (1) केन्द्रीय सरकार, समुद्री श्रम अभिसमय संहिता के भाग क के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) न्यूनतम आयु;

(ख) चिकित्सा प्रमाणपत्र;

(ग) प्रशिक्षण और अर्हताएं;

(घ) भर्ती और स्थानन;

(ङ) समुद्र यात्रा वृतिक नियोजन करार;

(च) मजदूरियों का संदाय;

(छ) कार्य घंटे और विश्राम घंटे;

(ज) छुट्टी की हकदारी;

(झ) संप्रत्यावर्तन;

(ञ) जलयान की हानि या डूब जाने की दशा में प्रतिकर;

(ट) काम में लगाने के स्तर ;

(ठ) सेवा शर्तें जिसके अंतर्गत कौशल विकास अवसर भी हैं;

(ड) वास-सुविधा, मनोरंजन सुविधाएं, खाद्य और खान-पान;

(ढ) पोत स्वामी का दायित्व;

(ण) स्वास्थ्य संरक्षण, चिकित्सा सुविधाएं, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण;

(त) कोई अन्य मामला, जो समुद्री श्रम अभिसमय के अनुपालन और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित हो या हो सकता हो ।

(2) केन्द्रीय सरकार, समुद्री श्रम अभिसमय संहिता के भाग ख के और समुद्री श्रम अभिसमय के किन्हीं अन्य उपबंधों को, जिन्हें इस अधिनियम में प्रभावी नहीं किया गया है, प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी ।

मजदूरी का संदाय ।

79. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन नियोजित किसी समुद्र यात्रा वृतिक की सेवाएं, करार में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व जलयान के ध्वंस, हानि या परित्याग के कारण या इस अधिनियम के अधीन उसकी अनुपयुक्तता के लिए प्रदत्त प्रमाणपत्र के अधीन भारत के बाहर किसी स्थान पर तट पर उसके छोड़ दिए जाने या समुद्री यात्रा करने की अक्षमता के कारण समाप्त कर दी जाती है, समुद्र यात्रा वृतिक ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिसके अंतर्गत वह अवधि भी है, जिसके दौरान ऐसा समुद्र यात्रा वृतिक मजदूरी के लिए हकदार नहीं था, जो विहित की जाए, मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, समुद्र यात्रा वृतिक किसी अवधि के लिए जिसके दौरान, उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, मजदूरी का अहकदार नहीं हो जाएगा, यदि वह साबित कर देता है कि वह बीमारी, उपहति या क्षति के कारण ऐसा करने में असक्षम रहा था ।

(3) यदि समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा हस्ताक्षरित किए गए किसी करार का उन्मोचन उसके निबंधनों से अन्यथा, उसकी चूक या उन्मोचन को उसके भाग पर न्यायोचित ठहराए बिना और उसकी सहमति के बिना कर दिया जाता है, वह मास्टर या पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता से किसी मजदूरी, जो वह अर्जित कर सकता था, के अतिरिक्त उसे उन्मोचन द्वारा कारित नुकसानी के लिए सम्यक् प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम जो पोत स्वामी उन्मोचन से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियत करे, जो मजदूरी के रूप में वसूलनीय हो, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संदेय प्रतिकर,—

(क) उस समुद्र यात्रा वृतिक की दशा में जिसका जलयात्रा के प्रारंभ से पूर्व उन्मोचन हो गया है, एक मास की मजदूरी; और

(ख) उस समुद्र यात्रा वृतिक की दशा में जिसका जलयात्रा के प्रारंभ के पश्चात्, उन्मोचन हो गया है, तीन मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगा ।

समुद्र यात्रा वृतिकों की सेवोन्मुक्ति ।

80. (1) किसी भारतीय जलयान पर सेवा करने वाले किसी समुद्र यात्रा वृतिक को उसकी नियुक्ति की समाप्ति पर ऐसी रीति में सेवोन्मुक्त किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(2) यदि किसी भारतीय जलयान को उस समय अंतरित या व्ययनित किया गया है, वे समुद्र में है या जब वह भारत के बाहर किसी पतन के लिए समुद्र यात्रा पर है, तो उस जलयान से संबंधित प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक को तब तक उस पतन पर सेवोन्मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह जलयान की समुद्र यात्रा, यदि चालू है तो उसे पूरी करने के लिए लिखित में सहमत नहीं हो जाता है ।

(3) यदि किसी समुद्र यात्रा वृतिक को उसकी सहमति के बिना और उस अवधि की समाप्ति, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृतिक को नियुक्त किया गया था, से पहले भारतीय जलयान से सेवोन्मुक्त कर दिया जाता है, उसका धारा 67 के उपबंधों के अनुसार संप्रत्यावर्तन किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के निबंधनानुसार सेवोन्मुक्त प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक, यदि वह समुद्र यात्रा, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, चालू नहीं रहती है, ऐसी मजदूरी का हकदार होगा, जो वह हकदार होता यदि पोत स्वामी द्वारा उसकी सेवा उस अवधि की समाप्ति से पहले, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृतिक नियुक्त किया गया था, दोषपूर्वक समाप्त कर दी जाती ।

(5) किसी भारतीय पोत का मास्टर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट अधिकारी के प्राधिकार के बिना,—

(क) किसी समुद्र यात्रा वृतिक को उस अवधि की समाप्ति से पहले, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, तब तक सेवोन्मुक्त नहीं करेगा, जब तक समुद्र यात्रा वृतिक अपनी सेवोन्मुक्ति के लिए सहमत नहीं हो गया हो ; या

(ख) उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के सिवाय किसी समुद्र यात्रा वृतिक को छोड़कर नहीं जाएगा,

और उक्त अधिकारी, समुद्र यात्रा वृतिक के साथ करार में यह प्रमाणित करेगा कि उसने ऐसा प्राधिकार प्रदान किया है और सेवोन्मुक्त किए गए समुद्र यात्रा वृतिक या छोड़े हुए समुद्र यात्रा वृतिक के लिए कारण भी देगा :

परंतु ऐसा अधिकारी, ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक को सेवोन्मुक्त करने या छोड़ने से पहले उन आधारों का अन्वेषण करेगा जिन पर ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक को निर्मुक्त किया जाना या छोड़ा जाना है और अपने विवेकानुसार ऐसा प्राधिकार प्रदान कर सकेगा या प्रदान करने से इंकार कर सकेगा :

परंतु यह और कि वह प्राधिकार प्रदान करने से तब इंकार नहीं करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि समुद्र यात्रा वृतिक युक्तियुक्त कारण के बिना,—

(क) अपने पोत पर जाने से या उसमें समुद्र में जाने से असफल हुआ है या उसने इंकार किया है ; या

(ख) अपने पोत से समुद्र यात्रा के प्रारंभ पर या उसकी प्रगति के दौरान अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए बिना छुट्टी के अनुपस्थित है ।

(6) उपधारा (5) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अधिकारी उसके प्राधिकार से सेवोन्मुक्त या छोड़ दिए गए सभी समुद्र यात्रा वृतिकों का अभिलेख रखेगा ; और जब कभी किसी समुद्र यात्रा वृतिक के विरुद्ध धारा 98 के अधीन कोई आरोप लगाया जाता है, तो यह तथ्य कि ऐसा कोई प्राधिकार इस प्रकार अभिलिखित नहीं किया गया है, इस बात का

प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगा कि उसे प्रदान नहीं किया गया था ।

मृतक समुद्र यात्रा वृतिकों और छोड़ दिए गए समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी और संपति ।

81. यदि कोई भी समुद्र यात्रा वृतिक छोड़ दिया गया है या फलक से गायब हो गया है या मर गया है, तो मास्टर उस समय, जब समुद्र यात्रा वृतिक छोड़ दिया गया था या गायब हो गया था या मर गया था और मजदूरी की बाबत उसको शोध्य रकम या उसके द्वारा फलक पर छोड़ी गई समस्त संपति का विवरण शासकीय लॉग बुक में प्रविष्ट करेगा और ऐसी संपति को अपने प्रभार में ले लेगा तथा संपति का इस प्रकार निपटान किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

कतिपय असंवितरित रकमों का उपयोग समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण के लिए किया जाना ।

82. किसी समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा किए गए आबंटन टिप्पण के अनुसार संदाय करने के लिए या किसी समुद्र यात्रा वृतिक या उसके नामनिर्देशिती को संदाय किए जाने के लिए मजदूरी के रूप में पोत परिवहन मास्टर के पास जमा या उसके द्वारा वसूल की गई किसी रकम का उपयोग, यदि ऐसी रकम पोत परिवहन मास्टर के पास छह वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अदावाकृत रहती है, ऐसी रीति में, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा ।

पोत परिवहन मास्टरों द्वारा समुद्र यात्रा वृतिक को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन ।

83. (1) जहां समुद्र यात्रा वृतिक के साथ करार के अधीन मास्टर, पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता तथा पोत के किसी समुद्र यात्रा वृतिक के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको पोत परिवहन मास्टर के पास भेजा जाएगा ।

(2) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान पर किसी भारतीय समुद्र यात्रा वृतिक का मास्टर, पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता के साथ विवाद की कोई शिकायत पोत परिवहन मास्टर को भेजी जा सकेगी ।

(3) पोत परिवहन मास्टर, उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा निर्दिष्ट विवाद की सुनवाई करेगा और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उसका विनिश्चय करेगा तथा लिखित में कारण अंतर्विष्ट करते हुए तीस दिवस की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा, जो पक्षकारों के अधिकारों के बारे में निश्चायक होगा और ऐसे विवाद से संबंधित कोई भी दस्तावेज और स्वयं अधिनिर्णय उसका प्रथमदृष्टतया साक्ष्य होगा:

परंतु यदि पोत परिवहन मास्टर, विवाद की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर अधिनिर्णय पारित नहीं करता है, तो पोत परिवहन मास्टर पर्याप्त कारणों से तीस दिवस की और अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित कर सकेगा ।

1908 का 5

(4) पोत परिवहन मास्टर द्वारा पारित पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार उस रीति में प्रवर्तनीय होगा जैसे कि वह न्यायालय की डिक्री हो ।

1996 का 22

(5) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की कोई बात इस धारा के अधीन पोत परिवहन मास्टर को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत किए गए किसी विषय पर लागू नहीं होगी ।

पोत परिवहन मास्टर को दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करने की शक्ति ।

84. किसी पोत परिवहन मास्टर के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी, दावों या सेवोन्मुक्ति से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में पोत परिवहन मास्टर, पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता, मास्टर या किसी समुद्र यात्रा वृतिक से उसके कब्जे या शक्ति में कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी मामले से संबंधित कोई लाग बुक, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और उस मामले में

उन व्यक्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा ।

मजदूरी का कतिपय दशाओं में भारत के बाहर वसूली योग्य न होना ।

85. जहां किसी समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसी समुद्री यात्रा के लिए नियुक्त किया जाता है जिसका पर्यवसान भारत में होना है तो वह तब तक अपनी मजदूरी के लिए भारत के बाहर किसी न्यायालय में वाद नहीं ला सकेगा जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित मंजूरी से, तथा मास्टर की लिखित सहमति से, सेवोन्मुक्त नहीं कर दिया जाता है या वह मास्टर की ओर से, या उसके प्राधिकार से, ऐसा दुर्व्यवहार साबित नहीं कर देता है, जिससे उसके फलक पर बने रहने की दशा में उसके जीवन को खतरे की उचित आशंका हो ।

मजदूरी के लिए संक्षिप्त कार्यवाहियां ।

86. (1) कोई समुद्र यात्रा वृतिक या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति जैसे ही उसको शोध्य कोई मजदूरी संदेय हो जाती है, किन्तु संदत्त नहीं की जाती है, उस स्थान की या उसके समीप, जहां पर उसकी सेवा समाप्त की गई हैं या जहां पर उसे सेवोन्मुक्त किया गया है या जहां पर ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर दावा किया गया है, रहता है या निवास करता है, की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति, किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट मामले का संक्षिप्ततः विचारण करेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा उस मामले में किया गया आदेश अंतिम होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा ।

मजदूरी के लिए वादों पर निर्बंधन ।

87. समुद्र यात्रा वृतिक को शोध्य मजदूरी की वसूली के लिए कोई कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में किसी समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा या उसकी ओर से वहां के सिवाय संस्थित नहीं की जाएगी, जहां,—

(क) पोत का स्वामी दिवालिया घोषित कर दिया जाए ;

(ख) जलयान, किसी न्यायालय के प्राधिकार से बंदी बना लिया जाए या विक्रय कर दिया जाए ;

(ग) यथास्थिति, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट दावा न्यायालय को निर्दिष्ट कर दे ।

मजदूरी, संवितरण, आदि, के लिए मास्टर के उपचार ।

88. (1) अपनी मजदूरी की वसूली के लिए जलयान के मास्टर को, जहां तक मामले में अनुज्ञात हो, वही अधिकार, धारणाधिकार और उपचार प्राप्त होंगे, जो समुद्र यात्रा वृतिक को इस अधिनियम या किसी विधि या रूढ़ि के अधीन प्राप्त हैं ।

(2) प्रत्येक मास्टर को, जलयान की बाबत उसके द्वारा उचित रूप से किए गए संवितरणों या उपगत दायित्वों की वसूली के लिए वही अधिकार, धारणाधिकार और उपचार प्राप्त होंगे, जो मास्टर को अपनी मजदूरी की वसूली के लिए प्राप्त हैं ।

(3) ऐसे जलयान के मास्टर के रोगग्रस्त हो जाने या बीमारी के कारण असमर्थ हो जाने के कारण जलयान के मास्टर के रूप में विधिपूर्वक कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जहां तक मामले में अनुज्ञात हो, जलयान की बाबत उसके द्वारा उचित रूप से किए गए संवितरणों या उपगत दायित्वों की वसूली के लिए वही अधिकार, धारणाधिकार और उपचार प्राप्त होंगे, जो मास्टर को अपनी मजदूरी की वसूली के लिए प्राप्त हैं ।

समुद्र यात्रा वृतिक और उनके नियोजकों के बीच विवादों को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति ।

89. (1) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे पोतों के, जिनमें समुद्र यात्रा वृतिक नियोजित हैं या उनके नियोजित किए जाने की संभावना है, समुद्र यात्रा वृतिक या समुद्र यात्रा वृतिकों के किसी वर्ग या समुद्र यात्रा वृतिक की किसी यूनियन तथा पोतों के स्वामियों के बीच कोई विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है तथा ऐसा विवाद समुद्र यात्रा वृतिकों के नियोजन से संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी विषय की बाबत है तो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों का एक अधिकरण गठित कर सकेगी, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो विहित की जाएं जिसके अंतर्गत समुद्रीय विषयों का ज्ञान भी है, और विवाद को अधिनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी ।

1908 का 5

(2) अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा ।

2023 का 47

(3) अधिकरण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों द्वारा भी आबद्ध नहीं होगा ।

(4) अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेज पेश कराना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए ।

2023 का 45

(5) अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229 और धारा 267 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

(6) विवाद का कोई पक्षकार, कार्यवाही के अन्य पक्षकार या पक्षकारों की सहमति और अधिकरण की इजाजत के सिवाय अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में इस बात का हकदार नहीं होगा कि कोई विधि व्यवसायी उसका प्रतिनिधित्व करे ।

(7) अधिकरण, निर्देश का निपटारा करेगा और अपना अधिनिर्णय केंद्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, भेजेगा ।

(8) केंद्रीय सरकार, अधिनिर्णय प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित कराएगी और अधिनिर्णय ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवसान पर प्रवर्तनीय हो जाएगा :

परंतु जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिनिर्णय को या उसके किसी भाग को प्रभावशील करना लोक हित आधार पर समीचीन नहीं होगा, वहां वह उस उक्त तीस दिन की अवधि के पर्यवसान के पूर्व, राजपत्र में आदेश द्वारा, अधिनिर्णय को या तो नामंजूर कर सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, तथा जहां केंद्रीय सरकार ऐसा करती है वहां

अधिनिर्णय, प्रवर्तनीय नहीं होगा या ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रवर्तनीय होगा ।

(9) जो अधिनिर्णय इस धारा के अधीन प्रवर्तनीय हो गया है, वह,—

(क) विवाद के सभी पक्षकारों पर ;

(ख) जहां विवाद का कोई पक्षकार पोत का स्वामी है, वहां उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर,

आबद्धकर होगा ।

(10) अधिनिर्णय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनिर्णय उसके प्रवर्तनीय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत रहेगा और तत्पश्चात् उस तारीख से, जिस तारीख को अधिनिर्णय से आबद्ध किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय को पर्यवसित करने के अपने आशय की सूचना दी जाती है, दो मास की अवधि बीत जाने तक प्रवृत्त रहेगा ।

(11) जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, अधिकरण, अधिनिर्णय के प्रकाशन के पश्चात् तीस दिन की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा ।

(12) किसी अधिनिर्णय के अधीन पोत के स्वामी से समुद्र यात्रा वृतिक को शोध्य कोई रकम मजदूरी के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(13) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की कोई बात उन जलयानों की बाबत, जिनमें कोई समुद्र यात्रा वृतिक नियोजित है या नियोजित किए जा सकते हैं, ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक या समुद्र यात्रा वृतिकों के किसी वर्ग या समुद्र यात्रा वृतिकों की किसी यूनियन तथा पोतों के स्वामियों के बीच किसी विवाद को लागू नहीं होगी । 1947 का 14

(14) इस धारा के अधीन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान,—

(क) कोई समुद्र यात्रा वृतिक या समुद्र यात्रा वृतिकों का वर्ग या समुद्र यात्रा वृतिकों की यूनियन हड़ताल नहीं करेगी या हड़ताल पर नहीं रहेगी या अन्यथा कोई कार्य ऐसी रीति से नहीं करेगी, जिसमें उन पोतों के, जिसमें समुद्र यात्रा वृतिक नियोजित है या नियोजित किए जा सकते हैं, सामान्य कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़े ; और

(ख) पोत का कोई स्वामी,—

(i) विवाद से संबंधित समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसी कार्यवाही के आरंभ के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जो उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ; या

(ii) विवाद से संबंधित किसी विषय की बाबत किसी समुद्र यात्रा वृतिक को सेवोन्मुक्त या दंडित नहीं करेगा ।

जलयान के साथ खोये हुए समुद्री यात्रा वृतिक की मजदूरी, आदि का प्रत्युद्धरण ।

90. यदि समुद्री यात्रा वृतिक उस जलयान से, जिससे वह संबंधित है, गुम हो जाता है या खो जाता है, तो केंद्रीय सरकार या ऐसा अधिकारी जो इस निमित केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, उसी न्यायालय में और उसी रीति में जिसमें समुद्री यात्रा वृतिक की मजदूरी वसूलनीय है, मास्टर या पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता से, उसको शोध्य मजदूरी और प्रतिकर का प्रत्युद्धरण कर सकेगी और उस मजदूरी के साथ उसी रीति में व्यौहार करेगी, जैसा इस अधिनियम के अधीन अन्य मृत व्यक्ति का शोध्य

मजदूरी और प्रतिकर के साथ किया जाता है ।

परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक को राहत और भरणपोषण ।

91. (1) कोई समुद्र यात्रा वृतिक जिस स्थान पर परित्यक्त हो वहां का या उस स्थान के आसपास का भारतीय राजदूत, परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस समुद्र यात्रा वृतिक को समुचित वापसी पत्तन तक वापस भेजने की व्यवस्था, तथा जब तक उक्त समुद्र यात्रा वृतिक ऐसे पत्तन पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसके लिए आवश्यक कपड़े और भरणपोषण की व्यवस्था भी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा ।

(2) परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक को, उस विस्तार के सिवाय और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, भरणपोषण का या समुचित वापसी पत्तन पर भेजे जाने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत, अपवादित व्ययों से भिन्न, सभी ऐसे संप्रत्यावर्तन व्यय केंद्रीय सरकार को शोध्य ऋण होंगे और उस पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता या जलयान उसके लिए दायी होगा, जिसमें वह समुद्र यात्रा वृतिक, जिसकी बाबत व्यय उपगत किया गया है, अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था, जिसके परिणामस्वरूप वह परित्यक्त हो गया था तथा पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृतिक से कोई ऐसी रकम वसूल करने का हकदार नहीं होगा, जो पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसे ऋण के परिनिर्धारण या आंशिक परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत सभी अपवादित व्यय केंद्रीय सरकार को शोध्य ऋण होगा, जिसके लिए वह समुद्र यात्रा वृतिक, जिसकी बाबत वे उपगत किए गए हैं, और उस जलयान का, जिसमें वह समुद्र यात्रा वृतिक अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था, जिसके परिणामस्वरूप वह पोत परित्यक्त हो गया था, पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता या जलयान उसके लिए संयुक्तत: तथा पृथक्त: दायी होंगे तथा पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृतिक से ऐसी कोई रकम वसूल करने का हकदार होगा, जो स्वामी या अभिकर्ता द्वारा ऐसे ऋण के परिनिर्धारण या आंशिक परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार को संदत्त की गई हो, तथा समुद्र यात्रा वृतिक की शोध्य किसी मजदूरी में से उतना भाग, जितना आवश्यक हो, अपने दावे की तुष्टि के लिए उपयोजित कर सकेगा ।

(5) किसी परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक की बाबत उस पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता या जलयान द्वारा, जिसका वह समुद्र यात्रा वृतिक अपनी सेवोन्मुक्ति के, या ऐसी अन्य घटना के, समय था, जिसके परिणामस्वरूप वह परित्यक्त हो गया था, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत सभी अपवादित व्यय स्वामी या अभिकर्ता को शोध्य ऋण होगा, जिसके लिए समुद्र यात्रा वृतिक दायी होगा और स्वामी या अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृतिक को शोध्य किसी मजदूरी में से उतना भाग, जितना आवश्यक हो, अपने दावे की तुष्टि के लिए उपयोजित कर सकेगा; किंतु वह अपवादस्वरूप व्ययों से भिन्न कोई संप्रत्यावर्तन व्यय समुद्र यात्रा वृतिक से वसूल करने का हकदार नहीं होगा ।

(6) किन्हीं ऐसे व्ययों की, जो उपधारा (3) या उपधारा (4) के अर्थ में केंद्रीय सरकार को शोध्य ऋण है, वसूली के लिए किसी कार्यवाही में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके निदेश के अधीन व्ययों के हिसाब का पेश किया जाना तथा उन व्ययों के संदाय का सबूत इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा कि व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत किए गए थे ।

(7) केंद्रीय सरकार को इस धारा के अधीन शोध्य कोई ऋण उसके द्वारा इस निमित लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति से ऐसी रीति में वसूल किया जा सकेगा, जिस रीति में धारा 86 के अधीन मजदूरी वसूल की जा सकती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अपवादित व्यय" से उन दशाओं में उपगत संप्रत्यावर्तन व्यय अभिप्रेत है, जब समुद्र यात्रा वृतिक को पीछे छोड़ देने का कारण अभित्याग या छुट्टी बिना अनुपस्थिति या अवचार के कारण कारावास या अवचार के आधार पर जलयान से मुक्ति है ;

(ख) "संप्रत्यावर्तन व्यय" से किसी परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक को समुचित वापसी के पत्तन तक भेजने में, और तब तक, जब तक वह ऐसे पत्तन पर पहुंच नहीं जाता है, आवश्यक कपड़े और भरण-पोषण उपलब्ध कराने पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ध्वस्त पोत समुद्र यात्रा वृतिक की दशा में, जलयान के ध्वस्त हो जाने के पश्चात् उसे पत्तन तक ले जाने में, और इस प्रकार ले जाते समय उसके भरण-पोषण पर उपगत व्ययों का प्रतिसंदाय भी है ;

(ग) "पोत परिवहन मास्टर" से,—

(i) उस पत्तन के लिए, जिस पर समुद्री यात्रा वृतिक ने करार किया है या करने का विश्वास रखता है ; या

(ii) जहां समुद्री यात्रा वृतिक ने अपनी अंतिम समुद्री यात्रा पूरी करने पर, उस पत्तन के लिए जिस पर समुद्री यात्रा वृतिक ने वापसी की है या वापसी किया जाना प्रत्याशित है, भारत में कोई करार नहीं किया था,

पोत परिवहन मास्टर अभिप्रेत है ।

परित्यक्त जलयान के पक्षक पर कर्मीदल का प्रतिस्थापन ।

92. (1) यदि किसी परित्यक्त भारतीय जलयान या भारतीय तट या उसके तटीय जलक्षेत्र पर या उसके निकट किसी परित्यक्त विदेशी जलयान का स्वामी उस जलयान जिसके समुद्री यात्रा वृतिकों का संप्रत्यावर्तन किया जाना अपेक्षित है, पर प्रतिस्थापन कर्मीदल की व्यवस्था करने या व्यवस्था करने के लिए व्यय को पूरा करने में असफल हो जाता है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे जलयान पर भेजे जाने के लिए प्रतिस्थापन कर्मीदल की व्यवस्था करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से उपगत व्यय, केन्द्रीय सरकार को पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा उस समुद्री यात्रा वृतिक के लिए, जिसकी बाबत वे उपगत किए गए थे, संदत्त किए जाने के लिए दायी शोध्य ऋण का गठन करेगा ।

(3) कोई व्यय, जो उपधारा (2) के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार को शोध्य ऋण है, की वसूली की किन्हीं कार्यवाहियों में, व्ययों के लेखा या उसके संदाय के सबूत का केन्द्रीय

सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके निदेशों के अधीन प्रदान किया जाना, प्रथम दृष्टया इस बात का साक्ष्य होगा कि व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपगत किए गए थे ।

(4) कोई ऋण जो इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार को शोध्य हो, इस संबंध में उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा संबद्ध व्यक्ति से उस रीति में जिसमें धारा 86 के अधीन मजदूरी वसूली योग्य है, वसूल किया जा सकेगा ।

(5) इस भाग के अधीन किसी कार्यवाही में केन्द्रीय सरकार या ऐसा अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित विनिर्दिष्ट करे, का इस प्रभाव का प्रमाण पत्र की उसमें नामित कोई समुद्री यात्रा वृतिक परित्यक्त कर दिया गया है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा, कि ऐसा समुद्री यात्रा वृतिक, इस अधिनियम के अर्थ के भीतर परित्यक्त समुद्री यात्रा वृतिक है ।

पोत परिवहन मास्टर द्वारा निरीक्षण आदि ।

93. (1) पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी, भारतीय राजदूत या किसी पत्तन पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,—

(क) किसी ऐसे जलयान की दशा में, जिस पर समुद्र यात्रा वृतिक को उस पत्तन पर सवार किया गया है, जलयान के फलक पर प्रवेश कर सकेगा ; तथा

(ख) किसी भारतीय जलयान की दशा में, जलयान के फलक पर प्रवेश कर सकेगा और यदि मास्टर या कर्मीदल में से तीन या अधिक व्यक्ति ऐसा निवेदन करें, तो जलयान के फलक पर प्रवेश करेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जलयान पर उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित,—

(i) रसद और जल ;

(ii) बाट और माप ;

(iii) समुद्र यात्रा वृतिक के लिए स्थान सुविधाओं, भोजन और जल के भंडारण और उठाई-धराई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थान और उपस्कर तथा रसोईघर और भोजन तैयार करने और परोसने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य उपस्करों का भी ;

(iv) समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा का, निरीक्षण करेगा ।

(2) अंतरराष्ट्रीय समुद्रयात्रा में लगे या किसी पत्तन या पत्तनों के बीच प्रचालित समस्त जलयान, समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र और समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा को रखेंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अंतरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा" से भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान को या विपर्यत: या भारत के बाहर किन्हीं पत्तनों के बीच समुद्र यात्रा अभिप्रेत है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नहीं आने वाले जलयान, जब तक उनको केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्रदान नहीं की जाए, ऐसा प्रमाणपत्र, ऐसी रीति और प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रखेंगे ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल भारत में किसी पत्तन पर किसी जलयान के फलक पर लिए जाने से किसी समुद्र यात्रा वृतिक को रोकने के प्रयोजन के लिए पोत परिवहन मास्टर या उप-पोत परिवहन मास्टर या सहायक पोत परिवहन मास्टर या समुद्र यात्रा वृतिक के नियोजन कार्यालय का निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक किसी भी समय किसी ऐसे पोत के फलक पर, जिस पर उसे यह विश्वास है कि उस समुद्र यात्रा वृतिक को सवार किया गया है, प्रवेश कर सकेगा और उसमें नियोजित कई एक समुद्र यात्रा वृतिकों की हाजिरी और परीक्षा कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "समुद्रीय श्रम प्रमाण पत्र" से केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन द्वारा समुद्री श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ।

मुकदमेबाजी की बाबत समुद्र यात्रा वृतिकों के संरक्षण हेतु विशेष उपबंध ।

94. (1) समुद्र यात्रा वृतिक को, समुद्री यात्रा वृतिक के साथ किए गए करार की तारीख को प्रारंभ होने वाली और समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसे करार से अंतिम रूप से उन्मोचित करने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इन उपबंधों के प्रयोजन के लिए सेवारत समुद्र यात्रा वृतिक समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक, जो मुकदमेबाजी का पक्षकार है, उस विस्तार तक, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति में जो विहित की जाए संरक्षित होगा ।

परिवाद लाने की सुविधाएं ।

95. यदि समुद्र यात्रा वृतिक, मास्टर से यह कथन करता है कि वह उसके विरुद्ध या कर्मीदल में से किसी के विरुद्ध, किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य समुचित प्राधिकारी के समक्ष परिवाद लाना चाहता है तो,—

(क) यदि जलयान उस समय ऐसे स्थान पर है, जहां, कोई प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या अन्य समुचित प्राधिकारी है, तो ऐसा कथन किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जैसा जलयान की सेवा अनुज्ञा दे; और

(ख) यदि जलयान उस समय ऐसे स्थान पर नहीं है तो ऐसे स्थान पर उसके प्रथम बार पहुंचने के पश्चात् यथाशीघ्र जैसा जलयान की सेवा अनुज्ञा दे,

परिवादी को, परिवाद लाने में समर्थ बनाने के लिए किनारे जाने की अनुज्ञा देगा या उसे समुचित संरक्षण के अधीन किनारे भेजेगा ।

पोत पर अनुज्ञा के बिना चढ़ने का प्रतिषेध ।

96. जब जलयान, समुद्र यात्रा की समाप्ति पर भारत में किसी पत्तन या स्थान पर पहुंच जाता है तब यदि कोई व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में नहीं है या इस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है, मास्टर की अनुज्ञा के बिना जलयान के फलक पर जाता है, तो मास्टर उसे अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा और प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही के लिए उसे तुरंत किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा ।

जीवन या जलयान को खतरे में डालने वाले अपचार ।

97. भारतीय जलयान का, चाहे वह जलयान जहां भी हो, या किसी अन्य जलयान का, जब वह जलयान भारत में हो, कोई समुद्र यात्रा वृतिक जानबूझकर,—

(क) ऐसी कोई बात नहीं करेगा, जिसकी प्रवृति जलयान को तुरंत हानि पहुंचाने या उसे नष्ट करने या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने की हो अथवा जलयान के या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन को तुरंत खतरा या क्षति पहुंचाने की

हो ; या

(ख) जलयान को तुरंत हानि होने, नष्ट होने या उसका गंभीर नुकसान होने से परिरक्षण के लिए या जलयान की या उस पर सवार किसी व्यक्ति के जीवन की क्षति से परिरक्षण के लिए उसके द्वारा किए जाने के लिए उचित और अपेक्षित किसी विधिपूर्ण कार्य को करने से इंकार नहीं करेगा या उसका लोप नहीं करेगा ।

छुट्टी के बिना अभित्यजन और अनुपस्थिति ।

98. (1) विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृतिक,—

(क) अपने जलयान का अभित्यजन नहीं करेगा ; या

(ख) उचित कारण के बिना जलयान पर कर्तव्य ग्रहण करने में या अपने जलयान में यात्रा पर अग्रसर होने में उपेक्षा नहीं करेगा या उससे इंकार नहीं करेगा, समुद्र यात्रा के प्रारंभ पर या यात्रा के दौरान पतन से जलयान के चलने के चौबीस घंटे के भीतर किसी समय छुट्टी के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा, या अपने पोत से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना किसी समय अनुपस्थित नहीं रहेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह तथ्य कि वह जलयान, जिस पर समुद्र यात्रा वृतिक को नियुक्त किया गया है या जिसका वह है, समुद्र यात्रा के अयोग्य है, अभित्यजन या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति एक उचित कारण समझा जाएगा :

परंतु यह तब जब समुद्र यात्रा वृतिक ने अपने जलयान पर कर्तव्य ग्रहण करने में असफल रहने या इंकार करने या अपने जलयान में यात्रा पर अग्रसर होने से पूर्व या जलयान के स्वयं को अनुपस्थित रखने या अनुपस्थित होने से पूर्व मास्टर को या पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी, पतन स्वास्थ्य अधिकारी, भारतीय राजदूत या केंद्रीय सरकार द्वारा किसी पतन पर इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह शिकायत की हो कि जलयान समुद्र यात्रा के अयोग्य है ।

(3) यदि पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जाता है कि समुद्र यात्रा वृतिक ने अपने जलयान का अभित्यजन किया है या वह अपने जलयान से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहा है तो पोत परिवहन मास्टर महानिदेशक को इस आशय की तुरंत रिपोर्ट देगा जो तदुपरि यह निदेश कर सकेगा कि समुद्र यात्रा वृतिक का चालू सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र या समुद्र यात्रा वृतिक पहचान दस्तावेज उतनी अवधि के लिए, जितनी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिसंहृत किया जाए या अभित्यजित समुद्र यात्रा वृतिकों के सक्षमता प्रमाण पत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को निलंबित किया जाए या प्रत्याहृत किया जाए, यदि यह स्थापित हो जाता है कि ऐसा अभित्यजन छुट्टी या पर्याप्त कारण के बिना किया गया था :

परंतु प्रतिसंहरण, निलंबन या रद्दकरण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि समुद्र यात्रा वृतिक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

(4) यदि समुद्र यात्रा वृतिक अपने जलयान का अभित्यजन करता है या अपने जलयान से या अपने कर्तव्य से छुट्टी के बिना और पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है तो मास्टर, कोई समुद्र यात्रा वृतिक, पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो समुद्र यात्रा वृतिक के विरुद्ध इस

अधिनियम के अधीन की जा सकेगी, उस समुद्र यात्रा वृतिक का अपने जलयान के फलक पर प्रवहन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग करा सकेगा, जितना मामले की परिस्थितियों में उचित हो ।

(5) भारतीय पोत पर नियुक्त समुद्र यात्रा वृतिक यदि समुद्र यात्रा के प्रारंभ या उसके दौरान, भारत के बाहर अभित्यजन का या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का अपराध करता है या अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो मास्टर या पोत का स्वामी या स्वामी का अभिकर्ता तब, और वहां तक जहां तक कि उस स्थान पर लागू विधियों द्वारा अनुज्ञात हो, कोई वारंट उपाप्त किए बिना ही उसे गिरफ्तार कर सकेगा ।

(6) कोई व्यक्ति अनुचित या अपर्याप्त कारण से किसी समुद्र यात्रा वृतिक को गिरफ्तार नहीं करेगा या फलक पर उसका प्रवहण नहीं करेगा ।

(7) जहां समुद्र यात्रा वृतिक को अभित्यजन या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति या अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध के आधार पर किसी न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, और मास्टर या पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसी अपेक्षा करे तो न्यायालय उस अपराध के लिए सुपुर्द करने और दंडादिष्ट करने के बजाय समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने के प्रयोजन के लिए उसे उसके जलयान के फलक पर प्रवहन करा सकेगा या उसे इस प्रकार प्रवहन किए जाने के लिए मास्टर या पोत का स्वामी या उसके अभिकर्ता को सौंप देगा, तथा ऐसे मामले में आदेश कर सकेगा कि मास्टर या स्वामी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे प्रवहन के कारण उचित रूप से उपगत कोई खर्चे और व्यय अपराधी द्वारा संदत्त किए जाएं तथा, यदि आवश्यक हो तो, उस मजदूरी में से, जो उसने तब अर्जित की है या उस समय अस्तित्वशील नियोजन के आधार पर आगे अर्जित की जाए, कटौती कर ली जाए ।

अनुशासन के विरुद्ध साधारण अपराध ।

99. (1) विधिपूर्वक नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृतिक, इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा या किसी अपराध के लिए दोषी होगा, यदि वह निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य करेगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह जलयान के परिदान पत्तन पर पहुंचने के पश्चात् और उसे सुरक्षा में रखे जाने के पूर्व छुट्टी के बिना जलयान को छोड़ देता है ;

(ख) यदि वह अपने करार के आधार पर अग्रिम संदाय प्राप्त करता है और जानबूझकर या अवचार द्वारा अपने पोत की देखभाल करने में असफल रहता है या उसके प्रति शोध्य संदाय के पूर्व वहां से अभित्यजन करता है ;

(ग) यदि वह जानबूझकर किसी विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर निरंतर अवज्ञा का या कर्तव्य की जानबूझकर निरंतर उपेक्षा का दोषी है ;

(घ) यदि वह किसी विधिपूर्ण समादेश की जानबूझकर अवज्ञा करता है या वह किसी विधिपूर्ण समादेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए किसी समुद्र यात्रा वृतिक के साथ सहयोजित होता है या कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना जारी रखता है या वह किसी समुद्र यात्रा वृतिक के साथ कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए या जलयान के नौचालन में अड़चन डालने या समुद्री यात्रा की प्रगति को विलंबित करने के लिए अन्य समुद्र यात्रा वृतिक के साथ सहयोजित होता है ;

(ङ) यदि वह मास्टर पर या किसी अन्य समुद्र यात्रा वृतिक पर हमला करता

है ;

(घ) यदि वह अपने जलयान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या उसके भंडार या स्थोरा की बाबत आपराधिक दुर्विनियोग या न्यास भंग करता है या उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी समुद्र यात्रा वृतिक के विरुद्ध अभियोजन महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्थित किया जाएगा ।

(3) महानिदेशक आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी समुद्र यात्रा वृतिक को प्रदत किसी प्रमाणपत्र को सुनवाई या विधिक कार्यवाहियों के दौरान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए निलंबित या रद्द कर सकेगा :

परंतु ऐसे निलंबन या रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा माल की तस्करी ।

100. (1) यदि नियुक्त किया गया समुद्र यात्रा वृतिक किसी माल की तस्करी के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके कारण मास्टर या पोत के स्वामी को हानि या नुकसान हो जाता है तो वह मास्टर या पोत के स्वामी को उस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त राशि के संदाय का दायी होगा और उसकी पूरी मजदूरी या उसका कोई भाग, किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दायित्व की तुष्टि के लिए प्रतिधारित की जा सकेगी या किया जा सकेगा ।

(2) यदि किसी समुद्र यात्रा वृतिक को उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो महानिदेशक यह निदेश दे सकेगा कि समुद्र यात्रा वृतिक का सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृतिक पहचान दस्तावेज रद्द कर दिया जाए या उतनी अवधि के लिए जितनी निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निलंबित कर दिया जाए ।

ऑफिशियल लॉग बुक में अपराधों की प्रविष्टि ।

101. अभित्यजन का या धारा 98 के अधीन छुट्टी के बिना अनुपस्थिति का या धारा 99 के अधीन अनुशासन के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है अथवा अवचार का कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जिसके लिए अपराधी का करार जुर्माना अधिरोपित करता है और यह आशयित है कि जुर्माना वसूल किया जाए तो,—

(क) ऑफिशियल लॉग बुक में उस अपराध या कार्य की प्रविष्टि की जाएगी और मास्टर, निगरानी करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ;

(ख) अपराधी को, यदि वह जलयान में ही है तो पोत के पश्चातवर्ती किसी पतन पर पहुंचने के पूर्व, या यदि जलयान उस समय पतन में है तो उसकी वहां से प्रस्थान के पूर्व, उस प्रविष्टि की एक प्रति दी जाएगी और उसे सुभिन्न और सुश्रव्य रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी, वह तदुपरि उसका ऐसा उत्तर दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ;

(ग) प्रविष्टि की प्रति का इस प्रकार से दिए जाने और पढ़कर सुनाए जाने का विवरण तथा यदि अपराधी ने कोई उत्तर दिया है तो उसे उसी प्रकार प्रविष्ट किया जाएगा और उपरोक्त रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा ; और

(घ) इस धारा द्वारा अपेक्षित प्रविष्टियां किसी पश्चात्वर्ती विधिक कार्यवाही में, यदि साध्य हो तो, पेश या साबित की जाएंगी, और इस प्रकार पेश किए जाने या साबित किए जाने में व्यतिक्रम की दशा में, मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय, स्वविवेकानुसार, अपराध या अवचार के कार्य के साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा ।

अभित्यजन और छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की रिपोर्ट ।

102. किसी भारतीय जलयान पर भारत के बाहर नियुक्त किया गया कोई समुद्र यात्रा वृतिक यदि अभित्यजन करता है या भारत में छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो जलयान का मास्टर ऐसे अभित्यजन या अनुपस्थिति की जानकारी मिलने के अड़तालीस घंटे के भीतर उसकी सूचना पोत परिवहन मास्टर को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जैसा केंद्रीय सरकार, इस निमित विनिर्दिष्ट करे, देगा यदि उस बीच में अभित्याजक या अनुपस्थित समुद्र यात्रा वृतिक लौट नहीं आता है ।

विदेश में अभित्यजन की प्रविष्टियां और प्रमाणपत्र ।

103. (1) जब कोई भारतीय जलयान, भारत के बाहर किसी स्थान पर हो तब उससे अभित्यजन के प्रत्येक मामले की दशा में मास्टर, ऑफिशियल लॉग बुक में अभित्यजन की प्रविष्टि को उस स्थान के भारतीय राजदूत के समक्ष पेश करे और वह अधिकारी तदुपरि प्रविष्टि की एक प्रति तैयार और प्रमाणित करेगा, जो ऐसे अभित्यजन से संबंधित किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में अनुज्ञेय होगा ।

(2) मास्टर, उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित ऐसी प्रति को तुरंत उस पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को संप्रेषित करेगा, जहां समुद्र यात्रा वृतिक को पोत परिवहन किया गया था और यदि अपेक्षित हो तो मास्टर उसे किसी विधिक कार्यवाही में पेश कराएगा ।

मजदूरी के समपहरण के लिए कार्यवाहियों में अभित्यजन साबित करने के लिए सुविधाएं ।

104. (1) जब कभी यह प्रश्न उठता है कि किसी समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी जलयान से अभित्यजन के लिए समपहृत की गई है या नहीं तो समपहरण पर जोर देने वाले व्यक्ति के लिए यह दर्शाना पर्याप्त होगा कि समुद्र यात्रा वृतिक को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया था या वह जलयान पर था, तथा उसने या तो समुद्र यात्रा अथवा नियोजन पूर्ण होने के पूर्व जलयान छोड़ दिया था यदि, समुद्र यात्रा का पर्यवसान भारत में होना था और जलयान लौटा नहीं था तो यह कि वह जलयान से अनुपस्थित था और उसके पहुंचने पर ऑफिशियल लॉग बुक में सम्यक् रूप से प्रविष्टि की गई है ।

(2) तदुपरि वह अभित्यजन, जहां तक उसका संबंध इस भाग के अधीन मजदूरी के किसी समपहरण से है, तब तक साबित कर दिया गया समझा जाएगा जब तक समुद्र यात्रा वृतिक सेवोन्मुक्ति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है या न्यायालय के समाधानप्रद रूप से अन्यथा यह नहीं दर्शाता है कि उसके पास जलयान छोड़ने के पर्याप्त कारण थे ।

समपहरण का उपयोजन ।

105. जहां कोई मजदूरी या अन्य संपति जलयान से अभित्यजन के लिए इस अधिनियम के अधीन समपहृत की जाए, वहां उसका उपयोजन अभित्यजन के कारण मास्टर या पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता को होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा, जो मास्टर या पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता से उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जैसे अभित्याजक से वसूल किया जा सकता था, यदि समपहरण नहीं किया जाता है और ऐसी प्रतिपूर्ति के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाएगी ।

मजदूरी के लिए वादों में समपहरण और कटौती के प्रश्नों का विनिश्चय ।

106. समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी के समपहरण या उनमें से कटौतियों से संबंधित कोई प्रश्न, उस मजदूरी की बाबत विधिक रूप से संस्थित की गई किसी कार्यवाही में, इस बात के होते हुए भी अवधारित किया जा सकेगा कि वह अपराध, जिसकी बाबत प्रश्न उठा है, यद्यपि वह इस अधिनियम द्वारा कारावास तथा समपहरण, दोनों से ही दंडनीय है, किसी दांडिक कार्यवाही का विषय नहीं बनाया गया है ।

पोत परिवहन मास्टर के साथ करार के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय ।

107. (1) किसी समुद्र यात्रा वृतिक पर अवचार के किसी कार्य के लिए उसके करार के अधीन अधिरोपित प्रत्येक जुर्माने की कटौती और संदाय निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि अपराधी को भारत में किसी पतन या स्थान पर सेवोन्मुक्त किया जाता है और वह अपराध, उसकी बाबत ऐसी प्रविष्टियां, पोत परिवहन मास्टर के समाधानप्रद रूप से साबित कर दी जाती है तो मास्टर या पोत का स्वामी या उसका एजेंट ऐसे जुर्माने की कटौती अपराधी की मजदूरी में से करेगा और उसका संदाय ऐसे पोत परिवहन मास्टर को करेगा ; और

(ख) यदि समुद्र यात्रा वृतिक की सेवोन्मुक्ति भारत के बाहर किसी पतन या स्थान पर की जाती है और वह अपराध ऐसी प्रविष्टियां, उस भारतीय राजदूत के, जिसकी मंजूरी से समुद्र यात्रा वृतिक को इस प्रकार सेवोन्मुक्त किया जाता है, समाधानप्रद रूप से साबित कर दी जाती है तो तदुपरि उस जुर्माने की कटौती उपरोक्त प्रकार से की जाएगी, और ऐसी कटौती की प्रविष्टि अधिकृत लॉग बुक में की जाएगी और ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा जलयान की भारत वापसी पर मास्टर या स्वामी ऐसे जुर्माने का संदाय उस पोत परिवहन मास्टर को करेगा ।

(2) अवचार का वह कार्य, जिसके लिए ऐसा कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया था और संदत्त किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अन्यथा दंडनीय नहीं होगा ।

(3) पोत परिवहन मास्टर द्वारा इस धारा के अधीन प्राप्त किए गए सभी जुर्मानों के आगम समुद्र यात्रा वृतिक के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग में लाए जाएंगे, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे ।

समुद्र यात्रा वृतिक को अभित्यजन के लिए फुसलाया जाना ।

108. कोई भी व्यक्ति,—

(क) किसी भी साधन से किसी समुद्र यात्रा वृतिक को उसके पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने या समुद्र यात्रा पर अग्रसर होने की उपेक्षा करने या इंकार करने या पोत का अभित्याग करने के लिए या उसे उसके कर्तव्य से अन्यथा अनुपस्थित रहने के लिए प्रेरित नहीं करेगा या प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा ।

(ख) ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक को, जिसने अपने पोत पर कर्तव्य ग्रहण करने से जानबूझकर उपेक्षा की है या इंकार किया है या जलयान का अभित्यजन किया है, यह जानते हुए या यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि समुद्र यात्रा वृतिक ने ऐसा किया है, उसे संश्रय नहीं देगा या नहीं छिपाएगा :

परंतु इस खंड के उपबंधों का विस्तार उस मामले में नहीं होगा, जिसमें समुद्र यात्रा वृतिक के पति या पत्नी द्वारा संश्रय दिया गया है या छिपाया गया है ।

भराई करने वालों और समुद्र यात्रा वृतिक का विवशता के अधीन वहन ।

109. कोई व्यक्ति जलयान में स्वयं को नहीं छिपाएगा और मास्टरों या पोत का स्वामी या उसका एजेंट या भारसाधक व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, जो सम्मति देने के लिए हकदार है, पोत में समुद्र यात्रा पर नहीं जाएगा ।

मास्टर के परिवर्तन पर दस्तावेजों का उत्तराधिकारी को सौंपा जाना ।

110. (1) यदि समुद्र यात्रा के दौरान किसी भारतीय जलयान के मास्टर को हटा दिया जाता है या अतिष्ठित कर दिया जाता है या वह किसी अन्य कारण से जलयान को छोड़ देता है और कमान किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में चली जाती है तो उक्त मास्टर जलयान के नौवहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों और समुद्र यात्रा वृतिक के कर्मीदल को, जो उसकी अभिरक्षा में है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दस्तावेज के प्राप्त होने पर उत्तराधिकारी उस प्रभाव की अधिकृत लॉग बुक में प्रविष्टि करेगा, जिसे पूर्वाधिकारी द्वारा भी पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(3) महानिदेशक किसी मास्टर की सक्षमता के प्रमाणपत्र को निलंबित कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा यदि यह साबित कर दिया जाता है कि दस्तावेजों को बिना अनुमति या पर्याप्त कारण से उपधारा (1) के अनुसार विधिपूर्ण तरीके से हस्तांतरित नहीं किया गया था :

परंतु किसी प्रमाणपत्र को निलंबित करने या प्रतिसंहरण करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक मास्टर को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

विदेशी पोतों के अभित्याजक ।

111. (1) जहां केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि भारत के बाहर किसी राज्य की सरकार द्वारा भारतीय जलयानों से उस राज्य में अभित्यजन करने वाले समुद्र यात्रा वृतिकों को बरामद करने और उन्हें पकड़ने के लिए सम्यक् सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएगी, वहां केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह अधिकथित करते हुए कि ऐसी सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी, यह घोषित कर सकेगी कि वह धारा ऐसे राज्य के जलयानों के समुद्र यात्रा वृतिकों को, ऐसी परिसीमाओं या शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू होगी ।

(2) जहां यह धारा किसी राज्य के जलयान के समुद्र यात्रा वृतिकों को लागू होती है और किसी ऐसे जलयान से, जब तक वह भारत में हो, कोई समुद्र यात्रा वृतिक अभित्यजन करता है तो कोई भी न्यायालय, जो तब मामले का संज्ञान कर सकता था, यदि समुद्र यात्रा वृतिक ने भारतीय जलयान से अभित्यजन किया होता, उस देश के राजदूत के आवेदन पर, अभित्याजक को पकड़ने में सहायता देगा और उस प्रयोजन के लिए, शपथ पर दी गई जानकारी पर, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा तथा अभित्यजन का सबूत दिए जाने पर उसका उसके जलयान पर प्रवहन किए जाने का या उस जलयान के मास्टर या पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता को अभित्याजक का इस प्रकार के प्रवहन किए जाने के लिए परिदत्त किए जाने का आदेश देगा और कोई ऐसा वारंट या आदेश तद्नुसार निष्पादित किया जा सकेगा ।

अधिकृत लॉग बुक ।

112. (1) दो सौ सकल टनभार या उससे अधिक के सिवाय, प्रत्येक जलयान में, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक अधिकृत लॉग बुक, रखी जाएगी ।

(2) प्रत्येक पोत का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासकीय लॉग बुक को पोत परिवहन मास्टर को, जब कभी पोत परिवहन मास्टर द्वारा अपेक्षा की जाए, परिदत्त करेगा ।

(3) कोई व्यक्ति जलयान के उन्मोचन के अंतिम पत्तन पर पहुंचने से पूर्व हुई किसी घटना के संबंध में, उसकी पहुंच के चौबीस घंटे से अधिक पश्चात्, अधिकृत लॉग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं करेगा या उसमें प्रविष्टि किए उपाप्त या सहायता नहीं करेगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

113. (1) केंद्रीय सरकार की समुद्रीय अभिसमय के प्रवर्तन के लिए नियम बनाने की शक्ति के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों के संबंध में नियम सम्मिलित हैं, अर्थात् :—

(क) समुद्र यात्रा वृतिकों का विमोचन ;

(ख) मजदूरी का संदाय ;

(ग) मजदूरी अग्रिम और आबंटन ;

(घ) मजदूरियों के संबंध में समुद्र यात्रा वृतिकों के अधिकार ;

(ङ) मजदूरी वसूलने का ढंग ;

(च) समुद्र यात्रा वृतिकों और कर्मचारियों के बीच विवाद ;

(छ) मृतक समुद्र यात्रा वृतिकों की संपत्ति ;

(ज) समुद्र यात्रा वृतिकों और परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिकों को वापस भेजना ;

(झ) रसद, स्वास्थ्य और आवास ;

(ञ) मुकदमेंबाजी के संबंध में समुद्र यात्रा वृतिकों के संरक्षण के लिए विशेष उपबंध ;

(ट) अन्य मामलों के संबंध में समुद्र यात्रा वृतिकों के संरक्षण के लिए विशेष उपबंध ;

(ठ) अनुशासन के विषय में उपबंध ;

(ड) शासकीय लॉग बुक्स ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन समुद्र यात्रा वृतिकों की श्रेणी और न्यूनतम संख्या तथा जलयानों के विभिन्न वर्गों का मान ;

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन जलयान प्रमाणपत्र धारण करेगा ;

(ग) धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र और समुद्र यात्रा वृतिक के पहचान दस्तावेजों का प्ररूप, अनुमति की रीति ;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकती है ;

(ङ) धारा 60 के अधीन समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा धारण किए जाने वाले

प्रमाणपत्र का प्रारूप और वह प्राधिकारी, जो इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रदत्त करेगा, कि समुद्र यात्रा वृतिक चिकित्सक इष्टया योग्य है ;

(च) धारा 62 की उपधारा (6) के खंड (ड) के अधीन किसी घटना की रिपोर्ट किए जाने का प्ररूप और रीति तथा प्राधिकारी जिसे रिपोर्ट की जानी है ;

(छ) धारा 62 की उपधारा (6) के खंड (च) के अधीन किसी घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का प्ररूप, रीति और समय जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है तथा प्राधिकारी जिसे रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है ;

(ज) धारा 62 की उपधारा (6) के खंड (छ) के अधीन भर्ती और प्लेसमेंट अभिकरण के अन्य दायित्व ;

(झ) धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृतिक नियोजन का करार का प्ररूप और रीति ;

(ञ) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन समुद्र यात्रा वृतिक को संदेय मजदूरियों पर ब्याज दर ;

(ट) धारा 65 के अधीन प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक को उपबंधित विश्राम के घंटे ;

(ठ) धारा 66 के अधीन शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए समुद्र यात्रा वृतिक को वार्षिक संदत्त छुट्टी दी जाती है ;

(ड) धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृतिकों को वापिस भेजने के लिए परिस्थितियां और शर्तें ;

(ढ) धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन समुद्र यात्रा वृतिकों को वापिस भेजने के लिए वित्तीय सुरक्षा और नीति ;

(ण) धारा 68 के अधीन समुद्र यात्रा वृतिक को संदत्त की जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम ;

(त) धारा 69 के अधीन जलयान के फलक पर नियोजित किए जाने वाले समुद्र यात्रा वृतिकों की संख्या ;

(थ) धारा 70 के अधीन समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए आवास और मनोरंजन सुविधाएं ;

(द) धारा 72 के अधीन समुद्र यात्रा वृतिकों की स्वास्थ्य संरक्षा और चिकित्सा के लिए उपबंध किए जाने के लिए उपाय ;

(ध) धारा 75 के अधीन समुद्र यात्रा वृतिकों के संरक्षण के लिए सामाजिक सुरक्षा शाखाएं ;

(न) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन निबंधन और शर्तें तथा कालावधि, जिसके दौरान समुद्र यात्रा वृतिक मजदूरियों का हकदार नहीं होगा ;

(प) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन अपवाद, जब समुद्र यात्रा वृतिक मजदूरियों का दावा करने के लिए पात्र होगा ;

(फ) धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र यात्रा वृतिक की सेवा से सेवोन्मुक्ति की रीति ;

(ब) धारा 81 के अधीन संपत्ति के उन्मोचन की रीति ;

(भ) धारा 82 के अधीन पोत परिवहन मास्टर के पास समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण के लिए दावा न की गई जमा की गई या उसके द्वारा वसूल की गई किसी धनराशि के उपयोजन की रीति और निर्बंधन तथा शर्तें ;

(म) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव तथा उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन कोई अन्य विषय ;

(य) धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन वह कालावधि, जिसमें अधिकरण केन्द्रीय सरकार को पंचाट प्रस्तुत करेगा ;

(यक) धारा 91 की उपधारा (2) के अधीन शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए समुद्र यात्रा वृतिक को बनाए रखा जाएगा या किसी समुचित वापसी पत्तन को भेजा जाएगा ;

(यख) धारा 93 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र रखने की रीति और ऐसे प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(यग) धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन किसी समुद्र यात्रा वृतिक, जो किसी मुकदमे का पक्षकार है, को संरक्षित करने के लिए निबंधन, शर्तें और रीति ;

(यघ) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन लॉग बुक का प्ररूप और रखे जाने की रीति ;

(यङ) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 6

बचाव और सुरक्षा

भाग का लागू होना ।

114. यह भाग, जब तक अन्यथा छूट प्राप्त न हो, बचाव और सुरक्षा के विषयों के संबंध में निम्नलिखित को लागू होगा,—

(क) इस अधिनियम के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत, भाग 13 के अधीन आने वाले जलयानों के सिवाय, भारतीय जलयानों और अन्य जलयानों को ;

(ख) भारतीय जलयानों से भिन्न जलयानों को, जब ऐसे जलयान भारत के भीतर हों, जिसके अंतर्गत जलक्षेत्र भी है ;

(ग) पत्तन प्रसुविधा ; और

(घ) कंपनी ।

परिभाषाएं ।

115. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कंपनी" से जलयान का स्वामी या ऐसा कोई संगठन या प्रबंधक या भाड़े पर बेयरबोट लेने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने जलयान के स्वामी से जलयान के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जिसने ऐसा उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर सुरक्षा अभिसमय के अधीन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध कोड द्वारा अधिरोपित सभी कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने की सहमति दी है ;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इस भाग में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो धारा 116 में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों या करारों या संधियों में उनके हैं ।

बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं ।

116. (1) प्रत्येक जलयान, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों, संधियों या करारों के उपबंधों का, जो लागू हों, पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) सुरक्षा अभिसमय ;

(ख) भार रेखा अभिसमय, 1966 ;

(ग) विशेष व्यापार यात्री पोत करार, 1971 ;

(घ) समुद्र में टक्कर रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय विनियमों पर अभिसमय, 1972 ;

(ङ) समुद्रीय तलाशी और बचाव पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1979 ;

(च) टनभार माप अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 ;

(छ) अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित आधान अभिसमय, 1972 ;

(ज) ऐसे बचाव या सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई अन्य अभिसमय या करार अथवा कोई संधि, जिसका भारत पक्षकार है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु ऐसे जलयान, जिनको उपरोक्त अभिसमयों, संधियों और करारों के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ऐसे बचाव और सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का पालन करेंगे, जो विहित की जाएं :

परंतु यह और कि पोत का मास्टर या स्वामी यह साबित करने के लिए इस बात का अवलंब ले सकेगा कि कोई उल्लंघन केवल मौसम या अन्य परिस्थितियों द्वारा कारित विचलन या विलंब के कारण हुआ था, जिनको न तो पोत का मास्टर या स्वामी न ही कोई चार्टर कर्ता, यदि कोई हों, निवारित कर सकता था या पहले से ही जान सकता था ।

(2) भिन्न-भिन्न वर्गों के जलयानों के बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं और ऐसे जलयान द्वारा धारण किए जाने वाले प्रमाणपत्र ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

घटनाओं की रिपोर्ट का किया जाना ।

117. (1) जब किसी जलयान पर बचाव और सुरक्षा से संबंधित कोई घटना घटित हो तो जलयान का मास्टर ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट करेगा ।

(2) जब जलयान पर से समुद्र में पैकेट बंद खतरनाक माल को या बड़ी मात्रा में समुद्र में ठोस रूप में खतरनाक माल को फेंके जाने से हानि होने या हानि होने की संभावना से संबंधित कोई घटना घटित हो, सुरक्षित नौपरिवहन में अड़चन डालने वाली कोई घटना घटित हो तो प्रत्येक जलयान का मास्टर, ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट करेगा ।

(3) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट जलयान का परित्याग कर दिया जाए या ऐसे जलयान की रिपोर्ट पूरी न हो तो केंद्रीय सरकार जलयान के मास्टर की जिम्मेदारी निश्चित करेगी ।

संकट संकेत प्राप्त होने और खतरे में पड़े व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की बाध्यता ।

118. (1) भारतीय जलयान का मास्टर समुद्र यात्रा के दौरान किसी स्रोत से कोई संकट संकेत या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर कि कोई जलयान या वायुयान संकट में है, तब के सिवाय जब वह असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि ऐसा करना अनुचित या अनावश्यक है या तब के सिवाय जब उसे उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन ऐसी बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है, संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए पूरी तेजी से अग्रसर होगा और यदि संभव हो तो संकटग्रस्त व्यक्तियों को यह जानकारी भी देगा कि वह ऐसा कर रहा है ।

(2) जहां किसी संकटग्रस्त जलयान के मास्टर ने किसी भारतीय जलयान से अध्यपेक्षा की है और उसने उसके संकेत का उत्तर दिया है तो अध्यपेक्षित जलयान के मास्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह तब के सिवाय, जब उसे उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है, से संकटग्रस्त व्यक्तियों को सहायता के लिए पूरी तेजी से अग्रसर होते हुए अध्यपेक्षा का अनुपालन करे ।

(3) जैसे ही किसी मास्टर को यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके जलयान से भिन्न एक या अधिक जलयानों की अध्यपेक्षा की गई है और अध्यपेक्षित जलयान या जलयानों द्वारा अध्यपेक्षा का अनुपालन किया जा रहा है, वैसे ही मास्टर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा ।

(4) मास्टर, जिसका पोत उपधारा (2) के अधीन अध्यपेक्षित किया गया है, अधिरोपित बाध्यता से मुक्त हो जाएगा यदि संकटग्रस्त व्यक्तियों द्वारा या किसी ऐसे जलयान के मास्टर द्वारा, जो संकटग्रस्त व्यक्तियों तक पहुंच चुका है, यह जानकारी दी जाती है कि आगे और सहायता अपेक्षित नहीं है ।

(5) यदि किसी भारतीय जलयान का मास्टर समुद्र यात्रा के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई संकट संकेत प्राप्त होने पर कि कोई जलयान या वायुयान संकट में है, संकटग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिए जाने में असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि ऐसी सहायता के लिए जाना अनुचित या अनावश्यक है तो वह तुरंत अधिकृत लॉग बुक में उन व्यक्तियों की सहायता के लिए न जाने के कारणों का कथन दर्ज कराएगा या यदि कोई अधिकृत लॉग बुक नहीं है तो उसका कोई अन्य अभिलेख रखेगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक भारतीय जलयान का मास्टर जिस जलयान के लिए अधिकृत लॉग बुक अपेक्षित है, प्रत्येक संकट संकेत को या ऐसे संदेश को कि कोई जलयान, वायुयान या व्यक्ति समुद्र में संकट में है, अधिकृत लॉग बुक में दर्ज करेगा या दर्ज कराएगा ।

(7) प्रत्येक भारतीय जलयान का मास्टर, तब के सिवाय जब वह सहायता देने में असमर्थ है या मामले की विशेष परिस्थितियों में यह समझता है कि उसके अपने जलयान को या उस पर के व्यक्तियों को गंभीर खतरे में डाले बिना ऐसी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सहायता प्रदान करेगा, जो समुद्र में मिले और जिसके खो जाने का खतरा हो ।

(8) यदि किसी भारतीय जलयान का मास्टर, ऐसे व्यक्ति को, जो समुद्र में मिलता है और जिसके खो जाने का खतरा है, सहायता देने के लिए अग्रसर होने में असमर्थ है या ऐसा करना अनुचित समझता है तो वह उस व्यक्ति को सहायता देने के लिए अग्रसर न

होने के कारणों का कथन अधिकृत लॉग बुक में दर्ज कराएगा या, यदि कोई अधिकृत लॉग बुक नहीं है तो उन कारणों का अन्य अभिलेख रखेगा ।

(9) जलयान का मास्टर रक्षा और सुरक्षा से संबंधित किसी भी घटना, जो जलयान के आस-पास घटित होती है, की विशिष्टियों की रिपोर्ट, ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा ।

तलाशी और बचाव सेवाएं ।

119. केंद्रीय सरकार, जब कभी आवश्यक हो, समुद्र में, समुद्रीय तलाशी और बचाव पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1979 और उससे संबंधित करार तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तटीय जलक्षेत्र या ऐसे राज्यक्षेत्र संकट की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तलाशी और बचाव सेवाओं की व्यवस्था कर सकेगी और ऐसी सेवाओं में बचाव समन्वय केंद्रों और उपकेंद्रों के स्थापन भी सम्मिलित होंगे ।

रेडियो संसूचना अपेक्षाएं ।

120. प्रत्येक भारतीय जलयान ऐसे संसूचना उपस्करो, संकट और सुरक्षा उपस्कर से सज्जित होगा और उनका अनुरक्षण करेगा तथा उसमें ऐसे प्रमाणित प्रचालक उपलब्ध होंगे, जैसे विहित किए जाएं ।

जलयान के स्थिरत्व की जानकारी ।

121. (1) ऐसे प्रत्येक भारतीय जलयान पर, जलयान के स्थिरत्व संबंधी ऐसी जानकारी का और जलयान के जलरोधी स्थिरता को हुए किसी नुकसान के प्रभाव, उसके नियंत्रण, यान की जलरोधी अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामान्य सावधानियों से संबंधित ऐसी जानकारी का वहन किया जाएगा, जो सुरक्षा अभिसमय और भार रेखा अभिसमय के उपबंधों के अनुपालन जो इस भाग के उपबंधों के अनुसार बचाव और सुरक्षा अपेक्षाएं हैं ।

(2) मुख्य पोत सर्वेक्षक भार रेखा अभिसमय की अनुपालना में, भार रेखा समनुदेशित करेगा और यात्री पोतों की स्थिरता से संबंधित ऐसी सूचना को अनुमोदित करेगा, जो विहित की जाए :

परंतु महानिदेशक आदेश द्वारा इस धारा के अधीन मुख्य पोत सर्वेक्षक के कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए किसी अन्य सर्वेक्षक को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्राधिकृत कर सकेगा ।

भार रेखाओं का डूब जाना ।

122. (1) भार रेखा से संबंधित इस भाग के उपबंध से छूट-प्राप्त किसी जलयान से भिन्न किसी जलयान को इस प्रकार से नहीं लादा जाएगा कि जब पोत में कोई सूची न हो तब उसके प्रत्येक ओर की उपयुक्त भार रेखाएं, अर्थात् वे भार रेखाएं, जो उस अधिकतम गहराई को दर्शाती हैं या दर्शाने के लिए तात्पर्यित है, जहां तक जलयान उस समय भार रेखा नियमों के अधीन लदान करने का हकदार है, लवण जल में डूब जाएं ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई जलयान, जिसका लदान इस धारा के उल्लंघन में किया जाता है, तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा, जब तक ऐसा लदान बंद नहीं कर दिया जाता है ।

जलयान द्वारा प्रमाणपत्र के बिना यात्रियों का वहन न करना ।

123. (1) कोई जलयान, भारत में के पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान तक या भारत के बाहर के किसी पत्तन या स्थान से भारत में किसी पत्तन या स्थान तक यात्रियों का वहन तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे जलयान के पास इस भाग के अधीन अपेक्षित सभी प्रमाणपत्र न हों ।

(2) केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निम्नलिखित के संबंध में शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी :—

(क) यात्री स्थान सुविधा ;

(ख) यात्रियों और समुद्रयात्रा वृतिकों को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुख-सुविधाओं का मापमान ;

(ग) किसी जलयान पर का स्थान या उस पर ऐसे स्थान का अनुज्ञात न किया जाना ;

(घ) उपलब्ध करवाई जाने वाली रसद और जल का मापमान ;

(ङ) चिकित्सालय स्थान सुविधा और चिकित्सीय सुविधाएं ;

(च) स्थोरा और पशुधन का वहन करने संबंधी शर्तें ; और

(छ) इस भाग के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य विषय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी यात्रा पर जाने वाले या प्रस्थान करने वाले किसी यात्री जलयान का मास्टर, ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, जलयान पर के यात्रियों के बारे में एक कथन करेगा ।

जलयान का विधिमान्य बचाव और सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना प्रस्थान न करना ।

124. कोई जलयान समुद्र में तब तक प्रस्थान नहीं करेगा, जब तक ऐसे जलयान के संबंध में धारा 116 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र न हों ।

कतिपय कृत्यों के लिए शास्ति ।

125. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा, यदि वह निम्नलिखित में से कोई कृत्य कारित करता है, अर्थात् :—

(क) मत या उपद्रवी होते हुए किसी जलयान में प्रवेश करने का प्रयास करेगा ; या

(ख) फलक पर सवार किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करेगा ; या

(ग) किराए का संदाय किए बिना यात्रा करेगा या यात्रा करने का प्रयत्न करेगा ; या

(घ) गंतव्य स्थान पर आगमन के पश्चात् जानबूझकर जलयान को छोड़ने से इंकार करेगा या छोड़ने की उपेक्षा करेगा ; या

(ङ) मास्टर या अन्य अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर अपना टिकट दिखाने में असफल रहेगा ; या

(च) फलक पर सवार व्यक्तियों को क्षोभ या क्षति पहुंचाने के लिए किसी रीति में अपने स्वयं का अवचार करेगा ; या

(छ) ऐसे पदार्थों का वहन करेगा, जिससे जलयान, फलक पर सवार व्यक्तियों या सामान्य वातावरण की रक्षा या सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है ।

(2) मास्टर, उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जलयान पर सवार होने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति सवार है तो

उसे किनारे पर उतार सकेगा और ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रवेश से इंकार किया जाए या जिसे किनारे पर उतार दिया जाए, ऐसे किसी किराए को वापस पाने का हकदार नहीं होगा, जो उसने संदत्त किया है ।

(3) किसी ऐसे जलयान का मास्टर या अन्य अधिकारी और मास्टर या अन्य अधिकारी द्वारा सहायता के लिए बुलाए गए सभी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है, निरुद्ध कर सकेंगे और अपराधी को सुविधाजनक शीघ्रता से निकटतम पुलिस थाने के समक्ष विधि अनुसार कार्रवाई करने के लिए ले जा सकेगा ।

जलयान द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में स्थोरा या यात्रियों का वहन न करना ।

126. (1) कोई जलयान इस भाग के उल्लंघन में स्थोरा का वहन नहीं करेगा या वहन का प्रयास नहीं करेगा या उस पर या उसके फलक पर या उसके किसी भाग पर ऐसे स्थोरा को नहीं रखेगा, जो जलयान द्वारा धारित प्रमाणपत्रों के अनुसार नहीं है ।

(2) कोई जलयान इस भाग के उल्लंघन में यात्रियों का वहन नहीं करेगा या वहन का प्रयास नहीं करेगा या उस पर या उसके फलक पर या उसके किसी भाग पर यात्रियों की ऐसी संख्या, जो जलयान द्वारा धारित प्रमाणपत्रों में दी गई संख्या से अधिक है, का वहन नहीं करेगा ।

(3) यदि जलयान का मास्टर, जो इस धारा के उल्लंघन में स्थोरा या यात्रियों का वहन करता है या वहन का प्रयास करता है, वह उसके सक्षमता के प्रमाणपत्र को ऐसी कालावधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने का दायी होगा ।

अतरण्य जलयान का समुद्र में न भेजा जाना ।

127. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी जलयान को, जो जल यात्रा करने की स्थिति में नहीं है, समुद्र में भेजता है या भेजने का प्रयास करता है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में पड़ने की संभावना है, सिवाय तब जब वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसने उसके समुद्र में तरण्य योग्य स्थिति में भेजने के लिए सभी युक्तियुक्त साधनों का उपयोग किया है या उसका समुद्र में अतरण्य स्थिति में भेजा जाना युक्तियुक्त और न्यायोचित परिस्थितियों के अधीन था, वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) जलयान का प्रत्येक मास्टर, जो जानबूझकर किसी जलयान को, जो जल यात्रा के योग्य स्थिति में नहीं है, लेता है जिससे उससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा होने की संभावना है, तब जब वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसका समुद्र में तरण्य अयोग्य स्थिति में भेजा जाना युक्तियुक्त और न्यायोचित परिस्थितियों के अधीन था, वह इस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन सबूत देने के प्रयोजन के लिए इस धारा के अधीन आरोपित प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य साक्षी के समान रीति में साक्ष्य दे सकेगा ।

जल यात्रा के योग्य होने के संबंध में स्वामी की समुद्र यात्रा वृतिक के प्रति बाध्यता ।

128. (1) किसी जलयान के स्वामी और मास्टर या उसके किसी अन्य समुद्र यात्रा वृतिक के बीच सेवा की अभिव्यक्त या विवक्षित सेवा की संविदा के प्रतिकूल किसी करार के होते हुए भी स्वामी पर यह बाध्यता होगी कि ऐसे जलयान की लदाई या समुद्र के लिए उसे तैयार करने या समुद्र में उसे भेजने के लिए प्रभारित ऐसा स्वामी और मास्टर तथा प्रत्येक अभिकर्ता समुद्र यात्रा के समय ऐसे जलयान की जल यात्रा के लिए योग्यता का सुनिश्चय करने के लिए सभी

युक्तियुक्त साधनों का समुद्र यात्रा आरंभ करने के समय उपयोग करेगा और समुद्र यात्रा के दौरान उसे समुद्र यात्रा के योग्य स्थिति में रखेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, यह सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए कि इस धारा के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, या तो स्वामी या अन्यथा के अनुरोध पर समुद्रगामी जलयान के हल, उपस्कर या मशीनरी के किसी सर्वेक्षक या उस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण का प्रबंध करेगी ।

बचाव और सुरक्षा प्रबंधन ।

129. (1) प्रत्येक जलयान, कंपनी या पतन प्रसुविधा बचाव और सुरक्षा प्रबंधन के लिए ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, जो विहित की जाएं ।

(2) केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए जलयान, कंपनी या पतन प्रसुविधा की संपरीक्षा के लिए इंतजाम करेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सुरक्षा के विभिन्न स्तर रख सकेगा और उनकी ऐसी सूचना पतन सुविधाओं और पतन प्रसुविधा में प्रविष्ट होने वाले सभी जलयानों को उपलब्ध कराएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

130. (1) केंद्रीय सरकार इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 116 की उपधारा (1) के अधीन शर्तें, जिनके अधीन जलयान अभिसमय, संधियां या करार, जिनमें भारत एक पक्षकार है, का अनुपालन करेगा और बचाव तथा सुरक्षा अपेक्षाएं, जिनका जलयानों द्वारा अनुपालन किया जाना है, जिनको उक्त अभिसमय, संधियां या करार लागू नहीं होते हैं ;

(ख) विभिन्न वर्ग के जलयानों के लिए सुरक्षा और बचाव अपेक्षाएं तथा धारा 116 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे जलयानों द्वारा धारण किए जाने वाले प्रमाणपत्र ;

(ग) घटनाओं की विशिष्टियों को रिपोर्ट की जाने वाली रीति और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 117 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसी विशिष्टियों की रिपोर्ट की जानी है ;

(घ) घटनाओं की विशिष्टियों को रिपोर्ट की जाने वाली रीति और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 118 की उपधारा (9) के अधीन ऐसी विशिष्टियों की रिपोर्ट की जाएगी ;

(ङ) संचार उपस्कर, विपत्ति और सुरक्षा उपस्कर तथा धारा 120 के अधीन प्रत्येक भारतीय जलयान उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाणीकृत प्रचालन ;

(च) धारा 121 की उपधारा (2) के अधीन यात्री पोत की स्थिरता के संबंध में अनुमोदित की जाने वाली सूचना ;

(छ) धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन जलयान, कंपनी या पोत सुविधा द्वारा अनुपालन की जाने वाली बचाव प्रबंधन या सुरक्षा प्रबंधन की अपेक्षाएं ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित किया जाना है या विहित किया जाए ।

भाग 7

जलयान से प्रदूषण का निवारण और रोकथाम तथा प्रतिक्रिया

इस भाग का लागू होना ।

131. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह भाग—

(क) भारतीय जलयान और भारत में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अन्य जलयान ;

(ख) भारतीय जलयान से भिन्न जलयान ;

(ग) जलयान, जो भारतीय ध्वज लगाने के पात्र नहीं हैं किंतु जो भारतीय प्राधिकरण के अधीन प्रचालन करते हैं ;

(घ) जलयान, जो किसी पत्तन, पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल या भारत में स्थान या तटीय जल के भीतर प्रवेश करता है ;

(ङ) किसी सामुद्रिक अपघटन की घटना या ऐसे अपघटन से संबंधित कोई कृत्य जिससे भारतीय तट रेखा या तटीय जल या संबंधित हितों या सामुद्रिक पर्यावरण या तटीय रेखा या संबंधित हितों को प्रदूषण या समुद्र या वायु प्रदूषण से तेल, रोड़ी पत्थर जल, अपायकर तरल पदार्थ, कूड़ा कर्कट, मल अपशिष्ट, हानिप्रद संदूषण रोधी पदार्थों, हानिप्रद उत्सर्जन या अन्य हानिप्रद पदार्थ, जिसके अंतर्गत उच्च सागरों में होने वाली ऐसी घटनाएं हैं, से गंभीर और आसन्न प्रदूषण की आशंका ;

स्पष्टीकरण—खंड (घ) और खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए "तटीय जल" से भारत के राज्यक्षेत्रीय के साथ भारत के समुद्रीय क्षेत्र से संलग्न कोई भाग या उससे संलग्न कोई समुद्रीय क्षेत्र, का कोई भाग जिस पर भारत की राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुद्रीय प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में अनन्य क्षेत्राधिकारिता है या इसके पश्चात् हो सकेगी, अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है ; 1976 का 80

(च) पोत प्रांगण या अपतट टर्मिनल को प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए लागू होगा :

परंतु यह भाग किसी युद्धपोत, नौसेना आनुषंगिक या अन्य जलयान, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में है या प्रचालित किया जाता है और तत्समय केवल शासकीय गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से लागू न किया जाए :

परंतु यह और कि महानिदेशक इस भाग के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों से किसी पोत को समानता या छूट प्रदान कर सकेगा ।

परिभाषाएं ।

132. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "हानिप्रद पदार्थ" से कोई पदार्थ या ऊर्जा का रूप अभिप्रेत है, जिसको यदि समुद्र या वायु में मिलाया जाए तो उससे मानव स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होगा, जीवित संसाधनों और सामुद्रिक जीवन को नुकसान होगा, सुविधाओं या प्रसुविधाओं को नुकसान होगा या समुद्र या वायु के अन्य विधिमान्य उपयोगों में हस्तक्षेप होगा और इसके अंतर्गत किसी भी अभिसमय, जिसका भारत पक्षकार है

या ऐसा अन्य पदार्थ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, के नियंत्रणाधीन रहते हुए कोई पदार्थ सम्मिलित है ;

(ख) "पाटन" से—

(i) जलयान, पतन, मंच या अन्य मानव निर्मित ढांचे से समुद्र में जानबूझकर किसी अपशिष्ट जल या अन्य सामग्री को डालना ; या

(ii) जलयान, पतन ढांचों, मंच या अन्य मानव निर्मित ढांचे को जानबूझकर समुद्र में डालना,

किंतु इसके अंतर्गत—

(i) जलयानों, मंचों या समुद्र में अन्य मानव निर्मित ढांचों द्वारा या उनसे, जो ऐसे जलयानों, मंच या ढांचे के अपशिष्ट या अन्य सामग्री के उपचार से उद्भूत ऐसी सामग्री का निपटान करने के प्रयोजन के लिए समुद्र में प्रचालन कर रहे हैं, से वहन किए गए अपशिष्ट या अन्य सामग्री से भिन्न जलयानों, मंचों या समुद्र में अन्य मानव निर्मित ढांचों और अन्य उपस्कर से अपशिष्ट या अन्य आनुषंगिक सामग्री का निपटान ; या

(ii) सामग्री के केवल निपटान से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए सामग्री का रखा जाना,

सम्मिलित नहीं है :

परंतु ऐसे रखा जाना लंदन कनवेशन आन द प्रिवेंशन आफ मैरिन पलूशन बाई डंपिंग आफ वेस्ट एंड अदर मैटर, 1972 के ध्येयों के प्रतिकूल नहीं होगा ;

(ग) "पतन" के अन्तर्गत पतन प्रसुविधा, पोर्ट प्रांगण, पोर्ट तोड़ने वाले प्रांगण, पोर्ट मरम्मत इकाई, अपतटीय सुविधाएं और ट्रर्मिनल सम्मिलित होंगे ;

(घ) "जलयान" से किसी भी किस्म का जलयान अभिप्रेत है, जो समुद्री या जलीय वातावरण में प्रचालन कर रहा है और इसके अंतर्गत हाइड्रोफाइल नौकाएं, एयर-कुशन यान, सबमर्सीबल, प्लवमान क्राफ्ट, स्थिर या प्लवमान मंच, प्लवमान भंडारण इकाइयां और प्लवमान उत्पादन, भंडारण और ऑफ लोडिंग इकाइयां सम्मिलित हैं किन्तु इसके अन्तर्गत समुद्र में स्थिर मंच या अन्य मानव निर्मित ढांचे सम्मिलित नहीं है ।

समुद्र में बहिःस्राव या परिसंकटमय पदार्थों के उत्सर्जन या पाटन का नियंत्रण ।

133. (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सभी जलयान परिसंकटमय पदार्थों या परिसंकटमय पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रणों के उत्सर्जन या त्यजन को निवारित करने की बाध्यता के अधीन होंगे ।

(2) सभी भारतीय जलयानों को ऐसे उपस्करों से सुसज्जित किया जाएगा और वह संन्निर्माण, उपस्कर सर्वेक्षण और जलयान के ढांचे से संबंधित ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों का अनुपालन करेंगे, जो विहित की जाए ।

(3) इस भाग के अधीन कोई प्रमाणपत्र तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक इस धारा की अपेक्षाओं और शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(4) केंद्रीय सरकार प्रदूषण निवारण के लिए अधिक कठोर मानकों की अपेक्षा करने वाले ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अभिहित कर सकेगी, जो विहित किए जाएं ।

(5) केंद्रीय सरकार या तो पोत के स्वामी के अनुरोध पर या अन्यथा किसी जलयान के हल, उपस्कर या मशीनरी का किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण कराने का इंतजाम करेगी और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में ऐसे प्ररूप और ऐसी अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, एक प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार जलयानों द्वारा समुद्र में अपशिष्ट और अन्य पदार्थ के पाटन द्वारा, जिनसे मानव स्वास्थ्य के लिए परिसंकट उत्पन्न हो सकता है, जिनसे जीवित संसाधनों और सामुद्रिक जीवन को क्षति हो सकती है, जिनसे प्रसुविधाओं को नुकसान हो सकता है या जो समुद्र के अन्य विधिमान्य उपयोग के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं, से समुद्र के प्रदूषण को निवारित करने के लिए सभी उपाय करेगी, जो वह समुचित समझे ।

(7) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा तटीय जल में पाटन के लिए अनुज्ञात मदों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी और उस रीति को विहित कर सकेगी, जिसमें ऐसी मदों के पाटन के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी ।

(8) जब तक अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात न किया जाए, समुद्र में कोई जलयान, पतन, मंच या अन्य मानव निर्मित ढांचा तटीय जल में पाटन का कार्य नहीं करेगा ।

प्रदूषण को निवारित करना और उसकी रोकथाम की अपेक्षाएं तथा प्रतिक्रिया ।

134. (1) प्रत्येक जलयान ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए, यथा लागू अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों के उपबंधों का अनुपालन करेगा,—

(क) एमएआरपीओएल अभिसमय ;

(ख) संदूषण-रोधी प्रणालियां अभिसमय ;

(ग) स्थिरक भार जल प्रबंधन अभिसमय ;

(घ) इंटरवेन्शन ऑन द हाई सीज़ इन कैसेस ऑफ आयल पलूशन, 1969 से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय ;

(ङ) कोई अन्य प्रदूषण निवारण अभिसमय या करार या कोई संधि, जिसका भारत एक पक्षकार है, जो विहित किया जाए ;

परंतु यह कि जलयान, जिसे पूर्वोक्त अभिसमयों के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ऐसी प्रदूषण नियंत्रण अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जो विहित की जाएं ।

(2) कोई जलयान, जलयान की किस्म, आकार, प्रकृति और उसके प्रचालन के क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र और दस्तावेज, जो विहित किए जाएं, रख सकेगा ।

जलयानों का समुद्र में वैद्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के बिना अयसर न होना ।

135. (1) कोई जलयान तब तक समुद्र को अग्रसर नहीं होगा जब तक ऐसे जलयान के पास धारा 134 में निर्दिष्ट अभिसमय या करार या संधि के अधीन अपेक्षित विधिमान्य प्रमाणपत्र नहीं है ।

(2) जलयान फलक पर एक वैध प्रमाणपत्र रखेगा और वह भारत में किसी पतन या टर्मिनल पर सर्वेक्षक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, होगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात का अर्थान्वयन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

विधि के अधीन किसी अधिकारी की जलयान पर चढ़ने या उसके उपस्कर की जांच करने की शक्तियों को सीमित करने के रूप में नहीं किया जाएगा ।

(3) यदि इस धारा के अधीन निरीक्षण से यह पता चलता है कि जलयान के पास फलक पर विधिमान्य प्रमाणपत्र नहीं है या उसकी या उसके उपस्करों की स्थिति फलक पर रखे गए प्रमाणपत्र की विशिष्टियों से मेल नहीं खाती है, जलयान को समुचित अधिकारी के आदेश से तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक इस धारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त नहीं कर दी जाती हैं या केंद्रीय सरकार की राय में समुद्री जीवन, समुद्री पर्यावरण या लोक स्वास्थ्य और कल्याण को व्यर्थ चुनौती या क्षति पहुचाएं बिना समुद्र यात्रा को अग्रसर हो सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन जलयान के स्वामी या मास्टर के विरुद्ध संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध और कार्रवाई संस्थित कर सकेगी यदि वह यह अवधारित करती है कि प्रदूषण की घटना से कार्यवाहियों के समापन के पश्चात् क्षति या नुकसान होना जारी रहता है या उसका परिणाम कार्यवाहियां संस्थित होने के समय पता न चली क्षति या नुकसान के रूप में होता है ।

अभिलेख पुस्तिकाएं ।

136. प्रत्येक भारतीय जलयान अभिलेख की ऐसी पुस्तिकाएं, ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगा, और वह रीति, उनमें की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रकृति, उनकी अभिरक्षा और निपटान तथा उनसे संबंधित सभी अन्य विषय वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

जलयान को प्रवेश से इंकार करने, निरुद्ध करने या हटाने की शक्ति ।

137. (1) जब केंद्रीय सरकार के पास यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि जलयान, जो भारत में किसी पतन में प्रवेश का प्रस्ताव करता है, इस भाग की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो वह पतन को ऐसे जलयान को प्रवेश से इंकार करने का निदेश दे सकेगी ।

(2) जब केंद्रीय सरकार के पास यह संदेह करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि जलयान इस भाग की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है और तट या तटीय जल को क्षति पहुंचाने का संकट उत्पन्न करता है या क्षति पहुंचाई है, वह किसी समुचित अधिकारी को जलयान को निरुद्ध करने का या जलयान को किसी ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, हटाने का निदेश दे सकेगी ।

(3) जब इस धारा के अधीन निरुद्ध कोई जलयान, निर्मुक्त किए जाने से पूर्व समुद्र को अग्रसर होता है तो जलयान का मास्टर, पोत का स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जो जलयान को समुद्र में भेजता है, इस अधिनियम के अधीन शास्ति का दायी होगा ।

प्रदूषण के निवारण या रोकथाम के लिए उपाय करने की और घटनाओं की रिपोर्ट करने की शक्तियां ।

138. (1) जब कोई घटना, जिसमें किसी जलयान से स्थोरा या परिसंकटमय पदार्थ निकल जाते हैं या उनके निकलने की संभावना है और जो भारत के तट के किसी भाग या अपतटीय जल में वायु प्रदूषण कारित कर सकते हैं या कारित करने की आशंका है तो प्रत्येक जलयान का मास्टर ऐसी घटना की विशिष्टियों की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रदूषण के संबंध में किसी घटना की सूचना की प्राप्ति पर, जलयान के स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर, चार्टरकर्ता, प्रचालक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित कार्रवाइयां करने के लिए उस पर नोटिस की तामील

कर सकेगी—

(क) जलयान से परिसंकटमय पदार्थों, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के निकलने का निवारण करने के लिए ;

(ख) जलयान से स्थोरा या तेल या अपायकर तरल पदार्थ या परिसंकटमय पदार्थ को ऐसी रीति में और ऐसे स्थान को, यदि कोई हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हटाने के लिए ;

(ग) जलयान को ऐसे स्थान के लिए हटाना, यदि कोई हो, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(घ) जलयान से स्थोरा या समुद्र की सतह पर चिकने तेल या अपायकर तरल पदार्थ या परिसंकटमय पदार्थ को, यदि कोई हों, ऐसे प्रकार को ऐसे ढ़ग से हटाना, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ड) जलयान, जिसके अंतर्गत उसमें स्थोरा या कोई भंडारण भी है, को सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान से हटाए जाने का प्रतिषेध करना ;

(च) ऐसे नुकसान को निवारित करने के लिए कोई अन्य कार्रवाई, जो वह आवश्यक समझें ।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जलयान का परित्याग कर दिया जाता है या ऐसे जलयान से रिपोर्ट आपूर्ण है, केंद्रीय सरकार घटना का उत्तरदायित्व उस जलयान के मास्टर या स्वामी पर डाल सकेगी ।

(4) जब हानिकारक पदार्थ जारी करने में तट या तटीय जल को गंभीर संकट कारित किया है या उससे गंभीर और संन्निकट खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय करने के लिए अग्रसर होगी, जो वह ऐसी चुनौती या खतरे को निवारित करने, कम करने या उन्मूलन करने के लिए आवश्यक समझे ।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन उस पर तामील की गई सूचना का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो केंद्रीय सरकार इस बात के बावजूद कि क्या ऐसा व्यक्ति अनुपालन करने में इस प्रकार सफल रहने के कारण से इस भाग के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है या नहीं, निम्नलिखित के लिए ऐसी कार्रवाई करना कारित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे—

(क) उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना में दिए गए विनिर्देशों को पूरा करने के लिए ; और

(ख) भारत के तट या तटीय जल के किसी भाग में जलयान से निकले किसी परिसंकटमय पदार्थ या निकलने की आशंका वाले परिसंकटमय पदार्थ द्वारा पहले से ही कारित किए गए प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए या कारित किए जाने वाले प्रदूषण की संभावना को रोकने के लिए ।

(6) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा, किसी ऐसे जलयान के संबंध में, जिस पर इस धारा के अधीन सूचना जारी की गई है, उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग किए जाने में या किए जाने के कारण उपगत कोई व्यय या दायित्व ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन पर सूचना की तामील की गई थी, केंद्रीय

सरकार को शोध्य ऋण होगा और वह, यथास्थिति, उस व्यक्ति या ऐसे सभी व्यक्तियों या उनमें से किसी से वसूलनीय हो सकेगा और वह उस व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सभी या किसी जलयान पर प्रभार होगा, जिन्हें केंद्रीय सरकार तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक कि उस रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता :

परंतु जब केंद्रीय सरकार को देय रकम का युक्तियुक्त समय के भीतर संदाय नहीं किया जाता है, केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में किसी या सभी जलयानों या उनके किसी भाग का लागू ब्याज सहित ऐसी रकम की वसूली करने के प्रयोजन के लिए विक्रय कर सकेगी ।

(7) केंद्रीय सरकार को महासागरों में किसी घटना, जिससे तट रेखा या तटीय जल को गंभीर क्षति का परिणाम होने की युक्तियुक्त संभावना है, के परिणामस्वरूप प्रदूषण या प्रदूषण की चुनौती से तट रेखा या संबंधित हितों को गंभीर और सन्निकट खतरे का निवारण करने, कम करने या उन्मूलन करने के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी, जो वह ठीक समझे ।

(8) केन्द्रीय सरकार तटीय जल के भीतर होने वाली प्रदूषण घटनाओं के लिए तत्परता से और प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रणाली स्थापित कर सकेगी ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

139. (1) धारा 138 के अधीन कोई उपाय करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी भारतीय जलयान या किसी अन्य उपस्कर के स्वामी को ऐसी सेवाएं या सहायता प्रदान करने का निदेश दे सकेगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) किसी जलयान या अन्य उपस्कर का स्वामी, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया है, विद्यमान बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त दरों पर मालभाड़े और चार्टर भाड़े के लिए टैरिफ दरों का हकदार होगा :

परंतु जहां मालभाड़े की टैरिफ दरें नियत नहीं की गई हैं या जहां, यथास्थिति, चार्टर भाड़े, मालभाड़े के लिए युक्तियुक्त दर के संबंध में कोई विवाद है तो मालभाड़े या चार्टर भाड़े का संदाय उन दरों पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे साक्षियों, दस्तावेजों और लेखाओं, जो वह आवश्यक समझे, की जांच द्वारा मालभाड़े या चार्टर भाड़े की ऐसी दरों की तर्कसंगतता के अवधारण के अधीन रहते हुए ऐसी दरों पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा नियत करे ।

(3) महानिदेशक,—

(क) केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी या अन्य अधिकारियों या किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा ;

(ख) केंद्रीय सरकार के किन्हीं कार्यालयों या अन्य कार्यालय या संगठनों में उपलब्ध प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर और संसाधनों की अध्यपेक्षा,

इस भाग के प्रयोजनों के लिए सहायता देना प्रत्येक अधिकारी या कार्यालय या संगठन का कर्तव्य होगा ।

प्रदूषण का पता लगाने हेतु उपाय ।

140. केंद्रीय सरकार ऐसे उपाय विहित कर सकेगी जो यह समुचित और इस भाग में, यथाविहित प्रदूषण की मानीटरी, पता लगाने और नियंत्रण हेतु व्यवहार्य समझे ।

विश्लेषकों की नियुक्ति ।

141. केंद्रीय सरकार इस भाग के अधीन प्रदूषण की घटनाओं के प्रयोजनों हेतु विश्लेषक के रूप में उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी और इस संबंध में किसी विश्लेषक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का क्षेत्र विनिर्दिष्ट करना होगा ।

प्रवेश संबंधी सुविधाएं ।

142. (1) प्रत्येक पत्तन, धारा 134 में विनिर्दिष्ट प्रदूषण निवारण अभिसमयों को विचार में लेते हुए ऐसी प्रवेश संबंधी सुविधाएं और निगरानी, पर्यवेक्षण और उसका अधीक्षण, जो विहित किया जाए, उपलब्ध करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, पत्तनों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने हेतु निदेश दे सकेगी कि जलयान के संचालन, मरम्मत और पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट या अवशिष्टों को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए सुरक्षित और पर्यावरणीय तरीके से एकत्र किया जाए, संभाला, उपचारित और निपटाया जाए ।

(3) पत्तन प्राधिकारी, जो प्रवेश संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है या ऐसा व्यक्ति, जो पत्तन प्राधिकारी के साथ प्रबंधन द्वारा ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, वह ऐसी सुविधाओं के उपयोग हेतु ऐसी दरों पर प्रभार अधिरोपित कर सकेगा और उसके उपयोग के संबंध में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो पत्तन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं ।

(4) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी पत्तन पर कोई प्रवेश संबंधी प्रसुविधाएं नहीं हैं या ऐसे पत्तन या स्थान पर प्रदूषण निवारण अभिसमयों की अपेक्षाओं की अनुपालना हेतु जलयान को बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो केंद्रीय सरकार लिखित में आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी को ऐसी प्रवेश सुविधाओं, जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, को उपलब्ध कराने की व्यवस्था या उपबंध करने हेतु निदेश दे सकेगा ।

(5) कोई पत्तन, जो उपधारा (4) के अधीन निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

143. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 131 के दूसरे परंतुक के अधीन किसी जलयान या व्यक्ति को समतुल्यता या छूट प्रदान करने की रीति ;

(ख) धारा 132 के खंड (क) में "हानिकारक पदार्थ" की परिभाषा के भीतर आने वाले अन्य पदार्थ ;

(ग) धारा 133 की उपधारा (2) के अधीन जलयान के ढांचे और उपस्कर के संनिर्माण, सर्वेक्षण से संबंधित शर्तें और उपस्कर तथा अपेक्षाएं ;

(घ) धारा 133 की उपधारा (4) के अधीन पदाभिहित क्षेत्रों के लिए प्रदूषण

निवारण मानक और अपेक्षाएं ;

(ङ) प्ररूप, अवधि और शर्तें, जिसके अधीन रहते हुए धारा 133 की उपधारा (5) के अधीन कोई प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाए ;

(च) धारा 133 की उपधारा (7) के अधीन अपतटीय जल में फेंकने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की रीति ;

(छ) वे शर्तें, जिनके अध्यधीन कोई जलयान धारा 134 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अभिसमयों, करारों या संधियों का अनुपालन करेगा, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा प्रदूषण निवारण अभिसमय या करार या संधि भी है, जिसका भारत पक्षकार है, प्रदूषण निवारण अपेक्षाओं का उन जलयानों द्वारा अनुपालन किया जाना है जिनको ऐसे अभिसमय, करार या संधि लागू नहीं होते ;

(ज) धारा 134 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्रों के प्रकार और दस्तावेज ;

(झ) धारा 135 की उपधारा (2) के अधीन किसी पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणपत्रों की जांच की रीति ;

(ञ) धारा 136 के अधीन रिकार्ड बही का प्ररूप और अनुरक्षण की रीति तथा रिकार्ड बहियों में की गई प्रविष्टियों की प्रकृति, उसकी अभिरक्षा और निपटान तथा रिकार्ड बही के अनुरक्षण से संबंधित अन्य विषय ;

(ट) धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन घटना की विशिष्टियां, प्राधिकारी और घटना रिपोर्ट करने की रीति ;

(ठ) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 140 के अधीन प्रदूषण मानीटरी, नियंत्रण और पता लगाने हेतु किए जाने वाले उपाय ;

(ड) धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन प्रवेश संबंधी सुविधाएं, निगरानी, पर्यवेक्षण और दिशानिर्देश ;

(ढ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया जाना अपेक्षित है ।

भाग 8

सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन

सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन ।

144. (1) प्रत्येक भारतीय जलयान, कंपनी या पतन की, जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो, धारा 147 में विनिर्दिष्ट अभिसमयों की अनुपालना के सत्यापन हेतु और ऐसी अपेक्षाओं के लिए विभिन्न जलयानों, कंपनी या पतन के लिए, जो विहित की जाएं, सर्वेक्षण, संपरीक्षित और अधिप्रमाणित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस भाग में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "कंपनी" पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 115 के खंड (क) में है ।

(2) सर्वेक्षक या इस निमित्त महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यदि यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार किसी जलयान, कंपनी या पतन का सर्वेक्षण या संपरीक्षा की गई है, तो वह ऐसे जलयान, कंपनी या पतन

को प्रमाणपत्र या दस्तावेज अनुदत्त कर सकेगा ।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस भाग के अधीन किसी जलयान, कंपनी या पत्तन की, यथास्थिति, कोई सर्वेक्षण या संपरीक्षा पूरी की गई है तो ऐसे जलयान, कंपनी या पतन सर्वेक्षण या संपरीक्षा के अधीन आने वाले ढांचें, उपस्कर, सुसज्जाओं, इंतजामों, सामग्री, प्रणालियों या पदार्थों में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई फेरफार नहीं करेगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन यदि केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अंतिम सर्वेक्षण या संपरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ढांचें, उपस्कर, सुसज्जाओं, इंतजामों, सामग्री, प्रणालियों या पदार्थों में परिवर्तन किए गए हैं या उनको कोई नुकसान हुआ है या अन्यथा वह अपर्याप्त पाए गए हैं तो केंद्रीय सरकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति यह अपेक्षा कर सकेगा कि जलयान, कंपनी या पतन का उस सीमा तक, जिस तक वह उचित समझे, पुनः सर्वेक्षण या संपरीक्षा की जाए या प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपांतरित, प्रतिसंहरण या निलंबित या रद्द या अभ्यर्पित कर सकेगा ।

(5) कोई जलयान समुद्र को तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक जलयान का स्वामी या मास्टर फलक पर इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित लागू सभी प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों को नहीं रखता है ।

प्रमाणपत्र ।

145. प्रत्येक जलयान, कंपनी या पतन के सिवाय जब तक इस भाग के अधीन छूट न दी जाए, ऐसे प्रमाणपत्र, जो विहित किए जाएं, रखेंगे ।

सर्वेक्षक की शक्ति ।

146. (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई सर्वेक्षक किसी युक्तियुक्त समय पर किसी जलयान के फलक पर जा सकेगा और जलयान और उसके किसी भाग, ढांचें, उपस्करों, सज्जाओं, इंतजामों, सामग्रियों, प्रणालियों या पदार्थों, स्थोरा, रसद, भंडार, प्रमाणपत्रों और फलक पर समुद्र यात्रा वृतिक के प्रमाणपत्रों की जांच कर सकेगा :

परंतु वह जलयान के प्रचालन में रुकावट नहीं डालेगा या अनुचित रूप से उसे किसी यात्रा पर अग्रसर होने से निरुद्ध नहीं करेगा या विलंब नहीं करेगा ।

(2) जलयान का स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या प्रत्येक अधिकारी सर्वेक्षक को सर्वेक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और जलयान तथा उसके ढांचें, उपस्कर, सज्जाओं, इंतजामों, सामग्रियों, पदार्थों, प्रणालियों, स्थोरा, रसद, भंडार, प्रमाणपत्रों और समुद्र यात्रा वृतिक के प्रमाणपत्रों के संबंध में जैसा सर्वेक्षक युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे, उपलब्ध कराएगा ।

अभिसमय उपबंधों का अनुपालन ।

147. प्रत्येक जलयान, कंपनी या पतन का निम्नलिखित अभिसमयों में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुपालना की पुष्टि करने के लिए सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणीकरण किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) सुरक्षा अभिसमय ;

(ख) एमएआरपीओएल अभिसमय ;

(ग) संदूषण-रोधी प्रणालियां अभिसमय ;

(घ) रोड़ी, पत्थर, जल प्रबंधन अभिसमय ;

(ङ) भार रेखा अभिसमय ;

(च) टनभार माप अभिसमय, 1969 ;

(छ) विशेष व्यापार यात्री पोत करार, 1971 और उसका प्रोटोकाल ;

(ज) समुद्र में टक्करों का निवारण करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय विनियमों पर अभिसमय, 1972 ;

(झ) अन्तरराष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभिसमय, 1979 (एसएआर 1979) ;

(ञ) समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 ; या

(ट) सर्वेक्षण, संपरीक्षा या प्रमाणन से संबंधित कोई अन्य अभिसमय, जो विहित किया जाए ।

भारत से बाहर जारी प्रमाणपत्रों की मान्यता ।

148. भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान के संबंध में किसी देश की सरकार द्वारा, जिससे वह जलयान संबंधित है, को किसी अभिसमय के अधीन जारी वैध प्रमाणपत्र ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जैसा केंद्रीय सरकार इस निमित बनाए, का भारत में वही प्रभाव होगा, जो भारतीय जलयान के संबंध में जारी तत्स्थानी प्रमाणपत्रों के अधीन है ।

भारत में विदेशी जलयानों को और विदेशों में भारतीय जलयानों को प्रमाणपत्र का जारी किया जाना ।

149. (1) केंद्रीय सरकार किसी देश की सरकार के अनुरोध पर, जिसको अभिसमय लागू होता है, उस देश में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर किए जाने वाले जलयान के संबंध में समुचित अभिसमय प्रमाणपत्र का जारी किया जाना कारित करेगी, यदि उसका उसके समान रीति में यह समाधान हो जाता है कि किसी भारतीय जलयान की दशा में ऐसा प्रमाणपत्र समुचित रूप से जारी किया जा सकता है और जहां ऐसे अनुरोध पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, उसमें इस प्रकार का कथन अंतर्विष्ट होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार उस देश की सरकार को, जिसको अभिसमय लागू होता है, भारत में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर किए जाने वाले जलयान के संबंध में समुचित अभिसमय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और ऐसे अनुरोध के अनुसरण में कोई प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और उसमें यह कथन अंतर्विष्ट है कि उसका इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह प्रभाव होगा कि मानो वह केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अभिसमय प्रमाणपत्र" से किसी अभिसमय के उपबंधों के अधीन प्रदान किया गया कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ।

जानकारी मांगने की शक्ति ।

150. (1) केंद्रीय सरकार, सर्वेक्षक या इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी ऐसे जलयान के मास्टर से जिसको यह भाग लागू हो, ऐसी जानकारी मांगने की शक्ति होगी जो इस भाग के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो ।

(2) सर्वेक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर

परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना अपेक्षित है ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी देने से इंकार करता है या चूक करता है, वह इस अधिनियम के अधीन शास्ति का दायी होगा ।

निरीक्षण करने की शक्ति ।

151. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे जलयान का निरीक्षण करने के लिए, जिसको यह भाग लागू होता है, निम्नलिखित करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी,—

(क) यह सत्यापन करने के लिए कि क्या किसी यान ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ; या

(ख) जांच करने के लिए धारा 147 में निर्दिष्ट किसी अभिसमय, करार या संधि के संविदा करने वाले किसी पक्षकार का अनुपालन करने के लिए कि क्या किसी भारतीय जलयान द्वारा ऐसे अभिसमय, करार या संधि के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है ;

(ग) ऐसे अन्य विषयों की अनुपालना करने, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण में पता लगाए गए उल्लंघन का केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, रिपोर्ट की जाएगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर कोई कार्रवाई कर सकेगी या जलयान के मास्टर को ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो अपेक्षित हो, निदेश दे सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

152. (1) केंद्रीय सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण, संपरीक्षा और सत्यापन करने के लिए जलयानों, कंपनी या पतनों के विभिन्न वर्गों के लिए अपेक्षाएं ;

(ख) धारा 144 की उपधारा (4) के अधीन किसी जलयान, कंपनी या पतन के पुन: सर्वेक्षण, संपरीक्षा और सत्यापन तथा प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का उपांतरण, प्रतिसंहरण, निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण करने की रीति ;

(ग) धारा 145 के अधीन किसी जलयान, कंपनी या पतन द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र ;

(घ) धारा 147 के खंड (ट) के अधीन सर्वेक्षण, संपरीक्षा या प्रमाणन से संबंधित कोई अन्य अभिसमय ;

(ङ) धारा 150 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन सर्वेक्षक या किसी अन्य

व्यक्ति की कोई अन्य शक्ति ;

(घ) धारा 151 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अनुपालना के लिए कोई अन्य विषय, जिसका निरीक्षण किया जाए ;

(छ) धारा 151 की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करने का प्ररूप और रीति ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।

भाग 9

सामुद्रिक उत्तरदायित्व और प्रतिकर

अध्याय 1

समुद्र में टक्कर, दुर्घटना और उत्तरदायित्व

इस अध्याय का लागू होना ।

153. (1) यह अध्याय निम्नलिखित को लागू होगा,—

(क) भारतीय जलयान ; और

(ख) भारतीय जलयान से भिन्न कोई जलयान, जब वह भारत में किसी पतन या स्थान पर हो, जिसके अंतर्गत भारत का तटीय समुद्र भी है ।

(2) इस भाग के अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन प्रदूषण नुकसान से उद्भूत होने वाले सभी दावों का उन अध्यायों के उपबंधों के अनुसार न्यायनिर्णयन किया जाएगा ।

दायित्व का प्रभाजन ।

154. (1) प्रत्येक जलयान अपने नुकसान स्वयं वहन करेगा यदि टक्कर दुर्घटना से हुई है या टक्कर का कारण अवधारित नहीं किया गया है ।

(2) यदि टक्कर किसी एक जलयान की चूक द्वारा होती है तो एक या अधिक उन जलयानों को हुई हानि या नुकसान या उनके कार्गो या स्थोरा की संपत्ति, यात्रियों या बोर्ड पर अन्य व्यक्तियों को हुए नुकसान या मृत्यु या व्यक्तिगत क्षति के दायित्व की भरपाई प्रत्येक ऐसे जलयान द्वारा की जाएगी जिसने चूक की हो ।

(3) यदि टक्कर किसी एक या अधिक जलयानों की चूक द्वारा होती है तो प्रत्येक जलयान को हुई हानि या नुकसान या उनके कार्गो या स्थोरा की संपत्ति, यात्रियों या बोर्ड पर अन्य व्यक्तियों को हुए नुकसान या मृत्यु या व्यक्तिगत क्षति के दायित्व की भरपाई प्रत्येक ऐसे जलयान द्वारा कारित क्रमशः, चूकों की डिग्री के अनुपात में होगी :

परंतु यह कि यदि मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चूक की विभिन्न डिग्रियों को स्थापित करना संभव नहीं है, तो दायित्व का प्रभाजन समान रूप से किया जाएगा ।

(4) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जलयानों के बीच हुई टक्कर से उद्भूत सामुद्रिक दावे के लिए उच्च न्यायालय इस अधिनियम की कार्यवाहियों के अनुक्रम में नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किन्हीं मूल्यांकन कर्ताओं को निम्नलिखित सभी या किन्हीं कर्तव्यों को समनुदेशित कर सकेगा, अर्थात् :—

2017 का 22

(क) चूक का अवधारण, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जलयान के कारण हुई चूक

की डिग्री भी सम्मिलित है ;

(ख) उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में उपस्थित होना और अपना लिखित निष्कर्ष प्रस्तुत करना ; और

(ग) कोई अन्य कर्तव्य, जो उच्च न्यायालय द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

जलयान, स्थोरा या संपत्ति को नुकसान या हानि ।

155. (1) जब भी दो या अधिक जलयानों की त्रुटि के कारण उनमें से एक या अधिक को या उनमें से किसी एक या अधिक के स्थोरा को या उनमें से एक या अधिक की संपत्ति या स्थोरा पर समुद्र यात्रा वृत्तिकों, यात्रियों या अन्य व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत तीसरे पक्षकार भी हैं, को नुकसान या हानि होती है, तो नुकसान या हानि की भरपाई ऐसे अनुपात की डिग्री में होगी जिसमें प्रत्येक जलयान की त्रुटि थी ।

(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी जलयान को ऐसे नुकसान या हानि के लिए दायी नहीं समझा जाएगा जिसमें उसका कोई दोष नहीं था ।

(3) इस धारा की कोई बात किसी संविदा के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी या उसका अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जाएगा जैसे किसी व्यक्ति पर ऐसा दायित्व अधिरोपित किया जाए, जिसके प्रति उसे किसी संविदा द्वारा या विधि के किसी उपबंध द्वारा छूट प्रदान की गई है या जो किसी व्यक्ति के उसके दायित्व को सीमित करने के अधिकार को विधि में उपबंधित रीति में प्रभावित करती है ।

(4) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जलयान के नुकसान या हानि कारित करने के लिए त्रुटि के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन ऐसे किया जाएगा जैसे उसके अंतर्गत किसी उद्धारण या अन्य व्यय के प्रति निर्देश सम्मिलित हैं, जो उस त्रुटि के परिणामस्वरूप तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में नुकसानों के माध्यम से वसूलनीय हैं ।

जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के नुकसान हेतु संयुक्त और पृथक्-पृथक् दायित्व ।

156. (1) जब भी किसी जलयान के फलक पर उस जलयान या किसी अन्य जलयान या जलयानों की त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को कोई जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति होती है तो संबंधित जलयानों के स्वामियों का दायित्व संयुक्त और पृथक्-पृथक् होगा ।

(2) इस धारा की किसी बात का अर्थान्वयन किसी व्यक्ति को उसके बचाव करने के अधिकार से वंचित करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा जिस पर वह उसके विरुद्ध क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा या जीवन की ऐसी हानि के संबंध में वाद लाने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई में अपना बचाव करने के लिए निर्भर करता या वह किसी व्यक्ति के उन मामलों में, जिससे यह धारा संबंधित है, में उसके दायित्व को सीमित करने के अधिकार को सीमित करने के प्रति नहीं लगाया जाएगा ।

अभिदाय करने का अधिकार ।

157. (1) जब भी किसी जलयान के फलक पर उस जलयान या किसी अन्य जलयान या जलयानों की त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को कोई वैयक्तिक हानि होती है और नुकसान का एक अनुपात उस जलयान के स्वामी से वसूल किया जाता है जो उसकी त्रुटि के अनुपात से अधिक है तो वह स्वामी अभिदाय के माध्यम से आधिक्य रकम को अन्य जलयान या जलयानों के स्वामियों से उस परिमाण तक जिस तक क्रमशः वह जलयान त्रुटि पर थे, वसूल कर सकेगा :

परंतु इस प्रकार किसी रकम की वसूली नहीं की जाएगी, जो किसी कानूनी या संविदायी परिसीमन या उससे छूट, दायित्व के कारण वसूल नहीं की जाती या वह किसी अन्य कारण से प्रथमतः नुकसान के रूप में तत्पश्चात् वाद लाने के लिए हकदार व्यक्तियों से वसूल की गई है ।

(2) तत्समय प्रवृत विधि द्वारा किसी अन्य उपचार के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन किसी अभिदाय के हकदार व्यक्ति को अभिदाय की वसूली करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान अधिकार और शक्तियां होंगी, जो प्रथमतः नुकसानी के लिए वाद लाने के हकदार व्यक्तियों को हैं ।

टक्कर की दशा में जलयान के मास्टर का सहायता करने का कर्तव्य ।

158. (1) दो जलयानों के बीच टक्कर के प्रत्येक मामले में प्रत्येक जलयान के मास्टर या भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि जहां तक वह उसके स्वयं के जलयान, कर्मी दल और यात्रियों को खतरे, यदि कोई हो, में डाले बिना,—

(क) अन्य जलयान, उसके मास्टर, कर्मी दल और यात्रियों, यदि कोई हों, को ऐसी सहायता, जो व्यवहार्य हो, और उन्हें टक्कर द्वारा कारित किसी खतरे से बचाने के लिए आवश्यक हो, उपलब्ध कराए और अन्य जलयान के साथ तब तक खड़ा रहे जब तक कि उसने यह पता न लगा लिया हो कि उसे और सहायता की आवश्यकता नहीं है ; और

(ख) अन्य जलयान के मास्टरों या भारसाधक व्यक्तियों को अपने जलयान का और उस पतन, जिससे वह संबंध रखता है तथा उन पतनों, जिनसे वह आया है और जिनको वह जाएगा, नाम देना ।

(2) इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में किसी जलयान के मास्टर की असफलता से इस अध्याय के अधीन दायित्व का कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा ।

अधिकृत लॉग में टक्करों की प्रविष्टि का किया जाना ।

159. टक्कर के प्रत्येक मामले में, जिसमें ऐसा किया जाना व्यवहार्य हो तो प्रत्येक जलयान का मास्टर टक्कर होने के तुरंत पश्चात् उसका एक विवरण और उन परिस्थितियों, जिनके अधीन टक्कर हुई है, अधिकृत लॉग पुस्तिका, यदि कोई हो, में दर्ज करेगा और प्रविष्टि पर मास्टर और निगरानी अधिकारी या किसी एक समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

जलयानों की दुर्घटनाओं की महानिदेशक को रिपोर्ट ।

160. जब किसी भारतीय जलयान की कोई दुर्घटना होती है या उसमें कोई दुर्घटना की गई है, जिसमें जीवन की हानि या किसी व्यक्ति को कोई गंभीर क्षति होती है या उसे कोई तात्विक नुकसान होता है तो उसकी समुद्र यात्रा योग्यता या उसकी दक्षता पर या तो उसके हल में प्रभाव पड़ता है या उसकी मशीनरी के किसी भाग में इस प्रकार फेरफार होता है, जो इस अधिनियम के अधीन जलयान को जारी प्रमाणपत्रों में अंतर्विष्ट विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है तो स्वामी या मास्टर या अभिकर्ता दुर्घटना या नुकसान होने के चौबीस घंटे के भीतर या तत्पश्चात्, यथासंभवशीघ्र, महानिदेशक को या निकटतम प्रधान अधिकारी को दुर्घटना या नुकसान की और उसके संभाव्य कारण की जलयान के नाम, उसकी शासकीय संख्या, यदि कोई हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के पतन तथा वह स्थान जहां वह है, की एक रिपोर्ट पारेषित करेगा ।

भारतीय जलयान के नुकसान की महानिदेशक को सूचना का दिया जाना ।

161. यदि भारतीय जलयान के स्वामी या अभिकर्ता को जलयान के हाजिर न होने के कारण या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण यह आशंका हो कि जलयान पूर्णतया खो गया है, वह सुविधाजनक रूप से यथाशीघ्र महानिदेशक को लिखित में खो जाने और उसके संभावित कारण की जलयान के नाम, उसकी शासकीय संख्या, यदि कोई हो और उसके रजिस्ट्रीकरण के पत्तन का कथन करते हुए सूचना देगा ।

अध्याय 2

समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा

कतिपय दावों के संबंध में नुकसानी के लिए दायित्व की परिसीमा ।

162. (1) पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता या कोई व्यक्ति, जिसके कृत्य असावधानी या त्रुटि से, यथास्थिति, पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी है और उत्तरदायित्व का बीमाकर्ता ऐसे दावों के लिए अपने उत्तरदायित्व को यथा उपबंधित के अनुसार सीमित कर सकेगा,—

(क) फलक या जलयानों के प्रचालन के सीधे संबंधित या उद्धारण प्रचालनों और उनसे पारिणामिक हानि के कारण जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति या संपत्ति की हानि या उसे नुकसान, जिसके अंतर्गत बंदरगाह, संकर्म, बेसिन और जलमार्ग तथा नौवहन सहायक हैं, को हानि के दावे ;

(ख) स्थोरा, यात्रियों या उनके समान को समुद्र में वहन में विलंब के परिणामस्वरूप हानि के दावे ;

(ग) संविदा अधिकारों से भिन्न अन्य अधिकारों के अतिलंघन के परिणामस्वरूप जलयान के प्रचालन से सीधे संबंधित या उद्धारण प्रचालनों से संबंधित अन्य हानियों के दावे ;

(घ) किसी जलयान, जो डूब गया है, ध्वंस हो गया है, उत्क्लिष्ट या त्यजित जलयान को नष्ट करना, हटाना, विध्वंस करना या उसे अहानिकर बनाने, जिसके अंतर्गत जो ऐसे जलयान के फलक पर है या रहा है, से कोई दावे ;

(ङ) किसी जलयान के स्थोरा को हटाने, विध्वंसित करने या अहानिकर बनाने के संबंध में दावे ;

(च) नुकसान से बचने या न्यूनतम करने के लिए, जिसके लिए दायी व्यक्ति अभिसमय के अनुसार अपने दायित्व को सीमित कर सकेगा, किए गए उपायों के संबंध में दायी व्यक्ति से भिन्न अन्य व्यक्ति के दावे और ऐसे उपायों द्वारा कारित की गई और हानि ;

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए दावे दायित्व की परिसीमा के अधीन होंगे, यदि किसी संविदा या अन्यथा, के अधीन अवलंब या क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी लाए गए हों :

परंतु उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में दिए गए दावे उस सीमा तक दायित्व की परिसीमा के अधीन नहीं होंगे, जहां तक वह दायी व्यक्ति के साथ किसी संविदा के अधीन पारिश्रमिक से संबंधित हैं ।

(3) इस तरह की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(क) उद्धारण के दावे, जिसके अंतर्गत, यदि लागू हो, उद्धारण अभिसमय के

अनुच्छेद 14 के अधीन विशेष प्रतिकर का दावा या साधारण औसत में अभिदाय;

(ख) तेल उत्पादन नुकसान के लिए सिविल दायित्व से संबंधित इस भाग के अध्याय 3 के अधीन तेल प्रदूषण नुकसान के लिए दावे;

(ग) न्यूक्लियर नुकसान के लिए किसी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय या दायित्व की परिसीमा को शासित या उसका प्रतिषेध करने वाले राष्ट्रीय विधान के अधीन रहते हुए दावे;

(घ) किसी न्यूक्लियर पोत के स्वामी के विरुद्ध न्यूक्लियर नुकसान के लिए दावे;

(ङ) किसी पोत या उद्धारणकर्ता के सेवक के दावे, जिसके कर्तव्य पोत या उद्धारण प्रचालनों से संबद्ध है, जिसके अंतर्गत उनके उत्तराधिकारियों, आश्रितों या ऐसे दावे करने के लिए हकदार अन्य व्यक्तियों के दावे सम्मिलित हैं, यदि पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता और ऐसे सेवकों के बीच सेवा की संविदा का प्रशासन करने वाली विधि के अधीन पोत स्वामी या उद्धारणकर्ता ऐसे दावों के संबंध में अपने दायित्व को सीमित करने का हकदार नहीं है या उसे ऐसी विधि द्वारा केवल उसे समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा अभिसमय या धारा 165 और धारा 166 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में उपबंधित से बड़ी रकम के लिए उसके दायित्व को सीमित करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए दायित्व की परिसीमा का अवलंब लेने का कृत्य दायित्व को मानने का कृत्य नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी पोत स्वामी के दायित्व में स्वयं पोत के विरुद्ध लाई गई कार्रवाई में दायित्व सम्मिलित होगा ;

(ख) "पोत स्वामी" से किसी समुद्रगामी जलयान का स्वामी, चार्टरकर्ता, प्रबंधक या प्रचालक अभिप्रेत है ।

परिसीमन को अपवर्जित करने का आचरण ।

163. धारा 162 के अधीन दायी व्यक्ति उसके दायित्व को सीमित करने का हकदार नहीं होगा यदि यह साबित कर दिया जाता है कि नुकसान या हानि उसके वैयक्तिक कृत्य या लोप के परिणामस्वरूप हुई है, जो ऐसी हानि या असावधानी के कारण और इस जानकारी के साथ कारित की गई है कि ऐसी हानि संभाव्यता होगी ।

प्रति दावे ।

164. जहां किसी व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन दावे की परिसीमा का हकदार है, का दावाकर्ता के विरुद्ध दावा है, जो उसी घटना से उद्भूत हुआ है, उनके क्रमश: दावों का प्रत्येक के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और इस अध्याय के उपबंध शेष, यदि कोई हो, को लागू होंगे ।

दायित्व की परिसीमाएं ।

165. (1) धारा 166 में वर्णित से भिन्न अन्य दावों, जो किसी सुभिन्न अवसर पर उद्भूत हो रहे हैं, के दायित्व की परिसीमाओं की संगणना समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु उन मामलों में, जहां समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा अभिसमय के उपबंध लागू नहीं होते हैं, दायित्व की परिसीमा वह होगी, जो विहित की जाए ।

(2) जहां जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के लिए दावों के संबंध में अवधारित रकम ऐसे दावों का पूर्णतया संदाय करने के लिए अपर्याप्त है, अन्य दावों के संबंध में अवधारित रकम को जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के लिए दावों के संबंध में दावे के असंदत्त शेष का संदाय करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसा असंदत्त शेष अन्य दावों के संबंध में दावों के साथ आंकलनीय होगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति के लिए दावों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बंदरगाह संकर्म, बेसिन, जलमार्गों और नौवहन सहायकों को नुकसान के संबंध में दावों की अन्य दावों पर पूर्विकता होगी ।

(4) किसी उद्धारणकर्ता, जो किसी जलयान से प्रचालन नहीं करता है या किसी जलयान से एकमात्र रूप से प्रचालन कर रहे उद्धारणकर्ता के लिए दायित्व की परिसीमा या उसके लिए, जिसके लिए वह उद्धारण सेवाएं प्रदान कर रहा है, की संगणना समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा में उपबंधित समग्र टनधारिता के अनुसार की जाएगी ।

यात्री दावों के लिए सीमा ।

166. किसी सुभिन्न अवसर पर किसी पोत के यात्रियों की जीवन हानि या वैयक्तिक क्षति से उद्भूत दावों के लिए उस पोत के स्वामी के दायित्व की परिसीमा वह होगी, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "किसी सुभिन्न अवसर पर किसी पोत के यात्रियों के जीवन की हानि या वैयक्तिक क्षति से उद्भूत दावे" से उस पोत पर निम्नलिखित के अधीन वहन किए जा रहे किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निमित लाए गए ऐसे दावे अभिप्रेत हैं,—

(क) यात्री वहन संविदा के अधीन ; या

(ख) जो उसके वाहक की सहमति से किसी यान या जीवित पशुओं के साथ है, जो वस्तुओं के वहन के लिए संविदा के अधीन आते हैं ।

दावों का संकलन ।

167. (1) धारा 165 के अधीन अवधारित दायित्व की परिसीमा उन सभी दावों के संकलन को लागू होगी, जो किसी सुभिन्न अवसर पर उद्भूत होते हैं,—

(क) व्यक्ति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ; या

(ख) उस पोत से उद्धारण सेवाएं प्रदान करने वाले पोत स्वामी और उद्धारणकर्ता या उद्धारणकर्ताओं के विरुद्ध, जो ऐसे पोत से प्रचालन कर रहे हैं तथा किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ; या

(ग) उस पोत से उद्धारण सेवाएं प्रदान न करने वाले उद्धारणकर्ता या उद्धारणकर्ताओं के विरुद्ध, जो ऐसे पोत से एकमात्र रूप से प्रचालन कर रहे हैं या जिसके संबंध में उद्धरण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा कोई व्यक्ति, जिसके कृत्य, असावधानी या त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ।

(2) धारा 165 के अधीन अवधारित उत्तरदायित्व की परिसीमा उसके अधीन रहते हुए सभी दावों के संकलन को लागू होगी, जो पोत स्वामी के विरुद्ध किसी सुभिन्न अवसर पर उस धारा में निर्दिष्ट पोत के संबंध में और कोई व्यक्ति, जिसके कृत्य, असावधानी या

त्रुटि के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं, लागू होंगी ।

परिसीमन निधि का गठन ।

168. (1) दायी होने के लिए कथित कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार या उस उच्च न्यायालय के पास निधि का गठन कर सकेगा, जिसमें परिसीमन के अधीन रहने वाले दावों के संबंध में विधिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या ऐसे दावों के संबंध में संस्थित की जानी आशयित हैं, जो इस अध्याय के अधीन परिसीमित की जा सकती हैं ।

(2) निधि का गठन उन दावों को, जिनके लिए व्यक्ति दायी है, धारा 167 के साथ पठित धारा 165 या धारा 166 के उपबंधों के अनुसार, जो उन दावों को लागू होती हैं, जिनके लिए दायित्व की परिसीमा का अवलंब लिया जाता है और जो उसी सुभिन्न अवसर से उद्भूत हुई है, के लिए ऐसी रकमों की राशियों में उनको दायित्व उत्पन्न होने की तारीख से निधि के गठन की तारीख तक उस पर ब्याज ऐसी दर पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के साथ किया जाएगा ।

(3) परिसीमन निधि का मूल्य, जो उपधारा (2) के अनुसार संगणित या उच्च न्यायालय द्वारा नियत या केंद्रीय सरकार द्वारा संगणित किया जाएगा, निम्नलिखित द्वारा गठित होगा,—

(क) निक्षेपित रकम ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्वीकार्य गारंटी को प्रस्तुत करके और जिसे न्यायालय द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त समझा जाए ।

(4) इस प्रकार गठित निधि केवल उन दावों के संबंध में संदाय के लिए उपलब्ध होगी, जिनके संबंध में दायित्व के परिसीमन का अवलंब लिया जा सकेगा ।

(5) धारा 167 में निर्दिष्ट किसी एक व्यक्ति या उसके बीमाकंक द्वारा गठित निधि को उस धारा में वर्णित सभी व्यक्तियों द्वारा गठित किया गया समझा जाएगा ।

परिसीमा निधि का गठन किए बिना दायित्व की परिसीमा ।

169. (1) इस बात के होते हुए भी दायित्व की परिसीमा का अवलंब लिया जा सकेगा कि धारा 168 में यथावर्णित परिसीमा निधि का गठन नहीं किया गया है ।

(2) यदि दायित्व की परिसीमा के अधिकार को धारा 168 के अधीन परिसीमन निधि के गठन के बिना अवलंब लिया जाता है तो,—

(क) उच्च न्यायालय प्रत्येक दावे को उसके पूर्ण साबित हुई रकम के लिए न्यायनिर्णीत करेगा और किसी व्यक्ति के उसके दायित्व की परिसीमा के अधिकार को घोषित करेगा और प्रवर्तन के प्रयोजन हेतु संबंधित दावों को परिसीमन की रकम संबंधित दावों को लागू होगी ; और

(ख) दावेदार ऐसे दावों के संबंध में कोई अन्य कार्रवाई करने से विवर्जित नहीं होगा ।

(3) धारा 171 तब तक लागू नहीं होगी जब तक धारा 168 के अधीन परिसीमन निधि का गठन न हो ।

निधि का संवितरण ।

170. (1) धारा 165 और धारा 166 के उपबंधों के अधीन रहते हुए निधि का संवितरण दावाकर्ताओं में निधि के विरुद्ध उनके साबित दावों के अनुपात में किया जाएगा ।

(2) किसी जलयान या संपति के संबंध में कोई धारणाधिकार या अन्य अधिकार इस

धारा के अधीन अनेक दावेदारों के बीच ऐसे अनुपातों को प्रभावी नहीं करेगी जिसमें ऐसी निधि संवितरित की गई है ।

(3) यदि निधि का संवितरण करने से पूर्व दायी व्यक्ति या उसके बीमाकंक ने निधि के विरुद्ध किसी दावे का निपटान कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा संदत्त की गई रकम तक प्रत्यासीन के माध्यम से उन अधिकारों को अर्जित करेगा, जिनका इस प्रकार प्रतिदाय किए गए व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के अधीन उपभोग किया जाता ।

(4) उपधारा (3) में प्रत्यासीन के लिए उपबंधित अधिकारों का उपयोग उसमें वर्णित व्यक्तियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर की किसी रकम के संदर्भ में, जिनका उन्होंने संदाय कर दिया है, किया जा सकेगा किंतु केवल उस परिमाण तक जिस तक ऐसा प्रत्यासीन किया जाना तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञात है ।

(5) जहां दायी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे प्रतिदाय की किसी संपूर्ण रकम को या भागत: रकम को ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो इस धारा के अनुसरण में प्रत्यासीन के अधिकार का उपयोग करता है यदि निधि के संवितरण करने से पूर्व प्रतिकर का संदाय कर दिया होता, के लिए किसी पश्चातवर्ती तारीख को संदाय करने के लिए विवश किया जाएगा, उच्च न्यायालय जहां निधि का गठन किया गया है, आदेश दे सकेगा कि पर्याप्त राशि अनंतिम रूप से अलग रखी जाए ताकि ऐसे व्यक्ति को ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को निधि के विरुद्ध उसके दावे को प्रवृत्त करने में समर्थ बनाया जा सके ।

अन्य कार्रवाई का वर्जन ।

171. (1) जहां धारा 168 के अधीन किसी निधि का गठन किया गया है, किसी व्यक्ति को निधि के विरुद्ध दावा करने पर ऐसे दावे के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा या जिसके निमित्त निधि का गठन किया गया है, अन्य आस्तियों के विरुद्ध ऐसे दावे में किसी अधिकार का उपयोग करने से वर्जित किया जाएगा ।

(2) धारा 168 के अधीन किसी निधि का गठन किए जाने के पश्चात् किसी व्यक्ति के किसी पोत या अन्य संपत्ति, जिसके निमित्त निधि का गठन किया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है या जिसकी किसी दावे के लिए कुर्की की गई है, जो किसी निधि के विरुद्ध या किसी दी गई प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा, को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा निर्मुक्त किया जा सकेगा और ऐसी निर्मुक्ति का हमेशा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, चाहे निधि का गठन उसके द्वारा या किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया था ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध तभी लागू होंगे, जब दावाकर्ता निधि को प्रशासित करने वाले उच्च न्यायालय या केंद्रीय सरकार के समक्ष दावा करेगा और निधि वास्तव में उपलब्ध है और मुक्त रूप से उस दावे के संबंध में अंतरणीय है ।

परिसीमन के अध्यधीन सामुद्रिक दावों का अनिवार्य बीमा और अन्य वित्तीय सुरक्षा ।

172. (1) किसी भारतीय जलयान का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी और किसी भारतीय जलयान से भिन्न कोई जलयान जो भारत में किसी पत्तन में प्रवेश कर रहा है या प्रस्थान कर रहा है या तटीय समुद्र में प्रचालन कर रहा है ऐसे जलयान के संबंध में, किसी बीमाकंक या संगठन जो विहित किया जाए, से अनिवार्य बीमा या ऐसी अन्य वित्तीय सुरक्षा से अनुरक्षित करेगा ।

(2) बीमा, धारा 162 के अधीन विनिर्दिष्ट परिसीमा के अध्यधीन सामुद्रिक दावों को

समाविष्ट करेगा ।

(3) प्रत्येक घटना के लिए प्रत्येक जलयान हेतु बीमा की रकम धारा 165 के अधीन उपबंधित दायित्व की परिसीमा हेतु कम से कम अधिकतम रकम के बराबर होगी और यात्री दावों के लिए सुसंगत अधिकतम रकम धारा 166 के अधीन दायित्व की परिसीमा के बराबर होगी ।

(4) कोई जलयान जो इस धारा के उल्लंघन में भारत में किसी पतन से प्रस्थान कर रहा है तो वह ऐसे प्राधिकारी जो विहित किया जाए, द्वारा निरुद्ध किए जाने का दायी होगा ।

इस अध्याय के लागू होने की परिधि ।

173. (1) इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे जब कभी धारा 162 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष दायित्व को परिसीमित करने की वांछा करता है या किसी पोत या अन्य संपत्ति को उपाप्त करने की वांछा करता है या भारतीय अधिकारिता के भीतर किसी प्रतिभूति को उन्मोचित करने की वांछा करता है किंतु किसी ऐसे व्यक्ति को इस अध्याय के उपबंधों के अवलंब लेते समय लागू नहीं होंगे जिसके पास,—

(क) भारत में निवास स्थान नहीं है; या

(ख) भारत में प्रधान कारबार का स्थान नहीं है; या

(ग) किसी ऐसे जलयान के संबंध में परिसीमन के अधिकार का अवलंब किया गया है या जिसके छोड़े जाने की वांछा की गई है और जो किसी ऐसे राज्य के ध्वज को नहीं लगाता है जो समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा पर अभिसमय का एक पक्षकार है ।

(2) इस अध्याय के उपबंध वायु कुशन यान या प्लवमान मंच को लागू नहीं होंगे, जिनका संनिर्माण समुद्र तल या उसकी उप मृदा प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण या दोहन करने के प्रयोजन के लिए किया गया है ।

इस भाग के अध्याय 1 और अध्याय 2 के अधीन विषयों हेतु नियम बनाने की शक्ति ।

174. (1) केन्द्रीय सरकार, अध्याय 1 और इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी निम्नलिखित विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 160 के अधीन, वह समय जिसके भीतर पोत का स्वामी या मास्टर या उसका अभिकर्ता महानिदेशक या निकटतम प्रधान अधिकारी को घटना की रिपोर्ट करेगा;

(ख) ऐसे मामलों में दायित्व की सीमा जहां समुद्रीय दावों के लिए दायित्व की परिसीमा पर अभिसमय के उपबंध धारा 165 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन लागू नहीं हों;

(ग) धारा 166 के अधीन किसी पोत के यात्रियों को जीवन हानि या वैयक्तिक उपहति के लिए स्वामी के दायित्व की परिसीमा ;

(घ) बीमाकंक या अन्य संगठन और ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति जिसका बीमा धारा 172 की उपधारा (1) के अधीन स्वीकार्य है;

(ङ) धारा 172 की उपधारा (4) के अधीन किसी जलयान को निरुद्ध करने वाला सक्षम प्राधिकारी;

(च) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

अध्याय 3

तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

इस अध्याय का लागू होना ।

175. यह अध्याय निम्नलिखित को लागू होगा,—

(क) निम्नलिखित द्वारा कारित प्रदूषण नुकसान,—

(i) सिविल दायित्व अभिसमय का किसी उल्लंघनकर्ता पक्षकार की अधिकारिता के भीतर भारतीय जलयान; और

(ii) भारतीय जलयान और कोई अन्य पोत जब यह भारत में किसी पत्तन या स्थान पर हैं, जिसके अंतर्गत तटीय जलक्षेत्र भी हैं, जिसका विस्तार आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अनधिक हो ;

(ख) ऐसे प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए निवारक उपाय जहां कहीं भी किए गए हैं ।

परिभाषाएं ।

176. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "घटना" से कोई ऐसी घटना या घटना की आवली अभिप्रेत है जिनका उद्गम स्थल एक ही है, और जिनसे प्रदूषण नुकसान कारित होता है या ऐसा नुकसान कारित होने की घोर और आसन्न आशंका पैदा होती है ;

(ख) "तेल" से कोई विद्यमान हाइड्रोकार्बन खनिज तेल जैसे कच्चा तेल, ईंधन तेल, भारी डीजल तेल और स्नेहक तेल अभिप्रेत है चाहे उसे किसी पोत के किसी फलक पर स्थोरा के रूप में या ऐसे पोत के बंकरों में वहन किया जाता है ;

(ग) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि या भागीदारी या कोई लोक निकाय या प्राइवेट निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसके अंतर्गत कोई राज्य या उसके संघटक उप-प्रभागों में से कोई उप-प्रभाग भी है, अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रदूषण नुकसान" से निम्नलिखत अभिप्रेत है,—

(i) पोत से तेल के निकलने या निस्सारण के परिणामस्वरूप संदूषण द्वारा पोत के बाहर कारित हानि या नुकसान, जहां कहीं ऐसा तेल निकलता हो या उसका निस्सारण होता हो :

परंतु पर्यावरण के ह्रास के लिए प्रतिकर ऐसे ह्रास से लाभ या हानि से भिन्न, वस्तुत: प्रत्यावर्तन के किए गए या किए जाने वाले युक्तियुक्त उपायों के खर्च तक ही सीमित होगा ; और

(ii) निवारक उपायों का खर्च और ऐसे उपायों द्वारा कारित अतिरिक्त हानि या नुकसान ;

(ङ) "निवारित उपाय" से ऐसा कोई युक्तियुक्त उपाय अभिप्रेत है जो प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए घटना के घटित होने के पश्चात् किसी

व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं ;

(घ) "पोत" से खुला स्थोरा के रूप में तेल के वहन के लिए संनिर्मित या अनुकूलित, किसी भी प्रकार का, चाहे वह जो भी हो, कोई समुद्रगामी जलयान और समुद्री क्राफ्ट अभिप्रेत है :

परंतु यह कि तेल और अन्य स्थोराओं के वहन के योग्य पोत को पोत के रूप में केवल तभी समझा जाएगा जब वह खुले स्थोरा के रूप में वस्तुत: तेल का वहन कर रहा है और ऐसा वहन करने के पश्चात् किसी समुद्री यात्रा के दौरान जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि उसमें फलक पर भारी मात्रा में तेल के ऐसे वहन का कोई अवशिष्ट नहीं है ;

(छ) "पोत स्वामी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) पोत के स्वामी के रूप में कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण के अभाव में, पोत का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति ; या

(iii) किसी देश के स्वामित्वाधीन पोत और उस देश की किसी कंपनी द्वारा प्रचालित पोत के मामले में, ऐसे पोत के प्रचालक के रूप में उस देश में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ।

पोत स्वामी का दायित्व ।

177. (1) इस धारा की उपधारा (2) और उपधारा (3) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, घटना के समय पोत का स्वामी या जहां घटना आवलियों से मिलकर बनी है वहां ऐसी घटना के प्रथम बार घटने के परिणामस्वरूप पोत द्वारा कारित किसी प्रदूषण नुकसान के लिए दायी होगा ।

(2) प्रदूषण नुकसान के लिए कोई दायित्व स्वामी से संलग्न नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान,—

(क) किसी युद्धकार्य, संघर्ष, गृह युद्ध, विप्लव या किसी आपवादिक, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के परिणामस्वरूप हुआ है ;

(ख) तृतीय पक्षकार द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप द्वारा पूर्णतया कारित हुआ था ;

(ग) सरकार या द्वीपों के अनुरक्षण हेतु जिम्मेवार अन्य प्राधिकारी या उस प्रत्यय के प्रयोग में अन्य नौवहन संबंधी सहायता द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप द्वारा पूर्णतया कारित हुआ था ।

(3) जहां स्वामी यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान या तो पूर्णत: या भागत: उस व्यक्ति द्वारा जिसको नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप से या उस व्यक्ति की उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुआ वहां स्वामी को ऐसे व्यक्ति के प्रति उसके दायित्व से पूर्णत: या भागत: विमुक्त किया जा सकेगा ।

(4) प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का कोई दावा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार ही स्वामी के विरुद्ध किया जा सकेगा अन्यथा नहीं ।

(5) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन या अन्यथा प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा,—

(क) सेवकों या स्वामी के अभिकर्ताओं या कर्मीदल के सदस्यों ;

(ख) पायलट या किसी अन्य व्यक्ति, जो कर्मीदल का सदस्य न होते हुए, पोत के लिए सेवाएं निष्पादित करता है ;

(ग) पोत का कोई चार्टर (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके अंतर्गत अनावृत नौका भी है), प्रबंधक या प्रचालक ;

(घ) स्वामी की सहमति से या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी के अनुदेशों पर उद्धारण की संक्रियाओं का निष्पादन करने वाले किसी व्यक्ति ;

(ङ) निवारित उपाय करने वाले किसी व्यक्ति ;

(च) खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में उल्लिखित सभी सेवकों या व्यक्तियों के अभिकर्ताओं,

के विरुद्ध तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा नुकसान उसके ऐसे वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से या बिना सोचे विचारे और यह जानते हुए कि ऐसा नुकसान होने की अधिक संभावना हो, कारित न किया गया हो ।

(6) इस अध्याय में की कोई बात तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध स्वामी के अवलंब के किसी अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

पोतों के लिए संयुक्त और पृथक् दायित्व ।

178. जब कोई घटना जिसमें दो या दो से अधिक पोत अंतर्वलित हैं, घटती है और उससे प्रदूषण नुकसान होता है तो संबद्ध सभी पोतों के स्वामी जब तक की उन्हें धारा 177 की उपधारा (3) के अधीन माफ न कर दिया जाए, तब तक वे ऐसे सभी नुकसान, जो युक्तियुक्त रूप से पृथक्करणीय नहीं है, के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होंगे ।

उच्च न्यायालय की अधिकारिता ।

179. (1) नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय की नावधिकरण अधिकारिता इस अध्याय के अधीन उद्भूत दायित्व के लिए किसी दावे को विस्तारित किया गया समझा जाएगा और पोत के स्वामी द्वारा सीमित निधि (जिसे इसमें उसके पश्चात् निधि कहा गया है) के गठन सहित ऐसे दावों से उद्भूत किसी मामले को भी विस्तारित भी किया जाएगा । 2017 का 22

(2) तेल प्रदूषण की किसी घटना से उद्भूत होने वाले सभी दावे, जिसमें निधि का गठन भी शामिल है, प्रदूषण नुकसान पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय में किए जाएगें और यदि प्रदूषण नुकसान अनन्य आर्थिक जोन में होती है, या एक से अधिक उच्च न्यायालय ऐसी प्रदूषण नुकसान पर अधिकारिता रखते हैं, तो दावा, ऐसे उच्च न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता उस पत्तन पर है या ऐसे स्थान पर, जहां ऐसे प्रदूषण नुकसान के लिए जिम्मेदार पोत को रोका गया है, किया जा सकेगा ।

अधिकारिता, जहां प्रदूषण नुकसान दो या अधिक राज्यों में होती है ।

180. जहां सिविल दायित्व अभिसमय के एक या अधिक अन्य संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में हुए प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए निवारक उपाय किए गए हैं, वहां प्रतिकर के दावे ऐसे किसी भी संविदाकारी पक्षकार के न्यायालय में लाए जा सकते हैं :

परन्तु एक बार निधि इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार भारत में स्थापित हो जाए, तो केवल उच्च नयायालय या केन्द्रीय सरकार के पास ही निधि के प्रभाजन और वितरण से संबंधित मामलों के निर्धारण करने की अधिकारिता होगी ।

दायित्व की परिसीमा ।

181. (1) पोत का स्वामी किसी घटना के संबंध में इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व को सिविल दायित्व अभिसमय के अनुच्छेद 5 के उपबंधों के अनुसार कुल रकम तक परिसीमित कर सकेगा ।

(2) पोत का स्वामी इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व को परिसीमित करने के लिए हकदार नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि प्रदूषण नुकसान उसके वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप हुआ है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से बिना सोचे विचारे या यह जानते हुए कि ऐसा नुकसान होने की संभावना है, कारित किया गया है ।

परिसीमा निधि का गठन ।

182. (1) कोई पोत का स्वामी, जो इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व की परिसीमा के फायदे का लाभ लेने की वांछा करता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसे विहित किया जाए, अपने दायित्व की सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल राशि के लिए निधि का गठन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को या अधिकारिता के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसी निधि का गठन, उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार के पास या तो राशि जमा करके या बैंक प्रत्याभूति या ऐसी अन्य प्रतिभूति देकर किया जा सकेगा ।

(3) पोत के स्वामी को वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाला कोई बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन निधि के गठन के लिए उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और इस प्रकार गठित की गई निधि का वही प्रभाव होगा, जैसे मानो वह पोत के स्वामी द्वारा गठित की गई हो ।

(4) इस धारा के अधीन बीमाकर्ता द्वारा निधि के गठन के लिए आवेदन उन मामलों में भी किया जा सकता है, जहां पोत का स्वामी धारा 181 की उपधारा (2) के अधीन अपने दायित्व को सीमित करने का हकदार नहीं है और ऐसी किसी भी स्थिति में, निधि का गठन निधि में जमा या प्रतिभूत रकम से अधिक पूर्ण प्रतिकर के लिए पोत के स्वामी के विरुद्ध किसी दावेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(5) इस धारा के अधीन निधि में जमा या प्रतिभूत किए जाने वाले विशेष आहरण अधिकार में रकम निधि के गठन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित विशेष आहरण अधिकारों के रुपए में शासकीय मूल्य के आधार पर रुपए में संपरिवर्तित की जाएगी ।

(6) जहां उच्च न्यायालय में समक्ष तेल प्रदूषण की घटना के संबंध में पोत के स्वामी द्वारा निधि स्थापित की जाती है, वहां इस अध्याय के अधीन प्रतिकर के लिए सभी दावे केवल उस उच्च न्यायालय में संस्थित किए जाएगें, जहां निधि का गठन किया गया है :

परन्तु जहां तेल प्रदूषण की घटना से उत्पन्न होने वाले दावे उस उच्च न्यायालय से अन्यथा किए जाते हैं, जहां निधि स्थापित की गई थी, तब पोत का स्वामी उस उच्च न्यायालय में, जहां निधि स्थापित की गई थी, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार दावों के स्थानान्तरण के लिए उच्चतम न्यायालय में अनुरोध कर सकेगा ।

1908 का 5

प्रतिकर के लिए दावा, जहां निधि स्थापित है ।

183. (1) उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार, निधि के गठन पर, तेल प्रदूषण की विशेष घटना से उत्पन्न होने वाली निधि के विरुद्ध दावों को आमंत्रित करने के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे अन्य विवरण शामिल होगें, जो विहित किए जाएं, नोटिस

जारी करेगी ।

(2) कोई व्यक्ति जिसे प्रदूषण से क्षति हुई हो, प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा और कार्यवाही में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकता है :

परन्तु जहां ऐसी निधि स्थापित नहीं की गई है, दावेदार धारा 180 के अधीन क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर सकेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अन्तरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि को कार्यवाही का नोटिस जारी करेगी, जो इस भाग के अध्याय 5 के अनुसार कार्यवाही में भाग लेने का हकदार होगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, निधि की स्थापना के लिए और तेल प्रदूषण की घटना से उत्पन्न होने वाले दावों के न्यायनिर्णयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी ।

प्रत्यासन द्वारा प्रतिकर के लिए अधिकार का अर्जन ।

184. (1) जहां, निधि के वितरित किए जाने से पूर्व, उसे बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले पोत के स्वामी, या उसके किसी सेवक या अभिकर्ता या किसी व्यक्ति ने घटना के परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय किया है, वहां ऐसा व्यक्ति, उस रकम तक जो उसने संदत्त की है, प्रत्यासन द्वारा उन अधिकारों को अर्जित करेगा जिनका इस प्रकार प्रतिधारित व्यक्ति ने इस अध्याय के अधीन प्रयोग किया हो ।

(2) जहां पोत का स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे प्रतिकर की किसी ऐसी रकम का पूर्णतयः या भागतः किसी पश्चातवर्ती तारीख को संदाय किए जाने के लिए विवश किया जा सकेगा जिसके संबंध में ऐसे व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन प्रत्यासन के अधिकार का प्रयोग किया हो, यदि प्रतिकर निधि के वितरित किए जाने से पूर्व संदत्त कर दिया गया होता, तो उच्च न्यायालय, जहां निधि का गठन किया गया था, वहां यह आदेश कर सकेगा कि पर्याप्त राशि अनंतिम रूप से ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को ऐसे व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए अनंतिम रूप से अलग रख दी जाएगी जिससे कि निधि के विरुद्ध उसके दावे को प्रवृत्त किया जा सके ।

दावों का समेकन और निधि का वितरण ।

185. (1) उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार, निधि के विरुद्ध सभी दावों, जिनके अंतर्गत धारा 184 के अधीन उद्भूत होने वाले दावे भी हैं, का समेकन करेगा ।

(2) प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए पोत के स्वामी द्वारा स्वेच्छया युक्तियुक्त रूप से उपगत खर्चों या उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से किए गए त्याग के संबंध में कोई दावा निधि के विरुद्ध अन्य दावों के समान होगा ।

(3) धारा 184 के अधीन प्रत्यासन के अधिकार के अध्यधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार सभी दावाकर्ताओं में निधि की रकम को उनके साबित दावों के अनुपात में वितरित करेगा ।

(4) यदि पोत का स्वामी, बीमाकर्ता या अन्य प्रतिभूतिधारक, इस अध्याय के अधीन निधि को स्थापित करने में असफल रहता है, तो उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकार के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट है, प्रतिकर देने का आदेश करेगा ।

पोत की गिरफ्तारी और विक्रय, यदि पोत का स्वामी, आदि प्रतिकर के लिए दावों को तुष्ट करने में असमर्थ है ।

186. (1) जहां उच्च न्यायालय प्रतिकर के लिए आदेश देता है, जिसका पोत का स्वामी अनुपालन नहीं किया है और ऐसा स्वामी निधि को स्थापित नही किया है, वहां प्रतिकर के हकदार व्यक्ति द्वारा घटना के लिए जिम्मेदार पोत या ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व वाले किसी भी पोत को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय में आवेदन किया जा सकेगा ।

(2) उच्च न्यायालय, इस भाग के अध्याय 5 के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि के दायित्व के निर्धारण के बाद भुगतान न की गई शेष रकम को इस अधिनियम के अनुसार पोत और उसमें उपस्कर के करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूलने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को तेल प्रदूषण की घटना में शामिल किसी पोत को निरोध करने की शक्ति होगी, जब तक पोत का स्वामी धारा 182 के अनुसरण में निधि को स्थापित नही कर देता है या धारा 185 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिकर के लिए आदेश का सम्यक् पालन नहीं करता है, इनमें से जो भी पहले हो ।

निधि के स्थापन के पश्चात् दावों के पालन पर प्रतिबंध ।

187. जहां घटना के पश्चात् पोत का स्वामी इस अध्याय के अनुसरण में निधि का गठन किया है और वह अपने दायित्व को सीमित करने का हकदार है,—

(क) इस घटना से उत्पन्न प्रदूषण क्षति के लिए दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे दावों के संबंध में किसी अन्य पोत और पोत के स्वामी की संपति के विरुद्ध किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ;

(ख) उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार पोत के स्वामी से संबंधित किसी पोत या अन्य संपति को मुक्त करने का आदेश देगी जो उस घटना से उत्पन्न प्रदूषण नुकसान के लिए दावों के संबंध में विरुद्ध किया है और किसी भी गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई किसी भी जमानत या प्रतिभूति को मुक्त करेगा :

परन्तु यह धारा केवल तभी लागू होगी, जब उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को भुगतान की गई रकम या उसका ऐसा भाग, जो दावे से मेल खाता हो, वास्तव में दावेदार के लिए उपलब्ध है ।

अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति ।

188. (1) स्थोरा के रूप में भारी मात्रा में दो हजार टन से अधिक तेल ले जाने वाला प्रत्येक पोत का स्वामी ऐसे पोत के संबंध में सिविल दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए इस अध्याय के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व को आच्छादित करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, थोक में इतने टन तेल ले जाने वाले पोत के स्वामी से प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व को ऐसी सीमा तक, जैसा विहित किया जाए, कवर करने के लिए बीमे या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने की मांग कर सकेगी ।

(2) ऐसे प्रत्येक भारतीय पोत के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, प्रदान किया जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी विदेशी पोत के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए

जाने पर सिविल दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अनुसार बीमा या अन्य वितीय प्रतिभूति के बनाए रखने से संबंधित संतोषजनक साक्ष्य के पेश किए जाने के संबंध में ऐसे विदेशी पोत के संबंध में उपधारा (2) के अधीन प्रमाण पत्र प्रदान करेगी ।

भारत से बाहर दिए गए प्रमाणपत्र का प्रतिग्रहण ।

189. भारत से बाहर के किसी देश में उस देश में रजिस्ट्रीकृत पोत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र या ऐसे देश जो, किसी ऐसे पोत के लिए, जहां कहीं भी वह रजिस्ट्रीकृत है, सिविल दायित्व अभिसमय का पक्षकार है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई प्रमाण पत्र भारत में किसी पतन या स्थान पर इस प्रकार स्वीकार किया जाएगा, मानो वह इस अधिनियम के अधीन दिया गया था ।

प्रमाणपत्र के बिना भारतीय पतन में प्रवेश करने या उसे छोड़ने पर रोक ।

190. (1) कोई भारतीय जलयान, जिसमें स्थोरा के रूप में भारी मात्रा में दो हजार टन से अधिक तेल फलक पर है, भारत में किसी पतन या स्थान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने या छोड़ने का प्रयास तब तक नहीं करेगा, जब तक उसके पास धारा 188 की उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र या धारा 189 के अधीन प्रतिगृहीत प्रमाण पत्र फलक पर न हों ।

(2) स्थोरा के रूप में भारी मात्रा में दो हजार टन से अधिक के तेल का वहन करने वाले भारतीय जलयान से भिन्न कोई पोत, चाहे वह कहीं भी रजिस्ट्रीकृत हो, भारत में किसी पतन या स्थान में प्रवेश तब तक नही करेगा या उसे तब तक नही छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने या उसे छोड़ने का प्रयास तब तक नहीं करेगा, जब तक उसके पास धारा 188 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए प्रमाण पत्र या धारा 189 के अधीन प्रतिगृहीत प्रमाण पत्र फलक पर न हों ।

(3) कोई उचित अधिकारी, किसी ऐसे पोत को, जिसका उपधारा (1) या उपधारा (2) लागू होती है, तब तक आंतरिक प्रवेश या बाह्य निकासी मंजूर नही करेगा, जब तक उसका मास्टर ऐसे पोत के संबंध में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

वितीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।

191. (1) प्रदूषण नुकसान के लिए पोत के स्वामी के दायित्व हेतु वितीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला कोई बीमाकर्ता या कोई व्यक्ति ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में किसी दावे के लिए सीधे ही दायी हो सकेगा, जो ऐसे बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधे लाया जा सकेगा ।

(2) बीमाकर्ता या वितीय सुरक्षा प्रदान करने वाला अन्य व्यक्ति, जिसके विरुद्ध सीधे दावा किया गया है, यद्यपि स्वामी धारा 181 के अधीन अपने दायित्व को सीमित करने का हकदार नही है, वह उक्त धारा में यथा विनिर्दिष्ट दायित्व की ऐसी सीमाओं का लाभ उठा सकता है ।

(3) वितीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला कोई बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति उन प्रतिवादों का (कंपनी की शोधन अक्षमता या परिसमापन से भिन्न) का स्वंय अतिरिक्त लाभ ले सकेगा, जिनका पोत का स्वामी अवलंब लेने का हकदार हुआ हो और ऐसा बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति स्वयं प्रतिवाद का लाभ ले सकेगा कि प्रदूषण नुकसान स्वंय स्वामी के जानबूझ कर किए गए अवचार के कारण हुआ है, किंतु प्रतिवादी किसी ऐसे अन्य प्रतिवाद का स्वयं लाभ नहीं उठा सकेगा, जिसका वह उसके विरुद्ध पोत के स्वामी द्वारा की गई कार्रवाइयों में अवलंब लेने का हकदार हुआ होता ।

(4) वितीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति को किसी भी दशा

में कार्रवाइयों में शामिल होने के लिए पोत के स्वामी से अपेक्षा करने का अधिकार होगा ।

(5) धारा 188 के अनुसार बनाए रखे गए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति द्वारा प्रदान की गई कोई राशि इस अध्याय के अधीन दावों की पुष्टि के लिए अनन्य रूप से उपलब्ध होगी ।

सिविल दायित्व अभिसमय के संविदाकारी पक्षकारों के न्यायालय के निर्णय की मान्यता ।

192. (1) सिविल दायित्व अभिसमय के अधीन संविदाकारी पक्षकार के सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई निर्णय, निम्नलिखित के सिवाय, भारत में मान्यताप्राप्त होगा,—

(क) कपट द्वारा प्राप्त किया गया निर्णय ; या

(ख) पोत का स्वामी या बीमाकर्ता या वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला व्यक्ति जो कार्यवाही का पक्षकार है, उसके मामले में उपस्थित होने के लिए या युक्तियुक्त सूचना या उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई निर्णय भारत में ऐसी प्रक्रिया जैसा विहित किया जाए, के अनुसार प्रवर्तनीय होगा :

परन्तु ऐसी प्रक्रिया, गुणागुण के आधार पर मामले का कथन पुनः आरंभ करने की अनुज्ञा नहीं देगी ।

परिसीमा अवधि ।

193. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिकर के अधिकार तब तक निर्वापित नहीं होंगे, जब तक कि,—

(क) प्रदूषण नुकसान होने के समय की तारीख से तीन वर्ष ; और

(ख) घटना की तारीख से, जिसके कारण नुकसान हुआ है, छह वर्ष,

की अवधि के भीतर प्रतिकर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है ।

(2) यदि घटना, घटनाओं की आवली से मिलकर बनी है, तो छह वर्ष की अवधि प्रथम घटना की तारीख से प्रारंभ होगी ।

सरकारी पोत ।

194. इस अध्याय की कोई बात, युद्ध पोत या वाणिज्य प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी राज्य की सरकार द्वारा तत्समय प्रयोग किए जा रहे किसी पोत को लागू नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

195. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टयां, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 182 की उपधारा (1) के अधीन परिसीमा निधि के गठन की समय-सीमा और रीति ;

(ख) धारा 183 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का समय और अन्य विशिष्टियां ;

(ग) धारा 183 की उपधारा (4) के अधीन तेल प्रदूषण की घटनाओं से उद्भूत दावों के लिए निधि की स्थापना और दावों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रक्रिया ;

(घ) धारा 188 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए थोक में ले जाए जाने वाले तेल का टनभार और दायित्व की प्रवेश सीमा ;

(ङ) धारा 188 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रारूप, विशिष्टियां और संदत्त की जाने वाली फीस ;

(च) धारा 192 की उपधारा (2) के अधीन निर्णय के प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया ;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना अपेक्षित है ।

अध्याय 4

बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व

इस अध्याय का लागू होना ।

196. यह अध्याय निम्नलिखित को लागू होता है,—

(क) प्रत्येक भारतीय जलयान से और भारतीय जलयान से भिन्न प्रत्येक पोत से बंकर तेल निकास या निस्सारण के कारण कारित प्रदूषण नुकसान जब वह,—

(i) भारत के राज्यक्षेत्र के, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागरखंड भी है ; या

(ii) भारत में किसी पत्तन या किसी स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर खंड आधार रेखा से दो सौ समुद्री मील से अधिक नही फैला हो ;

(ख) ऐसे प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए निवारक उपाय,

लेकिन यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू नही होता,—

(क) युद्धपोतों, नौसैनिक सहायक या अन्य जलयानों को जो सरकार के स्वामित्वाधीन हैं या उसके द्वारा प्रचालित किए जाते हैं और तत्समय केवल गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं ;

(ख) इस भाग के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट प्रदूषण नुकसान को ।

परिभाषाएं ।

197. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बंकर अभिसमय" से बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2001 अभिप्रेत है ;

(ख) "बंकर तेल" से किसी पोत के प्रचालन या नोदन के उपयोग के लिए उपयोग किए गए या किए जाने के लिए आशयित हाइड्रोकार्बन खनिज तेल, जिसके अंतर्गत स्नेहक तेल भी है और ऐसे तेल के कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) "घटना", "व्यक्ति", "प्रदूषण नुकसान" और "निवारक उपाय" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 176 के क्रमशः खंड (क), खंड (ग), खंड (घ), और खंड (ङ) में दिए गए हैं ;

(घ) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से पोत के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण के न होने पर, वह या वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो पोत का स्वामी है या हैं और किसी पोत का स्वामित्व राज्य के पास होने और उसका परिचालन ऐसी किसी कंपनी द्वारा, जो उस राज्य में पोत परिचालन के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, किए जाने की दशा में, "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत होगी ;

(ङ) "पोत" से, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, कोई समुद्रगामी जलयान और समुद्री क्राफ्ट अभिप्रेत है ;

(च) "पोत का स्वामी" से पोत के रजिस्ट्रीकृत स्वामी, अनावृत नौका चार्टर, प्रबंधक और आपरेटर सहित स्वामी अभिप्रेत है ।

198. (1) धारा 200 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय,— बंकर तेल प्रदूषण के लिए दायित्व ।

(क) जहां प्रदूषण नुकसान फलक पर बंकर तेल के निस्सारण या निकलने या किसी जलयान से ही निकलने के कारण होता हो, वहां पोत का स्वामी,—

(i) किसी प्रदूषण नुकसान ;

(ii) ऐसे किसी प्रदूषण नुकसान के, जो इस प्रकार कारित किया गया है या जिसके कारित किए जाने की संभावना है, निवारण या उसे कम करने के प्रयोजन के लिए किए गए किन्हीं युक्तियुक्त उपायों के खर्च के लिए ; और

(iii) जहां इस प्रकार किए गए ऐसे किन्हीं निवारक उपायों द्वारा कारित किसी नुकसान के लिए,

दायी होगा :

परंतु जहां किसी घटना में घटनाओं की आवलि अंतर्वलित है, जिसका उद्गम स्थल एक ही है, वहां दायित्व पोत स्वामी ऐसी घटनाओं में से प्रथम घटना से दायी होगा और जहां एक से अधिक व्यक्ति दायी हैं वहां दायित्व संयुक्ततः और पृथकतः होगा ;

(ख) जहां किसी पोत के बाहर नुकसान कारित किए जाने की घोर और आसन्न आशंका है, वहां पोत का स्वामी ऐसे किन्हीं उपायों के खर्च के लिए, जो ऐसे किसी नुकसान को रोकने या उसे कम करने के लिए युक्तियुक्त रूप से किए गए थे, दायी होगा ।

(2) जहां, ऐसी कोई घटना, जिसमें दो या अधिक पोत अंतर्वलित हों, होती हो जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान होता हो, वहां उस घटना में अंतर्वलित सभी जलयान, जब तक कि नुकसान युक्तियुक्त रूप से पृथक्करणीय न हो, ऐसे नुकसान के लिए संयुक्तः और पृथकतः दायी होंगे ।

199. (1) प्रदूषण के लिए कोई दायित्व किसी पोत के स्वामी द्वारा उपगत नहीं किया जाएगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा नुकसान,— दायित्व से छूट ।

(क) किसी युद्ध-कार्य, संघर्ष, गृह युद्ध, विप्लव या किसी आपवादिक, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य प्रकृति की प्राकृतिक घटना के कारण हुआ है ; या

(ख) पूर्णतः पोत के स्वामी के किसी कर्मचारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप के कारण हुआ था ;

(ग) पूर्णतः उस कार्य के करने में प्रकाश के रखरखाव या अन्य नौपरिवहन की सहायता के लिए जिम्मेदार कोई सरकार या अन्य प्राधिकारी की उपेक्षा या अन्य दोषपूर्ण कार्य द्वारा कारित हुआ था ।

(2) यदि पोत का स्वामी यह साबित कर देता है कि प्रदूषण नुकसान या जो पूर्णतः

या आगतः उस व्यक्ति द्वारा, जिसको नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान करने के आशय से किए गए किसी कार्य या कार्य लोप से या उस व्यक्ति की उपेक्षा के कारण हुआ है वहां उसे उस व्यक्ति के प्रति उसके दायित्व से, यथास्थिति, पूर्णतः या आगतः विमुक्त कर दिया जाएगा ।

दायित्व की परिसीमा के प्रति पोत के स्वामी का अधिकार ।

200. (1) पोत स्वामी और बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला व्यक्ति, इस भाग के अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार किसी एक या अधिक घटना के संबंध में इस अध्याय के अधीन अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार होगा ।

(2) पोत स्वामी अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि प्रदूषण नुकसान कारित करने वाली घटना उसके ऐसे वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप हुई है, जो ऐसा नुकसान कारित करने के आशय से या बिना सोचे विचारे और यह जानते हुए कि ऐसा नुकसान होने की अधिसंभावना है, कारित किया गया है ।

दायित्व की परिसीमा का अवधारण ।

201. किसी पोत के स्वामी, जो धारा 198 के अधीन ईंधन संग्रह घर तेल प्रदूषण के लिए किसी दायित्व के उपगत होने का अभिकथन किया गया है या उसका बीमाकर्ता वहां इस भाग के अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार वह अपने दायित्व की परिसीमा के अवधारण के लिए उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा ।

दावों का समेकन और रकम का वितरण ।

202. उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार पोत के ऐसे स्वामी के विरुद्ध जिसने धारा 201 के अधीन रकम जमा कराई है या उसके बीमाकर्ता के विरुद्ध सभी दावों का समेकन कर सकेगा और धारा 170 के उपबंधों के अनुसार दावाकर्ताओं के बीच रकम का वितरण कर सकेगा ।

दावों के अधिकार का निर्वापण ।

203. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा, यदि ऐसा दावा,—

(क) नुकसान होने की घटना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है : और

(ख) ऐसा दावा उस घटना की, जिससे ऐसा नुकसान कारित हुआ था, तारीख से छह वर्ष के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां ऐसी घटना में घटनाओं की श्रृंखला अंतर्वलित हो, वहां छह वर्ष की अवधि ऐसी प्रथम घटना की तारीख से आरंभ होगी ।

अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का बनाए रखना ।

204. ऐसा रजिस्ट्रीकृत पोत का स्वामी, जिसका सकल टनभार एक हजार से अधिक का है, इस अध्याय के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व के प्रयोजन के लिए, समुद्रीय दावा अभिसमय के लिए दायित्व के सीमा के अधीन, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी सीमा के अधीन रहते हुए अनिवार्य बीमा रक्षण या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखेगा ।

वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई ।

205. (1) प्रदूषण नुकसान के लिए स्वामी से दायित्व के लिए वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाला बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में किसी दावे के लिए पोत के स्वामी के साथ दायी भी हो सकेगा ।

(2) वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति, यदि पोत का स्वामी धारा 200 के अनुसार अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार नहीं है,

दायित्व की ऐसी परिसीमाओं का, जो विहित की जाए, स्वयं लाभ ले सकेगा ।

(3) प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर संबंधी किसी दावे को प्रत्यक्ष रूप से रजिस्ट्रीकृत पोत के स्वामी के प्रदूषण नुकसान संबंधी दायित्व के लिए वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य के विरुद्ध लाया जा सकेगा और ऐसे किसी मामले में बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति उन प्रतिवादों का (जो कंपनी की शोधन क्षमता या उसके परिसमापन से भिन्न हो) अवलंब ले सकेगा, जिनका पोत स्वामी अवलंब लेने का, जिसके अंतर्गत धारा 200 के अधीन दायित्व की परिसीमा भी हैं, हकदार हुआ होता :

परंतु बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति परिवाद का अवलंब ले सकेगा कि प्रदूषण नुकसान पोत स्वामी के जानबूझकर किए गए अवचार के परिणामस्वरूप हुआ है, परंतु ऐसे किसी प्रतिवाद का अवलंब नहीं लेगा, जिसका ऐसा बीमाकर्ता या व्यक्ति ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति के विरुद्ध पोत स्वामी द्वारा की गई कार्रवाई में अवलंब लेने का हकदार हुआ होता :

परंतु यह और कि बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति पोत स्वामी को ऐसी कार्रवाइयों का पक्षकार बना सकता है ।

प्रमाणपत्र प्रदान करना ।

206. (1) ऐसे प्रत्येक पोत के संबंध में जो बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखता है, ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियों से युक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के संदाय पर, एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदान किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र को उसके अवसान पर ऐसी रीति से और ऐसी फीस का संदाय करने पर नवीकृत किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

अनापत्ति के बिना पतन में प्रविष्ट होने या उसे छोड़ने पर रोक ।

207. (1) कोई भी पोत ऐसे किसी पतन या स्थान में, जिसको यह अध्याय लागू होता है, प्रवेश तब तक नहीं करेगा या उसे तब तक नहीं छोड़ेगा या उसमें प्रवेश करने का प्रयास या उसे छोड़ने का प्रयत्न तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास फलक पर धारा 206 के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र न हो ।

(2) भारत के बाहर किसी देश में के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस देश में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत को प्रदान किया गया कोई प्रमाणपत्र या ऐसे किसी राज्य में के, जो बंकर अभिसमय का एक संविदाकारी पक्षकार है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पोत को, वह जहां कही भी रजिस्ट्रीकृत हो, प्रदान किया गया प्रमाणपत्र भारत में किसी पतन या स्थान पर उसी प्रकार स्वीकार किया जाएगा मानो कि वह इस अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया है ।

(3) कोई भी पतन अधिकारी, ऐसे किसी पोत जिसमें उपधारा (1) या उपधारा (2) लागू होती है, के भीतर प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं देगा जब तक पोत का मास्टर ऐसे पोत के संबंध में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

अवलंबन का अधिकार ।

208. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात, पोत स्वामी के अवलंबन के ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जो उसे अपने दायित्व के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हैं ।

बंकर अभिसमय के संविदाकारी पक्षकारों की न्यायालय के निर्णय की मान्यता ।

209. (1) किसी बंकर अभिसमय के अधीन संविदाकारी पक्षकार के सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया विनिश्चय भारत में वहां के सिवाय मान्य होगा, जहां,—

(क) निर्णय कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो ; या

(ख) पोत स्वामी या वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले ऐसे बीमाकर्ता या

व्यक्ति को, जो उन कार्यवाहियों में एक पक्षकार है, अपना पक्ष प्रस्तुत करने की युक्तियुक्त सूचना और उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई निर्णय भारत में ऐसी प्रक्रिया, जैसा विहित किया जाए, के अनुसार प्रवर्तनीय होगा :

परंतु ऐसी प्रक्रिया मामले के गुणागुण के आधार पर उसे पुनः आरंभ किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

210. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित ऐसे सभी विषयों या उनमें से किन्हीं के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 205 की उपधारा (2) के अधीन वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति के दायित्व की परिसीमाएं ;

(ख) प्रमाणपत्र का प्ररूप, ऐसी विशिष्टियां, शर्तें और फीस जो धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए हों ;

(ग) धारा 206 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और उसके लिए फीस ;

(घ) धारा 209 की उपधारा (2) के अधीन निर्णय को प्रवर्तित कराने के लिए प्रक्रिया ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना अपेक्षित है ।

अध्याय 5

अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि

इस अध्याय का लागू होना ।

211. यह अध्याय तटीय जल सहित भारत के राज्यक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण नुकसान पर, जो आधार रेखा से दो सौ समुद्री मील से अधिक नहीं फैला है और जहां कहीं भी ऐसे नुकसान को रोकने या कम करने के लिए, निवारक उपाय किए गए हैं, पर लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

212. (1) इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सहयुक्त व्यक्ति" में कोई सहायक या सामान्य रूप से नियंत्रित कोई इकाई या ऐसा व्यक्ति, जो विहित किया जाए, शामिल है ;

(ख) "अभिदायी तेल" से कच्चा तेल और ईंधन तेल अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कच्चे तेल" से भूमि में प्राकृतिक रूप से होने वाला कोई तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण अभिप्रेत है, चाहे उसे परिवहन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारित किया गया हो या नहीं, इसके अंतर्गत ऐसा कच्चा तेल भी सम्मिलित है, जिससे कतिपय आसवन टुकडों को हटाया गया है (जिन्हें कभी-

कभी इसमें ऊपरी सतह का कच्चा तेल कहा गया है) या जिसमें कुछ आसवन टुकडो को मिलाया गया है (जिन्हें कभी-कभी इसमें "कीलदार" या "पुनर्गठित" कच्चा तेल कहा गया है) ;

(ii) "ईंधन तेल" से भारी आसवन या ईंधन तेल से अवशेष या के लिए "संख्या चार ईंधन तेल (नामनिर्दिष्ट डी 396-69) के लिए परीक्षण और सामग्री विनिर्देश अमरीका सोसाइटी" के समतुल्य क्वालिटी की ऊष्मा या शक्ति के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग के लिए आशयित ऐसी सामग्रियों के मिश्रण से भारी आसवक या अवशिष्ट या अधिक भारी आसवक या अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) "निधि" से निधि अभिसमय के अनुच्छेद 2 के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि, 1992 प्रोटोकाल सहित, यदि कोई हो, जिसमें भारत एक पक्षकार है, अभिप्रेत है ;

(घ) "निधि अभिसमय" से तेल प्रदूषण नुकसान संबंधी प्रतिकर के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि की स्थापना पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1992, प्रोटोकॉल, यदि कोई हो, शामिल है, जिसमें भारत पक्षकार है, अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रत्याभूति-दाता" से स्वामी के दायित्व को आच्छादित करने के लिए बीमा या अन्य वितीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) तेल के संबंध में, "टन" से मिट्रीक टन अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हुए हैं, और परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो सिविल दायित्व अभिसमय में क्रमश: उनके हैं ।

निधि में अभिदाय ।

213. (1) भारत में पत्तनों या सीमांत प्रतिष्ठानों में समुद्री मार्ग द्वारा वहन किए गए अभिदायी तेल के संबंध में निधि में सभी अभिदाय निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अनुसार संदेय होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे,—

(क) चाहे अभिदायी तेल आयात किया जाता है या नहीं ; और

(ख) इसके होते हुए भी कि किसी पूर्व समुद्री यात्रा पर उसी अभिदायी तेल के वहन के संबंध में अभिदाय निधि में संदेय है ।

(3) निधि में अभिदायों का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति,—

(क) अभिदायी तेल के मामले में जिसे भारत में आयात किया जा रहा है, आयातकर्ता होगा ; और

(ख) किसी अन्य मामले में व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके द्वारा तेल भारत में प्राप्त किया जाता है ।

(4) कोई व्यक्ति किसी वर्ष में उसके द्वारा आयातित या प्राप्त अभिदायी तेल के संबंध में निधि में अभिदाय संदाय करने का दायी नहीं होगा यदि वर्ष में इसके या किसी सहयुक्त व्यक्ति द्वारा इस प्रकार आयतित या प्राप्त अभिदायी तेल की संकलित मात्रा एक लाख पचास हजार टन से अधिक नहीं है या जैसा निधि अभिसमय में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सेवांत प्रतिष्ठापन" पद से थोक में तेल के भंडारण के लिए कोई भी साइट, जो जलजनित परिवहन से तेल प्राप्त करने में सक्षम है, जिसमें तट में स्थित और ऐसी साइट से जुड़ी कोई प्रसुविधा शामिल है, अभिप्रेत है ।

निधि में व्यक्तियों द्वारा संदेय अभिदाय ।

214. (1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी वर्ष के लिए निधि में संदेय अभिदाय,—

(क) ऐसी रकम होगी, जो निधि अभिसमय के अनुच्छेद 12 के अधीन अवधारित की जाए ;

(ख) ऐसी किस्त में होगा, जो ऐसी तारीख में देय होती है,

जो निधि अभिसमय के अधीन अधिसूचित की जा सके और कोई देय रकम, निधि अभिसमय के अनुच्छेद 13 के अधीन अवधारित दर पर न्याय के साथ देय होगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उन व्यक्तियों से, जो इस अध्याय के अधीन निधि में अभिदायों का संदाय करने के लिए दायी हैं या दायी हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार या निधि में अभिदायों के संदायों के लिए वित्तीय प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी ।

निधि का दायित्व ।

215. (1) जहां प्रदूषण नुकसान से ग्रस्त कोई व्यक्ति, सिविल दायित्व अभिसमय के अधीन नुकसान के लिए पूर्ण और पर्याप्त प्रतिकर अभिप्राप्त करने में असमर्थ है, वहां निधि ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगी, यदि,—

(क) सिविल दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन नुकसान के लिए कोई दायित्व उद्भूत नहीं होता है ; या

(ख) सिविल दायित्व अभिसमय के उपबंधो के अधीन नुकसान के लिए उत्तरदायी पोत के स्वामी जो वित्तीय रूप से अपने पूरे दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है और उस अभिसमय के अधीन प्रदान की जाने वाली कोई भी वित्तीय सुरक्षा किसी नुकसान के लिए प्रतिकर के लिए दावों को कवर नहीं करती है या अपर्याप्त है और नुकसान से पीड़ित व्यक्ति अपने लिए प्राप्त उपलब्ध विधिक उपचारों के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाएगा ; या

(ग) नुकसान, सिविल दायित्व अभिसमय के अधीन पोत के स्वामी के दायित्व से अधिक है ।

(2) प्रदूषण नुकसान को रोकने के लिए या कम करने के लिए पोत के स्वामी द्वारा स्वेच्छया उपगत खर्चे या किए गए त्याग इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रदूषण नुकसान के रूप में माने जाएंगे ।

(3) निधि उपधारा (1) के अधीन कोई बाध्यता उपगत नहीं करेगी, यदि,—

(क) वह यह साबित कर देती है कि प्रदूषण नुकसान युद्धकार्य, संघर्ष, गृह युद्ध या विप्लव के परिणामस्वरूप हुआ था या ऐसे तेल द्वारा कारित हुआ था, जो राज्य के स्वामित्वाधीन युद्धपोत या अन्य पोत या उसके द्वारा प्रचालित पोत से निकला है या निस्सारित किया हुआ है और जिसे सरकारी गैर वाणिज्यिक सेवा में भी घटना के समय प्रयोग में लाया गया है ; या

(ख) दावाकर्ता यह साबित करने में असफल हो जाता है कि घटना के परिणामस्वरूप हुए नुकसान में एक या अधिक पोत अंतर्वलित है ।

(4) यदि निधि यह साबित कर देती है कि प्रदूषण नुकसान ऐसे वैयक्तिक कार्य या कार्य लोप के परिणामस्वरूप पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी व्यक्ति द्वारा जिसने नुकसान उठाया है, नुकसान कारित करने के आशय से हुई है या उस व्यक्ति की उपेक्षा से हुई है तो निधि ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए अपनी बाध्यता से पूर्णतः या आंशिक रूप से विमुक्त कर सकेगी ।

(5) निधि किसी भी दशा में, (निवारक उपायों के संबंध में के सिवाय), उस विस्तार तक विमुक्त की जाएगी कि पोत स्वामी को सिविल दायित्व अभिसमय के उपबंधो के अधीन विमुक्त कर दिया गया हो ।

निधि के दायित्व की परिसीमा ।

216. (1) धारा 215 के अधीन निधियों का दायित्व निधि अभिसमय के अनुच्छेद 4 में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन होगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए दावा संस्थित होने पर, उच्च न्यायालय निधि को नोटिस जारी करेगा और ऐसी निधि कार्यवाही में भाग लेने की हकदार होगी ।

(3) उच्च न्यायालय द्वारा निधि के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं करेगा, जब तक कि निधि उच्च न्यायालय को अधिसूचित न कर दे कि दावे की रकम,—

(क) कम नही किया जा सकेगा ; या

(ख) एक विनिर्दिष्ट रकम तक कम किया जा सकेगा और निधि का दायित्व केवल कम की गई रकम पर प्रवर्तनीय होगी ।

(4) रकम, जिसके लिए निधि इस अध्याय के अधीन उत्तरदायी है, रुपए में संदत की जाएगी और ऐसी रकम को विशेष आहरण अधिकार से रुपए में परिवर्तित करने का ढंग और रीति ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाए ।

सूचना की मांग करने की शक्ति ।

217. (1) केन्द्रीय सरकार उन व्यक्तियों के, जो इस अध्याय के अधीन प्रत्येक वर्ष निधि में अभिदाय करने के दायी हैं, के नाम और पते निधि में पारेषित करने के प्रयोजन के लिए और उस अभिदायी तेल की मात्रा, जिसके संबंध में वे दायी हैं, सूचना द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी सूचना, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) धारा 214 के अधीन देय किसी निधि के अभिदाय को वसूल करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि द्वारा कार्रवाइयों में, निधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारेषित किसी सूची में अंतर्विष्ट विशिष्टयां, जहां तक वे विशिष्टयां इस धारा के अधीन अभिप्राप्त सूचना पर आधारित है, उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी; और जहां तक ऐसी विशिष्टियां, जो ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां की जाती हैं, द्वारा की गई जानकारी के आधार पर इस प्रकार ग्राह्य हैं, तो वे तत्प्रतिकूल साबित कर दिए जाने तक सही मानी जाएंगी ।

(3) कोई व्यक्ति, ऐसी किसी सूचना का प्रकटीकरण नहीं करेगा, जिसे इस धारा के अधीन उसके द्वारा तब तक प्रस्तुत या अभिप्राप्त नहीं किया गया था, जब तक कि प्रकटीकरण,—

(क) ऐसे व्यक्ति, जिससे सूचना अभिप्राप्त की गई थी, की सहमति से किया जाता है;

(ख) इस धारा के अनुपालन के संबंध में किया जाता है ;

(ग) इस धारा के कारण या ऐसी कार्यवाहियों की किसी रिपोर्ट के कारण उद्भूत होने वाली किन्हीं विधिक प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

(4) कोई व्यक्ति, जो,—

(क) इस धारा के अधीन सूचना का अनुपालन करने से इंकार करता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है ; या

(ख) इस धारा के अधीन सूचना के अनुपालन में कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय ऐसा कोई कथन करता है जिसकी उसे तात्विक विशिष्टि के रूप में मिथ्या होने की जानकारी है या बिना सोच विचार के ऐसा कोई कथन करता है जो तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है,

इस अधिनियम के अधीन शास्ति से दंडनीय होगा ।

निधि के विरुद्ध दावे और न्यायालयों की अधिकारिता ।

218. (1) इस अध्याय के अधीन प्रतिकर के लिए निधि के विरुद्ध कोई दावा उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा ।

(2) निधि को पोत का स्वामी या उसके प्रत्याभूति-दाता के विरुद्ध उच्च न्यायालय में संस्थित किन्हीं विदिक कार्यवाहियों के एक पक्षकार के रूप में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां कार्रवाइयों की सूचना उच्च न्यायालय द्वारा निधि को दे दी गई है वहां कार्रवाइयों में दिया गया कोई निर्णय उसके अंतिम और प्रवर्तनीय हो जाने पर, इस आशय के लिए कि निर्णय में तथ्य और साक्ष्य निधि द्वारा इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं हो सकेंगे, कि उसने कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं किया है, निधि पर आबद्ध कर होगा ।

दावों का निर्वापण ।

219. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन निधि के विरुद्ध दावे को प्रवृत करने की कोई कार्रवाई किसी उच्च न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि,—

(क) प्रवृत करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं कर दी जाती हैं ; या

(ख) प्रदूषण नुकसान के संबंध में पोत के स्वामी या उसके प्रत्याभूति-दाता के विरुद्ध कोई दावा प्रवृत करने की कार्रवाई की सूचना नुकसान के होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर निधि को नहीं दे दी जाती है ।

प्रत्यासन और अवलंब का अधिकार ।

220. भारत में लोक प्राधिकारी द्वारा या निधि में प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप निधि द्वारा संदत किसी राशि के संबंध में वह प्राधिकार या निधि किन्हीं ऐसे अधिकारों को, जिन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस प्रकार प्रतिकर दिया गया है, निधि अभिसमय के अधीन प्रयोग किया गया हो, प्रत्यासन द्वारा अर्जित किया जाएगा ।

अतिरिक्त दावे के लिए निधि स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

221. केन्द्रीय सरकार, इस भाग के अधीन देय रकम से अधिक प्रदूषण क्षति के लिए निधि स्थापित कर सकती है और निधि का स्रोत तथा ऐसी निधि से प्रतिकर के संवितरण की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।

नियम बनाने की शक्ति ।

222. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 212 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सहायक या सामान रूप से नियंत्रित इकाई या व्यक्ति ;

(ख) धारा 216 की उपधारा (4) के अधीन रुपयों के विशेष आहरण अधिकारों से संपरिवर्तन का ढंग और रीति ;

(ग) धारा 221 के अधीन स्थापित निधि से प्रतिकर के संवितरण की रीति और निधि का स्रोत ;

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना अपेक्षित है ।

भाग 10

समुद्री घटना और आपातकालीन प्रतिक्रिया

इस भाग का लागू होना ।

223. यह भाग सीधे तौर पर होने वाली समुद्री घटनाओं या निम्न प्रचालनों के साथ संबंधित होने पर लागू होगा,—

(क) भारतीय जलयान ; और

(ख) भारतीय जलयानों से अन्यथा जलयान, जो पतन, या अपतट टर्मिनल या भारत के किसी स्थान या अपने तटीय जल के भीतर प्रवेश करता है ।

परिभाषाएं ।

224. इस भाग में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुद्री घटना" से ऐसी घटना या घटनाओं का क्रम सीधे जलयान के प्रचालन के साथ संबंध में घटित होना जो खतरनाक है, या, यदि सही नही किया जाता है, तो वह जलयान की सुरक्षा, उसमें रहने वाले या कोई अन्य व्यक्ति या पर्यावरण और जिसमें समुद्री उल्लंघन शामिल है, समुद्री आपात, समुद्री आपदा, चक्रवात, तूफान या अन्य प्रतिकूल मौसम की घटनाएं बहुत गंभीर समुद्री दुर्घटनाएं और ऐसी अन्य घटना या घटनाओं का क्रम जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है ;

(ख) "समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया" से समुद्री घटना के जवाब में जलयान यात्रियों, समुद्र यात्रा वृतिकों, कार्गो और समुद्री पर्यावरण को कम करने नियंत्रित करने और राहत को बहाल करने और ऐसी समुद्री घटना के विरुद्ध अनुतोष प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करने के लिए की गई त्वरित कार्यवाही अभिप्रेत है ।

समुद्री घटनाओं के लिए नोडल प्राधिकारी की नियुक्ति ।

225. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक नोडल प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जो समुद्री घटनाओं और संबंधित समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करेंगे :

(2) नोडल प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

प्राथमिक प्रतिक्रिया पक्ष ।

226. (1) पोत का स्वामी या मालिक, संबंधित जलयान के समुद्र यात्रा वृतिक और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके, समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया में शामिल होने के लिए प्राथमिक प्रतिक्रिया पक्ष जिम्मेदार होगा ।

(2) प्राथमिक प्रतिक्रिया पक्षकार, समुद्री घटनाओं से संबंधित वर्ग के लिए संबंधित नोडल प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी निदेशों, सलाहों या निर्देशों का पालन करेगा ।

प्रतिक्रिया क्रियाविधि के लिए प्रतिक्रिया और योजना ।

227. केन्द्रीय सरकार, समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए समुद्री घटनाओं और प्रक्रियाओं को रोकने के लिए योजना अधिसूचित करेगी ।

नोडल प्राधिकारी की शक्ति ।

228. (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नोडल प्राधिकारी के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधीन प्रशासनिक निकायों को इस भाग में प्रयोजनों के अनुरूप लिखित रूप में निदेश जारी करना विधिपूर्ण होगा ।

(2) नोडल प्राधिकारी, इस भाग के प्रयोजनों के लिए सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय की सेवाओं से अपेक्षा कर सकेगा और यह ऐसे प्रत्येक अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अपेक्षा के पालन करने का कर्तव्य होगा ।

(3) नोडल प्राधिकारी, इस भाग के प्रयोजनों के लिए सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अन्य कार्यालयों या संगठनों के किसी कार्यालय के पास उपलब्ध संसाधनों और प्रदूषण निवारण उपस्करों की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे कार्यालयों या संगठनों को ऐसी अपेक्षा के पालन करने का कर्तव्य होगा ।

(4) वे परिस्थितियां, जिनमें नोडल प्राधिकारी किसी समुद्री घटना पर आपातकालीन प्रतिक्रिया करेगा, ऐसी होगी, जो विहित की जाएं ।

अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का अनुरक्षण ।

229. भारतीय जलयान का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी या कोई अन्य जलयान जो पत्तन शिपयार्ड या तटीय टर्मिनल या भारत के किसी स्थान या तटीय जल में प्रवेश करता है इस भाग के अधीन अपने दायित्व को कवर करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति, जैसा विहित किया जाए, बनाए रखेगा और ऐसी अपेक्षा के अनुपालन को दर्शाने वाला एक प्रमाणपत्र या दस्तावेज बोर्ड को रखना होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

230. (1) केन्द्रीय सरकार, इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे परिस्थितियां, जिनमें नोडल प्राधिकारी धारा 228 की उपधारा (4) के अधीन किसी समुद्री घटना पर समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया करेगा ;

(ख) धारा 229 के अधीन पर्याप्त बीमा कवरेज या अन्य वित्तीय सुरक्षा ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना अपेक्षित है ।

भाग 11

सामुद्रिक दुर्घटना पर अन्वेषण और जांच

सामुद्रिक दुर्घटनाएं और उनकी रिपोर्ट ।

231. (1) इस भाग के अधीन अन्वेषण और जांचों के प्रयोजनों के लिए, सामुद्रिक दुर्घटना घटना या घटनाओं का अनुक्रम, जो निम्नलिखित में से किसी के कारण हुई हैं और भारतीय जलयान तथा किसी अन्य जलयान की संक्रियाओं या उनके संबंध में

प्रत्यक्षत: तब हुई समझी जाएंगी जब,—

(क) भारत के तट पर या उसके निकट कोई जलयान खो जाता है, परित्यकत कर दिया जाता है, उत्कूलित हो जाता है या तात्विक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है ;

(ख) भारत के तट पर या उसके निकट कोई जलयान किसी अन्य जलयान या किसी बाह्य अवसंरचना को हानि या तात्विक रूप से नुकसान पहुंचाता है ;

(ग) भारत के तट या उसके तटीय जल पर या उसके निकट किसी जलयान को, उसके फलक पर किसी दुर्घटना के कारण या अन्यथा जीवन की कोई हानि हो जाती है या जीवन की हानि हुई मानी जाती है ;

(घ) किसी स्थान में किसी भारतीय जलयान को या उसके फलक पर कोई ऐसी हानि परित्यजन, उत्कूलन, तात्विक रूप से हुए नुकसान या दुर्घटना हो जाती है और भारत में उसका कोई सक्षम साक्षी उपलब्ध है ;

(ङ) कोई भारतीय जलयान खो जाता है या उसके बारे में यह माना जाता है कि वह खो गया है और उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें पोत समुद्री यात्रा पर अग्रसर हुआ था या उसके बारे में अंतिम बार सुना गया था भारत में कोई साक्ष्य उपलब्ध है ;

(च) तटीय जल के भीतर किसी स्थान पर प्रदूषण या पर्यावरण के लिए जलयान को ऐसे प्रदूषण की संभाव्य आशंका या पर्यावरण के लिए भारी नुकसान या पर्यावरण को भारी नुकसान की संभावना होती है ।

(छ) जब ऐसा जलयान भारत के तट पर या उसके निकट है तब विश्व में कहीं भी किसी भारतीय जलयान में आग लग जाती है या उसमें विस्फोट हो जाता है या भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान में आग लग जाती है या उसमें विस्फोट हो जाता है ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित मामलों में पोत का स्वामी प्रबंधक, प्रचालक, कंपनी, पायलट, बंदरगाह-मास्टर या जलयान का भारसाधक अन्य व्यक्ति, या सामुद्रिक दुर्घटना के समय प्रत्येक जलयान का भारसाधक जहां दो जलयान संबंधित हैं, घटना के चौबीस घंटों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त अधिकारी को सामुद्रिक दुर्घटना की सूचना देगा ।

(3) जब कभी कोई ऐसा अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सामुद्रिक दुर्घटना की सूचना प्राप्त करता है तो वह तुरंत केन्द्रीय सरकार को लिखित में सूचित करेगा और सामुद्रिक दुर्घटना में प्रारंभिक जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

(4) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी प्रारंभिक जांच के पूर्ण होने पर केंद्रीय सरकार या अन्य प्राधिकरण जो इस निमित नियुक्त किया गया हो, रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुरक्षा अभिसमय के अनुसार समुद्री सुरक्षा अन्वेषण संचालित करने के लिए निकाय नियुक्त कर सकेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त निकाय, सामुद्रिक दुर्घटना का आरंभिक निर्धारण करेगा और ऐसी सामुद्रिक दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के

लिए समुद्री सुरक्षा अन्वेषण संचालित करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस भाग के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" का वही अर्थ होगा जो धारा 115 के खंड (क) में उसका है ।

केन्द्रीय सरकार की कार्यवाहियां आरंभ करने की शक्ति ।

232. धारा 231 की उपधारा (6) के अधीन समुद्री सुरक्षा अन्वेषण रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर, या यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति के भाग पर की गई अक्षमता, किया गया अवचार या तत्समय प्रवृत किसी विधि का उल्लंघन विद्यमान है, तो वह,—

(क) प्रशासनिक कार्रवाई आरंभ कर सकेगी ; और

(ख) ऐसे अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को, जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों पर, अधिकारिता रखता है किसी विधि के उपबंध के अनुसार अपेक्षित हो, को निदेश दे सकेगी ।

भाग 12

ध्वंसावशेष और उद्धारण

अध्याय 1

ध्वंसावशेष

इस अध्याय का लागू होना ।

233. यह अध्याय भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अवस्थित ध्वंस्तावशेष को लागू होगा, जिसके अंतर्गत तटीय जल भी है किंतु निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगा,—

(क) तेल प्रदूषण दुर्घटनाओं के मामलों में खुले समुद्र पर मध्यक्षेप से संबंधित अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1969 के अधीन किए गए उपाय;

(ख) वाणिज्येतर सेवा के लिए सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा परिचालित कोई युद्धपोत या अन्य जलयान ।

परिभाषाएं ।

234. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "अभिसमय" से ध्वंसावशेष हटाने नैरोबी अभिसमय 2007 अभिप्रेत है ;

(ग) "परिसंकट" से ऐसी कोई दशा या आशंका अभिप्रेत है—

(i) जिससे नौपरिवहन के लिए खतरा या अड़चन पैदा होती है ; या

(ii) जिसके परिणामस्वरूप युक्तियुक्त रूप से भारत के या किसी अन्य राष्ट्र के सामुद्रिक पर्यावरण के भारी अपहानिकर परिणाम सामने आने, उसके तटीय रेखा या संबंधित हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "संबंधित हित" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) सामुद्रिक तटीय, पत्तन और सागर संगमीय क्रियाकलाप, जिनके अंतर्गत मत्स्य क्रियाकलाप भी हैं, जो संबंधित व्यक्तियों की जीविका के आवश्यक साधन के रूप में हैं ;

(ii) संबंधित क्षेत्रों के पर्यटन आकर्षण और अन्य आर्थिक हित ;

(iii) तटीय जनसंख्या का स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्र की भलाई जिसके अंतर्गत समुद्री जीवन स्रोत और वन्य जीवन का संरक्षण भी है ; और

(iv) अपतटीय और जल के नीचे की अवसंरचना ;

(घ) "सामुद्रिक दुर्घटना" से पोतों की कोई टक्कर, नौपरिवहन का उत्कूलन या अन्य घटना अथवा पोत के फलक पर या उसके बाहर अन्य घटना अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी पोत या उसके स्थोरा को तात्विक नुकसान होता है या तात्विक नुकसान होने की आसन्न आशंका उद्भूत होती है ;

(ङ) "पोत के परिचालक" से पोत का स्वामी या ऐसा कोई अन्य संगठन या व्यक्ति, जिसके अंतर्गत प्रबंधक या अनावृत नौका चार्टर भी अभिप्रेत है जिसने पोत के परिचालन का उत्तरदायित्व पोत के स्वामी से लिया है और जिसने ऐसा उत्तरदायित्व लेने पर, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंध संहिता के अधीन प्रतिस्थापित सभी कर्तव्यों को करने और उत्तरदायित्वों को निभाने का करार किया है ;

(च) "ध्वंसावशेष का प्रापक" से धारा 235 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से,—

(i) पोत के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकरण न होने की दशा में सामुद्रिक दुर्घटना के समय पोत का स्वामित्व रखने वाला या वाले व्यक्ति अभिप्रेत हैं :

(ii) किसी देश द्वारा स्वामित्व और कंपनी द्वारा प्रचालित किसी पोत की दशा में, जो उस देश में पोत के परिचालक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ज) "हटाए जाने" से किसी ध्वंसावशेष से पैदा हुए परिसंकट के निवारण, शमन या विलोपन का कोई रूप अभिप्रेत है और "हटाना", "हटाया गया" और "हटाया जाना" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(झ) "पोत" से किसी भी प्रकार का कोई भी समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत हाइड्रोफोइल नौकाएं, एयरकुशन यान, निमज्जक, तरुण-यान या तरुण प्लेटफार्म भी हैं, सिवाय उस दशा के जब ऐसे प्लेटफार्म समुद्रतल खनिज संपदा की खोज, विदोहन या उत्पादन में लगे अवस्थान पर हों ।

ध्वंसावशेष के प्रापक ।

235. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ध्वंसावशेष को प्राप्त करने और उस पर कब्जा लेने तथा उससे संबंधित ऐसे कर्तव्यों का ऐसी स्थानीय सीमा के भीतर, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, पालन करने के लिए, इस अध्याय के अधीन ध्वंसावशेष के प्रापक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

(2) ध्वंसावशेष का प्रापक के कर्तव्य में ध्वंसावशेष के निपटान या विक्रय, सूचनाएं देना, पोत के स्वामी, प्रचालक या पोत के बीमाकर्ता द्वारा बाध्यताओं के पालन को प्रवृत्त करना सम्मिलित है, तथा ऐसी कार्रवाई करेगा जो अति व्यावहारिक, और उपलब्ध त्वरित साधनों द्वारा और जो सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षा की बातों से संगत हो, ध्वंसावशेष को हटाने के लिए अपेक्षित है ।

ध्वंसावशेषों की रिपोर्ट देने का कर्तव्य ।

236. (1) जब कोई भारतीय जलयान या भारतीय जलयान से भिन्न कोई पोत किसी सामुद्रिक दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसको यह अध्याय लागू होता है, कोई ध्वंस होता है तो पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट महानिदेशक और सामुद्रिक बचाव समन्वय केन्द्र या भारतीय तटरक्षक के सामुद्रिक बचाव उप केन्द्र को देगी ।

(2) जब कोई भारतीय जलयान किसी सामुद्रिक दुर्घटना से ग्रस्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी देश के अभिसमय क्षेत्र में कोई ध्वंस हो जाता है तो उस पोत का मास्टर और परिचालक उस घटना की रिपोर्ट प्रभावित राज्य को ऐसी रीति से, जैसी उस देश द्वारा अपेक्षित है, अविलंब देगा और उस घटना की रिपोर्ट महानिदेशक और सामुद्रिक बचाव समन्वय केन्द्र या भारतीय तटरक्षक के सामुद्रिक बचाव उप केन्द्र को भी देगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) "प्रभावित देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसमें अभिसमय क्षेत्र में ध्वंस स्थित है ।

(ii) "अभिसमय क्षेत्र" से अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार स्थापित किसी राज्य का अनन्य रूप से आर्थिक क्षेत्र अभिप्रेत है, या यदि किसी देश ने किसी ऐसे क्षेत्र को स्थापित नही किया है तो अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार उस देश द्वारा अवधारित उस देश की समुद्री क्षेत्राधिकारिता से परे और उससे संलग्न क्षेत्र और उस आधार रेखा, जिससे इसकी समुद्री क्षेत्राधिकारिता की चौड़ाई मापी गई है, से दो सौ नॉटिकल मील से अनधिक निस्तारित क्षेत्र ।

परिसंकट का अवधारण ।

237. केंद्रीय सरकार यह अवधारण करेगी कि क्या कोई ध्वसांवशेष परिसंकट प्रस्तुत करता है अथवा नहीं, निम्नलिखित मानदंड अपनाया जाएगा, अर्थात् :—

(क) ध्वसांवशेष की किस्म, आकार और संरचना ;

(ख) क्षेत्र में जल की गहराई ;

(ग) क्षेत्र में ज्वारीय रेंज और प्रवाह ;

(घ) संरक्षित क्षेत्रों, जिनके अंतर्गत मूंगा चट्टानें और केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अन्य क्षेत्र भी हैं, से निकटता ;

(ङ) अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अभिहित और पहचान किए गए, यथा उपयुक्त संवेदनशील समुद्रीक्षेत्र या ऐसे किसी अनन्य आर्थिक जोन में स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र जहां समुद्री विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1982 की अपेक्षाओं के अनुसार विशेष आज्ञापक उपायों को अंगीकृत किया गया है ;

(च) पोत परिवहन मार्गों या स्थापित यातायात पथों से निकटता ;

(छ) यातायात घनत्व और प्रायिकता ;

(ज) यातायात की किस्म ;

(झ) ध्वसांवशेष के पोत भार की प्रकृति और परिमाण, ध्वसांवशेष के फलक पर तेल (जैसे कि बंकर तेल और स्नेहक तेल) का परिमाण और किस्म और विशेष रूप से ऐसा संभावित नुकसान, जो यदि पोत भार या तेल को समुद्री पर्यावरण में

छोड़ दिया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप कारित हो सकता है ;

(ञ) पत्तन और पतन प्रसुविधाओं की भेद्यता ;

(ट) विद्यमान मौसम विज्ञान संबंधी और जलराशि संबंधी परिस्थितियां ;

(ठ) क्षेत्र की अंत:समुद्री स्थलाकृति ;

(ड) निम्नतम खगोलीय ज्वार के समय जल की सतह से ऊपर या नीचे ध्वंसावशेष की ऊंचाई ;

(ढ) ध्वंसावशेष के ध्वनिक और चुंबकीय प्रोफाइल ;

(ण) अपतटीय प्रतिष्ठापनों, पाइपलाइनों, दूरसंचार तारों और समान प्रकार की संरचनाओं से निकटता ;

(त) पर्यटन स्थलों और विरासत अवस्थानों से निकटता ; और

(थ) ऐसे कोई मानदंड जो विहित किए जाएं ।

ध्वंसावशेष के स्थान का पता लगाना और उसे चिन्हित करना ।

238. (1) जहां किसी ध्वंसावशेष को परिसंकटमय के रूप में अवधारित है, वहां ऐसे पोत के स्वामी या प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसकी स्वयं की लागत पर तुरंत ध्वंसावशेष को चिन्हित करे ; और

(ख) ऐसे चिन्हांकन को तब तक बनाए रखे जब तक कि ध्वंसावशेष को हटा नहीं दिया जाता ।

(2) पोत के स्थान का पता लगाने और उसे चिन्हित करने की लागत का वहन ऐसे किसी पोत के स्वामी या प्रचालक द्वारा किया जाएगा या उससे उसकी वसूली की जाएगी ।

पार्श्वस्थ भूमियों पर शे आने की शक्ति ।

239. (1) जब भी कोई जलयान उपर्युक्त रूप में ध्वस्त या उत्कूलित हो जाता है या संकट में हो जाता है तब जलयान को सहायता प्रदान करने या ध्वस्त पोत व्यक्तियों के जीवन को या जलयान के स्थोरा या उपस्कर को, बचाने के प्रयोजन के लिए, सभी व्यक्ति, वाहनों या जानवरों के साथ या उसके बिना, किन्हीं पार्श्वस्थ भूमि पर किन्तु यह तब जब कोई उतनी ही सुविधापूर्ण सार्वजनिक सड़क न हो उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी की ओर से बिना किसी व्यवधान के, इस प्रकार से आ जा सकेंगे, जिससे उसे कम से कम नुकसान हो सके तथा पोत से निकाले गए स्थोरा या अन्य वस्तुओं को वैसी ही दशा में, उन भूमियों पर जमा कर सकेंगे ।

(2) इस धारा द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप स्वामी या अधिभोगी को होने वाला नुकसान उस जलयान, स्थोरा या वस्तुओं पर, जिनके सम्बन्ध में या जिनके द्वारा नुकसान हुआ है, प्रभार होगा तथा नुकसान के सम्बन्ध में देय रकम, विवाद की दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा, तब अवधारित की जाएगी जब उसे इस निमित्त आवेदन किया जाए ।

ध्वंसावशेष के संबंध में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध ।

240. कोई भी व्यक्ति,—

(क) मास्टर की इजाजत के बिना किसी ऐसे पोत पर जो ध्वस्त या उत्कूलित है या संकट में है तब तक नहीं चढ़ेगा या चढ़ने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति ध्वंसावशेष का प्रापक नहीं है, या उसके समनुदेश द्वारा कार्य नहीं कर रहा

है ; या

(ख) भारत के तटों पर या उनके निकट उत्कूलित या उत्कूलित होने के खतरे में पड़े हुए या अन्यथा संकट में पड़े हुए किसी जलयान या जलयान के स्थोरा या उपस्कर या किसी ध्वंसावशेष के बचाव में अड़चन नहीं डालेगा या उसके बचाव को प्रतिबाधित नहीं करेगा या उसके बचाव में अड़चन या बाधा डालने का प्रयास नहीं करेगा ; या

(ग) किसी ध्वंसावशेष को जारी नहीं रखेगा या उस पर लगे किसी चिह्न को विकृत नहीं करेगा या उसे नहीं मिटाएगा ; या

(घ) किसी ऐसे क्षेत्र में जिसे यह अध्याय लागू होता है, किसी भूग्रस्त पोत के या ऐसे जलयान के जिसके भूग्रस्त होने का खतरा है या जो अन्यथा संकटग्रस्त है, किसी भाग या स्थोरा के किसी भाग या पोत के किसी उपस्कर या किसी ध्वंसावशेष को सदोष दूर नहीं ले जाएगा या उसे वहां से नहीं हटाएगा ।

ऐसी दशा में तलाशी वारंट जहां ध्वंसावशेष अंतर्वलित है ।

241. जहां ध्वंसावशेष के किसी प्रापक को यह संदेह होता है या उसे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि ध्वंसावशेष को जारी किया गया है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, जो उसका स्वामी नहीं है या यह कि ध्वंसावशेष के साथ अन्यथा अनुचित रूप से कार्यवाही की गई है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या किसी महानगर मजिस्ट्रेट को तलाशी वारंट के लिए आवेदन कर सकेगा और मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसा वारंट मंजूर करने की शक्ति होगी तथा ध्वंसावशेष का प्रापक ऐसे वारंट के कारण किसी गृह या किसी अन्य स्थान में, चाहे वह कहीं भी स्थित हो और साथ ही किसी पोत में भी प्रवेश कर सकेगा और ध्वंसावशेष के लिए तलाशी ले सकेगा और इस प्रकार पाये गए किसी ध्वंसावशेष का अभिग्रहण कर सकेगा और उसे निरुद्ध कर सकेगा ।

ध्वंसावशेष को हटाने को सुकर बनाने के लिए उपाय ।

242. (1) जब इस बात का अवधारण किया जाता है कि कोई ध्वंसावशेष परिसंकटमय है तो ध्वंसावशेष का प्रापक केंद्रीय सरकार को उस रीति में जो विहित की जाए ब्यौरेवार परिसंकटमय की सूचना प्रदान करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर,—

(क) जलयान रजिस्ट्रीकरण के देश की सरकार और जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को सूचित करेगी ; और

(ख) ऐसा देश और ध्वंसावशेष के कारण प्रभावित हुए किसी देश, ऐसे ध्वंसावशेष के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में परामर्श करेगी ।

(3) जलयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या जलयान का प्रचालक ऐसे किसी ध्वंसावशेष को हटाएगा, जिसका परिसंकटमय के गठन की अवधारणा की गई है :

परंतु जहां इस बारे में कोई विवाद उद्भूत होता है कि क्या कोई ध्वंसावशेष परिसंकट गठित करता है अथवा नहीं, वहां केंद्रीय सरकार का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(4) जब किसी ध्वंसावशेष के बारे में यह अवधारण किया गया है कि वह परिसंकट को गठित करता है, वहां जलयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या कोई हितबद्ध व्यक्ति केंद्रीय

सरकार या ध्वंसावशेष के प्रापक को, उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रखे गए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(5) विध्वंसक का प्रापक या पोत स्वामी या पोत का प्रचालक केंद्रीय सरकार को विध्वसंक को हटाने के लिए योजना प्रस्तुत करेगा ।

(6) केंद्रीय सरकार, अनुमोदित या अननुमोदित या कतिपय उपांतरणों के साथ अनुमोदित उपधारा (5) के अधीन उसके समक्ष योजना को प्रस्तुत करेगी तथा ऐसे समय के भीतर परिसंकट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला के आधार पर विनिर्दिष्ट करे जिसमें पोत स्वामी या प्रचालक विध्वंसक को हटाएगा ।

(7) यदि पोत स्वामी या प्रचालक उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर ध्वंसावशेष को नहीं हटाता है, केंद्रीय सरकार ऐसे पोत स्वामी या प्रचालक के व्यय पर, सुरक्षा के विचार के साथ संगत उपलब्ध अर्थ में महत्वपूर्ण व्यावहारिक तथा पुनरुद्धार करके ध्वंसावशेष को हटाएगी और सामुद्रिक पर्यावरण से संरक्षण तथा ऐसे ध्वंसावशेष से व्युत्पन्न ध्वंसावशेष या कोई विक्रय प्रक्रिया केंद्रीय सरकार की संपति होगी ।

(8) जहां तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है और ध्वंसावशेष के प्रापक ने तद्नुसार जलयान के स्वामी या प्रचालक को सुचना दे दी है, वहां वह ऐसे स्वामी या प्रचालक के व्यय पर और सर्वाधिक व्यवहार्य और उपलब्ध त्वरित उपायों द्वारा जो समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए संगत हों, ध्वंसावशेष को हटाएगा ।

(9) इस धारा के अधीन जहां कोई उपाए किसी उद्धारण द्वारा अर्थ लगाया जाता है इस भाग के अध्याय 2 के उपबंध उद्धारण से संबंधित लागू होंगे ।

पोत स्वामी का दायित्व ।

243. (1) रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी तब तक इस भाग के अधीन ध्वंसावशेष के स्थान का पता लगाने, उसे चिन्हित करने और उसे हटाने की लागत के लिए दायी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि वह समुद्री दुर्घटना, जिसके कारण पोत ध्वस्त हुआ था, निम्नलिखित के परिणामस्वरूप घटित हुई थी,—

(क) किसी युद्ध की कार्रवाई, शत्रुकार्य, सिविल युद्ध, विप्लव के कारण या किसी अपवादिक, अपरिहार्य और अप्रतिरोध्य स्वरूप की किसी प्राकृतिक घटना के कारण ; या

(ख) पूर्ण रूप से किसी तृतीय पक्षकार द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए किसी कारण या लोप के कारण ; या

(ग) लाइटों या अन्य नौ परिवहन सहायक सामग्रियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी किसी सरकार या अन्य प्राधिकरण के, उस कृत्य के निर्वहन में की गई किसी उपेक्षा या अन्य सदोष कार्रवाई के कारण ।

(2) इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात,—

(क) रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी, धारा 162 के उपबंधों के अनुसरण में उसके दायित्व को सीमित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ; अथवा

(ख) रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी को किसी तृतीय पक्षकार के विरुद्ध उपलब्ध किसी अधिकार का अवलंब लेने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी ।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी किसी ऐसी लागत के

लिए, यदि ऐसे दायित्व या किसी ऐसे विरोध में ऐसी लागत के लिए दायी नहीं होगा,—

(क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंध ;

(ख) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 के उपबंध ; अथवा 2010 का 38

(ग) कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय विधिक लिखत, जिसमें भारत पक्षकार है ।

बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों को बनाए रखना ।

244. (1) तीन सौ या अधिक के सकल टनभार वाले किसी भारतीय जलयान का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी, इस भाग के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अनिवार्य बीमा कवर या ऐसी कोई अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखेगा, जो विहित की जाए ।

(2) तीन सौ या अधिक के सकल टनभार वाले किसी भारतीय जलयान से भिन्न किसी पोत का प्रत्येक पोत स्वामी या प्रचालक, जब कभी वह ऐसे क्षेत्र में हो जिसे यह भाग लागू होता है, अभिसमय के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बीमा कवर या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखेगा और फलक पर यह अनुप्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र रखेगा कि ऐसा बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन में है ।

(3) पोत की दशा में उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को,—

(क) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा ;

(ख) भारत से भिन्न किसी अभिसमय देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान को उस देश की सरकार के प्राधिकरण के द्वारा या उसके अधीन जारी किया जाएगा ; और

(ग) ऐसे देश में रजिस्ट्रीकृत है जो कोई अभिसमय देश नहीं है, किसी अभिसमय देश द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी या प्रमाणित किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई पोत प्राधिकरण द्वारा निरुद्ध किए जाने का दायी होगा ।

(5) इस अध्याय के अधीन उद्भूत होने वाले लागतों संबंधी किसी दावे को प्रत्यक्ष रूप से बीमाकर्ता या रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी के दायित्वों के लिए वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लाया जाएगा और उस दशा में, बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रतिरक्षाओं (रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी के दिवाले या परिसमापन से भिन्न) का अवलंब ले सकेगा, जिनका अवलंब लेने के लिए रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी हकदार होता और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा उपबंधित दायित्व की परिसीमा भी है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दायित्व की परिसीमा के लिए हकदार नहीं है, वहां बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति दायित्व को ऐसी रकम तक सीमित कर सकेगा जो उपधारा (1) के अधीन बनाए रखने के लिए अपेक्षित बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति की रकम के बराबर हो :

परंतु यह और कि बीमाकर्ता या ऐसा व्यक्ति इस प्रतिरक्षा का अवलंब ले सकेगा कि

समुद्री दुर्घटना रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी के सदोष अवचार के परिणामस्वरूप घटित हुई है किंतु उस समय वह किसी अन्य प्रतिरक्षा का अवलंब नहीं लेगा, जिसका अवलंब लेने के लिए ऐसा बीमाकर्ता या व्यक्ति, रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी द्वारा उसके विरुद्ध लाई गई कार्यवाहियों में हकदार होता :

परंतु यह भी कि बीमाकर्ता या ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह यह अपेक्षा करे कि रजिस्ट्रीकृत पोत स्वामी को ऐसी कार्यवाहियों में संयोजित किया जाए ।

ध्वंसावशेष के स्वामियों के दावे ।

245. (1) प्रापक के कब्जाधीन ध्वंसावशेष का स्वामी उस तारीख से जिसको ध्वंसावशेष प्रापक के कब्जे में आया है, एक वर्ष के भीतर प्रापक के समाधानप्रद रूप से अपना दावा स्थापित करने पर और उद्धारण तथा अन्य प्रभारों का संदाय करने पर, ध्वंसावशेष को प्राप्त करने का या उसके आगमों का उसे परिदान किए जाने का हकदार होगा ।

(2) जहां किसी भारतीय जलयान से भिन्न किसी ध्वस्त पोत को या उसकी भागरूप कोई वस्तुएं या स्थोरा किसी ऐसे क्षेत्र पर पाई जाती हैं, जिसे यह अध्याय लागू होता है, या भारत में किसी पत्तन में लाई जाती हैं तो उस देश का राजदूत, जिसमें पोत रजिस्ट्रीकृत है या स्थोरा की दशा में, स्थोरा के स्वामी और मास्टर अथवा स्वामी के अन्य अभिकर्ता की अनुपस्थिति में, वस्तुओं की अभिरक्षा और व्ययन के संबंध में, स्वामी का अभिकर्ता समझे जाएंगे ।

(3) यदि ध्वंसावशेष का स्वामी विक्रय की तारीख से एक वर्ष के भीतर हाजिर नहीं होता और विक्रय के आगमों के बकाया का दावा नहीं करता तो उक्त बकाया केंद्रीय सरकार की संपत्ति हो जाएगा ।

लागत की वसूली का दावा करने के लिए अधिकार का निर्वापन ।

246. इस अध्याय के अधीन किसी पोत के स्थान का पता लगाने और उसे चिन्हित करने की लागतों की वसूली के लिए कोई दावा, परिसंकट के अवधारण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा तथा उस तारीख से, जिसको समुद्री दुर्घटना घटित हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पोत ध्वस्त हुआ था, छह वर्षों के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां समुद्री दुर्घटना में घटनाओं की कोई श्रृंखला अंतर्वलित है वहां छह वर्ष की अवधि पहली घटना की तारीख से गणना की जाएगी ।

अध्याय 2

उद्धारण

इस अध्याय का लागू होना ।

247. (1) यह अध्याय,—

(क) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उद्धारण प्रचालन करेगा, जिसके अंतर्गत तटीय जल भी है ; और

(ख) किसी जलयान या किसी अन्य संपत्ति, जो भारत में अवस्थित है, के संबंध में उद्धारण प्रचालन से संबंधित न्यायिक या मध्यस्थ कार्यवाही होगी ।

(2) यह अध्याय,—

(i) स्थिर या प्लवमान मंचों या चल अपतटीय बर्माना इकाइयों को लागू नहीं होगा, जब ऐसे मंच या इकाइयां उस अवस्थान पर समुद्र तल में स्थित खनिज

संसाधनों की खोज, दोहन या उत्पादन में लगी हैं ;

(ii) सरकार के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा प्रचालित युद्धपोतों या अन्य गैर वाणिज्यिक जलयानों को लागू नहीं होगा, जो उद्धारण प्रचालनों के समय संप्रभु उन्मुक्ति के लिए हकदार हैं ;

(iii) ऐसे ज्ञान, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) यह अध्याय किसी बात के होते हुए भी कि उद्धारण प्रचालन करने वाला जलयान उसी जलयान के स्वामी का है, लागू होगा ।

परिभाषाएं ।

248. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पर्यावरण को नुकसान" से तटीय क्षेत्रों या अंतर्देशीय जलों या इनके आसन्न क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य या संसाधनों के समुद्री जीवन को प्रदूषण, संदूषण, अग्नि, विस्फोट या अन्य समान प्रकार की प्रमुख घटनाओं द्वारा कारित सारवान् भौतिक नुकसान अभिप्रेत है ;

(ख) "संदाय" से उद्धारण अभिसमय के अधीन कोई पुरस्कार, पारिश्रमिक या शोध्य प्रतिकर अभिप्रेत है ;

(ग) "संपत्ति" से ऐसी कोई संपत्ति अभिप्रेत है जो अस्थायी रूप से और आशयपूर्वक तट रेखा से जुड़ी है और इसके अंतर्गत जोखिम पर मालभाड़ा भी है ;

(घ) "जलयान" से ऐसा कोई पोत या यान या कोई ऐसी संरचना अभिप्रेत है जो नौपरिवहन की क्षमता रखती है ।

जलयान, स्थोरा ध्वंसावशेष को बचाने के लिए देय उद्धारण राशि ।

249. (1) जहां, सेवाएं केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के सिवाए किसी मास्टर या उद्धारकर्ता या किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है,—

(क) भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर किसी जलयान से जीवन को बचाने के लिए पूर्णतः या भागतः या कहीं अन्यत्र भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान से जीवन को बचाने के लिए ; अथवा

(ख) किसी ऐसे स्थान पर, जिस पर यह अध्याय लागू होता है, ध्वस्त या उत्कूलित या संकट में पड़े हुए जलयान को सहायता देने या जलयान के स्थोरा या उपस्कर को बचाने के लिए ; अथवा

(ग) किसी ध्वंसावशेष को बचाने के लिए,

सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वहां जलयान, स्थोरा, उपस्कर के स्वामी द्वारा उद्धारकर्ता को, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उद्धारण के लिए एक युक्तियुक्त राशि देय होगी ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी मास्टर या व्यक्ति या उद्धारण देने वाला कोई उद्धारकर्ता किसी जलयान या अन्य संपत्ति या निवारित करने या पर्यावरण को नुकसान से बचाने वाले उद्धारण के लिए संदाय का किराया भाग प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) जब जलयान के स्वामी द्वारा जीवन के परिरक्षण के संबंध में कोई उद्धारण

राशि देय है तो उसे उद्धारण के अन्य सभी दावों पर पूर्विकता प्रदान की जाएगी ।

सरकार या पत्तन और लोक प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित उद्धारण प्रचालन ।

250. जहां उद्धारण प्रचालन, इस निमित कार्य करते हुए, सरकार द्वारा या उसकी ओर से या भारतीय नौसेना या तटरक्षक के किसी जलयान द्वारा या किसी ऐसे जलयान के कमांडर या कर्मीदल द्वारा या पत्तन प्राधिकारियों या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, वहां वह उद्धारण राशि और इस अध्याय के अधीन उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं के लिए संदाय का हकदार होगा और उन सेवाओं के संबंध में उसे वही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे जो किसी अन्य उद्धारकर्ता को प्राप्त हैं ।

उद्धारण संविदा ।

251. (1) किसी जलयान का स्वामी या स्वामी की ओर से मास्टर आवश्यक उपाय करने के उद्धारकों के साथ संविदाओं को समाप्त तथा इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में पर्याप्त उद्धारण प्रचालित होगा ।

(2) जलयान के मास्टर या स्वामी के पास जलयान पर सवार संपत्ति के स्वामी की ओर से ऐसी संविदाओं को पूरा करने के लिए प्राधिकार होगा ।

उद्धारकर्ता, स्वामी और मास्टर के कर्तव्य ।

252. (1) किसी उद्धारकर्ता के, जलयान के स्वामी या किसी संकटग्रस्त अन्य संपत्ति के स्वामी के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) उद्धारण प्रचालनों को सम्यक् सावधानी से करना ;

(ख) उद्धारण प्रचालनों के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान का निवारण या उसे न्यूनतम करने के लिए सम्यक् सावधानी बरतना ;

(ग) जब परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें तो अन्य उद्धारकर्ताओं, जिनके अंतर्गत पत्तन प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी भी है, से सहायता लेना ; और

(घ) महानिदेशक के साथ सहयोग करने तथा उसके द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन में कृत्य करने ; और

(ङ) जब जलयान के स्वामी या मास्टर अथवा संकटग्रस्त अन्य संपत्ति के स्वामी द्वारा युक्तियुक्त रूप से ऐसा अनुरोध किया जाए तो अन्य उद्धारकर्ताओं के हस्तक्षेप को स्वीकार करना :

परंतु यदि यह पाया जाता है कि ऐसा अनुरोध अनुचित था तो वह ऐसे उद्धारकर्ता के पुरस्कार की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(2) जलयान के स्वामी या मास्टर अथवा संकटग्रस्त अन्य संपत्ति के स्वामी के उद्धारकर्ता के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) उद्धारण प्रचालनों के अनुक्रम के दौरान उद्धारकर्ता के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करना ;

(ख) उद्धारण प्रचालनों के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान का निवारण या उसे न्यूनतम करने के लिए सम्यक् सावधानी बरतना ;

(ग) जब जलयान या अन्य संपत्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर लाया गया है तो उद्धारकर्ता द्वारा युक्तियुक्त रूप से ऐसा अनुरोध किए जाने पर उसके पुनः प्रदाय को स्वीकार करना ; और

(घ) किसी दावे, जिसके अंतर्गत उद्धारण प्रचालनों के लिए उद्धारकर्ता का ब्याज और लागतें भी हैं, के संबंध में उद्धारकर्ता के अनुरोध पर संतोषप्रद प्रतिभूति उपलब्ध कराना ।

उद्धारकर्ताओं के अधिकार ।

253. (1) किसी उद्धारकर्ता को उसके द्वारा उद्धारण प्रचालनों के संबंध में दी गई सेवाओं के लिए संदाय का अधिकार होगा :

परंतु ऐसा कोई संदाय वहां नहीं किया जाएगा, जहां किसी संकटग्रस्त जलयान पर बोर्ड किया जाता है और नहीं किया गया है, के स्वामी या मास्टर या किसी अन्य संपति के स्वामी द्वारा ऐसी सेवा प्राप्त होने की ओर से कोई अभिव्यक्त और युक्तियुक्त प्रतिषेध है ।

(2) पुरस्कारों का दावा करने के लिए मानदंड, पुरस्कारों की राशि नियत करने की रीति, उद्धारण अभिसमय के अनुच्छेद 14 के अधीन विशेष प्रतिकर के संदाय, उद्धारकर्ताओं के बीच संदाय के प्रभाजन, व्यक्तियों के उद्धारण, संविदा के अधीन संदाय, संविदा के अधीन न आने वाली अतिरिक्त सेवाओं के लिए संदाय की रीति और पुरस्कार प्राप्त करने पर या इस अध्याय के अधीन कोई संदाय प्राप्त करने पर उद्धारकर्ताओं के अवचार का प्रभाव ऐसा होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) उद्धारकर्ता के पास, किसी पोत के स्वामी या मास्टर या संकटग्रस्त किसी अन्य संपति के स्वामी के विरुद्ध उस समय अपने समुद्री धारणाधिकार को प्रवर्तित करने का अधिकार होगा, जब ऐसे पोत स्वामी या मास्टर या स्वामी द्वारा उसके दावे, जिसके अंतर्गत ब्याज और लागतें भी हैं, के लिए संतोषप्रद प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

उद्धारण प्रचालनों के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्तियां और कर्तव्य ।

254. (1) केंद्रीय सरकार, प्रदूषण या किसी समुद्री दुर्घटना से उद्भूत होने वाले प्रदूषण के खतरों या ऐसी किसी दुर्घटना से संबंधित ऐसे कार्यों जिसके परिणामस्वरूप कोई प्रमुख हानिप्रद परिणाम सामने आ सकते हैं, से अपनी तट रेखा या संबद्ध हितों की संरक्षा हेतु आवश्यक उपायों को कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, किन्हीं उद्धारण प्रचालनों के संबंध में किसी पोत के स्वामी या मास्टर या उद्धारकर्ता या किसी पत्तन प्राधिकारी या किसी लोक प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

(3) केंद्रीय सरकार, दक्ष और प्रभावी उद्धारण प्रचालनों, संकटग्रस्त जीवन या संपति को बचाने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान का निवारण करने के प्रयोजनों के लिए, संबंद्ध जलयान के स्वामी या मास्टर या उद्धारकर्ता या पत्तन प्राधिकारी या किसी लोक प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी पोत को, जिसे सहायता की आवश्यकता है, सहायता देने, संकटग्रस्त या सहायता की आवश्यकता रखने वाले जलयान को पत्तनों में प्रवेश देने या उद्धारकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहयोग की ईप्सा कर सकेगी ।

(4) ऐसी परिस्थितियां जिसके अधीन उद्धारण प्रचालन केंद्रीय सरकार द्वारा व्यावहारित किया जाएगा, उस रीति में होगा, जो विहित किया जाए ।

उद्धारकर्ता की प्रतिधारणा ।

255. केंद्रीय सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हुए तथा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन जो विहित की जाए, उद्धारकर्ता की

एक सूची अधिसूचित कर सकेगी ।

पोत स्वामी और उद्धारकर्ता के बीच विवाद ।

256. पोत स्वामी और उद्धारकर्ता इस भाग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए ऐसे महानिदेशक से पहुंच प्राप्त कर सकेंगे, जो ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में, जो विहित की जाए, सौहार्दपूर्ण निपटान को सुकर बनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में पक्षकारों की सहायता करेगा ।

पोत स्वामी और उद्धारकर्ता के मध्य विवादों का न्यायनिर्णयन ।

257. (1) उद्धारण संविदा के लिए प्रत्येक पक्षकार किसी विवाद के लिए एक माध्यस्थम् को वरीयता देगा, जिसका धारा 256 के अधीन महानिदेशक द्वारा पुनः समाधान नहीं किया गया है :

परंतु जहां उद्धारण संविदा माध्यस्थम् द्वारा विवाद के समाधान का उपबंध नहीं करता है, विवाद उद्धारण संविदा के अनुसार न्यायनिर्णीत किया जाएगा ।

(2) माध्यस्थम् पंचाट द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति लागू विधि के अनुसार संबद्ध उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है ।

(3) उद्धारण की रकम के लिए एक से अधिक दावा करने वाले सहित किसी विवाद का विनिश्चय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

(4) उच्च न्यायालय अंतरिम आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि उद्धारकर्ता ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो उसके लिए सही और न्यासंगत हो ।

दावों का निर्वापन ।

258. इस अध्याय के अधीन संदाय से संबंधित कोई कार्रवाई उस समय निर्वापित हो जाएगी, यदि ऐसे किसी दावे के संबंध में उद्धारण प्रचालनों के पूरा होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है ।

व्यावृत्तियां ।

259. इस भाग की कोई बात,—

(क) किसी अन्य राज्य के साथ भारत या अन्य देश के तटों पर ध्वंसावशेषों के आगमों के व्ययन के प्रतिनिर्देश से की गई किसी संधि या ठहराव पर, जिसमें भारत एक पक्षकार है, प्रभाव नहीं डालेगी ; या

1908 का 15

(ख) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उल्लंघन में कांटा घसीट कर या महाजाल डालकर निकाली गई किसी संपत्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के हक के उद्धारण को प्रभावित नहीं करेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

260. (1) केंद्रीय सरकार इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 237 के खंड (थ) के अधीन यह अवधारित करने के लिए अन्य मानदंड की क्या विध्वंसक परिसंकट गठित करता है अथवा नहीं ;

(ख) धारा 238 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ध्वंसावशेष को चिन्हित करने की रीति ;

(ग) धारा 242 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार के लिए परिसंकट की विस्तृत जानकारी देने की रीति ;

(घ) धारा 244 की उपधारा (1) के अधीन अन्य वित्तीय प्रतिभूति ;

(ङ) पुरस्कारों का दावा करने के लिए मानदंड, पुरस्कार नियत करने की रीति, विशेष प्रतिकर का संदाय और धारा 253 की उपधारा (2) के अधीन उद्धारकर्ताओं के अवचार का पुरस्कार या संदाय पर प्रभाव ;

(च) धारा 254 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी परिस्थितियां जिसमें उद्धारण प्रचालन केंद्रीय सरकार द्वारा व्यावहारिक किया जाएगा ;

(छ) धारा 255 के अधीन अर्हता, अनुभव और ऐसे निबंधन और शर्तें जिसके अधीन उद्धारकर्ता को अधिसूचित किया जाएगा ;

(ज) धारा 256 के अधीन वह प्रक्रिया जिसके अनुसार महानिदेशक विवाद का निपटान करेगा ;

(झ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 13

चलत, मछली पकड़ने वाले और अन्य जलयान

इस भाग का लागू होना ।

261. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 11 और भाग 14 के उपबंधों के सिवाय, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई बात निम्नलिखित वर्णन वाले जलयानों को लागू नहीं होंगी, अर्थात् :—

(क) चलत जलयान ;

(ख) मछली पकड़ने वाले जलयान ;

(ग) ऐसे जलयान जिनका शुद्ध टनभार पंद्रह से कम है और जो एकमात्र रूप से भारत के तटीय व्यापार में लगे हैं :

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई अन्य उपबंध, ऐसी शर्तों, अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे जलयानों को भी लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत के तटीय व्यापार" से,—

(i) भारत में किसी पतन या स्थान से भारत में किसी अन्य पतन या स्थान पर माल या यात्री या दोनों को समुद्र द्वारा वहन ; या

(ii) भारत की अधिकारिता में जल के भीतर किसी सेवा का निष्पादन करना, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अनन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अर्थान्तरगत भारत में सामुद्रिक क्षेत्र के पार्श्व का कोई भाग अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी पतन या स्थान के अधीन परिभाषित जोन है, जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय पतन भी है, जैसा कि केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे ।

1976 का 80

परिभाषाएं ।

262. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सी.-188 अभिसमय" से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के द्वारा अंगीकृत तथा 14 जून, 2007 को जिनेवा में हस्ताक्षरित मत्स्य

अभिसमय में सी.-188 - कार्य अभिप्रेत है ;

(ख) "भारतीय मत्स्य जलयान" से धारा 15 के अधीन भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत मत्स्य जलयान अभिप्रेत है ;

(ग) "कप्तान" से मत्स्य जलयान को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "मत्स्य जलयान कार्मिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण प्रमाणन और निगरानी के मानक" से मत्स्य जलयान कार्मिक के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1995 तथा 7 जुलाई, 1995 को लंदन में हस्ताक्षरित अभिप्रेत है ।

इस संबंध में विनिश्चय का प्रश्न कि क्या कोई जलयान इस भाग के अधीन आता है ।

263. (1) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई जलयान इस भाग के अधीन आता है तो उसका विनिश्चय महानिदेशक द्वारा किया जाएगा और उस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) जहां मत्स्य जलयान से संबंधित उपधारा (1) के अधीन प्रश्न है, विनिश्चय उस रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

संरक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण के निवारण और बीमा के लिए अपेक्षाएं ।

264. (1) इस भाग के अधीन आने वाले प्रत्येक जलयान के फलक से ऐसे संचालित किया जाएगा और वह जलयान संरक्षा, सुरक्षा, प्रदूषण के निवारण के लिए ऐसी फिटिंग, सामग्री, साधनों और साधित्रों को वहन करेगा, जो विहित किए जाएं :

परंतु मत्स्य जलयान के मामले में, ऐसे नियम केपटाउन करार और सी-188 अभिसमय जिसके अन्तर्गत ऐसे अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय उसके मानक या भाग भी है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, के उपबंध पर विचार करने के लिए किए जाएंगे ।

(2) जलयान का प्रत्येक स्वामी, जिसके अधीन यह भाग लागू होता है ऐसे जलयान के कर्मीदल के सदस्यों के रूप में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए, जो विहित की जाए, उनके नियोजन के अनुक्रम में होने वाली किसी दुर्घटना द्वारा कारित मृत्यु या शारीरिक क्षति के विरुद्ध ऐसी रकम के लिए बीमा की पालिसी उपलब्ध कराएगा, जो उस केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगी ।

(3) कोई जलयान तब तक समुद्र में नहीं चलेगा या अग्रसर नहीं होगा, जब तक कि वह इस धारा के अधीन उपबंधों का पालन नहीं करता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "केपटाउन करार" पद से मत्स्य के जलयानों की सुरक्षा के लिए टोरेमोलियन अंतरराष्ट्रीय अभिसमय जलयान 1977 से संबंधित 1993 की प्रोटोकॉल के उपबंध के क्रियान्वयन, पर 2012 का केपटाउन करार अभिप्रेत है, जिस पर 11 अक्तूबर, 2012 को केपटाउन में हस्ताक्षर किए गए थे ।

मत्स्य जलयान का वहन किया जाना ।

265. (1) केंद्रीय सरकार मत्स्य जलयान कार्मिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित मामलों हेतु नियम बना सकेगी, जिसे निम्नानुसार आवश्यक समझा जाए, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक भारतीय मत्स्य जलयान के स्केल का वहन किया जाना और भारतीय मत्स्य जलयान, मत्स्य प्रचालन के क्षेत्र और प्रकार के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विभिन्न वहन किए जाने वाला स्केल ;

(ख) प्रत्येक मत्स्य द्वारा किसी भारतीय मत्स्य जलयान के स्टेशन, फलक पर सेवा करने के लिए धारित प्रमाणन का ग्रेड होगा ।

(2) ऐसे निबंधनों और प्रतिबंधों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, अन्य देश में तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन मंजूर सक्षमता प्रमाणपत्र के साथ भारतीय नागरिक या कोई इस अधिनियम या किसी अन्य देश के अधीन मंजूर किए गए सक्षमता के प्रमाण के साथ विदेशी नागरिक या अन्य देश किसी भारतीय मत्स्य जलयान पर सेवा प्रदान कर सकता है ।

(3) केंद्रीय सरकार मत्स्य जलयान कार्मिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के उपबंधों के अध्यधीन, जैसे लागू हैं, प्रत्येक मत्स्य जलयान, चाहे समुद्र या किसी पत्तन या स्थान में हो, ऐसी अर्हता और ऐसे अन्य अपेक्षाओं के साथ ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगाई जाएगी, जो विहित की जाए ।

केंद्रीय सरकार का प्रवीणता प्रमाणपत्र मंजूर करना ।

266. (1) केंद्रीय सरकार मत्स्य जलयान कार्मिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के उपबंधों के अधीन ऐसी अपेक्षाओं और ऐसी रीति के साथ, जो विहित की जाए, मत्स्यकों के विभिन्न ग्रेड के लिए सक्षमता का प्रमाणपत्र या प्रवीणता का प्रमाणपत्र मंजूर करेगी ।

(2) कोई सक्षमता का प्रमाणपत्र या प्रवीणता का प्रमाणपत्र उपधारा (1) के अधीन नहीं मंजूर किया जाएगा जब तक मत्स्यक धारा 265 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अर्हताओं और अन्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर लेता ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, केंद्रीय सरकार ऐसी अपेक्षाओं तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, के साथ ऐसे अन्य सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता का प्रमाणपत्र मंजूर कर सकती है ।

(4) सक्षमता का प्रमाणपत्र या प्रवीणता का प्रमाणपत्र ऐसी फीस के संदाय पर ऐसे प्ररूप में को प्रदान किया जाएगा तथा ऐसी अवधि के लिए वैध होगा, जो विहित की जाए ।

सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण ।

267. (1) महानिदेशक इस भाग के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और निर्धारण से संबंधित सभी क्रियाकलापों को प्रशासित, पर्यवेक्षण तथा निगरानी करेगा ।

(2) महानिदेशक ऐसे मानदंड के अनुसार जो विहित किए जाएं सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन की पद्धति का अनुमोदन करेगा ।

प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए परीक्षा ।

268. (1) महानिदेशक या इस निमित्त महानिदेशक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की वांक्षा करने वाले व्यक्ति की परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र किसी आवेदक को तब तक नहीं प्रदान किया जाएगा जब तक ऐसा आवेदक परीक्षा को संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण करके परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से रिपोर्ट नहीं करता है ।

(3) मत्स्य जलयान कार्मिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के उपबंधों के अध्यधीन, सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को प्रदान करने के

प्रयोजन के लिए तथा उस पर संदेय फीस को प्रदान करने के लिए परीक्षा आयोजित करने की प्ररूप और रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

प्रमाणपत्र का वापस किया जाना, निरस्त या रद्द किया जाना ।

269. जहां केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने मिथ्या या त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर उसे अभिप्राप्त किया है या ऐसे प्रमाणपत्र को धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रदूषण की सुरक्षा, रक्षा या निवारण से समझौता या किसी कार्य को रोक दिया है या कारित किया है, अक्षमता की किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अवचार का दोषी पाया जाता है, जो किसी के जीवन या संपति या पर्यावरण के लिए धमकी दे सकता है अथवा धमकी अधिरोपित कर सकता है, सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र को वापस लिया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है :

परंतु ऐसा कोई आदेश सुनवाई का उचित अवसर के लिए ऐसे प्रमाणपत्र को धारण किए बिना इस धारा के अधीन पारित नहीं किया जाएगा ।

प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना ।

270. प्रत्येक जलयान का स्वामी, मास्टर, टिंडल या कैप्टन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी को मांग पर प्रस्तुत करेगा ।

मत्स्य जलयान के संबंध में करार ।

271. सी-188 अभिसमय के उपबंधों के अधीन जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती हो,—

(क) किसी भारतीय मत्स्य जलयान का स्वामी या उसका अभिकर्ता या कैप्टन प्रत्येक ऐसे मत्स्यक, जो जलयान में वहन करने के लिए लगा हुआ है, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए करार करेगा तथा उस व्यक्ति या प्राधिकारी को एक प्रति सौंपेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(ख) मजदूरी और उपबंधों के लिए मत्स्यक के अधिकार उस समय शुरू होंगे वह फलक पर या उपस्थित होने, जो पहले हो, के लिए करार में विनिर्दिष्ट समय पर कार्य आरंभ करे ;

(ग) इस धारा के अधीन लगा हुआ कोई मत्स्यक,—

(i) किसी जलयान पर अपनी उपस्थिति को पूरा करने में समपहृत कोई करार नहीं करेगा ; या

(ii) उसके मजदूरी की वसूली के लिए किसी उपचार वंचित नहीं करेगा, जिसके लिए करार की अनुपस्थिति में वह हकदार होगा ; या

(iii) किसी जलयान की हानि के मामले में मजदूरी के लिए उसके अधिकार को परित्यक्त कोई करार नहीं करेगा ; या

(iv) कोई ऐसा अधिकार परित्यक्त नहीं करेगा, जिससे वह उद्धारण की प्रकृति में रहा हो या अभिप्राप्त किया हो,

तथा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत प्रत्येक करार शून्य होगा ।

भारतीय मत्स्य जलयान द्वारा मात्स्यकी की डाटा को तैयार किया जाना ।

272. केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्ररूप तथा ऐसे आवधिक अंतराल में जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सके, रजिस्ट्रार के लिए ऐसे मात्स्यकी डाटा को तैयार करने के लिए प्रत्येक भारतीय मत्स्य जलयान या भारतीय मत्स्य जलयान के किसी विशिष्ट वर्ग से अपेक्षा करती है ।

किसी जलयान का विधिमान्य प्रमाणपत्रों के बिना अग्रसर न होना ।

273. (1) कोई जलयान तब तक समुद्र में नहीं चलेगा या अग्रसर नहीं होगा, जब तक इस भाग के अधीन अनुदत्त किए जाने वाले प्रमाणपत्र धारण न करता हो ।

(2) प्रत्येक प्रमाणपत्र को ऐसी रीति में अनुदत्त किया जाएगा और वह ऐसी अवधि के लिए प्रवृत होगा, जो विहित की जाए :

परंतु जहां कोई जलयान प्रमाणपत्र के अवसान के समय पर पतन पर नहीं है, वहां उस जलयान का स्वामी, मास्टर, टिंडल या स्कीपर, केंद्रीय सरकार को ऐसे अवसान की अधिसूचना देगा और वह प्रमाणपत्र, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् उसके अगले पतन पर प्रथम बार पहुंचने तक विधिमान्य बना रहेगा ।

गैर-यांत्रिक नोदित जलयानों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

274. जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता हो कि की गैर-यांत्रिक नोदित जलयान उस अधिनियम के अधीन अपेक्षित वैध प्रमाणपत्रों को नहीं रखता है, तो वह स्वामी, मास्टर या चार्टरर को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् समुचित कार्रवाई कर सकेगी, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन ऐसे जलयान का निलंबन या उसे रद्द करना भी है ।

जलयानों के कर्मीदल से संबंधित विवरण को बनाए रखना ।

275. (1) निम्नलिखित विशिष्टियां किसी जलयान का स्वामी, मास्टर, टिंडल या स्कीपर, जलयान के कर्मीदल से संबंधित विवरण को बनाए रखेगा या उसे बनाए रखेगा, जिसमें उसके प्रत्येक सदस्य से संबंधित निम्नलिखित विवरण ऐसे रूप में अंतर्विष्ट करेगा, जो विहित किया जाए, अर्थात् :—

(क) उसका नाम ;

(ख) धारा 271 के अधीन उसके साथ करार के ब्यौरे ;

(ग) उसे संदेय मजदूरी ;

(घ) उसके निकटतम संबंधियों के नाम और पते ;

(ङ) उसके नियोजन के प्रारंभ की तारीख ; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं ।

(2) जलयान के कर्मीदल में प्रत्येक परिवर्तन की प्रविष्टि उपधारा (1) के अधीन रखे गए विवरण में की जाएगी ।

(3) ऐसे विवरण की और उसमें प्रविष्ट किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति यथासंभवशीघ्र पोत परिवहन मास्टर को संसूचित की जाएगी ।

स्थोरा के माल प्रक्षेपण की जांच ।

276. (1) यदि किसी समुद्री यात्रा के अनुक्रम में किसी जलयान के स्वामी, मास्टर या टिंडल या स्कीपर ने असामान्य मौसम संबंधी दशाओं या किसी अन्य कारण से जलयान के संपूर्ण स्थोरा या उसके किसी भाग का माल प्रक्षेपण किया है या ऐसा माल प्रक्षेपण करने का दावा किया है तो वह जलयान के भारत में किसी पतन या अन्य स्थान में पहुंचने के तुरंत पश्चात् समुचित अधिकारी को ऐसे माल प्रक्षेपण की सूचना देगा और ऐसी सूचना में प्रक्षेपित किए गए स्थोरा और उन परिस्थितियों की जिनके अधीन माल प्रक्षेपण किया गया था, पूर्ण विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

(2) जहां समुचित अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है, वहां वह तुरंत लिखित में केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा और मामले की जांच करने के लिए

प्रक्रिया कर सकेगा ।

समुचित अधिकारी द्वारा जलयान को निरुद्ध करना ।

277. (1) निर्मुक्त फलक चिन्हांकनों के बिना समुद्र में चलने या अग्रसर होने का प्रयत्न करने वाले किसी जलयान या किसी ऐसे जलयान को, जो इस प्रकार लदा हुआ है कि ऐसे चिह्न डूब गए हैं या ऐसे जलयान को, जो प्रमाणित क्षमता से अधिक व्यक्तियों का वहन कर रहा है, समुचित अधिकारी द्वारा तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा, जब तक कि वह जलयान इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस भाग के प्रयोजनों के लिए कोई समुचित अधिकारी किसी युक्तियुक्त समय पर जलयान के फलक पर जा सकेगा और जलयान और उसके किसी भाग, फलक पर स्थित किसी संरचना, उपस्कर, फिटिंग, व्यवस्थाओं, सामग्रियों, प्रणालियों, कड़ियों, स्थोरा, रसद, भंडारों, जलयान के प्रमाणपत्रों या फलक पर मौजूद उसके कर्मीदल के प्रमाणपत्रों का निरीक्षण या संपरीक्षा कर सकेगा :

परंतु समुचित अधिकारी जलयान के प्रचालन में अयुक्तियुक्त रूप से बाधा नहीं डालता है या अयुक्तियुक्त रूप से उसे निरुद्ध नहीं करेगा या किसी समुद्र यात्रा पर निकलने के लिए उसे देरी नहीं करेगा ।

(3) जलयान का स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या प्रत्येक अधिकारी समुचित अधिकारी को सर्वेक्षण या संपरीक्षा के लिए सभी युक्तियुक्त प्रसुविधाएं उपलब्ध कराएगा और जलयान तथा उसके किसी भाग, फलक पर स्थित किसी संरचना, उपस्कर, फिटिंग, व्यवस्थाओं, सामग्रियों, प्रणालियों, कड़ियों, स्थोरा, रसद, भंडारों, जलयान के प्रमाणपत्रों या फलक पर मौजूद उसके कर्मीदल के प्रमाणपत्रों के संबंध में ऐसी सभी सूचना उपलब्ध कराएगा जिसकी समुचित अधिकारी युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करता है ।

समुद्र में न जाने योग्य जलयानों को निरुद्ध करना ।

278. (1) यदि इस भाग के अधीन कोई जलयान भारत में किसी पतन या स्थान पर पहुंचता है या वहां से समुद्र में न जाने योग्य किसी परिस्थिति में प्रस्थान करता है या इस प्रकार प्रस्थान करता है, जिसके कारण भारतीय तटों या अपतटीय प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना है तो ऐसे यान को तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक कि स्वामी, मास्टर या टिंडल या स्कीपर जलयान की समुद्र में जाने संबंधी योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय नहीं करता है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, इस प्रकार समुद्र में जाने की योग्यता न होने या इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन भारतीय तटों या अपतटीय प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा के प्रति खतरे के संबंध में जलयान के प्रभारी व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी ।

छूट देने की शक्ति ।

279. (1) इस भाग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझती है, किसी जलयान या जलयान के टिंडल, स्कीपर या कर्मीदल के किसी सदस्य या उनके किसी वर्ग को, इस अधिनियम के अनुसरण में उसमें अंतर्विष्ट या विहित किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकेगी या यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा को सारवान् रूप से पूरा कर किया जाता है या किसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा के अनुपालन से अभिमुक्ति देना आवश्यक है तो वह उस दशा में, किसी जलयान या जलयान के टिंडल या स्कीपर या कर्मीदल के किसी सदस्य या उनके किसी वर्ग को

ऐसी अपेक्षा के अनुपालन से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी ।

(2) जहां कोई छूट उपधारा (1) के अधीन किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए मंजूर की जाती है, वहां उनमें से किसी भी शर्त के उल्लंघन को, अन्य किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन शास्ति का दायी होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

280. (1) केंद्रीय सरकार इस भाग के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) यह विनिश्चय करने की रीति कि क्या कोई जलयान धारा 263 की उपधारा (2) के अधीन भाग 13 के अधीन आता है ;

(ख) धारा 264 की उपधारा (1) के अधीन मल्लाह तैनात करने और किसी जलयान द्वारा फलक पर वहन की जाने वाली फिटिंगों, सामग्री, साधनों और साधित्रों का मापमान ;

(ग) धारा 264 की उपधारा (2) के अधीन कर्मीदल के सदस्यों के रूप में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए बीमा का पालिसी ;

(घ) धारा 265 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय मछली मारने वाले जलयान पर सेवा करने के लिए शर्तें और निर्बंधन तथा उपधारा (3) के अधीन मछली पकड़ने वाले जलयानों पर वहन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनकी अर्हताएं तथा अन्य अपेक्षाएं ;

(ङ) धारा 266 की उपधारा (1) के अधीन मछली पकड़ने वालों की विभिन्न श्रेणियां प्रमाणपत्र अनुदत करने की अपेक्षाएं तथा रीति ;

(च) धारा 266 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षाओं के साथ अन्य प्रमाणपत्र और उन्हें अनुदत करने की रीति, उपधारा (4) के अधीन ऐसे प्रमाणपत्रों का प्ररूप, फीस और वैधता ;

(छ) धारा 267 की उपधारा (2) के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या दक्षता प्रमाणपत्र अनुदत करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और ऐसे प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों या ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के अनुमोदन के मानदंड ;

(ज) धारा 268 की उपधारा (3) के अधीन परीक्षा के संचालन के लिए प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस ;

(झ) धारा 271 के खंड (क) के अधीन मछुआरों के साथ करार का प्ररूप और रीति ;

(ञ) धारा 273 की उपधारा (1) के अधीन समुद्र में चलने या अग्रसर होने के लिए किसी जलयान द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र ;

(ट) धारा 273 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत करने की रीति और ऐसे प्रमाणपत्र की अवधि ;

(ठ) धारा 275 की उपधारा (1) के अधीन जलयान के कर्मीदल का विवरण

अनुरक्षित करने के लिए प्ररूप ; और

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

भाग 14

शास्तियां और प्रक्रिया

अपराध और शास्तियां ।

281. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उसके किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य है, इस अधिनियम के अधीन शास्ति का दायी होगा या अपराध का दोषी होगा और यदि ऐसे किसी उल्लंघन या अपराध के संबंध में कोई शास्ति या दंड विशेष रूप से उपबंधित नहीं है, तो वह शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।

(2) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित उल्लंघन, क्रमशः ऐसे उल्लंघनों के प्रतिनिर्देश से उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित शास्ति की सीमा तक दायी होंगे ।

सारणी

क्रम सं.	उल्लंघन	धारा	शास्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भारतीय चार्टरर, धारा 16 में विहित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	16	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।
2.	यदि किसी भारतीय जलयान का स्वामी, धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन जलयान रजिस्टर करने में असफल रहता है ।	20(1)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
3.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित रजिस्ट्रार या हकदार व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का परिदान करने में असफल रहता है ।	22(2)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी ।
4.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 30 की उपधारा (1) के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकृत बंधक अंतरित करता है ।	30(1)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी ।
5.	यदि कोई स्वामी, धारा 33 के अधीन जलयान के अरजिस्ट्रीकरण या किसी जलयान के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करवाने हेतु आवेदन करने में असफल रहता है ।	33	पचास हजार रुपए तक की शास्ति और उसके अतिरिक्त दोषसिद्धि के पश्चात् जब तक अपराध जारी रहता है तब तक प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपए तक की शास्ति ।
6.	यदि कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय ध्वज से भिन्न कोई ध्वज धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन घोषित ध्वजों के सिवाय भारतीय जलयान पर फहराने में असफल रहता है ।	37(2)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।
7.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 47 की उपधारा (2) के उल्लंघन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करता है ।	47(2)	शास्ति, जो बीस लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

8.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को किसी समुद्री प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने से रोकता है ।	47(3)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी ।
9.	यदि कोई मास्टर, धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।	49(1)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी और उसके अतिरिक्त जब तक उल्लंघन जारी रहता है तब तक प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक हो सकेगी ।
10.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 57 की उपधारा (3) के उल्लंघन में जलयान को समुद्र में ले जाता है ।	57(3)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
11.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 59 के उल्लंघन में सोलह वर्ष की आयु से कम के किसी व्यक्ति को लगाता है या नियोजित करता है ।	59	उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के लिए शास्ति दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
12.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 60 के उल्लंघन में किसी समुद्र यात्रा वृतिक को लगाता है या समुद्र में ले जाता है ।	60	उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के लिए शास्ति पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
13.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 61 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी समुद्र यात्रा वृतिक को लगाता है या समुद्र में ले जाता है ।	61(1)	उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के लिए शास्ति दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
14.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 62 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी समुद्र यात्रा वृतिक को लगाता है या समुद्र में ले जाता है ।	62(1)	शास्ति, जो प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के लिए तीन लाख रुपए तक हो सकेगी ।
15.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उल्लंघन में किसी समुद्र यात्रा वृतिक को लगाता है या समुद्र में ले जाता है ।	62(2)	उल्लंघन में लगे हुए प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के लिए शास्ति दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
16.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उल्लंघन में समुद्र यात्रियों के बीच भेदभाव करता है।	62(2)(घ)	प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के लिए शास्ति दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
17.	यदि कोई पोत का स्वामी, मास्टर या उसका अभिकर्ता, धारा 62 की उपधारा (3) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में सेवा करने में लगाता है ।	62(3)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
18.	यदि कोई भर्ती और स्थानन सेवा अभिकरण धारा 62 की उपधारा (6) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) का उल्लंघन करता है ।	62(6)(क), (ख), (ग) और (घ)	शास्ति, जो पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी ।
19.	यदि कोई भर्ती और स्थानन सेवा अभिकरण धारा 62 की उपधारा (6) के खंड (ङ) या खंड (च) का उल्लंघन करता है ।	62(6)(ङ) और (च)	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।
20.	यदि कोई मास्टर या पोत का स्वामी या भर्ती और	63(1)	प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक के लिए शास्ति पचास

	स्थानन सेवा अभिकरण, धारा 63 की उपधारा (1) के उल्लंघन में समुद्र यात्रा वृत्तिक नियोजन करार करने में असफल रहता है ।		हजार रुपए तक हो सकेगी ।
21.	यदि भारतीय जलयान का कोई मास्टर या पोत का स्वामी, धारा 80 की उपधारा (2) के उल्लंघन में समुद्र यात्रा वृत्तिक को कार्य मुक्त करने में असफल रहता है ।	80(2)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
22.	यदि कोई मास्टर, धारा 80 की उपधारा (5) के उल्लंघन में उस अवधि के अवसान के पूर्व उसे लगाया गया था या समुद्र यात्रा वृत्तिक को पीछे छोड़ देता है ।	80(5)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
23.	यदि कोई मास्टर, धारा 81 के उल्लंघन में समुद्र यात्रा वृत्तिक के संबंध में कार्यालय की लागबुक में प्रविष्ट करने में असफल रहता है, जो पीछे छूट गया है या पोत पर से खो गया है या मृत हो गया है या अपनी संपति का प्रभार ग्रहण करने में असफल है या ऐसी संपति के निर्वहन में असफल है ।	81	शास्ति, जो गणना में नहीं ली गई संपति के मूल्य का तीन गुणा हो सकेगी या यदि मूल्य का निश्चय न किया जा सके तो बीस हजार रुपए तक हो सकेगी ।
24.	यदि कोई मास्टर या पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता अथवा समुद्र यात्रा वृत्तिक, धारा 84 के उल्लंघन में पोत मास्टर के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में कोई लागबुक, कागज या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता या ऐसी कार्यवाहियों में उपस्थित होने में असफल रहता है ।	84	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।
25.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 89 की उपधारा (8) के अधीन किसी अधिनिर्णय के किसी निबंधन को भंग करता है, जो कि उस पर आबद्धकर है ।	89(8)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
26.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक या समुद्र यात्रियों का वर्ग या समुद्र यात्रियों का संघ, धारा 89 की उपधारा 14 के खंड (क) के उल्लंघन में हड़ताल पर जाता है या रहता है ।	89(14)(क)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
27.	यदि कोई पोत स्वामी, धारा 89 की उपधारा 14 के खंड (ख) के उल्लंघन में किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक के सेवा की दशाओं में परिवर्तन करता है या उसे निर्मुक्त या दंडित करता है ।	89(14) (ख)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
28.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन पोत मास्टर या सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृत्तिक, कल्याण अधिकारी या भारतीय राजदूत या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को किसी जलयान में	93(1)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, यदि वह यह साबित नहीं कर सकता कि अवरोध उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था ।

	प्रवेश करने या उसका निरीक्षण करने में अवरोध उत्पन्न करता है ।		
29.	यदि जलयान का मास्टर या स्वामी, धारा 93 की उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों को रखने में असफल होता है ।	93(2) (3)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, यदि वह यह साबित नहीं करता कि अननुपालन उसके ध्यान, अवहेलना या जानबूझकर व्यतिक्रम द्वारा नहीं किया गया था ।
30.	यदि कोई मास्टर, बिना युक्तियुक्त कारण के किसी समुद्र यात्रा वृतिक को धारा 95 के अधीन परिवाद करना सुकर बनाने में असफल रहता है ।	95	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
31.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 96 के उल्लंघन में जलयान के फलक पर जाता है ।	96	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
32.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक , धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (क) के उल्लंघन में अपने जलयान का अभित्यजन कर देता है ।	98(1)(क)	वह फलक पर छोड़ी गई उसकी सभी संपतियां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा जब तक अर्जित मजदूरी और, यदि अभित्यजन ऐसे किसी स्थान पर किया जाता है जो भारत के बाहर है तो ऐसी कुल मजदूरी या उसका कोई भाग जो वह किसी अन्य ऐसे जलयान पर जिस पर उसे उसके भारत लौटने पर्यन्त नियोजित किया जाए, उपार्जित कर सके, समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगी और वह जलयान के मास्टर और स्वामी द्वारा उसके स्थान पर नियोजित किए गए प्रतिस्थानी को मजदूरी की उस दर से उच्चतर दर पर देनी पड़े जिस दर पर संदाय करने के लिए अनुबंध किया गया था ।
33.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक , धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उल्लंघन में बिना युक्तियुक्त कारण के जलयान पर शामिल होने की अवहेलना करता है या इंकार कर देता है या अपने जलयान में समुद्र की ओर प्रस्थान नहीं करता या छुट्टी के बिना अनुपस्थित है ।	98(1)(ख)	यदि उल्लंघन अभित्यजन नहीं है तो वह जिसकी मजदूरी में से दो दिन से अनधिक की मजदूरी के बराबर राशि और उसके अतिरिक्त, अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि के लिए या तो छह दिन की मजदूरी से अनधिक राशि या ऐसे कोई व्यय जो प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाए, उसकी मजदूरी में से समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होंगे ।
34.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक , धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन छुट्टी के बिना जलयान छोड़ देता है ।	99(1)(क)	एक मास के वेतन से अनधिक की राशि का उसकी मजदूरी से समपहरण ।
35.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक , धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अपने जलयान पर उपस्थित होने में असफल होता है ।	99(1)(ख)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी किंतु इसमें कि कोई बात किसी अन्य उपचार से इंकार करने वाली या सीमित करने वाली नहीं होगी जो संविदा के भंग या अग्रिम के तौर पर लिए गए धन

			के प्रतिदाय या अन्यथा कोई व्यक्ति रखता ।
36.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक , धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी विधिपूर्ण आदेश का जानबूझकर पालन नहीं करता है ।	99(1)(ग)	दो दिन के वेतन से अनधिक की राशि का उसकी मजदूरी से समपहरण ।
37.	यदि कोई मास्टर, धारा 102 के उल्लंघन में अभित्यजन और छुट्टी के बिना अनुपस्थिति को रिपोर्ट करने में असफल रहता है ।	102	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
38.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 108 के उपखंड (क) के उल्लंघन में समुद्र यात्रा वृतिक को जलयान पर जाने की अवहेलना करने या उससे इंकार करने या उसके जलयान का अभित्यजन करने के लिए कहता है या कहने का प्रयत्न करता है ।	108(क)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
39.	यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक को, जिसने धारा 108 के खंड (क) के उल्लंघन में अपने जलयान की जानबूझकर अवहेलना की है या जाने से इंकार कर दिया है या उसका अभित्यजन कर दिया है, शरण लेता है या उसे छिपाता है ।	108(ख)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
40.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 109 के उल्लंघन में स्वयं को छिपाता है और समुद्र में जाता है ।	109	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
41.	यदि कोई मास्टर, धारा 110 की उपधारा (1) के उल्लंघन में जलयान के नौसंचालन से संबंधित दस्तावेजों का उसके उत्तरवर्ती को परिदान करने में असफल रहता है ।	110(1)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
42.	यदि जलयान का स्वामी या मास्टर, धारा 116 की उपधारा (1) के उल्लंघन में अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों, संधियों या करारों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	116(1)	शास्ति, जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
43.	यदि जलयान का मास्टर, धारा 117 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी घटना की विशिष्टियों को रिपोर्ट करने में असफल रहता है ।	117(1)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
44.	जलयान का मास्टर, धारा 117 की उपधारा (2) के उल्लंघन में फलक पर खतरनाक माल की हानि या संभावित हानि से संबंधित किसी घटना की विशिष्टियों को रिपोर्ट करने में असफल रहता है ।	117(2)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
45.	यदि भारतीय जलयान का मास्टर या स्वामी, धारा 120 के उल्लंघन में संचार अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	120	शास्ति, जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।

46.	यदि जलयान का मास्टर या स्वामी, धारा 121 द्वारा अपेक्षित सूचना को फलक पर नहीं ले जाता है ।	121	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
47.	यदि जलयान का मास्टर या स्वामी, धारा 122 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी जलयान पर लदाई करवाता है ।	122(1)	शास्ति, जो चार लाख रुपए तक हो सकेगी और इसके अतिरिक्त जलयान पर प्रत्येक ओर की समुचित भार रेखाएं, जहां तक डूब जाएं या यदि लवण जल में होता है तो भार रेखाएं जहां तक डूब जाती है उस भाग के प्रत्येक इंच या उसके भाग के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा जितना मुख्य अधिकारी जलयान की अर्जन क्षमता को ध्यान में रखते हुए या भार रेखाओं के डूब जाने के कारण उसकी अर्जन क्षमता जितनी बढ़ जाती है उसको ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करना ठीक समझे ।
48.	यदि जलयान का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर, धारा 123 की उपधारा (1) के उल्लंघन में भाग 6 में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना यात्रियों को ले जाता है ।	123(1)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
49.	यदि यात्रियों को ले जा रहे जलयान का स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर, धारा 123 की उपधारा (3) के उल्लंघन में ऐसे जलयान के फलक पर यात्रियों के बारे में कथन करने में असफल रहता है ।	123(3)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
50.	यदि जलयान का मास्टर या स्वामी, धारा 124 के उल्लंघन में वैध प्रमाणपत्रों के बिना जलयान को समुद्र की ओर ले जाता है ।	124	शास्ति, जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
51.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन किन्हीं खंडों में विनिर्दिष्ट कदाचरण करता है ।	125(1)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
52.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 126 की उपधारा (1) के उल्लंघन में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना स्थौरा को ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है ।	126(1)	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।
53.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 126 की उपधारा (2) के उल्लंघन में अपेक्षित प्रमाणपत्रों के बिना यात्रियों को ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है ।	126(2)	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।
54.	यदि कोई व्यक्ति या मास्टर, धारा 127 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन में समुद्र के अयोग्य जलयान को समुद्र में भेजता है या ले जाता है या भेजने या ले जाने का प्रयत्न करता है ।	127(1),(2)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी तथा ऐसे प्रत्येक बारंबार उल्लंघन के लिए दस लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
55.	यदि पोत स्वामी या जलयान का मास्टर या समुद्र यात्रा वृत्तिक, धारा 128 की उपधारा (1) के उल्लंघन	128(1)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी तथा प्रत्येक बारंबार उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपए

	में किसी जलयान के समुद्र योग्य होने को सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपायों को करने में असफल रहता है ।		तक हो सकेगी ।
56.	यदि कोई जलयान, कंपनी या पतन सुविधा धारा 129 की उपधारा (1) के उल्लंघन में बचाव और सुरक्षा प्रबंधन की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	129(1)	शास्ति, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी ।
57.	यदि भारतीय जलयान का कोई स्वामी या मास्टर, धारा 133 के उल्लंघन में प्रदूषणकारी पदार्थों का समुद्र में कहीं भी निस्तारण करवाता है या किसी विदेशी जलयान का स्वामी या मास्टर, समुद्रतटीय जल में प्रदूषणकारी पदार्थों का निस्तारण करवाता है, तो—	133	
	(क) जहां समुद्र में लाया गया ऐसा निस्तारण पैकेज रूप में हानिकारक पदार्थ है ;		शास्ति, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी तथा ऐसी प्रतिभूति, जो भविष्य में उद्भूत होने वाली किन्हीं क्षतियों से बचाव के लिए आवश्यक समझी जाए ;
	(ख) जहां ऐसा निस्तारण सीवेज है ;	133	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी तथा ऐसी प्रतिभूति, जो भविष्य में उद्भूत होने वाली किन्हीं क्षतियों से बचाव के लिए आवश्यक समझी जाए ;
	(ग) जहां ऐसा निस्तारण कंकड़युक्त जल और अवसादी पदार्थ है ;	133	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी तथा ऐसी प्रतिभूति, जो भविष्य में उद्भूत होने वाली किन्हीं क्षतियों से बचाव के लिए आवश्यक समझी जाए ;
	(घ) जहां निस्तारण किन्हीं अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों का है ;	133	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी तथा ऐसी प्रतिभूति, जो भविष्य में उद्भूत होने वाली किन्हीं क्षतियों से बचाव के लिए आवश्यक समझी जाए ।
58.	यदि कोई पोत स्वामी, मास्टर या कोई अन्य व्यक्ति, धारा 133 की उपधारा (6) के उल्लंघन में किसी जलयान या पतन या प्लेटफार्म या समुद्र में मानव निर्मित संरचनाओं को कूड़ा फेंकने में लगा होना अनुज्ञात करता है ।	133(6)	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी तथा ऐसी प्रतिभूति, जो भविष्य में उद्भूत होने वाली किन्हीं क्षतियों से बचाव के लिए आवश्यक समझी जाए ।
59.	यदि कोई जलयान, धारा 135 के उल्लंघन में वैध प्रमाणपत्रों के बिना समुद्र में जाता है ।	135	शास्ति, जो पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
60.	यदि जलयान का मास्टर, धारा 136 के उल्लंघन में लेखाबहियों में रखने में असफल होता है ।	136	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
61.	यदि जलयान का कोई मास्टर या स्वामी, जो धारा 137 की उपधारा (3) के अधीन निरुद्ध है, ऐसे जलयान को धारा 137 के उल्लंघन में उसे निर्मुक्त करने के पूर्व समुद्र में ले जाना कारित करता है ।	137(3)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।

62	यदि जलयान का मास्टर, जो धारा 138 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी घटना की विशिष्टियाँ को रिपोर्ट करने में असफल रहता है ।	138(1)	शास्ति, जो एक लाख पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
63.	यदि कोई पत्तन प्राधिकारी या अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	142(2)	शास्ति, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी ।
64.	यदि कोई मास्टर या जलयान का भारसाधक व्यक्ति, धारा 158 की उपधारा (1) के उल्लंघन में टकराने की दशा में सहायता प्रदान करने में असफल रहता है ।	158(1)	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।
65.	यदि कोई मास्टर, धारा 159 के उल्लंघन में टकराने के संबंध में कार्यालय की लॉगबुक में विवरण प्रविष्ट करने में असफल रहता है ।	159	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
66.	यदि मास्टर या पोत स्वामी या उसका अभिकर्ता, धारा 160 के उल्लंघन में दुर्घटना या क्षति की रिपोर्ट महानिदेशक या निकटतम प्रधान अधिकारी को संप्रेषित करने में असफल रहता है ।	160	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
67.	यदि भारतीय जलयान का स्वामी या अभिकर्ता, धारा 161 के उल्लंघन में बिना युक्तियुक्त कारण के महानिदेशक को, भारतीय जलयान की हानि का नोटिस देने में असफल रहता है ।	161	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
68.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 172 के उल्लंघन में समुद्रीय दावों के लिए अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति अनुरक्षित करने में असफल रहता है ।	172	शास्ति, जो पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
69.	यदि कोई मास्टर या पोत स्वामी, धारा 190 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं ले जाता है ।	190(1),(2)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
70.	यदि कोई मास्टर या पोत स्वामी, धारा 207 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं ले जाता है ।	207(1),(2)	शास्ति, जो पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी ।
71.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 217 की उपधारा (4) के उल्लंघन में किसी नोटिस के अनुपालन से इंकार कर देता है या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है अथवा कोई मिथ्या कथन करता है ।	217(4)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
72.	यदि प्राथमिक प्रत्युत्तर पक्षकार, धारा 226 के अधीन समुद्रीय आपात प्रत्युत्तर में लगे होने में असफल हो जाता है ।	226	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।

73.	यदि जलयान का स्वामी या मास्टर, धारा 251 के अधीन उबारकों के साथ संविदाओं के समापन में असफल रहता है ।	251	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
74.	यदि कोई उबारक, धारा 252 की उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है ।	252(1)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
75.	यदि जलयान का स्वामी या मास्टर अथवा किसी अन्य संपति का स्वामी, धारा 252 की उपधारा (2) के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहता है ।	252(2)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
76.	यदि जलयान का स्वामी, धारा 264 के उल्लंघन में बचाव, सुरक्षा और प्रदूषण निवारण तथा बीमा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	264	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
77.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 265 की उपधारा (2) के अधीन मानव अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	265(2)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
78.	यदि पोत स्वामी, जलयान का मास्टर, टिन्डल या स्कीपर, धारा 270 के उल्लंघन में सक्षमता या दक्षता प्रमाणपत्रों या किसी अन्य प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।	270	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
79.	यदि भारतीय मत्स्य जलयान का स्वामी या उसका अभिकर्ता या स्कीपर, धारा 271 के खंड (क) के उल्लंघन में करार करने में असफल रहता है ।	271(क)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
80.	यदि कोई पोत स्वामी या मास्टर, धारा 273 की उपधारा (1) के उल्लंघन में प्रमाणपत्रों के बिना समुद्र में जलयान का चलना या उसका आगे बढ़ना अनुज्ञात करता है ।	273(1)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
81.	यदि पोत स्वामी या जलयान का मास्टर, टिन्डल या स्कीपर, धारा 275 के उल्लंघन में कर्मीदल का विवरण अनुरक्षित करने या करवाने में असफल रहता है ।	275	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
82.	यदि पोत स्वामी या जलयान का मास्टर या टिन्डल या स्कीपर, धारा 276 के उल्लंघन में स्थौरा के अवभारण का नोटिस प्रदान करने में असफल रहता है ।	276	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
83.	यदि पोत स्वामी या जलयान का अभिकर्ता या मास्टर या अधिकारी, धारा 277 की उपधारा (3) के उल्लंघन में समुचित अधिकारी को सर्वेक्षण या संपरीक्षा के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान	277(3)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।

	करने में असफल रहता है ।		
84.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 296 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी अधिकारी या व्यक्ति को रुकावट या अवरोध करता है ।	296(2)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
85.	यदि पोत स्वामी या मास्टर या टिन्डल या स्कीपर अथवा समुद्र यात्रा वृतिक या पत्तन या कोई व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, धारा 300 की उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसी शर्त को भंग करता है, जिसके अधीन कोई छूट अनुदत्त की जाती है ।	300(2)	शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी ।
86.	यदि कोई पोत स्वामी या उसका अभिकर्ता या मास्टर या समुद्र यात्रा वृतिक या टिन्डल या समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान या भर्ती स्थानन सेवा प्रदाता या पत्तन या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, धारा 301 के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	301	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।
87.	यदि किसी जलयान का स्वामी या मास्टर, धारा 304 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी राज्य के झंडे के साथ जलयान को चलना अनुज्ञात करता है ।	304(1)	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी तथा जलयान को भी निरुद्ध रखा जा सकेगा ।
88.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 307 की उपधारा (4) के अधीन प्रधान अधिकारी द्वारा लागू किए गए नियंत्रण उपायों के उल्लंघन में कृत्य करता है ।	307(4)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
89.	यदि कोई पत्तन, धारा 310 की उपधारा (1) के उल्लंघन में अभिसमयों के अधीन बाध्यताओं के निर्वहन में असफल रहता है ।	310(1)	शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी ।
90.	यदि कोई पत्तन प्राधिकारी या राज्य समुद्रीय बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, धारा 311 की उपधारा (1) के अधीन किसी अभित्यजित यान के संबंध में सेवाएं प्रदान करने या सहायता देने या उपाय करने में असफल रहता है ।	311(1)	शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।
91.	यदि किसी भारतीय जलयान का कोई रजिस्ट्रीकृत स्वामी, धारा 314 के उल्लंघन में अनिवार्य पर्याप्त बीमा कवरेज या ऐसी अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने में असफल रहता है ।	314	शास्ति, जो सतर लाख रुपए तक हो सकेगी ।
92.	यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी जलयान को निरुद्ध किया जाता है, जिसके लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं है ।	साधारण	शास्ति, जो पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी ।
93.	यदि कोई व्यक्ति, भाग 3 के अधीन रजिस्ट्रार की उपस्थिति में या उसे प्रस्तुत किसी घोषणा के मामले		

	मैं या ऐसे रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किसी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य में,—		
5	(i) किसी जलयान में विद्यमान हकदारी या उसके स्वामित्व या हित या जलयान में किसी हिस्सा से संबंधित, कोई मिथ्या कथन, जानबूझकर करता है या करने में सहायता करता है या करने के लिए उपाप्त करता है ; या	साधारण	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
10	(ii) ऐसे किसी मिथ्या कथन को, मिथ्या जानते हुए उसे अंतर्विष्ट करने वाली किसी घोषणा या दस्तावेज का वाचन करता है, उसे प्रस्तुत करता है या उसका उपयोग करता है ।		
94.	यदि कोई व्यक्ति,—		
15	(क) उन्मोचन प्रमाणपत्र या किसी समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में कार्य करने का प्रमाणपत्र या निरंतर उन्मोचन प्रमाणपत्र या किसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रति की कूटरचना करता है या कपटपूर्वक परिवर्तित करता है ; या	साधारण	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
20	(ख) उन्मोचन प्रमाणपत्र या किसी समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में कार्य करने का प्रमाणपत्र या निरंतर उन्मोचन प्रमाणपत्र या किसी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रति का कपटपूर्वक प्रयोग करता है, जो कूटरचित या परिवर्तित है या उससे संबंधित नहीं है ।		
95. 25	यदि कोई व्यक्ति, किसी शासकीय लॉग बुक में किसी प्रविष्टि को जानबूझकर नष्ट करता है या विकृत करता है या अपठनीय बना देता है अथवा शासकीय लॉग बुक में मिथ्या या कपट प्रविष्टि, जानबूझकर बनाता है या बनाने का उपापन करता है या बनाने में सहायता करता है अथवा लोप करता है ।	साधारण	शास्ति, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगी ।
96. 30	यदि विशेष व्यापार यात्री जलयान का मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता, भाग 6 में निर्दिष्ट कोई भी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् कपटपूर्वक कुछ करता है या मजबूरन करना पड़ता है, जिससे जलयान, या विशेष व्यापार यात्रियों की परिवर्तित स्थिति या अन्य विषयों, जिनसे प्रमाणपत्र संबंधित है, के लिए प्रमाणपत्र अप्रयोज्य बन जाता है । 35	साधारण	शास्ति, जो पहले उल्लंघन के लिए एक लाख रुपए तक और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी ।

(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अपराध, क्रमश: ऐसे अपराधों के प्रति निर्देश से, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित सीमा तक दंडनीय होंगे ।

सारणी

क्रम सं.	अपराध	धारा, जिसमें अपराध निर्दिष्ट हैं	कारावास या जुर्माना या दोनों
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 15 के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य प्रमाणपत्र के बिना किसी जलयान का समुद्र में जाना कारित करता है ।	15	कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
2.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 37 की उपधारा (4) के उल्लंघन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करता है ।	37(4)	कारावास, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
3.	यदि किसी भारतीय जलयान का कोई स्वामी या कोई मास्टर, धारा 38 के उल्लंघन में जलयान की भारतीय पहचान को जानबूझकर छिपाता है ।	38	कारावास, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
4.	यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन अनुदत किसी प्रमाणपत्र को धारण किए बिना समुद्र में जाता है ।	साधारण	कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
5.	यदि कोई व्यक्ति, किसी जलयान या पाल नौकायन या मत्स्य जलयान को अपेक्षित प्रमाणपत्र-प्राप्त कार्मिक के बिना समुद्र में जाना कारित करता है ।	साधारण	कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
6.	यदि कोई व्यक्ति, धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (क) के उल्लंघन में भर्ती और नियोजन सेवा अभिकरण के कारबार में लगा रहता है ।	62(2)(क)	कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
7.	यदि कोई व्यक्ति, किसी समुद्र यात्रा वृत्तिक या व्यक्ति से धारा 62 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उल्लंघन में किसी पारिश्रमिक की मांग करता है या उसे प्राप्त करता है ।	62(2)(ग)	कारावास, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
8.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक, धारा 97 के उल्लंघन में कोई बात करता है या करने से इंकार करता है या करने का लोप करता है ।	97	कारावास, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ।
9.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृत्तिक, धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दोषी है ।	99(1)(घ)	कारावास, जो एक मास तक का हो सकेगा और ऐसी अवज्ञा या अवहेलना के जारी रहने के प्रत्येक चौबीस घंटे पर, उसकी मजदूरी में से उसके छह दिन से अनधिक वेतन के बराबर रकम का समपहरण भी या कोई व्यय, जो कोई स्थानापन्न के नियोजन के लिए समुचित रूप से उपगत किया गया है, किया जा सकेगा ।

10.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दोषी है ।	99(1)(ड)	कारावास, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों ।
11.	यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का दोषी है ।	99(1)(च)	उसकी मजदूरी में से उतनी राशि का समपहरण जो उठाई गई क्षति के समतुल्य हो और तीन मास तक कारावास भी ।
12.	यदि समुद्र यात्रा वृतिक नियोजित किए जाने पर या उसके पूर्व, अपने अंतिम जलयान के नाम या तथाकथित अंतिम जलयान के नाम के बारे में जानबूझकर और कपटपूर्वक मिथ्याकथन करता है या अपने नाम के बारे में कपटपूर्वक मिथ्याकथन करता है ।	साधारण	जुर्माना जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा ।
13.	यदि धारा 133 के उल्लंघन में कोई भारतीय जलयान का कोई स्वामी या मास्टर समुद्र में कहीं भी प्रदूषित पदार्थ निस्सारित करता है या विदेशी जलयान का स्वामी या मास्टर तटीय जल के भीतर प्रदूषित पदार्थ निस्सारित करता है, तब—	133	
	(क) जलयानों से जहां निस्सारण तेल और तैलीय मिश्रण का किया जाता है;	133	जुर्माने से जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगा या कारावास से जो एक वर्ष की अवधि के लिए हो सकेगा, या दोनों, और ऐसी प्रतिभूति जो किन्हीं नुकसानों को प्रतिभूत करने के लिए आवश्यक समझी जाए जो भविष्य में उत्पन्न होगी ;
	(ख) जहां निस्सारण अपायकर तरल पदार्थ का किया जाता है ।	133	जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा या कारावास से जो छह मास की अवधि के लिए हो सकेगा, या दोनों, और ऐसी प्रतिभूति जो किसी नुकसानों को प्रतिभूत करने के लिए आवश्यक समझी जाए जो भविष्य में उत्पन्न होगी ;
14.	यदि जलयान का स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर, चार्टरर, प्रचालक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी धारा 138 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के अनुपालन करने में असफल रहता है ।	138(2)	कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से और अपराधी दोषसिद्धि के पश्चात् जब तक अपराध जारी रहता है तब तक प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा ।
15.	यदि किसी भारतीय जलयान या किसी उपस्कर का स्वामी धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	139(1)	कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से और अपराधी दोषसिद्धि के पश्चात् जब तक अपराध जारी रहता है तब तक प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा ।
16.	यदि स्वामी, प्रबंधक, प्रचालक, कंपनी, पाइलट, बंदरगाह मास्टर, मास्टर या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति धारा 231	231(2)	जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और संदाय के व्यतिक्रम में, सादा कारावास से जो

	की उपधारा (2) के उल्लंघन में अधिकारी को समुद्री दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहता है ।		तीन मास तक का हो सकेगा ।
17.	यदि किसी भारतीय जलयान का मास्टर या स्वामी या प्रचालक या भारतीय जलयान से भिन्न कोई पोत धारा 236 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उल्लंघन में ध्वंसावशेष की रिपोर्ट करने में असफल रहता है ।	236(1),(2)	जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और संदाय के व्यतिक्रम में, कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा ।
18.	यदि किसी पोत का स्वामी या प्रचालक धारा 238 की उपधारा (1) के उल्लंघन में तुरंत चिन्ह लगाने या ध्वंसावशेष के चिन्ह का रखरखाव करने में असफल रहता है ।	238(1)	जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और संदाय के व्यतिक्रम में, कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा ।
19.	यदि मास्टर धारा 290 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरोध से ऐसे जलयान को निर्मुक्त करने से पहले जलयान को समुद्रयात्रा के लिए अनुज्ञा देता है ।	290(2)	कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से ।
20.	यदि जलयान का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता धारा 290 की उपधारा (3) के उल्लंघन में जलयान को निरुद्ध करने या सर्वेक्षण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति समुद्र में ले जाता है ।	290(3)	कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से ।
21.	यदि स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता किसी परमाणु जलयान को धारा 298 की उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी पतन या स्थान पर ले जाने की अनुज्ञा देता है ।	298(1)	कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से ।
22.	यदि स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता धारा 298 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ।	298(2)	कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से ।
23.	यदि पोत का कोई स्वामी धारा 302 की उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक के निदेशों के अनुपालन करने में असफल रहता है ।	302(1)	कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से ।

शास्ति का अधिरोपण करने के लिए प्राधिकारी और उसके लिए प्रक्रिया ।

282. (1) धारा 281 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी प्रधान अधिकारी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले प्रधान अधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, महानिदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) महानिदेशक अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी

अपील का निपटान करेगा ।

(4) इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन जिसके लिए शास्ति उपबंधित की गई है ऐसे अधिकारी द्वारा जो इस निमित्त अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित किया जाए प्रथम उल्लंघन के लिए प्रशमनित हो सकेगी ।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि प्रधान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति इस भाग के अधीन जमा नहीं की जाती है तो रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।

विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।

283. (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन कोई अपराध करने वाले व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किसी ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां वह व्यक्ति पाया जाए या ऐसे किसी न्यायालय में जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निर्दिष्ट करे अथवा किसी ऐसे न्यायालय पर किया जा सकेगा जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसका विचारण किया जा सकता है ।

(2) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर का कोई न्यायालय धारा 281 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

दंड की बाबत विशेष उपबंध ।

2023 का 46

284. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 में किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे ।

विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति ।

285. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष तक व्यवसाय में रहा है इस अधिनियम के किसी मामले या मामलों के वर्ग के प्रयोजनों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी ।

विशेष व्यापार जलयान के मास्टर या स्वामी की बाबत शास्तियां ।

286. विशेष व्यापार यात्री जलयान के मास्टर या स्वामी धारा 281 के अधीन जिन शास्तियों के दायित्वाधीन हैं वे केवल इस निमित्त समुचित अधिकारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर प्रवृत की जाएंगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विशेष व्यापार यात्री जलयान" से तीस से अधिक विशेष व्यापार यात्रियों को ले जाने वाला यांत्रिक रुप से नोदित जलयान अभिप्रेत है ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

287. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे उल्लंघन के समय उसके कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन की दोषी समझी जाएगी तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने की भागी होगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित

किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, तथा यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदर अभिप्रेत है ।

जब साक्षी को पेश न किया जा सके तब अभिसाक्ष्यों का साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना ।

288. (1) जहां, इस अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय या अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में किसी साक्षी का परिसाक्ष्य अपेक्षित है और प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति साक्षी को पेश नहीं करता है तब उस साक्षी द्वारा उस विषय-वस्तु के संबंध में भारत में किसी न्यायालय के समक्ष या किसी भारतीय राजदूत के समक्ष, अन्यत्र, उससे पूर्व दिया गया कोई अभिसाक्ष्य, साक्ष्य में ग्राह्य होगा यदि,—

(क) अभिसाक्ष्य ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या राजदूत के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित है, जिसके समक्ष परिसाक्ष्य दिया गया है ;

(ख) प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर है ;

(ग) कार्यवाही दांडिक है तो, यह सबूत पेश किया जाता है कि अभिसाक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था ।

(2) किसी भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदीय हैसियत को साबित करना आवश्यक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसे अभिसाक्ष्य पर हस्ताक्षर किए गए प्रतीत होते हैं; और ऐसे व्यक्ति का यह प्रमाणपत्र कि प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति को साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर था, तथा वह अभिसाक्ष्य, यदि वह किसी दांडिक कार्यवाही में दिया गया है तो, अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में दिया गया था, तब तक जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, इस बात का साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर था और वह अभिसाक्ष्य इस प्रकार दिया गया था ।

नुकसान करने वाले विदेशी जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।

289. (1) जब भी भारत की सरकार या भारत के किसी नागरिक या कंपनी की संपत्ति को भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान द्वारा विश्व के किसी भाग में कोई नुकसान पहुंचाया जाता है और वह जलयान भारतीय अधिकारिता के भीतर पाया जाता है, तो ऐसे आवेदन पर जो यह अभिकथित करता है कि नुकसान जलयान के मास्टर या किसी अन्य समुद्रयात्रा वृतिक के अवचार या कौशल के अभाव के कारण पहुंचा था, उच्च

न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसे जलयान को निरुद्ध करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरोध का आदेश ऐसे समय तक प्रवृत रहेगा जब तक पोत स्वामी, मास्टर या परेषिती नुकसान से संबंधित किसी दावे की पुष्टि नहीं कर देता है या उन सब खर्चों और नुकसानियों के संदाय के लिए, जो अधिनिर्णीत की जाए, उच्च न्यायालय को समाधानप्रद रुप से प्रतिभूति नहीं दे देता है ।

(3) जब भी यह प्रतीत होता है कि इसके पूर्व कि इस धारा के अधीन आवेदन किया जाए, वह जलयान भारत से या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र से रवाना हो जाएगा तो कोई भी समुचित अधिकारी जलयान को उतने समय के लिए निरुद्ध रख सकेगा जितने समय में आवेदन किया जा सके और वह अधिकारी ऐसे निरोध के संबंध में तब तक किन्हीं खर्चों या नुकसानियों के लिए दायी नहीं होगा जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि जलायन को बिना युक्तियुक्त आधार के निरुद्ध रखा गया था ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी नुकसानी के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति प्रतिवादी बनाया जाएगा और ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस जलयान का स्वामी है जिसने नुकसान पहुंचाया है ।

जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।

290. (1) जहां किसी जलयान को इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है या ऐसा आदेश दिया जाता है वहां भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल का कोई कमीशन्ड ऑफिसर या कोई पत्तन अधिकारी, पुलिस, पाइलट, बंदरगाह मास्टर, पत्तन संरक्षक या सीमाशुल्क आयुक्त जलयान को समुचित अधिकारी के निर्देश के अधीन निरुद्ध रख सकेगा ।

(2) यदि कोई जलयान निरोध के पश्चात् या ऐसे निरोध को किसी सूचना या आदेश की मास्टर पर तामील किए जाने के पश्चात् और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस जलयान को निर्मुक्त किए जाने के पूर्व समुद्र यात्रा पर अग्रसर होता है तो जलयान का मास्टर इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि समुद्र यात्रा के लिए इस प्रकार अग्रसर होने वाले जलयान को निरुद्ध रखने या उसका सर्वेक्षण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति समुद्र यात्रा पर चल देता है तो ऐसे जलयान का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति को समुद्र पर ले जाने और उसके आनुषंगिक सब व्ययों के संदाय का दायी होगा और उस उपधारा के अधीन अपराध का दोषी भी होगा ।

(4) जब कोई स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता उपधारा (3) के अधीन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है तब न्यायालय दोषसिद्धि का आदेश करते हुए ऐसे स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता द्वारा व्ययों के मद्दे संदेय रकम के बारे में जांच कर सकेगा और उसका अवधारण कर सकेगा तथा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी रकम उससे उसी रीति में वसूल की जाएगी जिस रीति में जुर्माने की वसूली के लिए उपबंध किया गया है ।

जंगम संपति या जलयान के करस्थम् द्वारा मजदूरी आदि का उद्ग्रहण ।

291. (1) जब किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी मजदूरी या अन्य धनराशि के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन आदेश दिया जाता है और वह धनराशि निर्दिष्ट समय पर और रीति में संदत्त नहीं की जाती है तो आदेश में उल्लिखित राशि, ऐसी अतिरिक्त राशि सहित जैसी खर्चे के रूप में अधिनिर्णीत की जाए, उस व्यक्ति को ऐसे न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए जाने वाले वारंट के

अधीन उस राशि का संदाय करने का निदेश दिया जाता है, जंगम संपति के करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत की जा सकेगी ।

(2) जहां किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन यह शक्ति है कि वह किसी समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी, जुर्माने या अन्य धनराशि का संदाय करने का निदेश देने का आदेश दे सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसा संदाय करने का निदेश दिया गया है जलयान का मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता है और आदेश द्वारा निर्दिष्ट समय पर अथवा रीति में उसका संदाय नहीं किया जाता है तो वह ऐसे न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकारी, किसी ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने के अतिरिक्त जो उसे, संदाय करने के लिए वारंट द्वारा विवश करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त है, यह निदेश दे सकेगा कि वह रकम, जिसका संदाय नहीं किया गया है, जलयान और उसके उपस्कर के करस्थम् और विक्रय द्वारा उद्गृहीत की जाए ।

दस्तावेजों की तामील ।

292. जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति पर कोई दस्तावेज तामील की जानी है तो ऐसी दस्तावेज—

(क) किसी भी मामले में उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की जानी है, उसकी प्रति वैयक्तिक रूप से परिदत्त करके या उसे उसके अंतिम निवास स्थान पर छोड़कर, अथवा डाक द्वारा, तामील की जा सकेगी ;

(ख) यदि दस्तावेज की तामील जलयान के मास्टर पर, जहां कोई हो, वहां दस्तावेज को ऐसे मास्टर के लिए उस जलयान के फलक पर उस व्यक्ति को छोड़कर, जो जलयान का समादेश करता है या उसका प्रभारी है या समादेश करने वाला या प्रभारी प्रतीत होता है, तामील की जा सकेगी ; और

(ग) यदि दस्तावेज की तामील जलयान के मास्टर पर की जानी है और उसका कोई मास्टर नहीं है तथा जलयान भारत में है तो जलयान के स्वामी पर की जा सकेगी या, यदि ऐसा स्वामी भारत में नहीं है तो, स्वामी के भारत में निवास करने वाले किसी अभिकर्ता पर की जा सकेगी या यदि कोई ऐसा अभिकर्ता ज्ञात नहीं है या नहीं मिलता है तो उसकी एक प्रति जलयान पर या पुल पर उपयुक्त स्थान पर चिपका कर की जा सकेगी ।

भाग 15

प्रकीर्ण

यात्रा के दौरान जलयान फलक पर व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु ।

293. किसी यात्रा के संचालन करने वाले जलयान का मास्टर अगले पत्तन पर या पहुंच के स्थान पर पहुंचने पर यात्रा के दौरान होने वाली किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु की तारीख और मृत्यु का कारण या अन्य कोई सुसंगत विवरण, जिसे इस निमित केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समुचित अधिकारी को संसूचित करेगा ।

जलयान पर मृत्यु के कारण के बारे में या भारतीय जलयान से लापता व्यक्ति के बारे में जांच ।

294. (1) यदि फलक पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या कोई व्यक्ति किसी भारतीय जलयान से लापता है, मास्टर महानिदेशक और पत्तन के या पहुंच के अगले पत्तन के समुचित अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी मृत्यु के कारण की जांच करेगा और अधिकृत लॉग बुक में उसका पृष्ठांकन करेगा कि या तो उसकी राय

में बुक में मृत्यु का कारण सही है या जांच के परिणाम उसके विपरीत है ।

(3) यदि ऐसी किसी जांच के अनुक्रम में समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि जलयान के फलक पर मृत्यु हिंसा के कारण या अन्य अनुचित साधन से हुई है तो वह उस विषय को या तो महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा अथवा यदि मामले की अत्यावश्यकता के कारण ऐसा अपेक्षित है तो, अपराधी के विचारण के लिए अविलम्ब कार्रवाई करेगा ।

2023 का 45

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक समझा जाना ।

295. निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) प्रत्येक सर्वेक्षक ;

(ख) भाग 11 के अधीन समुद्रीय परिवहन अपघटनाओं के बारे में इतिला की रिपोर्ट करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति ;

(ग) कोई अन्वेषण या जांच करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किया गया प्रत्येक व्यक्ति और वे सब व्यक्ति जिनका वह अपनी सहायता के लिए आह्वान करता है ;

(घ) जलयान पर कोई विस्फोट होने या आग लगने के बारे में अन्वेषण करने के लिए निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इसके अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक अन्य अधिकारी या व्यक्ति ।

अन्वेषण, जांच, आदि करने के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्तियों की शक्तियां ।

296. (1) अन्वेषण या जांच करने के लिए या जलयान पर चढ़ने या उसका सर्वेक्षण या निरीक्षण करने या उसे निरुद्ध रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त प्रत्येक व्यक्ति—

(क) किसी जलयान के फलक पर जा सकेगा और उस पोत या उसके किसी भाग या किसी मशीन, उपस्कर या उसके फलक पर की किसी वस्तु अथवा ऐसे मास्टर या अन्य अधिकारी के, जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंध लागू हैं प्रमाणपत्रों का जलयान के समुद्री यात्रा पर अग्रसर होने में अनावश्यक निरोध या विलंब किए बिना, निरीक्षण कर सकेगा तथा यदि जलयान की किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक समझा जाए तो जलयान को निरीक्षण या सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए डाक में ले जाने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ख) किन्हीं ऐसे परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा जिनमें प्रवेश करना और जिनका निरीक्षण करना इस धारा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो ;

(ग) स्वहस्ताक्षरित समन द्वारा ऐसे सब व्यक्तियों की हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा जिन्हें वह अपने समक्ष बुलाना ठीक समझे और इस धारा के प्रयोजन के लिए उनका परीक्षण कर सकेगा तथा किन्हीं ऐसी पूछताछों के, जैसी पूछताछ करना वह ठीक समझता है, उत्तरों या विवरणियों की अपेक्षा कर सकेगा ;

(घ) सब सुसंगत बहियों, कागजपत्रों या दस्तावेजों को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और पेश करा सकेगा ;

(ङ) शपथ दिला सकेगा या शपथ लेने या शपथ दिलाने के स्थान पर उस व्यक्ति से, जिसका वह परीक्षण करे, उसके परीक्षण के दौरान उसके द्वारा दिए गए विवरणों की सत्यता की घोषणा करने की और उन पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकेगा ; या

(च) किसी जलयान के कर्मीदल की हाजिरी ले सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या व्यक्ति को किसी जलयान के फलक पर जाने से प्रतिबाधित नहीं करेगा या उसमें बाधा नहीं डालेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी शक्तियों के प्रयोग में अन्यथा अड़चन नहीं डालेगा ।

आनुकल्पिक उपबंध और व्यवस्था को अनुज्ञात करने की शक्ति ।

297. जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि जलयान के लिए उपबंध या व्यवस्था को अभिसमय या अन्यथा के अधीन बाध्यताओं को पूरा किया जाएगा, केन्द्रीय सरकार परीक्षण द्वारा या अभिसमय या अपने नयाचार या अपने संशोधन पर आधारित या अन्यथा अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा उपबंध या व्यवस्था उतनी ही प्रभावपूर्ण है जितनी कि अपेक्षित है तो वह आदेश द्वारा, ऐसा अन्य उपबंध या व्यवस्था का उपयोग करने या उपबंधित कराने का निदेश या अनुज्ञा दे सकेगा ।

परमाणु जलयान का नियंत्रण और सुरक्षा उपाय ।

298. (1) कोई भी परमाणु जलयान भारत में किसी पतन या किसी स्थान पर जिसके अंतर्गत इसका जलीय क्षेत्राधिकार भी है केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना अग्रसर नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "परमाणु जलयान" से परमाणु पावर प्लांट सहित जलयान अभिप्रेत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसा सुरक्षा उपाय करने के लिए जो आवश्यक हो जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे ।

विदेशी और भारतीय जलयानों को छूट ।

299. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध किसी राज्य की सरकार के जलयानों को या ऐसे जलयानों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

छूट देने की शक्ति ।

300. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा या ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, जलयान या टिंडल या स्किपर या समुद्र यात्रा वृतिक या पतन या जलयान के किसी वर्ग को इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट या इसके अनुसरण में विहित की गई किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षा से छूट दे सकेगी या किसी ऐसे जलयान या टिंडल स्किपर या समुद्र यात्रा वृतिक या पतन या जलयान के किसी वर्ग की दशा में किसी ऐसी अध्यपेक्षा के अनुपालन से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षा का तात्विक रूप से अनुपालन कर दिया गया है या अपेक्षा के अनुपालन से उस मामले की परिस्थितियों में अभिमुक्ति प्रदान की जाए या की जानी चाहिए :

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी जो सुरक्षा अभिसमय प्रदूषण निवारण अभिसमय द्वारा प्रतिषिद्ध है ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई छूट किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है वहां उन शर्तों में से किसी व्यतिक्रम की बाबत यह समझा जाएगा कि वह, किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन अपराध है ।

महानिदेशक की निदेश देने की शक्ति ।

301. यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या भारतीय पोत परिवहन के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित में सूचना, परिपत्र, आदेश या मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा, ऐसे निदेश जो वह ठीक समझे किसी जलयान या समुद्र यात्रा वृतिक या टिंडल या पोत स्वामी या उसके अभिकर्ता या समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान या भर्ती स्थानन सेवा प्रदाता या पतन या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को दे सकेगा ।

व्यतिक्रम करने वाले पोत स्वामी के बाबत विशेष उपबंध ।

302. (1) महानिदेशक, लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, पोत स्वामी को जो इस अधिनियम के उपबंधों के या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में असफल रहता है या जीवन, संपति या पर्यावरण की किसी अपहानि जो ऐसे पोत स्वामी द्वारा स्वामित्व वाले जलयान किंतु उसके द्वारा परित्यक्त नहीं है से, कारित हो, सुरक्षा और निवारण के लिए कार्रवाई नहीं करता है, ऐसे उपाय जो निदेशित किए जाए, करने के लिए निदेश दे सकेगा :

परंतु यदि पोत स्वामी ऐसे निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है तो महानिदेशक आवश्यक कार्रवाई भी है, जिसमें जलयान या स्थोरा का अधिहरण या समपहरण, यदि कोई हो, या दोनों और उन्मोचित करने के लिए, जो वह समुचित समझे, कर सकेगा ।

(2) पोत स्वामी द्वारा समयानुसार कार्रवाई की असफलता के कारण उपधारा (1) के अधीन वर्णित अपहानि को रोकने में महानिदेशक द्वारा उपगत खर्च ऐसे पोत स्वामी से सरकार देय के रुप में वसूल करेगा ।

(3) महानिदेशक जलयान या स्थोरा के निपटान द्वारा सृजित निधियों से, उपधारा (2) में निर्दिष्ट लागत का समायोजन करने के लिए सक्षम होगा ।

गहरे समुद्र में विदेशी जलयान का पीछा करना ।

303. यदि केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी विदेशी जलयान ने तटीय जल के भीतर किसी विधि का उल्लंघन किया है तब अन्वेषण के लिए ऐसे विदेश जलयान का गहरे समुद्र में पीछा करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन किसी जलयान को प्राधिकृत कर सकेगा और तत्पश्चात् जलयान को यदि आवश्यक समझे और कार्यवाहियों के लिए, अभीग्रहण कर सकेगा :

परंतु, यथासाध्य, ऐसा विदेशी जलयान गहरे समुद्र में जलयान का पीछा करने के पहले रोकने का संकेत दे सकेगा ।

राष्ट्रीयता के बिना जलयान के बाबत केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ।

304. (1) जहां यह स्थापित किया जाता है कि भारत या उसके तटीय जल के भीतर कोई जलयान विधिक रुप से किसी राज्य का झंडा फहराने का हकदार नहीं है या उसने ऐसा अधिकार खो दिया है, केन्द्रीय सरकार जो वह समुचित समझे, ऐसी रीति में जो विहित की जाए ऐसे जलयान, का प्रभार है, ले सकेगी और बिना राष्ट्रीयता के ऐसे जलयान को निरुद्ध कर सकेगी, जिसके अंतर्गत इसका स्थोरा भी है ।

(2) जलयान जिसके दो या दो से अधिक राज्यों के झंडों के अधीन पाल है उनका सुविधानुसार उपयोग करता है ऐसा जलयान बिना राष्ट्रीयता के समझा जाएगा ।

अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

305. किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित हो कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

अन्य राज्यों के साथ करार ।

306. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अन्य राज्यों या संगठनों के साथ करार कर सकेगी ।

जलयानों के नियंत्रण उपाय और निरुद्ध करना ।

307. (1) कोई जलयान ऐसी अपेक्षाओं जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, विहित की जाएं अवसंरचना, उपस्कर, सुरक्षा और स्थोरा प्रचालन, प्रदूषण निवारण, सुरक्षित काम, समुद्रीय श्रम मानक, बीमा, वर्गीकरण या ऐसे अन्य सुसंगत अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना किसी पतन, टर्मिनल, लंगर स्थान, पतन सुविधा, भारतीय अपतटीय सुविधा या भारत के राज्यक्षेत्रीय जल के भीतर प्रवेश या पाल गिराना या प्रचालन नहीं करेगा ।

(2) प्रधान अधिकारी किसी असुरक्षित जलयान या जलयान जो उनको असुरक्षित जलयान होना प्रतीत होता है सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए अनंतिम रुप से निरुद्ध कर सकेगा ।

(3) सर्वेक्षक उपधारा (2) में निर्दिष्ट जलयान का निरीक्षण कर सकेगा और यदि ऐसे निरीक्षण पर यह पाया जाता है कि जलयान असुरक्षित जलयान है या इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है इसकी रिपोर्ट प्रधान अधिकारी को करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, प्रधान अधिकारी आदेश द्वारा, ऐसे नियंत्रण उपाय का अवलंब लेगा जो आवश्यक हो, ऐसे समय तक जलयान इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करेगा या ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे समुद्र की यात्रा के लिए ऐसे जलयान को अनुज्ञा दे सकेगा, यदि इससे जलयान पर या समुद्र में जीवन की सुरक्षा का जोखिम या पर्यावरण की अपहानि की अयुक्तियुक्त आशंका न हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियंत्रण उपायों के अंतर्गत होगा—

(क) पतन में प्रवेश का प्रत्याख्यान ;

(ख) विस्तारित निरीक्षण ;

(ग) जलयान को विलंबित करना ;

(घ) प्रचालनों का रोका जाना या प्रचालनों का निर्बंधन जिसके अंतर्गत पतन के भीतर का संचलन भी है ;

(ङ) विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कमियों की किसी परिशुद्धि की अपेक्षा ;

(च) जलयान को निरुद्ध करना ;

(छ) पतन या स्थान से जलयान का निष्कासन ; या

(ज) कोई अन्य उपाय जो विहित किया जाए ।

(6) जलयान का मास्टर या स्वामी, उपधारा (4) के अधीन जारी किए गए आदेश की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, महानिदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा जो ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे नियंत्रण उपाय प्रतिधारित या उपांतरित कर सकेगा या जलयान की निर्मुक्ति का आदेश कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "असुरक्षित जलयान" पद से ऐसा जलयान जिसके अंतर्गत जलयात्रा के अयोग्य जलयान भी है अभिप्रेत है, जिससे—

(क) जीवन की सुरक्षा का जोखिम होता है ; या

(ख) इसकी सुरक्षित मैनिंग, हल, मशीनरी, उपस्कर, प्रशिक्षण और समुद्र यात्री वृतिकों की कार्यकारी स्थितियों या परिचालन सुरक्षा के अपेक्षित मानकों के सारभूत रुप से कम होने के कारण पर्यावरण की अपहानि का अयुक्तियुक्त खतरा होता है ; या

(ग) ऐसी अन्य अपेक्षाएं जो विहित की जाए के अनुपालन में असफल रहता है ।

निरुद्ध करने और क्षतियों के खर्च ।

308. (1) जब जलयान इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया जाता है तब जलयान का स्वामी निरुद्ध करने के और जलयान के सर्वेक्षण के आनुषंगिक खर्चों का जो महानिदेशक द्वारा अवधारित किए जाए केन्द्रीय सरकार को संदाय करने का दायी होगा और जलयान ऐसे खर्चों के संदत किए जाने और त्रुटियों के सुधार किए जाने तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निरोध के खर्चों और जलयान के निरोध के लिए प्रतिकर और क्षत्रियों के लिए दावों के आचरण का प्ररूप और रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।

भारतीय जलयान से भिन्न जलयान को निरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया ।

309. (1) किसी राज्य की सरकार से जो इस अधिनियम के अधीन किसी अभिसमय का एक पक्ष है, सूचना की प्राप्ति पर कि भारत राज्यक्षेत्रीय जल के भीतर भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान ने ऐसे अभिसमय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, केन्द्रीय सरकार ऐसी अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो आवश्यक समझे जाए, जलयान को निरुद्ध कर सकेगा ।

(2) जब भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान को इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया जाता है तब जलयान के अनंतिम निरोध के आदेश की एक प्रति उस राज्य के राजदूत को तुरंत तामील की जाएगी जिसका जलयान पत्तन पर या निकटतम है जिसमें ऐसा जलयान निरुद्ध किया जाता है ।

उल्लघन के अधीन पतनों की बाध्यताएं और महानिदेशक द्वारा इसकी मानीटरी करना ।

310. (1) महानिदेशक,—

(क) सुनिश्चित करेगा कि उल्लंघन के अधीन बाध्यताओं का पतन द्वारा निर्वहन किया गया है ;

(ख) पर्यवेक्षण, मॉनीटर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी बाध्यताओं का प्रभावपूर्ण रुप से निर्वहन किया गया है ।

(2) महानिदेशक ऐसी जानकारी के लिए बुला सकेगा और पतन द्वारा बाध्यताओं के

निर्वहन के लिए, जो वह उचित समझे ऐसे निदेश पारित कर सकेगा ।

परित्यक्त जलयान के बाबत केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

311. (1) केन्द्रीय सरकार किसी परित्यक्त जलयान के बाबत जो भारत के तट पर या निकट तटीय जल के भीतर परित्यक्त है सेवाएं या सहायता देने या उपाय करने के लिए पतन प्राधिकारी या राज्य समुद्रीय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी को, जो वह उचित समझे, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए निदेशों का उद्देश्य बचाव, सुरक्षा सुनिश्चित करना परित्यक्त जलयान को जीवन या संपति या पर्यावरण के लिए खतरे से रोकना होगा जिसमें भारतीय तटरेखा का या परित्यक्त जलयान से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण या प्रदूषण के खतरे से बचाव भी है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी परित्यक्त जलयान के बाबत किन्हीं उपायों को करने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा उपगत कोई खर्चे या व्यय केन्द्रीय सरकार का ऋण होगा और जलयान या इसके स्थोरा के विक्रय से प्राप्त आगम से वसूल किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने वाले प्राधिकारी या अभिकरण को प्रदान करने वाली सेवाओं के लिए दरों के अवधारण रीति सहित खर्चों या व्ययों की प्रतिभूति के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(5) नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को देय ऋण जलयान पर प्रभार होगा और निम्नलिखित समुद्रीय धारणाधिकार के पश्चात् प्रथम प्राथमिकता होगी— 2017 का 22

(क) जलयान पर उनके नियोजन के बाबत पूरक जलयानों के मास्टर, अधिकारी और अन्य सदस्यों को देय मजदूरियों और अन्य राशियों के दावे जिनके अंतर्गत उनकी ओर से संदेय संप्रत्यावर्तन और सामाजिक बीमा विवरण के खर्चे भी हैं ;

(ख) जलयान के संचालन के सीधे संबंध में होने वाली जीवन की हानि या व्यक्तिगत क्षति, चाहे भूमि पर हो या जल पर हो ।

समुद्र यात्रा वृतिक के प्रमाणपत्र को रद्द, निलंबित आदि करने की शक्ति ।

312. केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी समुद्र यात्रा वृतिक को इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए किसी प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगी,—

(क) यदि जांच रिपोर्ट या अन्वेषण रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि समुद्रयात्रा वृतिक अक्षम है या अवचार का दोषी है ; या

(ख) टक्कर की दशा में, जहां समुद्र यात्रा वृतिक सहायता प्रदान करने में असफल रहता है ; या

(ग) यदि समुद्र यात्रा वृतिक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या भारत में या भारत के बाहर तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा कोई अमानवीय अपराध किया गया है ; या

(घ) यदि समुद्र यात्रा वृतिक के दोषपूर्ण कार्य या व्यतिक्रम द्वारा कोई दुर्घटना कारित की गई है ; या

(ङ.) यदि समुद्र यात्रा वृतिक जिसको इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाता है ।

पुनः सुनवाई ।

313. जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण या जांच की जाती है, तब केन्द्रीय सरकार मामले को या तो साधारणतया या उसके किसी भाग के बारे में पुनः सुनवाई का आदेश कर सकेगी, और—

(क) यदि नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता लगता है जिसे अन्वेषण के समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था ; या

(ख) यदि उनकी राय में किसी अन्य कारण से घोर अन्याय हुआ है, तो ऐसा आदेश अवश्य करेगी ।

बीमा या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति का रखरखाव ।

314. भाग 9 का अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 भाग 10 और भाग 12 का अध्याय 1 के अधीन रखरखाव के लिए अपेक्षित बीमा या अन्य बीमा प्रतिभूति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय जलयान का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी, इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, पर्याप्त बीमा आवरक या ऐसी अन्य वित्तीय प्रतिभूति अनिवार्य रुप से बनाए रखना अपेक्षित होगा, जो विहित की जाए ।

इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का उपयोग और रखरखाव ।

315. (1) जहां इस अधिनियम के कोई उपबंध या तद्धीन बनाए गए नियम उपबंध करते है कि—

(क) सरकार द्वारा विशिष्ट रीति में किसी कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय या अभिकरण किसी प्ररुप, आवेदन या किसी अन्य दस्तावेज को फाईल करना ;

(ख) चाहे किसी भी नाम से कहा गया हो, विशिष्ट रीति में किसी प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति, परमिट, अनुशास्ति, अनुमोदन या पृष्ठांकन को जारी करना या अनुदान देना ;

(ग) किसी विशिष्ट रीति में धन की प्राप्ति या संदाय तब ऐसे उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भर्ती समाधान कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसे फाईल करना, जारी करना, प्राप्ति या संदाय ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररुप के साधन द्वारा प्रभावित है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, विहित करेगा—

(क) ऐसी रीति और प्ररुप जिसमें ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररुप और दस्तावेज फाईल, सृजित या जारी किए जाएंगे ; और

(ख) खंड (क) के अधीन किसी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज को फाईल करने, सृजन करने या जारी करने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या ढंग ।

(3) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भंडारित, अनुरक्षित या अद्यतन करने के लिए अपेक्षित कोई करार, रिकार्ड डाटाबेस लॉगबुक, रिकार्ड बुक और ऐसे दस्तावेजों को

इलैक्ट्रानिक प्ररूप में अनुरक्षित किया जा सकेगा ।

जलयानों का वर्गीकरण ।

316. केन्द्रीय सरकार जलयानों द्वारा अनुपालित क्रियाकलापों या प्रदान की गई सेवाओं पर आधारित साधारण या विशेष, आदेश द्वारा, जलयानों को विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकृत कर सकेगी ।

प्रभारों की पारदर्शिता ।

317. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी परिस्थितियों में, जो वह अधिसूचना द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट करे, आयात, निर्यात, घरेलू परिवहन के संयंत्र में तटीय जल में प्रचालित किसी भारतीय जलयान या अन्य जलयान के बाबत प्रत्येक सेवा प्रदाता या अभिकर्ता, वहन पत्र या किसी अन्य परिवहन दस्तावेज में विनिर्दिष्ट निर्यात, आयातक, परेषक या परेषिती द्वारा संदत्त किए गए सभी प्रभारों के वहन पत्र या किसी अन्य परिवहन दस्तावेज, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, की ऐसे प्रभारों के विनिर्देश और जारी करने के लिए निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु ऐसे निर्यातक, आयातक, परेषक या परेषिती द्वारा संदत्त किए गए प्रभारों में नियत किए गए और सशर्त प्रभार दोनों अंतर्वलित होंगे :

परंतु यह और कि कोई सेवा प्रदाता या अभिकर्ता वहन-पत्र और किसी अन्य परिवहन दस्तावेज उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्रभारों से भिन्न किन्हीं प्रभारों का उद्ग्रहण नहीं करेगा ।

(2) यदि सेवा प्रदाता और अभिकर्ता उपधारा (1) के अधीन प्रभारों को विनिर्दिष्ट करने में असफल रहता है या वहन पत्र या किसी अन्य परिवहन दस्तावेज में उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्रभारों से भिन्न किन्हीं प्रभारों का उद्ग्रहण करता है वह ऐसी शास्ति का जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करे ।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाए, ऐसे अधिकारी के समक्ष जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अपील प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाता है ।

जानकारी मांगने की महानिदेशक की शक्ति ।

318. महानिदेशक के पास ऐसी जानकारी के लिए जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो, मगांने की शक्ति होगी ।

नियम बनाने की साधारण शक्ति ।

319. (1) इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट नियम बनाने की किसी अन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन वेतन, भते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक और रेडियो

निरीक्षक की शक्तियां और कृत्य ;

(ग) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन निकाय के विनियम-विषयक और अन्वेक्षा कृत्य ;

(घ) धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (घ) अधीन निकाय के अन्य कृत्य ;

(ङ) ऐसा प्ररूप और रीति जिसमें धारा 282 की उपधारा (2) के अधीन कोई व्यथित व्यक्ति महानिदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा ;

(च) धारा 304 की उपधारा (1) के अधीन जलयान को निरुद्ध करने की रीति ;

(छ) धारा 307 की उपधारा (1) के अधीन अन्य सुसंगत अपेक्षाएं ;

(ज) ऐसे अन्य उपाय जो धारा 307 की उपधारा (5) के खंड (ज) के अधीन नियंत्रण उपाय नियत होंगे ;

(झ) धारा 307 के स्पष्टीकरण के अधीन ऐसी अन्य अपेक्षाएं ;

(ञ) धारा 308 की उपधारा (2) के अधीन जलयान को निरुद्ध करने के लिए दावों और प्रतिकर या नुकसानियों के अवधारण का प्ररूप और रीति ;

(ट) धारा 311 की उपधारा (4) के अधीन प्राधिकरण या अभिकरण के लिए खर्चों या व्ययों के प्रतिसंदाय की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दी गई सेवाओं के लिए दरों के अवधारण की रीति भी है ;

(ठ) धारा 314 के अधीन भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा अनुरक्षित किए गए बीमा कवरेज या अन्य वित्तीय प्रतिभूति ;

(ड) धारा 315 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन इलैक्ट्रानिक प्ररूपों और दस्तावेजों को फाईल करने, सृजित करने और जारी करने की रीति तथा ऐसे फाईल करने, सृजित करने या जारी करने के लिए फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या ढंग ;

(ढ) धारा 317 की उपधारा (4) के अधीन किसी अपील की पुर्विकता के लिए प्रक्रिया ;

(ण) धारा 323 की उपधारा (2) के अधीन किसी अन्य देश द्वारा किए गए उपायों के अनुसरण में अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने की धमकी देने की किसी अपेक्षा या चप्रतिषेध के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित करने का प्ररूप और रीति ; और

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकेगा ।

नियमों की बाबत उपबंध ।

320. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उनके किसी भंग की दशा में, शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और यदि भंग जारी रहने वाला है तो अतिरिक्त शास्ति से, जो उस अवधि के दौरान जिसमें भंग जारी रहता है प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए

पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, दायी होगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, नहीं जारी की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

321. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो जो प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियमों, विनियमों और फीसों के मापमानों के बारे में परामर्श देने के लिए समितियां गठित करने की शक्ति ।

322. (1) यदि केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, तो जब वह इस अधिनियम के अधीन नियमों या फीसों के मापमान बनाने या उनमें परिवर्तन करने पर विचार कर रही हो, उसे परामर्श देने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए एक या अधिक समितियां गठित कर सकेगी जिनमें उतने व्यक्ति होंगे जितने वह मुख्यतया प्रभावित होने वाले हितों का उनमें प्रतिनिधित्व करने के लिए, या उस विषय पर विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करे ।

(2) किसी ऐसी समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा भते और अन्य भते संदत्त किए जाएंगे जैसे केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

(3) इस धारा के अधीन समितियों का गठन किन्हीं, नियमों या फीसों के वेतनमानों के बारे में या तो साधारणतया या किन्हीं नियमों या वेतनमानों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए विशिष्टतया केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए अथवा इस अधिनियम से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा ।

भारतीय पोत परिवहन हित की संरक्षा करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ।

323. (1) केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध किसी अन्य देश द्वारा उन निबंधनों और शर्तों को नियमित करने के लिए किए गए उपायों पर लागू होंगे जिन पर माल या यात्रियों का वहन समुद्र द्वारा किया जा सकेगा, जो भारत की अधिकारिता का उल्लंघन करते हैं, जहां तक वे निम्नलिखित पर,—

(क) उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता की बाहर की गई या की जाने वाली बातों ; और

(ख) भारत में विधिपूर्ण व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों लागू होते हैं ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश प्रवृत है, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश द्वारा किए गए उपायों के अध्यधीन हैं केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे उपायों के अनुसरण में उस पर अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने की धमकी देने के किसी अपेक्षा या प्रतिषेध के बारे में सूचना देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अपेक्षा" में तद्धीन अनुमोदन के लिए कोई संविदा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई अपेक्षा सम्मिलित है ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना किसी व्यक्ति से प्राप्त होती है या जहां यह विश्वास करने का आधार है कि कोई सूचना प्राप्त होने की संभावना है, वहां केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे उपाय के अनुपालन पर प्रतिषेध करने के निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(4) केन्द्रीय सरकार, लिखित में आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश के न्यायालय में कोई वाणिज्यिक दस्तावेज या वाणिज्यिक दस्तावेजों से संकलित सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा का अनुपालन करने से प्रतिषिद्ध या निर्बंधित कर सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा दस्तावेज उस देश की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर नहीं है और भारत की अधिकारिता का अतिलंघन करती है या करेगी ।

1958 का 44
1838 का 19

324. (1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (भाग 14 के सिवाय किन्तु धारा 411क इसके अन्तर्गत नहीं है) और तटीय जलयान अधिनियम, 1838 को निरसित किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन बनाया गया, जारी किया गया या मंजूर किया गया कोई नियम, विनियम, उपविधि, आदेश अधिसूचना या छूट, तब तक जब तक वह प्रतिसंहृत नहीं किया जाता है, वैसे ही प्रभावी रहेगा मानों वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाया गया, जारी किया गया, या मंजूर किया गया था ;

(ख) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन स्थापित या सृजित कोई कार्यालय नियुक्त किया गया कोई अधिकारी और निर्वाचित या गठित कोई निकाय जारी रहेगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन स्थापित, सृजित, नियुक्त या निर्वाचित या गठित किया गया था ;

(ग) किसी दस्तावेज में, निरसित किसी अधिनियमिति के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रति या इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के प्रति निर्देश है ;

(घ) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन उद्गृहीत किसी जुर्माने को वैसे ही वसूल किया जा सकेगा मानों वह इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था ;

(ङ) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए

वैसे ही अभियोजन या दंड दिया जाएगा मानो वह अपराध इस अधिनियम के अधीन किया गया था ;

(च) निरसित अधिनियमितियों के अधीन रजिस्टर किए गए किन्हीं जलयानों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किए गए हैं ;

(छ) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन भारत में किसी पत्तन पर रखी गई किसी रजिस्टर बही में अभिलिखित किए गए किन्हीं जलयानों के किन्हीं बंधकों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन रजिस्टर बहीं में अभिलिखित किए गए हैं ;

(ज) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति, सक्षमता या सेवा प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, क या ख प्रमाणपत्र, सुरक्षा प्रमाणपत्र, अर्हित प्रमाणपत्र, सुरक्षा उपस्कर प्रमाणपत्र, छूट प्रमाणपत्र, अन्तरराष्ट्रीय या भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र, या किसी अन्य प्रमाणपत्र या दस्तावेज के बारे में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय प्रवृत है, यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई है और वह सिवाय तब जब उसे इस अधिनियम के अधीन रद्द कर दिया जाए, उस प्रमाणपत्र का दस्तावेज में दर्शाई गई तारीख पर्यन्त प्रवृत रहेगी ;

(झ) निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विरचित या निपटारा किया जा सकेगा ;

(ञ) निरसित किसी अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच किए जाने का आदेश उसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे ऐसे निरीक्षण, अन्वेषण या जांच किए जाने का आदेश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया है ।

(3) इस धारा में किन्हीं विशिष्ट विषयों के उल्लेख से यह नहीं समझा जाएगा कि वह, निरसनों के प्रभाव की बाबत, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने के प्रतिकूल प्रभाव डालता है । 1897 का 10

अध्याय 16

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 का संशोधन

अधिनियम 2021 का 20 का संशोधन ।

325. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 में, धारा 48 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

निदेश जारी करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2024 के अधीन नियुक्त किए गए महानिदेशक की शक्ति ।

"48क. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2024 की धारा 7 के अधीन नियुक्त किया गया महानिदेशक इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए महानिदेशक को ऐसे निदेश जो आवश्यक हो जारी कर सकेगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम) राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रीति में भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के विकास का संवर्धन करने और उसका दक्षतापूर्ण रखरखाव सुनिश्चित करने तथा उस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड स्थापित करने, भारतीय पोतों के रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणन, संरक्षा और सुरक्षा के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था । 1958 के अधिनियम में समय-समय पर किए गए विभिन्न संशोधनों के परिणामस्वरूप इस अधिनियम में 561 धाराएं अंतर्विष्ट हैं ।

2. हाल ही के वर्षों में वाणिज्य पोत परिवहन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव किए गए हैं, जिससे भारतीय पोत परिवहन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है । इन चुनौतियों पर ध्यान देने तथा कारबार में सुगमता का संवर्धन करने के लिए 1958 के अधिनियम में सुधार आवश्यक हो गए । इन सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचालन दक्षता में सुधार करते हुए अनुपालन बोझ को कम करना; वैश्विक पोत परिवहन बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय ध्वज के अधीन टन भार की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना; समुद्र यात्रा वृत्तिकों का कल्याण और गौरव सुनिश्चित करते हुए उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और संरक्षण में सुधार करना; सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन करके यानों तथा समुद्र में जीवन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना; समुद्रीय प्रदूषण को रोकना और समुद्रीय पर्यावरण के लिए रक्षोपाय करना; आकस्मिकताओं पर प्रभावी ढंग से ध्यान देने के लिए समुद्री दायित्वों और प्रतिकर क्रिया विधियों का उपबंध करना; अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन विस्तृत रूप से भारत की बाध्यताओं को अंगीकृत करके वैश्विक सर्वोतम व्यवहारों के साथ संरेखित करना; प्रेरक विनियामक वातावरण का सृजन करके और पोत परिवहन उद्योग में पारदर्शिता तथा जवाबदेही का संवर्धन करके निवेश गंतव्य के रूप में सेक्टर के आकर्षण का संवर्धन करना । इन सुधारों का लक्ष्य सेक्टर का आधुनिकीकरण करना, इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करना तथा इसे उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए वैश्विक मानकों से संरेखित करना है ।

3. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का निरसन करना और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक समसामयिक, भविष्य अनुरूप और गतिशील विधान अर्थात्, वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024 का उपबंध करना आवश्यक हो गया है । वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) यानों के स्वामित्व के लिए पात्रता मापदंड बढ़ाना और भारतीय ध्वज के अधीन टन भार में वृद्धि करना ;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का विस्तार करने और भारतीय टन भार में वृद्धि करने के लिए भारतीय चार्टरकर्ता द्वारा बेयरबोट चार्टर-सह-समर्पण संविदा पर किराए पर लिए गए विदेशी यान का रजिस्ट्रीकरण ; भारत में पुनर्चक्रित होने की ईप्सा करने वाले यानों का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण ; और

किसी भारतीय यान को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत करना ;

(iii) भारतीय समुद्र यात्रा वृतिकों को आन बोर्ड यानों पर कार्य करना सुकर बनाने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र या दक्षता प्रमाणपत्र अनुदत करने के लिए समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण और मानीटर करना ;

(iv) समुद्र यात्रा वृतिकों के अधिकारों और कल्याण को मजबूती देने तथा भर्ती और स्थानन सेवा अभिकरणों के विनियमन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विधेयक में समुद्रीय श्रम अभिसमय विनियमों को अंगीकृत करना ;

(v) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए जाने वाले एक निकाय का गठन करना, जो यानों की सुरक्षा तथा पतन सुविधाओं से संबंधित विनियामक और निगरानी कृत्यों को करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(vi) प्रदूषण निवारण मानकों के प्रवर्तन के लिए उपबंध करना, जिसके अंतर्गत प्रदूषण के परिरोधन के लिए उपाय तथा वायु, समुद्रीय पर्यावरण, तटों या तटीय जल के किसी भाग में प्रदूषण करने वाली घटनाओं को रिपोर्ट करना ;

(vii) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन आदेशित अनुपालन मानकों और प्रमाणपत्रों का भारतीय के साथ-साथ विदेशी यानों पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सर्वेक्षण, संपरीक्षा और प्रमाणन के लिए उपबंध करना ;

(viii) यानों के टकराने और समुद्र में दुर्घटना होने, जिससे यान, स्थोरा या संपति को क्षति या नुकसान होने पर समुद्रीय दायित्व और दावों का उपबंध करना ; कतिपय दावों के संबंध में क्षतियों के लिए दायित्व की परिसीमा ; और परिसीमा निधि का गठन करना ;

(ix) समुद्रीय दुर्घटना के लिए समय प्रभावी और प्रभावकारी आकस्मिकता अनुक्रिया का उपबंध करने के लिए समुद्री दुर्घटना और आकस्मिकता अनुक्रिया का उपबंध करना ;

(x) समुद्री दुर्घटनाओं के अन्वेषण और जांचों के लिए उपबंध करना ;

(xi) पोतभंग और अंशोद्धार प्रचालनों के लिए प्रबंध करना, जिससे जीवन, समुद्री पर्यावरण और स्थोरा के लिए समयबद्ध तथा न्यूनतम क्षति सुनिश्चित की जा सके ;

(xii) यात्रा यानों, मत्स्य यानों तथा उन यानों, जिनका कुल टन भार 15 से कम है तथा जो भारत में पूर्णतया तटीय व्यापार में लगे हुए हैं, की सुरक्षा, संरक्षा, प्रदूषण निवारण तथा बीमा आदेशित करने के लिए उपबंध करना ;

(xiii) शास्तियों और प्रक्रिया के लिए उपबंध करना तथा प्रधान अधिकारी को कतिपय उल्लंघनों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करना ;

(xiv) केंद्रीय सरकार को, परित्यक्त यानों के संबंध में, जो भारत के तट पर या उसके निकट अथवा तटीय जल के भीतर परित्यक्त किए गए हैं, पतन प्राधिकारियों या राज्य समुद्रीय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को निदेश जारी करने के लिए सशक्त करना ;

(xv) प्रधान अधिकारी को उन यानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सशक्त करना, जो असुरक्षित हैं, जो जीवन या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं ;

(xvi) केंद्रीय सरकार को भारत में या तटीय जल में, राष्ट्रीयता के बिना यान के रूप में यानों का भार ग्रहण करने और निरुद्ध करने के लिए सशक्त करना, यदि ऐसा यान किसी राष्ट्र का ध्वज फहराने के लिए विधिक रूप से हकदार नहीं हैं या उसने ऐसा अधिकार खो दिया है ;

(xvii) केंद्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध करने के लिए सशक्त करना, जो उसे विधेयक के अधिनियमन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ;

(xviii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (उसके भाग 14 के सिवाय किंतु उसमें धारा 411क सम्मिलित नहीं है) तथा तटीय जलयान अधिनियम, 1838 का निरसन करना ; और

(xix) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 का संशोधन करना ।

4. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों की विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं ।

5. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 नवम्बर, 2024

सर्बानंद सोनोवाल

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड विधेयक के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के लिए उपबंध करता है ।

खंड 2—यह खंड जलयान के लिए विधेयक के आवेदन करने के लिए उपबंध करता है, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है ; अथवा ऐसा जलयान, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, जो भी पश्चातवर्ती हो ।

खंड 3—यह खंड विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करने के लिए है, जिसमें अन्य बातों के साथ, "परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिकों", "परित्यक्त जलयान", "तट", "मछुआरा", "पत्तन", "चलित जलयान", "समुद्रगामी" "जलयान" आदि सम्मिलित हैं ।

खंड 4—यह खंड राष्ट्रीय जलयान परिवहन बोर्ड की स्थापना करने के लिए है, जो भारतीय जलयान परिवहन से संबंधित मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देता है तथा ऐसे अन्य मामले, जिस पर केंद्रीय सरकार सलाह के लिए निर्दिष्ट कर सकती है ।जलयान परिवहन बोर्ड केंद्रीय सरकार, जलयान स्वामी, समुद्र यात्रा वृतिकों और अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो सोलह से अनधिक सदस्यों से संसद् तथा अन्य सदस्यों के छह सदस्यों से मिलकर गठित किया जाएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार की राय में जलयान परिवहन बोर्ड के प्रतिनिधित्व में मांग की गई हो । यह भी उपबंध करता है कि जलयान स्वामी और समुद्र यात्रा वृतिक की संख्या समान रूप में प्रतिनिधित्व करेगी ।

खंड 5—यह खंड समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण का संवर्धन करने के लिए उपायों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देने के लिए समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए है ।यह ऐसे मामलों को विनिर्दिष्ट करता है, जिसके संबंध में समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण बोर्ड केंद्रीय सरकार को सलाह दे सकता है ।

खंड 6—यह खंड इसमें विनिर्दिष्ट भाग 2 के अध्याय 1 से संबंधित मामलों में केंद्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 7—यह खंड विधेयक के उपबंधों के अधीन किसी प्राधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित कर्तव्य का प्रयोग करने या शक्तियों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए समुद्री प्रशासन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।यह खंड महानिदेशक को उसकी शक्तियों का प्रत्यायोजित करने के लिए भी केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है ।इसके अतिरिक्त, महानिदेशक केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से अपनी शक्तियों को अन्य अधिकारियों या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है और विधेयक के खंड 8 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी महानिदेशक के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

खंड 8—यह खंड ऐसे अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन्हें विधेयक के अधीन कर्तव्य और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है ।

खंड 9—यह खंड केन्द्रीय सरकार उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।किसी व्यक्ति

या व्यक्तियों के निकाय को, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षक के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी ।

खंड 10—यह खंड विधेयक के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को ज्येष्ठ रेडियो सर्वेक्षक और रेडियो निरीक्षक को नियुक्त करने के लिए है ।

खंड 11—यह खंड केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए भारत में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कांडला के प्रत्येक पतन और ऐसे अन्य पतनों या स्थानों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, वाणिज्यिक समुद्री विभाग के कार्यालय स्थापित कर सकेगी और बनाए रखेगी ।यह और उपबंध करता है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कांडला के पतनों पर वाणिज्यिक समुद्री विभाग, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति कर सकेगी, जो अधिसूचित ऐसे अन्य पतन या स्थानों पर, वाणिज्यिक समुद्री विभाग प्रधान अधिकारी कार्यालय का भारसाधक होगा और अन्य पतन या स्थान के कार्यालय का भारसाधक ऐसा अधिकारी होगा जैसा इस निमित केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।

खंड 12—यह खंड केन्द्रीय सरकार,को अधिसूचना द्वारा, भारत में प्रत्येक पतन में एक जलयान परिवहन कार्यालय स्थापित करने के लिए सशक्त करता है और जलयान परिवहन मास्टर और उप जलयान परिवहन मास्टर और सहायक जलयान परिवहन मास्टर, निदेशक और समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी नियुक्त करने के लिए है । यह केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसे पतन पर जिस पर कोई पृथक् जलयान परिवहन कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है, जलयान परिवहन कार्यालय का कारबार के संचालन हेतु निदेश दे सकेगी ।

खंड 13—यह खंड जलयानों तथा पतन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए पतन सुरक्षा ब्यूरो के नाम से ज्ञात एक निकाय, जिसकी अध्यक्षता ऐसे पदनाम के अधिकारी द्वारा की जाएगी का गठन करने के लिए है,जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जा सके ।इस प्रकार गठित निकाय जलयानों की सुरक्षा तथा पतन सुविधा से संबंधित मामलों के लिए ऐसे विनियामक और अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जा सके ।

खंड 14—यह खंड समुद्र वाले जलयान के लिए विधेयक के भाग 3 के आवेदन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15—यह खंड उपबंध करता है कि कोई जलयान, तब तक भारतीय जलयान नहीं होगा जब तक कि ऐसा जलयान निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्व में और स्वामित्व के ऐसे अनुपात में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, नहीं है । यह केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी पतन या स्थान को रजिस्ट्रीकृत के पतन के रूप में घोषित करने के लिए और उपबंध करता है ।यह भी उपबंध करता है कि इस विधेयक द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन भारत में किसी पतन पर रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान को इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जाएगा और भारतीय जलयान के रूप में मान्यता दी जाएगी । यह भी उपबंध करता है किसी भारतीय जलयान को भारत से भिन्न किसी अन्य राज्य में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा और

भारत से बाहर किसी जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो नियमों द्वारा विहित की जा सके ।यह किसी अभित्यक्तय जलयान के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए है ।

खंड 16—यह खंड किसी भारतीय चार्टरर द्वारा अनावृत नौका चार्टर सह-पट्टांतरण संविदा पर चार्टरर कोई विदेशी जलयान इस भाग के अधीन ऐसी रीति मे और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए है ।

खंड 17—यह खंड किसी जलयान जो, इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, जलयान का पुनःचक्रण अधिनियम, 2019 पुनःचक्रण किया जाना ईप्सित है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, अस्थायी रजिस्ट्रीकृत करने के लिए है ।

खंड 18—यह खंड उपबंध करता है कि वाणिज्य जलयान परिवहन विभाग का प्रधान अधिकारी या ऐसा व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, रजिस्ट्री के ऐसे पत्तन पर भारतीय जलयान के रजिस्ट्रार होंगे, जैसा ऐसी नियुक्ति के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

खंड 19—यह खंड किसी जलयान के रूप में, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए है । यह और उपबंध करता है कि अननुमोचित बंधक को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के मानित बंद किए जाने की दशा में रजिस्टर पुस्तिका में उपदर्शित किया जाना जारी रहेगा ।

खंड 20—यह खंड किसी भारतीय जलयान के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के लिए है ।यह महानिदेशक, किसी आदेश के माध्यम से भारतीय जलयान और जलयानों के विभिन्न वर्गों के लिए, जिनकी इस विधेयक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की ईप्सा है, तथा रजिस्ट्रीकृत होने वाले किसी भारतीय जलयान के शीर्षक में किसी जांच के लिए तथा रजिस्ट्रेशन के पूर्ण होने के अनुसार रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए रजिस्ट्रार को सशक्त करता है, जो प्रक्रिया के अनुसार विहित की जाए ।

यह नया प्रमाणपत्र जारी करने का उपबंध करता है ।यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक भारतीय जलयान को ऐसे नाम, काल साइन और शासकीय संख्या से, वर्णित किया जाएगा तथा इसमें रजिस्ट्रार द्वारा अन्य संबंधित ब्यौरों के लिए रजिस्ट्रार पुस्तिका सम्मिलित है ।

खंड 21—यह खंड ऐसे जलयान के लिए अस्थायी पास का उपबंध करने के लिए है जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रमाणप्त्र प्राप्त नहीं हुआ है । केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की गई विशेष परिस्थितियों में जारी किया गया कोई पास जहां इसकी वांछा की गई है कि संबंधित जलयान विशिष्ट कार्य अपनाया गया है ।

खंड 22—यह खंड प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और उपयोग करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जलयान के केवल विधिपूर्ण नवाचार के लिए उपयोग किया जाएगा और हर समय जलयान के भारसाधक व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा और किसी हक, गिरवी, भार या हित वह जो भी हो, के कारण निरोध में नहीं रहेगा और जलयान पर या जलयान में किसी स्वामी, बंधकगृहिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जाएगा ।

खंड 23—यह खंड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आपात के दौरान भारतीय जलयान या उसमें किसी शेयर के अंतरण को प्रतिषिद्ध करता है ।यह किसी

भारतीय जलयान के अंतरण या अर्जन की दशाओं के लिए और उपबंध करता है जैसे बंधक, विधिक शुल्क, मजदूरी आदि ।यह भी उपबंध किया जाता है कि अंतरण लिखत इस नियम के अनुसार प्ररूप और रीति में होगा तथा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

खंड 24—यह खंड इस नियम के अनुसार अंतरण को छोड़कर मृत्यु, दिवालिया आदि होने पर भारतीय जलयान में संपति का अंतरण करने के लिए है ।

खंड 25—यह खंड उपबंध करता है कि जहां मृत्यु आदि जलयान में या किसी संपति या उसके शेयर के अन्तरण के कारण से कोई जलयान भारतीय जलयान नहीं रहा है तो उसे विक्रय करने का आदेश ऐसे रीति जो विहित किया जा सकेगा, दिया जा सकेगा ।

खंड 26—यह खंड जलयान या उसके शेयर के बंधक के लिए उपबंध करता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम द्वारा उपबंधित प्ररूप और रीति में किसी ऋण या मूल्वान प्रतिफल के लिए सुरक्षा दी गई हो । यह और उपबंध करता है कि बंधक उस समय में अभिलिखित किया जाएगा जिसके द्वारा उसे रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत किया जाना हो तथा बंधकदार अपने बंधक के कारण उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के सिवाए जलयान का स्वामी समझा जाएगा । यह भी उपबंध करता है किसी बंधक के उन्मोचन की प्रविष्टि के लिए रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर पुस्तिका में किया जाएगा । यह भी उपबंध करता है कि उस समय और तारीख के अनुसार बंधक की पूर्विकता वह होगी जिसमें प्रत्येक बंधक को रजिस्टर पुस्तिका में अभिलिखित किया जाता है ।

खंड 27—यह खंड बंधकदार के अधिकारों के लिए है ।जहां किसी जलयान या अंश का केवल एक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार है, वहां वह बंधक के अधीन रकम को उच्च न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना बंधक जलयान या अंश का विक्रय करके वसूल करने का हकदार होगा तथा जहां जलयान या अंश के दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार हैं वहां वे बंधक के अधीन देय रकम को उच्च न्यायालय में वसूल करने के हकदार होंगे और जब उच्च न्यायालय डिक्री पारित करके या उसके पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि बंधक जलयान या अंश डिक्री के निष्पादन में विक्रय किया जा सकेगा ।

खंड 28—यह खंड बंधक के चालू रहने के दौरान बंधकदार बंधक जलयान का कब्जा ग्रहण करता है या जलयान के कब्जे के लिए न्यायालय के समक्ष दावे का प्रख्यान के लिए उत्तरदायी होने के लिए है ।

खंड 29—यह खंड जलयान या अंश के रजिस्ट्रीकृत बंधक पर बंधक अभिलिखित किए जाने की तारीख के पश्चात् बंधककर्ता द्वारा किए गए दिवालियापन के किसी कार्य का इस बात के होते हुए भी कोई प्रभाव नहीं होगा, के लिए है ।

खंड 30—यह खंड किसी भी व्यक्ति को बंधक या शेयरों को लिखत और ऐसी रीति से हस्तांतरित करने का उपबंध करता है जो विहित किया जाए और बंधक के हस्तांतरिती को वरीयता उत्तर देने का समान अधिकार होगा ।

खंड 31—यह खंड कतिपय परिस्थितियों में बंधक में हितों के हस्तांतरण के लिए उपबंध करता है, जिसमें यह उपबंध है कि यदि बंधकदार का किसी जलयान या शेयर में हित मृत्यु, या दिवालियापन, या इस विधेयक के अधीन हस्तांतरण के अलावा किसी अन्य प्रभावी माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है, तो वह नियम

द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार होगा ।

खंड 32—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी भारतीय जलयान का नाम वही होगा जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है । यह रजिस्ट्रार को किसी भारतीय जलयान के प्रस्तावित नाम को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, यदि वही या मिलता-जुलता नाम पहले से ही किसी अन्य जलयान का है और किसी भारतीय जलयान के नाम में कोई भी परिवर्तन नियमों के अनुसार किया जाएगा । यह जलयान के नाम से संबंधित उपबंध के उल्लंघन के लिए जलयान को रोकने का भी प्रयास करता है ।

खंड 33—यह खंड ऐसे जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करता है जिसे इस प्रकार परिवर्तित किया गया है कि वह रजिस्टर बुक में दिए गए टन भार या विवरण से संबंधित विवरणों से मेल नहीं खाता । यह भारतीय पोत के बाहर इस प्रकार परिवर्तित जलयान के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है, जो सर्वेक्षक या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पोत पर ऐसे जलयान की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है ।

खंड 34—यह खंड अनंतिम प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन के लिए उपबंध करता है, जहां जलयान को नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है । यह उपबंध करता है कि जहां कोई रजिस्ट्रार, नए सिरे से रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले जलयान में परिवर्तन के लिए आवेदन पर, या तो जलयान को बदले हुए रूप में वर्णित करते हुए अनंतिम प्रमाणपत्र उपबंध करेगा या मौजूदा प्रमाणपत्र पर परिवर्तन के विवरण को अनंतिम रूप से पृष्ठांकित करेगा ।

खंड 35—यह खंड रजिस्ट्रीकरण के हस्तांतरण के लिए उपबंध करता है । इसमें उपबंध है कि किसी भी जलयान का रजिस्ट्रीकरण मौजूदा रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर रजिस्ट्री के एक पोत से दूसरे पोत पर स्थानांतरित किया जा सकता है और हस्तांतरण किसी भी तरह से स्वामियों या बंधकदार या किसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और वे अधिकार सभी मामलों में उसी तरह जारी रहेंगे जैसे कि ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था ।

खंड 36—यह खंड परित्यक्त जलयान के पुनः रजिस्ट्रीकरण को प्रतिबंधित करता है । इसमें उपबंध है कि जहां किसी जलयान को भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, क्योंकि वह नष्ट हो गया है या परित्यक्त हो गया है, या किसी कारण से शत्रु द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो जलयान को तब तक पुनः रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक के खर्च पर किसी सर्वेक्षक द्वारा उसका सर्वेक्षण न कर लिया जाए और उसके द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाए कि वह समुद्र में चलने योग्य है ।

खंड 37—यह खंड केंद्रीय सरकार को भारतीय जलयानों के लिए उचित राष्ट्रीय रंग घोषित करने और सरकार के स्वामित्व वाले जलयानों के लिए अलग-अलग रंगों की घोषणा करने की शक्ति उपबंध करता है । यह भारतीय नौसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी, भारतीय तटरक्षक दल के किसी अधिकारी या सर्वेक्षक या भारतीय राजदूत को उन रंगों को जब्त करने और ले जाने का अधिकार देता है जो विधेयक के उपबंधों के विपरीत हैं । यह कुछ उद्देश्यों के लिए एसल्स के अलावा अन्य पर भारतीय राष्ट्रीय रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगाता है ।

खंड 38—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी भारतीय जलयान का कोई भी स्वामी या मास्टर जानबूझकर कुछ भी करने की अनुमति नहीं देगा, या जहाज के विदेशी स्वरूप के बारे में पूछताछ करने के लिए, या जहाज के विदेशी स्वरूप को ग्रहण करने के आशय से, या ऐसे किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से, जो ऐसा करने का हकदार है, किसी विधि के अधीन उस समय लागू किसी विधि के अधीन उस जहाज के विदेशी स्वरूप के बारे में पूछताछ करने के आशय से,किसी भी कागजात या दस्तावेज़ को ले जाने या ले जाने की अनुमति नहीं देगा, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना हो ।

खंड 39—यह खंड यह उपबंध करता है कि कोई भारतीय जलयानों द्वारा सामान्यतया उपभोग किए जाने वाले किन्हीं भी विशेषाधिकारों, प्रसुविधाओं, सहूलियतों या संरक्षण का या भारतीय जलयान के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने का या भारतीय राष्ट्रीय स्वरूप को ग्रहण करने का, हकदार नहीं होगा लेकिन देयों के संदाय का जहां तक संबंध है, जुर्माने और समपहरण दायित्व तथा ऐसे जलयान के फलक पर या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के दंड के लिए ऐसे जलयान के साथ सभी प्रकार से उसी रीति में व्यवहार किया जाएगा मानो वह मान्यताप्राप्त भारतीय जलयान था ।

खंड 40—यह खंड किसी ऐसे जहां कोई जलयान को भाग 3 के अधीन पूर्णत: या उसके किसी अंश के बारे में समपहरण के अध्यधीन हो जाता है, वहां भारतीय नौसेना का कमीशन्ड आफिसर या भारतीय तटरक्षक दल का कोई भी अधिकारी या कोई भी भारतीय राजदूत या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जलयान को अभिगृहीत या निरुद्ध कर सकेगा और उसे न्यायनिर्णयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष ला सकेगा और तदुपरि उच्च न्यायालय जलयान को उसके उपस्कर सहित सरकार को समपहृत कर सकेगा और मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा ।

खंड 41—यह खंड स्वामियों के दायित्व के लिए उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जहां कोई व्यक्ति, स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान या जलयान के अंश में बंधक से भिन्न किसी रीति के तौर पर फायदाप्रद रूप में हितबद्ध है, वहां ऐसे हितबद्ध व्यक्ति के साथ ही साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी, तत्समय प्रवृत किसी विधि और ऐसी किन्हीं शास्तियों के प्रवर्तन की कार्यवाहियां, उक्त दोनों पक्षकारों या उनमें से किसी के विरुद्ध संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से की जा सकेंगी, इस विधेयक या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा जलयान या उसमें के अंश के स्वामियों पर अधिरोपित सभी धनीय शास्तियों के अध्यधीन होंगे ।

खंड 42—यह खंड यह उपबन्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी रजिस्टर बुक का निरीक्षण कर सकता है और रजिस्ट्रार को आवेदन करके तथा अपेक्षित फीस का भुगतान करके रजिस्टर बुक में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए है । यह और उपबन्ध करता है कि साक्ष्य मूल्य के लिए, रजिस्टर बुक में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है ।

खंड 43—यह खंड किसी भारतीय जलयान के स्वामी को रजिस्ट्रीकरण बंद करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है, यदि स्वामी या समुद्र यात्रा वृत्तिक के पास

मजदूरी के संबंध में कोई असंतुष्ट बंधक और बकाया दावा नहीं है, जिसकी सूचना दी जा चुकी है ।

खंड 44—यह खंड विधेयक के भाग 3 के अंतर्गत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है । यह उन विषयों को निर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं ।

खंड 45—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रत्येक भारतीय जलयान में समुद्र यात्रा वृतिक होंगे, जिनकी संख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएगी तथा समुद्र यात्रा वृतिक के पास उसमें निर्दिष्ट योग्यता होनी चाहिए । इसमें आगे यह उपबंध है कि विदेशी योग्यता प्रमाण-पत्र वाले भारतीय नागरिक को नियमों द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारतीय जलयान पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है ।

खंड 46—यह खंड केंद्रीय सरकारद्वारा अधिसूचित अधिकारी को समुद्र यात्रा वृतिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण मानक प्रमाणन और निगरानी के अनुसार सेवा, चिकित्सा फिटनेस, अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, योग्यता और परीक्षा के संबंध में आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रमाण पत्र सक्षमता या प्रवीणता का प्रमाण पत्र देने के लिए सशक्त बनाता है, जो कि निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है ।

खंड 47—यह खंड महानिदेशक को सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यों को प्रशासित करने, पर्यवेक्षण करने और निगरानी करने और प्रशिक्षण संस्थान, पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने और ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने और निरीक्षण आयोजित करने और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करता है । यह और उपबंध करता है कि महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी प्रशिक्षण संस्थान प्रचालन नही करेगा ।

खंड 48—यह खंड केंद्रीय सरकार को इस भाग के अधीन सक्षमता या प्रवीणता के प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों की सक्षमता का मापन और परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए परीक्षक के रूप में समुद्री यात्रा अभिसमय के लिए प्रमाणन और निगरानी करने प्रशिक्षण के मानकों के अनुसार अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति करने का उपबंध करता है ।यह और उपबंध करता है कि नौटिकल सलाहकार मास्टर और डैक विभाग कार्मिक के लिए मुख्य परीक्षक होगा और मुख्य सर्वेक्षक इंजन विभाग कार्मिक के लिए मुख्य परीक्षक होगा । यह जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसे आदेशों को वापस लेने, निलंबित करने और रद्द करने का भी अधिकार देता है झूठी और त्रुटिपूर्ण जानकारी के माध्यम से प्राप्त की गई या यदि व्यक्ति कदाचार का दोषी है और अपील की गई है निलंबन, निरस्तीकरण या वापसी का ऐसा आदेश नियमानुसार केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । इसमें प्रमाण पत्र के खो जाने आदि की स्थिति में विहित शुल्क का भुगतान करने पर उसे पुनः जारी करने का भी उपबंध है ।

खंड 49—इस खंड के अनुसार प्रत्येक जलयान का मास्टर समुचित अधिकारी को मांग करने पर कर्मीदल की सूची सहित जलयान के समुद्र यात्रा वृतिकों के सक्षमता प्रमाणपत्र, मास्टर सहित कर्मीदलों के प्रमाणपत्र की श्रेणियों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाली सूची के साथ पेश करेगा ।यह सर्वेक्षक को जलयान पर जाने का अधिकार

देता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुद्र यात्रा वृतिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण मानक प्रमाणन और निगरानी के मानकों के अनुसार प्रमाण पत्र हैं ।

खंड 50—यह खंड यह उपबंध करता है कि विदेशी सक्षमता प्रमाणपत्र और प्रवीणता प्रमाणपत्र को समतुल्य के रूप में मान्यता देने के लिए है, यदि वे आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, जैसे कि प्रमाणपत्र धारकों के मानकों से कम नहीं होना और अपने राज्यों में भाग 4 के अधीन भारतीय प्रमाणपत्रों को मान्यता देना तथा समतुल्य के रूप में प्रमाणपत्र, समर्थन प्रमाणपत्र के साथ जारी किया जा सकता है और अंतःप्रमाण प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति को विधिवत् प्रमाणित माना जाएगा ।

खंड 51—यह खंड यह उपबंध करता है कि विदेशी जलयान किसी पोत या स्थान से उचित ग्रेड के समुद्र यात्रा वृतिकों की अपेक्षित संख्या के बिना समुद्र में आगे नहीं बढ़ेगा और सर्वेक्षक को जलयान पर चढ़ने का अधिकार देता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमाण पत्र रखने वाले समुद्र यात्रा वृतिक वास्तव में नियुक्त हैं और बंदरगाहों और समुद्र में निगरानी रखने के कर्तव्य के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यमान हैं । यह केंद्रीय सरकार को सर्वेक्षक की रिपोर्ट में कमी पाए जाने पर विदेशी जलयान को रोक लेने के लिए और अधिक सशक्त बनाता है ।

खंड 52—यह खंड संविधान के उपबंधों के अनुसार आपातकाल की घोषणा के दौरान या जब भारत की सुरक्षा को खतरा हो, तब भारतीय जलयानों में सरकार की सेवा करने के लिए कुछ प्रमाण पत्र धारकों के दायित्वों का उपबंध करता है ।

खंड 53—यह खंड केन्द्रीय सरकार को भाग 4 के उपबंधों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रयास करता है ।यह आगे उन विषयों को निर्दिष्ट करने का प्रयास करता है जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 54—यह खंड प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक, भर्ती और सेवा और जलयान स्वामियों पर भाग 5 के लागू होने का उपबंध करता है ।

खंड 55—यह खंड भाग 5 में प्रयुक्त कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का प्रयास करता है ।

खंड 56—यह खंड केंद्रीय सरकार को विभिन्न श्रेणियों, न्यूनतम पैमाने और विभिन्न वर्गों के जलयानों के लिए अलग-अलग पैमाने में वर्गीकरण के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है । यह आगे कहता है कि समुद्र यात्रा वृतिकों को सुरक्षित और निर्बाध आवागमन और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख कार्यकर्ता माना जाएगा ।

खंड 57—यह खंड विधेयक के अधीन, **उपखंड** (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट जलयानों के सिवाय समुद्र यात्रा वृतिकों और जलयानों पर समुद्री श्रम मानकों के अनुप्रयोग का उपबंध करता है । यह प्रत्येक जलयान के पास समुद्री श्रम अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्रमाण पत्र होना चाहिए यह प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना जलयानों को समुद्र में जाने की और अनुमति देता है ।

खंड 58—यह खंड जलयान परिवहन मास्टर, निदेशक और समुद्र यात्रा वृतिक के कल्याण के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने का प्रयास करता है

खंड 59—यह खंड सोलह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी जलयान में नियुक्त होने, नौकरी पर रखने या उस पर चढ़ने से रोकता है ।

खंड 60—यह खंड चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना किसी भी समुद्र यात्रा वृतिक को जलयान में नियुक्त करने पर रोक लगाता है ।

खंड 61—यह खंड केंद्रीय सरकार को यह निर्देश देने के लिए सशक्त बनाता है कि समुद्र यात्रा वृतिकों को बिना किसी योग्यता के किसी भी क्षमता में नियुक्त या समुद्र में नहीं भेजा जाएगा, जैसा कि समुद्र यात्रा वृतिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण मानक प्रमाणन और निगरानी के अनुसार महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है । यह जहाज के स्वामी को यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपबंध करता है कि नियोजित समुद्र यात्रा वृतिकों को उचित रूप से प्रशिक्षित या सक्षम के रूप में प्रमाणित किया गया है ।

खंड 62—यह खंड लाइसेंस प्राप्त भर्ती और नियुक्तिकर्ताओं तथा भारतीय जलयानों के स्वामियों द्वारा समुद्र यात्रा वृतिकों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है । यह किसी भी व्यक्ति को समुद्र यात्रा वृतिक या समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में जलयान पर प्रशिक्षण या रोजगार चाहने वाले व्यक्ति या समुद्र यात्रा वृतिक भर्ती या नियुक्ति के लिए या समुद्र यात्रा वृतिक या समुद्र यात्रा वृतिक के रूप में रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को जलयान पर प्रशिक्षण उपबंध करने के लिए किसी भी पारिश्रमिक या अन्य शुल्क पर सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति से मांग करने या प्राप्त करने से रोकता है । यह समुद्र यात्रा वृतिकों के साथ किसी विशेष संघ में उनकी सदस्यता या सदस्यता न होने के आधार पर तथा जिस संस्थान से उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके आधार पर भेदभाव करने पर भी रोक लगाता है । यह महानिदेशक को उन समुद्र यात्रा वृतिकों के प्रमाणपत्रों को निलंबित करने का भी अधिकार देता है जो उपबंधों का उल्लंघन करके रोजगार चाहते हैं या प्राप्त कर चुके हैं ।

खंड 63—यह खंड यह उपबंध करता है कि मास्टर या स्वामी (भारतीय जलयान के मामले में) या भर्ती सेवा एजेंसी (भारतीय या विदेशी जलयान के मामले में) समुद्र यात्रा वृतिक के साथ समुद्र यात्रा वृतिक रोजगार में प्रवेश करेगी और इस तरह के समझौते की एक प्रति जलयान परिवहन मास्टर को प्रस्तुत करेगी । यह उस समुद्र यात्रा वृतिक की नियुक्ति के लिए कुछ निश्चित नियम निर्दिष्ट करता है जो भारत का नागरिक नहीं है । यह उपबंध करता है कि समुद्र यात्रा वृतिकों को समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इसकी जांच करने और सलाह लेने का अवसर दिया जाएगा ।

खंड 64—यह खंड भारतीय जलयान के प्रत्येक स्वामी को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश देता है कि समुद्र यात्रा वृत्तिकों को मासिक अंतराल पर पूरा वेतन दिया जाए और समुद्र यात्रा वृतिकों को देय भुगतान और वेतन और अतिरिक्त भुगतान सहित राशि का मासिक हिसाब दिया जाए । यह आगे उपबंध करता है कि विहित दर पर ब्याज दिया जाएगा । इसमें विनिर्दिष्ट कारणों को छोड़कर, मजदूरी के भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा ।

खंड 65—यह खंड प्रत्येक पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियोजन में प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक को ऐसे विश्राम घंटे प्रदान करने के लिए है ।

खंड 66—यह खंड भारतीय जलयान के प्रत्येक स्वामी को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश देती है कि प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक को वार्षिक अवकाश दिया जाए ।

खंड 67—यह खंड समुद्र यात्रा वृतिकों को बिना किसी लागत के तथा केन्द्रीय

सरकार द्वारा विहित शर्तों के साथ स्वदेश वापसी का अधिकार उपबंध करती है । यह खंड भारतीय जलयान के प्रत्येक जहाज स्वामी को नियमों के अनुसार स्वदेश वापसी के लिए वित्तीय सुरक्षा उपबंध करने की अपेक्षा करती है, यदि समुद्र यात्रा वृतिक की सेवा विदेशी पोत पर बिना सहमति के तथा यात्रा की अवधि समाप्त होने से पहले समाप्त हो जाती है, यदि स्वामी, जलयान स्वामी या उसका प्रतिनिधि बिना किसी उचित कारण के उचित वापसी पोत तक यात्रा के लिए रखरखाव का खर्च उपबंध करने में विफल रहता है, तो समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा वहन किया गया खर्च, समुद्र यात्रा वृतिक के वेतन के रूप में वसूल किया जाएगा तथा यदि भारतीय राजदूत द्वारा वहन किया जाता है, तो उसे खंड के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले खर्च के रूप में माना जाएगा ।

खंड 68—यह खंड जहाज स्वामी को प्रत्येक समुद्र यात्रा वृतिक को किसी भी जलयान के नुकसान या डूबने के परिणामस्वरूप होने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की मांग करता है ।

खंड 69—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रत्येक जलयान पर विहित संख्या में समुद्र यात्रा वृतिकों को नियोजित किया जाएगा, बशर्ते कि उसका संचालन सभी परिस्थितियों में सुरक्षित, कुशलतापूर्वक तथा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाए ।

खंड 70—यह खंड जहाज स्वामी से यह अपेक्षा करता है कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार समुद्र यात्रा वृतिकों के लिए आवास और भोजन संबंधी सुविधाएं उपबंध करे और बनाए रखे ।

खंड 71—यह खंड जहाज स्वामी से समुद्र यात्रा वृतिकों को उचित, पौष्टिक मूल्य और मात्रा के अनुसार निःशुल्क भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराने की अपेक्षा करता है । इसके अलावा, यह अपेक्षा करता है कि जलयान में काम करने वाले समुद्र यात्रा वृतिक महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार प्रशिक्षित, योग्य और सक्षम पाए गए हों ।

खंड 72—यह खंड जहाज स्वामी से यह अपेक्षा करता है कि वह जलयान पर कार्यरत समुद्र यात्रा वृतिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और देखभाल के लिए ऐसे उपाय करे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है ।

खंड 73—इस खंड के अधीन जहाज स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जलयानों पर कार्यरत समुद्र यात्रा वृतिकों को बीमारी, चोट या मृत्यु होने के अन्य वित्तीय परिणामों के संबंध में जब वे समुद्र यात्रा वृतिक रोजगार समझौते के अधीन सेवा कर रहे हों या उनके रोजगार से उत्पन्न हो, तात्विक सहायता और समर्थन का अधिकार उपबंध किया जाए ।

खंड 74—यह खंड जहाज स्वामी को जलयानों पर काम करने वाले समुद्र यात्रा वृतिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपबंध करने की आवश्यकता बताता है ।

खंड 75—इस खंड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी समुद्र यात्रा वृतिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा संरक्षण प्राप्त हो ।

खंड 76—यह खंड भारत के ध्वज राज्य से संबंधित उसके **उपखंड** (1) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित उत्तरदायित्वों और समुद्री श्रम स्थितियों की घोषणा करने

के लिए भारतीय जलयानों को समुद्री श्रम सम्मेलन (एमएलसी) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त बनाता है ।

खंड 77—यह खंड भारत के पोत राज्य उत्तरदायित्वों से संबंधित, इसमें निर्दिष्ट मामलों से संबंधित, समुद्री श्रम अभिसमय को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है । यह महानिदेशक को जलयानों के निरीक्षण के लिए एक प्रणाली और ऐसे निरीक्षण के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 78—यह खंड केन्द्रीय सरकार को समुद्री श्रम अभिसमय संहिता के भाग क और भाग ख और उस अभिसमय के किसी अन्य उपबंध को, जिसे विधेयक में उसमें विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में प्रभाव दिया गया है, प्रभावी करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रयास करता है ।

खंड 79—यह खंड समुद्र यात्रा वृतिक को जलयान के बर्बाद होने, खो जाने या त्याग दिए जाने या भारत के बाहर किसी स्थान पर किनारे पर छोड़ दिए जाने के कारण हुए नुकसान के लिए मजदूरी या मुआवजा पाने का अधिकार देता है, जो इस विधेयक के अधीन उसकी अयोग्यता या यात्रा पर आगे बढ़ने में असमर्थता के लिए दिया गया प्रमाण पत्र है । यह समुद्र यात्रा वृतिक को देय मजदूरी और ऐसे मुआवजे की सीमा के अलावा पूर्व निर्वहन के कारण हुई क्षति के लिए स्वामी, जलयान स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा मुआवजा देने का भी उपबंध करता है ।

खंड 80—यह खंड समुद्र यात्रा वृतिकों की सेवोन्मुक्त के रीति के बारे में उपबंध करता है । इसमें उपबंध है कि यदि किसी जलयान को स्थानांतरित या निपटाया जाता है, तो उस जलयान से संबंधित समुद्र यात्रा वृतिक को उसी समय छुट्टी दे दी जाएगी, जब वह जलयान में यात्रा जारी रखने पर लिखित रूप से सहमति दे । इसमें समुद्र यात्रा वृतिक की सेवोन्मुक्त, मजदूरी का हक आदि के लिए कुछ शर्तें भी दी गई हैं ।

खंड 81—यह खंड स्वामी से अपेक्षा करता है कि वह समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी और उसकी सम्पति के सम्बन्ध में उस समय की रकम का विवरण लॉग बुक में दर्ज करे, जब समुद्र यात्रा वृतिक को पीछे छोड़ दिया गया था या खो दिया गया था ।

खंड 82—यह खंड यह उपबंध करना चाहता है कि यदि मास्टर द्वारा जमा की गई या वसूल की गई राशि भुगतान करने के लिए मजदूरी के रूप में दावा न की गई हो तो जलयान परिवहन मास्टर, कम से कम 6 वर्ष की अवधि के बाद, उस धन का उपयोग समुद्र यात्रा वृतिक के कल्याण के लिए उस रीति से कर सकता है जैसा कि केंद्रीय सरकार तय करती है ।

खंड 83—यह खंड यह उपबंध करता है कि करार के अधीन मास्टर, जलयान स्वामी या उसके अभिकर्ता समुद्र यात्रा वृतिक के बीच कोई विवाद जलयान परिवहन मास्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विवाद पर तीस दिन के भीतर विनिश्चय करेगा, जिसे पर्याप्त कारण के लिए तीस दिन की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा । यह और उपबन्ध करता है कि जलयान परिवहन मास्टर द्वारा पारित पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार लागू होगा, जैसे कि वह न्यायालय की डिक्री हो ।

खंड 84—यह खंड यह उपबंध करता है कि जलयान परिवहन मास्टर जलयान स्वामी या उसके अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह या समुद्र यात्रा वृतिक से उसके कब्जे में परीक्षा के प्रयोजन के लिए विद्यमान लॉगबुक, कागजात या अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाता है और साथ ही उनकी आवश्यकता भी होती है ।

खंड 85—यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि समुद्र यात्रा वृतिक की यात्रा भारत में समाप्त होती है, तो उसे भारत के बाहर किसी भी न्यायालय में मजदूरी के लिए वाद लाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उसे विधेयक के उपबंधों के अधीन अपेक्षित मंजूरी से उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है और मास्टर की लिखित सहमति से या लेखक की ओर से या मास्टर द्वारा दुर्व्यवहार साबित होने पर, यदि वह जलयान पर रहता है तो उसके जीवन को खतरे की उचित आशंका हो सकती है ।

खंड 86—यह खंड यह उपबंध करता है कि समुद्र यात्रा वृतिक के वेतन के लिए कार्यवाही प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समान प्रक्रिया द्वारा संचालित की जाएगी ।

खंड 87—यह खंड किसी भी सिविल न्यायालय में मजदूरी के लिए वाद लाने पर रोक लगाता है,सिवाय इसके कि जहां जलयान स्वामी दिवालिया हो, जलयान गिरफ्तार हो या न्यायालय के प्राधिकार से बेच दिया गया हो और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दावों को न्यायालय को संदर्भित करता हो ।

खंड 88—यह खंड किसी जलयान के मास्टर के अधिकारों, ग्रहणाधिकारों और उपचारों के लिए उपबंध करता है, जिससे मजदूरी की वसूली की अवधि समुद्र यात्रा वृतिक के समान हो और मास्टर चोट या बीमारी के कारण अक्षमता या के कारण स्वामी के रूप में विधिपूर्वक कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार भी उसी के समान हों ।

खंड 89—यह खंड केंद्रीय सरकारको समुद्र यात्रा वृतिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित अधिकरण को संदर्भित करने के लिए सशक्त बनाता है । यह ऐसे अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए भी निर्देश देता है ।

खंड 90—यह खंड केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को, उस समुद्र यात्रा वृतिक को देय मजदूरी प्रतिकर वसूल करने की शक्ति उपबंध करता है, मास्टर या जहाज के स्वामी या अभिकर्ता से जो उस जलयान के साथ खो गया है जिसका वह सदस्य है ।

खंड 91—यह खंड यह उपबंध करता है कि कोई समुद्र यात्रा वृतिक जिस स्थान पर परित्यक्त हो वहां का या उस स्थान के आसपास का भारतीय राजदूत, परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा इस विधेयक के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उसे आवेदन किए जाने पर उस समुद्र यात्रा वृतिक को समुचित वापसी पतन तक वापस भेजने की व्यवस्था, तथा जब तक उक्त समुद्र यात्रा वृतिक ऐसे पत्तन पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसके लिए आवश्यक कपड़े और भरणपोषण की व्यवस्था भी करेगा ।

खंड 92—यह खंड यह उपबंध करना चाहता है कि परित्यक्त भारतीय जलयानों और भारत के क्षेत्रीय जल में परित्यक्त विदेशी जलयानों के मामले में, जिनके समुद्र

यात्रा वृतिकों को विधेयक के अनुसार वापस लाया जाना आवश्यक है, केंद्रीय सरकार जलयान पर प्रतिस्थापन चालक दल भेजने की व्यवस्था करेगी । यह आगे उपबंध करता है कि ऐसे जलयान पर प्रतिस्थापन चालक दल भेजने की व्यवस्था करने में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए खर्च से केंद्रीय सरकार को देय ऋण का प्रतिस्थापन होगा, जिसके लिए जलयान स्वामी या उसका अभिकर्ता उत्तरदायी होगा । यह भी उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी का प्रमाण पत्र, जिसे केंद्रीय सरकार अपने पक्ष में निर्दिष्ट कर सकती है, कि समुद्र यात्रा वृतिक को छोड़ दिया गया है, निर्णायक सबूत होगा कि ऐसा समुद्र यात्रा वृतिक विधेयक के अर्थ में परित्यक्त समुद्र यात्रा वृतिक है ।

खंड 93—यह खंड किसी पोत परिवहन मास्टर, सर्वेक्षक, समुद्र यात्रा वृतिक कल्याण अधिकारी या भारतीय राजदूत को इसमें वर्णित परिस्थितियों के अधीन किसी जलयान पर चढ़ने और ऐसे जलयान का निरीक्षण करने के लिए सशक्त बनाता है । यह और उपबंध करता है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा में और समुद्र यात्रा वृतिक को जलयान पर चढ़ने से रोकने के उद्देश्य से भारतीय जलयान के पास समुद्री श्रम प्रमाणपत्र और समुद्री श्रम अनुपालन का स्पष्टीकरण होगा । इस विधेयक के उपबंधों के विपरीत भारत में किसी भी पोत पर जलयान पर चढ़ने से रोकने के लिए, जलयान परिवहन मास्टर और अन्य अधिकारी किसी भी समय ऐसे किसी भी जलयान पर चढ़ सकते हैं यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि समुद्र यात्रा वृतिक को जलयान से भेजा जा रहा है ।

खंड 94—यह खंड यह उपबंध करता है कि भाग 5 के प्रयोजनों के लिए समुद्र यात्रा वृतिक को समुद्र यात्रा वृतिकों के साथ समझौते की तारीख से शुरू होने वाली और समुद्र यात्रा वृतिक को अंतिम रूप से सेवामुक्त किए जाने की तारीख से तीस दिन बाद समाप्त होने वाली किसी भी अवधि के दौरान सेवारत माना जाएगा । यह मुकदमेबाजी के संबंध में समुद्र यात्रा वृतिकों की सुरक्षा के लिए नियमों, उपबंधों द्वारा केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है ।

खंड 95—यह खंड किसी समुद्र यात्रा वृतिक को समुद्र यात्रा वृतिक के स्वामी या समुद्र यात्रा वृतिकों में से किसी के विरुद्ध शिकायत करने के लिए सक्षम बनाता है यदि जलयान ऐसे स्थान पर है जहां उसके संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विद्यमान है या जब जलयान ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां ऐसा मजिस्ट्रेट उपलब्ध है ।

खंड 96—यह खंड किसी भी पोत या स्थान पर किसी भी व्यक्ति को सरकार की सेवा में या विधि द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के जलयान पर चढ़ने से रोकता है । यह आगे यह भी उपबंध करता है कि जलयान का मास्टर ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ले सकता है और उसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत कार्यवाही के लिए पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है ।

खंड 97—यह खंड किसी भारतीय समुद्र यात्रा वृतिक को इसमें विनिर्दिष्ट किसी बात को जानबूझकर करने या करने से इंकार करने से प्रतिषिद्ध करता है ।

खंड 98—यह खंड समुद्र यात्रा वृतिक को बिना छुट्टी या बिना उचित आधार के अपने जलयान को छोड़ने या जलयान से अनुपस्थित रहने की उपेक्षा करने या

अनुपस्थित रहने से रोकती है और यह कि जलयान के चक्कर लगाने वाले समुद्र यात्रा वृतिक का इनकार, अनुपस्थिति आदि, जो कि समुद्र में न जाने के योग्य है, एक उचित कारण होगा । यह जलयान परिवहन मास्टर को महानिदेशक को अनुपस्थिति या विवेकाधिकार की रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता है जो यह निर्देश दे सकता है कि समुद्र यात्रा वृतिक के पहचान दस्तावेज या निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र को ऐसी अवधि के लिए रखा जाए जो निर्दिष्ट की जा सकती है या वापस ले लिया जाए या निलंबित कर दिया जाए यदि दावा बिना छुट्टी या पर्याप्त कारण के है । यह मामले की परिस्थितियों में उचित बल का उपयोग करने की भी शक्ति देता है और यदि कोई समुद्र यात्रा वृतिक भारत के बाहर ऐसा अपराध करता है, तो मास्टर या जलयान के स्वामी के अभिकर्ता को पर्याप्त आधार पर उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति होगी । यह यह भी उपबंध करता है कि परिवहन के कारण मास्टर या जलयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से उचित रूप से किए गए किसी भी खर्च का भुगतान अपराधी द्वारा किया जाएगा जिसे उसके वेतन से काटा जा सकता है ।

खंड 99—यह खंड अनुशासन की उन कार्रवाइयों को निर्दिष्ट करने का प्रयास करता है, जिनका उल्लंघन करने पर समुद्र यात्रा वृतिक को अपराध का दोषी ठहराया जाएगा । यह उपबंध करता है कि समुद्र यात्रा वृतिक के विरुध अभियोजन महानिदेशक द्वारा शुरू किया जा सकता है, जो समुद्र यात्रा वृतिक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस खंड के अधीन किसी भी विधिक कार्यवाही के दौरान समुद्र यात्रा वृतिक के प्रमाणपत्रों को निलंबित या रद्द करने का भी अधिकार रखता है ।

खंड 100—यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि समुद्र यात्रा वृतिक को किसी भी माल की तस्करी के अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे जिससे मास्टर या जहाज के स्वामी को हानि या क्षति होती है, तो उस हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त राशि उसके पूरे वेतन या उसके भाग के बदले में वसूल की जाएगी और महानिदेशक ऐसे समुद्र यात्रा वृतिक के पहचान दस्तावेज या निरंतर सेवामुक्ति प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित कर सकता है ।

खंड 101—यह खंड खंड 98 या खंड 99 के अधीन किए गए अपराध को आधिकारिक लॉग बुक में दर्ज करने के रीति के बारे में उपबंध करता है ।

खंड 102—यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि भारत के बाहर किसी भारतीय जलयान पर नियुक्त कोई समुद्र यात्रा वृतिक बिना छुट्टी के भारत में अनुपस्थित हो जाता है, तो जलयान का मास्टर ऐसी अनुपस्थिति का पता चलने के अड़तालीस घंटे के भीतर जलयान परिवहन मास्टर को या ऐसे अधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, रिपोर्ट करेगा ।

खंड 103—यह खंड यह उपबंध करता है कि भारतीय जलयान से अभित्यजन की स्थिति में, आधिकारिक लॉग बुक भारतीय राजदूत को भेजी जाएगी, जो तत्पश्चात, उसकी एक प्रति बनाएगा और उसे प्रमाणित करेगा, ऐसी प्रविष्टि की एक प्रति जलयान परिवहन मास्टर को प्रमाणित करके विधिक पक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो कि अभित्यजन के लिए विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

खंड 104—यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी जलयान से अभित्यजन

साबित करने के लिए, यह माना जाएगा कि समुद्र यात्रा वृतिक उस जलयान में विधिवत रुप से कार्यरत था या उसका सदस्य था और उसने जलयान को बिना किसी कारण के छोड़ दिया समुद्र यात्रा वृतिक की नियुक्ति या अभित्यजन की प्रविष्टि विधिवत् आधिकारिक स्थान पर की जाएगी । यह और उपबंध है कि मजदूरी जब्त करने के लिए अभित्यजन को साबित माना जाएगा निर्वहन का उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है या न्यायालय को यह नहीं दिखाता है कि उसके पास छुट्टी लेने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

खंड 105—यह खंड यह उपबंध करता है कि जलयान से अभित्यजन के कारण जब्त की गई मजदूरी या अन्य संपति, मास्टर या जहाज स्वामी आदि को अभित्यजन के कारण हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाएगी और प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी ।

खंड 106—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी समुद्र यात्रा वृतिक की मजदूरी के सम्पहरण या उनमें से कटौतियों से संबंधित कोई प्रश्न,उन लोगों के संबंध में वैध रुप से स्थापित किसी भी कार्यवाही में विहित किया जा सकता है ।

खंड 107—यह खंड समुद्र यात्रा वृतिक पर अवचार के किसी कार्य के लिए उसके करार के अधीन अधिरोपित प्रत्येक जुर्माने की कटौती की प्रक्रिया और पोत परिवहन मास्टर द्वारा प्राप्त सभी जुर्माने की कार्यवाही समुद्र यात्रा वृतिकों के कल्याण के लिए उस रीति से किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्देशित करेगी ।

खंड 108—यह खंड किसी भी व्यक्ति को किसी समुद्र यात्रा वृतिक को समुद्र में जाने या जलयान से अभित्यजन या अपने कर्तव्य या पोत या गुप्त स्थान से अनुपस्थित रहने के लिए मनाने का प्रयास करने पर रोक लगाता है ।

खंड 109—यह खंड यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति जलयान में स्वयं को नहीं छिपाएगा और मास्टरों या पोत का स्वामी या उसका एजेंट या भारसाधक व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना, जो सम्मति देने के लिए हकदार है, पोत में समुद्र यात्रा पर नहीं जाएगा ।

खंड 110—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि यात्रा के दौरान, भारतीय जलयान का स्वामी यदि कोई व्यक्ति जलयान छोड़ देता है या छोड़ देता है और उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति कमान संभाल लेता है, तो वह जलयान के नौवहन और उसमें सवार समुद्र यात्रा वृतिकों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करना ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति पर उत्तराधिकारी आधिकारिक लॉग में प्रविष्टि करेगा । को पूर्ववर्ती द्वारा भी समर्थनित किया जाएगा । यदि ये दस्तावेज वैध रीति से नहीं सौंपे गए हैं इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार, महानिदेशक को वापस लेने का अधिकार है मास्टर को सुनवाई का अवसर उपबंध करने के पश्चात् उसकी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा ।

खंड 111—खंड यह उपबंध करता है कि यदि भारत के बाहर किसी राज्य की सरकार द्वारा भारतीय जलयानों से उस राज्य में अभित्यजन करने वाले समुद्र यात्रा वृतिकों को बरामद करने और उन्हें पकड़ने के लिए सम्यक् सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी, वहां केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि यह खंड ऐसे राज्य के जलयानों के समुद्र यात्रा वृतिकों को, ऐसी परिसीमाओं या शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, लागू होगी । इसके अतिरिक्त यह

उपबंध करने के लिए है कि यदि भारत से भिन्न किसी अन्य राज्य के पोत के समुद्र यात्रा वृतिक भारत के भीतर ऐसे जलयान से अभित्यजन करता है तो उस राज्य के राजदूत के आवेदन पर, अधिकारिता वाला कोई न्यायालय अभित्याजक को पकड़ने में सहायता देगा और उस प्रयोजन के लिए, शपथ पर दी गई जानकारी पर, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा तथा अभित्यजन का सबूत दिए जाने पर उसके पोत पर प्रवहन किए जाने का या उस जलयान के मास्टर या पोत के स्वामी या उसके अभिकर्ता को अभित्याजक को इस प्रकार का प्रवहन किए जाने के लिए परिदत किए जाने का आदेश देगा और कोई ऐसा वारंट या आदेश तद्नुसार निष्पादित किया जा सकेगा ।

खंड 112—यह खंड दो सौ सकल टन भार वाले पोत के लिए एक अधिकृत लॉग बुक रखने और मास्टर, या उसके अभिकर्ता को पोत परिवहन मास्टर द्वारा अपेक्षा की जाए, आधिकारिक लॉग बुक परिदत करने का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करने के लिए है कि पोत के उन्मोचन के अंतिम पतन पर पहुंचने के पूर्व हुई किसी घटना के संबंध में, उसकी पहुंच के चौबीस घंटे से अधिक पश्चात्, अधिकृत लॉग बुक में कोई प्रविष्टि नहीं करेगा ।

खंड 113—यह खंड केन्द्रीय सरकार को विधेयक के भाग 5 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है यह उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार नियम बना सकेगी ।

खंड 114—यह खंड विधेयक के भाग 6 को भारतीय जलयानों और भारत में रजिस्ट्रीकृत जलयानों, विदेशी जलयानों, पतन सुविधाओं और कंपनी की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मामलों में लागू करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 115—यह खंड भाग 6 के लिए विनिर्दिष्ट विभिन्न पदों को पारिभाषित करने के लिए है ।

खंड 116—यह खंड इसमें विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, संधियों और करारों, जिसका भारत एक पक्ष है, के अधीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को जलयान द्वारा सुरक्षा और संरक्षा अनुपालन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 117—यह खंड अपेक्षा करता है कि जलयान के मास्टर को जलयान सुरक्षा, जलयान पर सवार व्यक्तियों की सुरक्षा, समुद्र में खतरनाक माल की हानि, सुरक्षित नौपरिवहन को प्रभावित करने वाले मामले, जलयान का परित्याग करने आदि से सबंधित किसी घटना की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को देनी होगी ।

खंड 118—यह खंड भारतीय जलयान के मास्टर पर समुद्र में किसी गंभीर खतरे की स्थिति में सहायता प्रदान करने की बाध्यता अधिरोपित करने के लिए है, जब उससे सहायता मांगने वाला ऐसा संदेश प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त मास्टर को तब तक सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है, जब तक कि वह उस कर्तव्य से मुक्त न हो जाए और उससे उन परिस्थितियों का अभिलेख रखने की अपेक्षा करता है जिनमें मास्टर सहायता प्रदान करने में असमर्थ है । यह मास्टर से जलयान के आसपास होने वाली सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने की अपेक्षा भी करता है ।

खंड 119—यह खंड केन्द्रीय सरकार को समुद्र में तलाशी और बचाव के लिए

व्यवस्था करने तथा समुद्री तलाशी और बचाव पर अंतराष्ट्रीय संमेलन 1979 और उन से संबिधित करारों के अधीन यथाअपेक्षित बचाव समन्वय केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना करने की शक्तियों के लिए है ।

खंड 120—यह खंड भारतीय जलयानों पर अपेक्षित रोडियों संसूचना संकट और सुरक्षा उपस्कर तथा प्रमाणित प्रचालकों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 121—यह खंड प्रत्येक पोत को उसके स्थिरता से संबंधित जानकारी रखने और पोत को होने वाले किसी नुकसान के प्रभाव और जलयान के जलरोधी स्थिरता बनाए रखने के लिए आदेश देता है ।

122—यह खंड भार रेखा नियमों के अनुसार पोत पर लदान करने और नियमों के उल्लघंन में लदान होने पर समुद्र में जाने वाले पोत को निरोध करने का उपबंध करने के लिए है ।

123—यह खंड जलयानों को भारत में पतनों या स्थानों के बीच भारत में किसी पतन या स्थान से भारत के बाहर किसी पतन या स्थान तक या भारत के बाहर पतन या स्थान से भारत में किसी पतन या स्थान तक बिना अपेक्षित प्रमाण पत्र के जाने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को यात्रियों के वहन के समय यात्री स्थान सुविधा, यात्री और सुखसुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करने की शक्तियां भी देता है । यह प्रत्येक यात्री जलयान के मास्टर से यह भी अपेक्षा करता है कि वह पोत पर सवार यात्रियों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररुप में विवरण दे ।

खंड 124—यह खंड, खंड 116 में विनिर्दिष्ट अभिसमयों या करारों के अधीन अपेक्षित विधिमान्य बचाव और सुरक्षा प्रमाण पत्रों के बिना जलयानों को समुद्र में जाने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है ।

खंड 125—यह खंड विभिन्न कृत्यों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है जो अपराध का गठन करता है ।

खंड 126—यह खंड विधेयक के भाग 6 के उल्धन्न में स्थोरा या यात्रियों को वहन करने या वहन करने का प्रयास करने को प्रतिषिद्ध करने के लिए है या पोत पर या उसके किसी भाग में ऐसा स्थोरा या यात्री रखने पर रोक लगाता है जो पोत द्वारा रखे गए प्रमाण पत्र के अनुसार नहीं है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि ऐसे उल्लंघनों के लिए मास्टर को दायी ठहराया जाएगा और उसके सक्षमता प्रमाण पत्र को ऐसी अवधि के लिए रद्द या निलंबित कर दिया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट करें ।

खंड 127—यह खंड समुद्र में अतरण्य जलयान को भेजने को प्रतिषिद्ध करने के लिए है और खंड का उल्लंघन करना अपराध बनाती है । इसके अतिरिक्त यह इस खंड के अधीन मास्टर के विरुद्ध अभियोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति की अपेक्षा होती है ।

खंड 128—यह खंड पोत के स्वामी और मास्टर या उसके अभिकर्ता पर यह

बाध्यता डालने के लिए है कि वे यात्रा के लिए जलयान की समुद्री योग्यता सुनिश्चित करे और यात्रा के दौरान उसे समुद्री योग्यता की स्थिति में बनाए रखें ।

खंड 129—यह खंड समुद्र में जलयानों और पतन की सुविधाओं के बचाव और सुरक्षा प्रबंधन के कार्यान्वयन का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह जलयानों और पतनों द्वारा सुरक्षा के विभिन्न स्तरों को बनाए रखने का उपबंध भी करती है ।

खंड 130—यह खंड केन्द्रीय सरकार को बचाव और सुरक्षा के पहलुओं से संबंधित भाग 6 के अधीन नियम बनाने की शक्ति के लिए है । यह उन मामलों का प्रगणन करती है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम बना सकेगी ।

खंड 131—यह खंड विधेयक के भाग 7 के लागू होने की परिधि को अन्य बातों के साथ भारतीय जलयानों और भारत में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अन्य पोत पतनों और प्रदूषण के निवारण से संबंधित मामलों पर विदेशी जलयानों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है । यह किसी भी युद्धपोत नौसेना आनुसंषगिक या अन्य जलयान जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है या प्रचालित किया जाता है और तत्समय केवल शासकीय गैर-वाणिज्यिक सेवा से लिए इस्तेमाल किया जाता है, को भाग 7 के लागू होने से छूट देता है । इसके अतिरिक्त यह केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे जलयान पर भाग 7 के किसी भी उपबंध को लागू करने की शक्ति भी देता है ।

खंड 132—यह खंड कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है जो भाग 7 के लिए विनिर्दिष्ट है जैसे "हानिप्रद पदार्थ" "पाटन" "पतन" आदि ।

खंड 133—यह खंड पोत द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण जैसे हानिप्रद पदार्थों या ऐसे पदार्थों वाले मिश्रणों के उत्सर्जन या त्यजन को निवारित करने का उपबंध करने के लिए है । यह केन्द्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए पोत पर लगाए जाने वाले संनिर्माण सर्वेक्षण या उपस्करों के लिए आवश्यक नियम बनाने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शर्तों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति देता है । इसकी कार्यवाही शुरु होने के समय पता न लगने वाली हानि या नुकसान के मामलें में कार्यवाही के समापन के पश्चात् जलयान के स्वामी या मास्टर के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति देता है । यह सर्वेक्षकों को तटीय जल में पाटन के लिए अनुज्ञेय वस्तुओं की सूची जारी करने और इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त करने की रीति को विहित करने की शक्ति देता है ।

खंड 134—यह खंड प्रत्येक जलयान को इसमें विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभिसमयों और संधियों के अधीन समुद्री प्रदूषण के निवारण के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का पालन करने की अपेक्षा के लिए है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि जिस जलयान पर इसमें उल्लिखित अभिसमयों के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उन्हें नियमों द्वारा उपबंधित की जा सकने वाली प्रदूषण निवारण अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा तथा ऐसे नियम जलयानों के विभिन्न वर्गों के लिए प्रदूषण निवारण हेतु अलग-अलग नियम विहित करेंगे ।

खंड 135—यह खंड धारा 134 में विनिर्दिष्ट अभिसमयों या करारों या संधि के अनुसार विधिमान्य प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र के बिना किसी भी जलयान को समुद्र में अग्रसर करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह ऐसे प्रमाणपत्रों के निरीक्षण की प्रक्रिया और ऐसे निरीक्षण करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की शक्तियों

तथा गैर-अनुपालन के मामलों में की जा सकने वाली उचित कार्रवाई का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 136—यह खंड यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक भारतीय जलयान के अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा और केंद्रीय सरकार को अभिलेखों के ब्यौरे, उसकी अभिरक्षा, इन अभिलेखों को बनाए रखने के रीति और ऐसे अन्य संबंधित विषयों के लिए नियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने लिए है ।

खंड 137—यह खंड केंद्रीय सरकार को उन जलयानों के पत्तनों में प्रवेश से इनकार करने की निदेश देने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है, जहां यह संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा जलयान विधेयक के भाग 7 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है । इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय सरकार को ऐसे जलयान के निरोध या जलयान को ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के लिए ले जाने की शक्ति उपबंध करने लिए है जो अपेक्षित हो ।

खंड 138—यह खंड किसी जलयान के मास्टर को यह अपेक्षा करता है कि जब भी कोई घटना घटे जिसमें विधेयक के भाग 7 या प्रदूषण निवारण अभिसमय के अधीन आने वाले स्थोरा या हानिप्रद पदार्थ बाहर निकल गए हों या बाहर निकलने की संभावना हो और जिससे वायु, समुद्री पर्यावरण या तटों या तटीय जल के किसी भाग में प्रदूषण हो सकता हो या होने की आशंका हो, तो वह केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और ऐसी रिपोर्ट बनाने में असफलता के लिए मास्टर का उत्तरदायित्व होगा । यह केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को भाग 7 की परिधि में आने वाली प्रदूषण की किसी घटना को अधिसूचित करने की अपेक्षा करता है । इसके अतिरिक्त, यह केन्द्रीय सरकार को सूचना के माध्यम से पोत के स्वामी, अभिकर्ता, स्वामी, चार्टरर, प्रचालक, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को निदेश देने की शक्ति देता है कि प्रदूषण की घटना होने या होने की संभावना होने पर प्रदूषण के निवारण या नियंत्रण के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करें और केन्द्रीय सरकार को प्रदूषण से होने वाले खतरे या खतरे के निवारण या, कम करने या समाप्त करने के लिए, जब भी कोई प्रदूषण हानिप्रद पदार्थों के निकलने से होता है या होने की संभावना होती है, या जब भी प्रदूषण की घटना या प्रदूषण के खतरे से समुद्र तट या संबंधित हित के लिए गंभीर और सन्निकट खतरा उत्पन्न होने की संभावना होती है, जो आवश्यक समझे जाएं, कोई भी उपयुक्त और उचित उपाय करने का शक्ति देता है ।

खंड 139—यह खंड केन्द्रीय सरकार को भारतीय जलयान के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय उपबंधित की गई सेवाओं के लिए उचित फीस के संदाय के अध्यधीन ऐसी सहायता के लिए निदेश देने की शक्ति देता है, । इसके अतिरिक्त, यह महानिदेशक को भाग 7 के प्रयोजनों के लिए सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकारके किसी अधिकारी या अन्य अधिकारियों या किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने और किसी भी संसाधन या प्रदूषण निवारण उपस्कर की मांग करने की शक्ति देता है ।

खंड 140—इस खंड में केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा की गई है है वह भाग 7 के अधीन प्रदूषण की मानीटरी और पता लगाने के लिए ऐसे उपाय स्थापित करे जो समुचित और व्यवहार्य समझे जाएं । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध करता है कि

ऐसी प्रक्रिया के अनुसार एकत्रित किए गए साक्ष्य न्यायालय कार्यवाही में स्वीकार्य होंगे ।

खंड 141—यह खंड भाग 7 के प्रयोजनों के लिए विश्लेषकों की नियुक्ति का उपबंध करता है और केन्द्रीय सरकार को ऐसे विश्लेषक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की परिधि को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति देता है ।

खंड 142—यह खंड प्रत्येक पत्तन को लागू अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन खंड 134 में निर्दिष्ट करार या संधि के अधीन उत्सर्जित विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधाएं रखने की अपेक्षा करता है । यह अनिवार्य करता है की जलयान के संचालन, मरम्मत और पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुरक्षित और पर्यावरणीय तरीके से एकत्रित किया जाए संभाला, उपचारित और निपटाया जाए और पत्तन प्राधिकारी को जलयानों से अवशिष्ट प्राप्त करने के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रभार लगाने की शक्ति देता है । यह केन्द्रीय सरकार को पत्तन प्राधिकारी को प्रवेश सुविधाओं के उपबंध करने या व्यवस्था करने की निदेश देने की भी शक्ति देता है और ऐसे प्राधिकारी को ऐसे निदेशों का पालन करने में किसी भी असफलता के लिए शास्ति का दायी बनाता है ।

खंड 143—यह खंड विधेयक के भाग 7 के अधीन नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्ति देता है । यह उन विषयों का प्रगणन करता है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 144—यह खंड यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक भारतीय जलयान, कंपनी या पत्तन का सर्वेक्षण, संपरीक्षा और अधिप्रमाणन किया जाएगा, जब तक इसमें विनिर्दिष्ट विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुपालन से छूट न दी जाए । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध करता है कि सर्वेक्षण पूरा होने पर, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना जलयान में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर जलयान का पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा, या चूककर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रमाणपत्रों में उपांतरण या प्रतिसंहरण या निलंबन या रद्द किया जाएगा । यह जलयान के स्वामियों या मास्टरों को लागू प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को फलक पर रखे बिना समुद्र में जाने से भी प्रतिसिद्ध करता है ।

धारा 145—यह खंड प्रत्येक जलयान, कंपनी या पत्तन को नियमों द्वारा यथा विहित की जाए ऐसे प्रमाणपत्र रखने की अपेक्षा करने के लिए है ।

खंड 146—यह खंड सर्वेक्षक को किसी जलयान और उसके भागों का निरीक्षण या संपरीक्षा करने की शक्ति देने के लिए है जिसके अंतर्गत जलयान और सवार नाविकों से संबंधित प्रमाणपत्र भी है और ऐसा सर्वेक्षक जलयान के संचालन में बाधा नहीं डालेगा, उसे रोकेगा या विलंबित नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त यह जलयान के स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या प्रत्येक अधिकारी को सर्वेक्षक द्वारा अपेक्षित ऐसी उचित सुविधाएं और जानकारी प्रदान करने की शक्ति देता है ।

धारा 147—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक जलयान, कंपनी या पत्तन का सर्वेक्षण, संपरीक्षा और अधिप्रमाणन किया जाएगा ताकि इसमें विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और करारों तथा सर्वेक्षण, संपरीक्षा या अधिप्रमाणन जो विहित

किया जाए से संबंधित किसी अन्य अभिसमयों के अनुपालन की पुष्टि की जा सके ।

खंड 148—यह उस राज्य की सरकार जिससे जलयान संबंधित है द्वारा भारत के बाहर जलयान के लिए जारी प्रमाणपत्रों को मान्यता देने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 149—यह खंड केंद्रीय सरकार को किसी विदेशी राज्य की सरकार से ऐसे राज्यों में भारतीय जलयानों को प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने में सक्षम बनाने के लिए है और भारत में विदेशी जलयानों को प्रमाणपत्र मंजूर करने का उपबंध करता है ।

खंड 150—यह खंड केन्द्रीय सरकार, सर्वेक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को शक्ति देने के लिए है जो पोत के स्वामी से ऐसी जानकारी मांगने की अपेक्षा करता है जो इस भाग के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो । ऐसे सर्वेक्षक या व्यक्ति को इसमें विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति जो सर्वेक्षक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है शास्ति के लिए दायी बनाती है ।

खंड 151—यह खंड केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों तत्सथानी नियमों और लागू अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के उल्लंघनों के सत्यापन के लिए जलयानों के निरीक्षण करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए शक्ति देने के लिए है । किसी उल्लंघन की दशा में, यह केन्द्रीय सरकार को कोई कार्रवाई करने या जलयान के मास्टर को कोई कार्रवाई करने का निदेश देने की शक्ति देता है ।

खंड 152—यह खंड केन्द्रीय सरकार को भाग 8 के अधीन आने वाले विषयों के लिए नियम बनाने की शक्ति के लिए है । यह उन विषयों का प्रगणन करता है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 153—यह खंड विधेयक के भाग 9 को किसी भी स्थान पर स्थित भारतीय पोत और किसी विदेशी जलयान को जब वह भारत में किसी पतन या स्थान पर है जिसके अंतर्गत तटीय जल भी है लागू करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 154—यह खंड जलयानों को किसी भी नुकसान या हानि होने पर दायित्व के विभाजन का उपबंध करने के लिए है, जब दो या दो से अधिक जलयानों के बीच किसी टक्कर के कारण स्थोरा या संपति या जीवन की हानि या व्यक्तिगत नुकसान होता है । यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई टक्कर आकस्मिक है या इसका कारण अवधारित नहीं है, तो प्रत्येक जलयान को अपना नुकसान स्वयं वहन करना होगा और यदि टक्कर एक जलयान की चूक के कारण हुआ है, तो पूरा दायित्व उसी जलयान का होगा । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि यदि टक्कर दो या दो से अधिक जलयानों की चूक के कारण हुई है तो दायित्व की भरपाई जलयानों द्वारा उनके द्वारा की गई चूकों की डिग्री के अनुपात में होगी जब तक उनकी चूकों की डिग्री स्थापित नहीं हो जाती है । यह यह भी उपबंध करता है कि जलयानों के बीच टक्कर से उत्पन्न होने वाले दावों की कार्यवाही में, उच्च न्यायालय असेसर को इसमें विनिर्दिष्ट कोई भी कर्तव्य सौंप सकेगा ।

खंड 155—यह खंड प्रत्येक जलायन की चूक के अनुपात में नुकसान या हानि की भरपाई के लिए, जिसके अंतर्गत तीसरे पक्ष का दायित्व भी है का उपबंध करने के

लिए है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि पतन की चूक द्वारा कारित नुकसान या हानि के संदर्भ में किसी बचाव या अन्य व्यय के कारण होने वाली लागत भी सम्मिलित है जो प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नुकसानपूर्ति के रूप में वसूली योग्य है ।

खंड 156—यह खंड यह उपबंध करता है कि जीवन की हानि या व्यक्तिगत क्षति की दशा में, प्रत्येक पक्ष संयुक्त रूप से और पृथक रूप से तीसरे पक्ष के प्रति दायी होगा, किसी व्यक्ति को बचाव से वंचित किए बिना, जिस पर वह किसी नुकसानग्रस्त व्यक्ति द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई में निर्भर या उसके दायित्व को सीमित करने के किसी अधिकार से वंचित किए बिना कर सकता था ।

खंड 157—यह खंड किसी जलयान द्वारा की गई चूक के अनुपात से अधिक संदाय किए जाने पर जीवन की हानि या व्यक्तिगत क्षति के दावों में अन्य जलयान या जलयानों के मास्टरों से उनकी चूकों के अनुपात में अंशदान के माध्यम से अतिरिक्त नुकसान की वसूली का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि अंशदान की वसूली के प्रयोजन के लिए किसी भी अंशदान का हकदार व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधित किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त हकदार होगा और नुकसानपूर्ति के लिए वाद दायर फाइल करने के हकदार व्यक्तियों के समान अधिकार और शक्तियां होंगी ।

खंड 158—यह खंड किसी जलयान के मास्टर पर यह कर्तव्य अधिरोपित करने का उपबंध करने के लिए है कि वह दो जलयानों के बीच टक्कर के मामले में अपने जलयान, समुद्रयात्री वृतिकों और यात्रियों को खतरे में डाले बिना दूसरे जलयान की सहायता करे । इसमें मास्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह टक्कर के कारण होने वाले किसी भी खतरे से दूसरे जलयान को बचाए और दूसरे जलयान के पास तब तक रहे जब तक दूसरे जलयान को और सहायता की आवश्यकता न हो और मास्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जलयान का नाम, रजिस्ट्री का पतन, अंतिम पतन और अगले पतन जैसी सूचनाओं का आदान-प्रदान करे । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध करता है कि इस उपबंध का अनुपालन करने में मास्टर की असफलता से भाग 9 के अध्याय 1 के प्रयोजन के लिए जलयान के दायित्व की कोई उपधारणा नहीं बनेगी ।

खंड 159—यह खंड प्रत्येक जलयान के मास्टर द्वारा लॉग बुक में टक्कर के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों और अभिवचन को अभिलिखित करने की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए है और ऐसी प्रविष्टि पर मास्टर और अधिकारी या किसी एक समुद्र यात्रा वृतिक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

खंड 160—यह खंड मास्टर या अभिकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह महानिदेशक या निकटतम प्रधान अधिकारी को रिपोर्ट करे, यदि किसी भारतीय जलयान में कोई दुर्घटना होती है की या उसमें कोई दुर्घटना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या उसे कोई गंभीर क्षति होती है या कोई तात्विक नुकसान होता है जिससे उसकी समुद्र यात्रा योग्यता या दक्षता प्रभावित हुई है या उसके हल में या उसकी मशीनरी के किसी भाग में इस प्रकार का फेरफार होता है, जो उस जलयान के संबंध में विधेयक के अधीन जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट प्रविष्टियों के अनुरूप नहीं है, और ऐसी रिपोर्ट दुर्घटना या नुकसान के घटित

होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर या यथाशीघ्र की जानी है ।

खंड 161—यह खंड उपबंध करने के लिए है कि यदि किसी भारतीय जलयान के मास्टर या अभिकर्ता को यह आशंका हो कि जलयान हाजिर न होने कारण या किसी अन्य परिस्थिति के कारण पूर्णत: खो गया है, तो नुकसान और ऐसे हानि के कारण से संबंधित एक सूचना महानिदेशक को भेजी जाएगी, साथ ही जिसमें जलयान की विशिष्टियां, जैसे- नाम, आधिकारिक संख्या और रजिस्ट्री के पत्तन आदि सम्मिलित होंगे ।

खंड 162—यह खंड उन दावों को निर्दिष्ट करने का उपबंध करने के लिए है, जिन्हें पोत के स्वामी या उद्धारणकर्ता या वह व्यक्ति जिसके कार्य, उपेक्षा या चूक के लिए पोत का सवामी या उद्धारणकर्ता उत्तरदायी है या बीमाकर्ता द्वारा एलएलएमसी अभिसमय के आधार पर सीमित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि इसमें ऐसे दावे सीमित होंगे, भले ही वे किसी संविदा के अधीन या अन्यथा क्षतिपूर्ति के लिए लाए गए हों । यह कतिपय कुछ ऐसे दावों को भी विनिर्दिष्ट करता है, जो परिसीमा के अधीन नहीं होंगे । स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि दायित्व की परिसीमा का अवलंब दायित्व की स्वीकृति नहीं होगी; और पोत के स्वामी में समुद्र में जाने वाला जलयान का स्वामी, चार्टरर, प्रबंधक या प्रचालक सम्मिलित हैं ।

खंड 163—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि व्यक्ति खंड 162 के अधीन उसके दायित्व को सीमित करने का हकदार नहीं होगा यदि यह साबित कर दिया जाता है कि नुकसान या हानि उसके व्यक्तिगत कृत्य या लोप के परिणामस्वरूप हुई है जो ऐसी हानि या असावधानी के कारण और इस जानकारी के साथ कारित की गई है कि ऐसी हानि संभवत: होगी ।

खंड 164—यह खंड यह उपबंध करता है कि जब दायित्व की परिसीमा एक ही घटना के कई दावों से उद्भूत होती है तो दावों को एक दूसरे के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और भाग 9 के अध्याय 2 के उपबंध शेष, यदि कोई हो, पर लागू होंगे ।

खंड 165—यह खंड यह उपबंध करता है कि खंड 166 के अधीन आने वाले यात्री दावों के सिवाय किसी विशिष्ट अवसर पर उत्पन्न होने वाले दावों के लिए एलएलएमसी अभिसमय में दी गई सीमाओं के अनुसार संगणित किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि जीवन की हानि या व्यक्तिगत नुकसान के दावों के संबंध में सीमा रकम अपर्याप्त है, तो किसी अन्य दावे के संबंध में सीमा रकम का उपयोग पहले दावे के असंदत्त शेष का संदाय करने के लिए किया जाएगा । इसके अतिरिक्त पदानुक्रम के लिए उपबंध है जिसमें अन्य दावों का संदाय किया जाना है, अर्थात, पहले जीवन की हानि या व्यक्तिगत नुकसान के संबंध में दावे और उसके बाद बंदरगाह संकर्म, बेसिन, जलमार्ग और नौपरिवहन सहायकों के नुकसान के संबंध में दावे । और इसमें यह भी उपबंध है कि किसी भी जलयान से प्रचालन नहीं करने वाले या किसी भी पोत पर एकमात्र प्रचालन कर रहे किसी भी उद्धारणर्ता के लिए उत्तरदायित्व की सीमा, जिसके लिए या जिसके संबंध में यह बचाव सेवाएं प्रदान कर रहा है, एलएलएमसी अभिसमय में प्रदान किए गए समग्र टन धारिता के अनुसार गणना की जाएगी ।

खंड 166—यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी जलयान के यात्रियों के जीवन

की हानि या व्यक्तिगत नुकसान के लिए किसी विशिष्ट अवसर पर उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में, पोत के स्वामी के दायित्व की परिसीमा से संबंधित रकम ऐसी होगी जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

खंड 167—यह खंड उपबंध करता है कि खंड 165 में यथा अवधारित दायित्व की परिसीमाएं उन दावों पर लागू होती हैं जो इसमें यथा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट अवसर पर उत्पन्न होते हैं कुल मिलाकर सामूहिक रुप से लागू होगी । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि यात्री दावों की परिसीमा के संबंध में यथा अवधारित दायित्व की परिसीमाएं पोत स्वामी या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले दावों पर लागू होगी जिसके कार्य, उपेक्षा या चूक के लिए वह या वे उत्तरदायी हैं ।

खंड 168—यह खंड केन्द्रीय सरकार के पास परिसीमा निधि के गठन का उपबंध करने के लिए है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में जमा की गई निधि जिसके विरुद्ध परिसीमा अवधि के दावों के लिए विधिक कार्रवाही आरंभ की जा रही है या आरंभ किए जाने की संभावना है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि निधि का गठन खंड 167 के साथ पठित खंड 165 या खंड 166 के उपबंधों के साथ संगणित रकम के अनुसार किया जाएगा जो उन दावों पर लागू होते हैं जिनके लिए दायित्व की परिसीमा, साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज, दायित्व को उद्भूत करने वाली घटना की तारीख से निधि के गठन की तारीख तक लागू होती है । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध करता है कि परिसीमा निधि रकम या तो जमा की जाएगी या प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त माना जाता है, जैसा भी लागू हो । इसमें यह भी उपबंध है कि इस प्रकार गठित निधि एकमात्र उन दावों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके संबंध में दायित्व की परिसीमा लागू की जा सकेगी और खंड 166 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या पोत के स्वामी या उद्धारणकर्ता या उसके बीमाकर्ता द्वारा गठित समझी जाएगी ।

खंड 169—यह खंड दायित्व की सीमा का अवलंबन करने का उपबंध करने के लिए है, भले ही खंड 168 के अधीन परिसीमा निधि का गठन न किया गया हो और ऐसे मामले में उच्च न्यायालय प्रत्येक दावे को पूरी साबित रकम के लिए अधिनिर्णय करेगा और लागू परिसीमा की रकम के साथ दायित्व को सीमित करने के अधिकार की घोषणा करेगा । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध है कि यदि परिसीमा निधि के गठन के बिना अधिकार का अवलंबन किया जाता है, तो दावेदार को ऐसे दावे के संबंध में अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा ।

खंड 170—यह खंड उपबंध करता है कि निधि को दावेदारों के बीच उनके स्थापित दावों के अनुपात में खंड 165 और खंड 166 के उपबंधों के अध्यधीन वितरित किया जाएगा और यदि उत्तरदायी व्यक्ति और उसका बीमाकर्ता निधि वितरित होने से पहले दावे का निपटारा करता है तो निधि के विरुद्ध दावेदार के उस व्यक्ति या उसका बीमाकर्ता को सौंप दिया जाता है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि उत्तरदायी व्यक्ति या बीमाकर्ता से भिन्न अन्य व्यक्तियों के लिए भी किसी भी प्रतिकर की रकम के संबंध में प्रतिस्थापन का अधिकार विद्यमान है जिसे ऐसे व्यक्ति ने संदत्त किया हो । यह भी उपबंध करता है कि, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार, एक पर्याप्त रकम को अनंतिम रूप से अलग रखने का आदेश दे

सकेगी ताकि उत्तरदायी व्यक्ति या कोई व्यक्ति बाद की तारीख में निधि के विरुद्ध अपने दावे को लागू कर सके जब यह दायी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जब तक यह साबित कर दे कि उसे बाद की तारीख में पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रतिकर किसी रकम का संदाय करने की आवश्यकता है जिसके संबंध में ऐसे व्यक्ति को उपबंधित प्रतिस्थापन का अधिकार प्राप्त होता है । यह भी उपबंध करता है कि पोत के विरुद्ध कोई धारणाधिकार या अन्य अधिकार उस अनुपात को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निधि को कई दावेदारों के बीच में वितरित किया जाता है ।

खंड 171—यह खंड खंड 168 के अधीन परिसीमा निधि गठित होने के पश्चात् निधि के किसी भी दावेदार द्वारा किसी अन्य जलयान या संपत्ति के विरुद्ध अन्य कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए है जो उस व्यक्ति से संबंधित है जिसकी ओर से निधि गठित की गई थी । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि किसी ऐसे जलयान या अन्य संपत्ति को जो किसी दावे के लिए कुर्क या गिरफ्तार किया गया हो, जिसे निधि के विरुद्ध किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा जारी किया जा सकेगा, चाहे निधि उसी या किसी अन्य उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की गई हो या नहीं ।

खंड 172—यह खंड भारतीय जलयान या किसी भारतीय जलयान में प्रवेश करने या प्रस्थान करने वाले या भारत के राज्यक्षेत्रीय जल या तटीय जल में प्रचालन करने वाले किसी अन्य पतन के प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित बीमाकर्ताओं से बीमा या वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखने की अपेक्षा करता है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि बीमा खंड 166 में अधिकथित अधिकतम सीमा के अधीन होगी और इस उपबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रस्थान करने वाले जलयान को विहित प्राधिकारी द्वारा निरोध में लिया जा सकेगा ।

खंड 173—यह खंड उपबंध करने के लिए है कि भाग 9 के अध्याय 2 तब लागू होगा, जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दायित्व को सीमित करता है या जलयान या अन्य संपत्ति की निर्मुक्ति या भारत में भीतर दी गई किसी सुरक्षा को उपाप्त करना चाहता है, सिवाय इसके कि उस व्यक्ति का भारत में अपने अभ्यस्त निवास या उसके कारबार का मुख्य व्यवसाय नहीं है या जिस जलयान के संबंध में जिस परिसीमा के अधिकार को अवलंबित किया जाता है, वह उस राज्य का झंडा नहीं फहराता है जो एलएलएमसी अभिसमय का पक्ष है । इसके अतिरिक्त यह उन परिस्थियों को विनिर्दिष्ट करता है, जहां यह अध्याय लागू नहीं होगा अर्थात् वायु कुशन यानों या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्मों पर ।

खंड 174—यह खंड केन्द्रीय सरकार को भाग 9 के अध्याय 1 और अध्याय 2 के अधीन आने वाले विषयों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है तथा उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिसके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 175—यह खंड किसी संविदाकारी पक्ष की अधिकारता के भीतर भारतीय जलयान या किसी पोत से भिन्न भारतीय जलयान द्वारा जब वह भारत में पतन या स्थान, जिसके अंतर्गत तटीय जल भी है, पर 200 नौपरिवहन मील तक हो, तेल प्रदूषण से होने वाले नुकसान पर भाग 9 के अध्याय 3 को लागू करने तथा प्रदूषण नुकसान का निवारण करने या न्यूनतम करने के लिए, जहां कहीं भी निवारक उपाय किए जाएं, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 176—यह खंड कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है जो इस भाग 9 के अध्याय 3 के लिए विनिर्दिष्ट हैं, जैसे "तेल", "पोतस्वामी", "पोत", आदि ।

खंड 177—यह खंड जलयान द्वारा कारित किए गए किसी प्रदूषण नुकसान के लिए स्वामी के दायित्व का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह दायित्व से स्वामी को छूट देने का भी उपबंध करता है, यदि वह साबित कर देता है कि प्रदूषण से होने वाला नुकसान युद्ध, शत्रुता, गृहयुद्ध आदि के परिणामस्वरूप हुआ है, या यह पूर्ण रूप से किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान कारित करने के आशय से किए गए कार्य या लोप के कारण हुआ है या यह पूर्ण रूप से किसी सरकार या रोशनी या अन्य नौपरिवहन सहायता के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी किसी अन्य प्राधिकारी की अपेक्षा या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण हुई है । यह उन व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट करता है, जिसके विरुद्ध प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

खंड 178—यह खंड यह उपबंध उपबंध करने के लिए है कि यदि किसी दुर्घटना में दो या अधिक पोत सम्मिलित हों तो सभी पोतों के स्वामी प्रदूषण नुकसान के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी होंगे ।

खंड 179—इस खंड से समझा जाता है कि संबंधित उच्च न्यायालयों की नावधिकरण विषयक अधिकारिता भाग 9 के अध्याय 3 के अधीन उत्पन्न होने वाले दायित्व के लिए किसी दावे तक विस्तारित है, इसके अंतर्गत स्वामी द्वारा परिसीमा निधि का स्थापन भी है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि परिसीमा निधि केवल उसी उच्च न्यायालय में गठित की जाएगी जिसकी अधिकारिता घटना से होने वाले प्रदूषण नुकसान पर होगा और यह विनिर्दिष्ट करता है कि वह उच्च न्यायालय कौन सी अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय होगा, यदि प्रदूषण नुकसान अनन्य आर्थिक क्षेत्र में होता है या एक से अधिक उच्च न्यायालयों तक विस्तारित होता है । यदि एक से अधिक उच्च न्यायालयों की समवर्ती अधिकारिता है तो प्रतिकर का दावा उस पत्तन या स्थान पर अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में या ऐसे किसी उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा, जहां प्रदूषण नुकसान के लिए उत्तरदायी पोत सेवा निरुद्ध किया गया है ।

खंड 180—यह खंड यह उपबंध करता है कि जहां भाग 9 के अध्याय 3 के अधीन घटना से सिविल दायित्व अभिसमय के एक या अधिक संविदाकारी पक्षों से सिविल दायित्व अभिसमय के एक या अधिक संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्र में प्रदूषण नुकसान होता है या संविदाकारी पक्षों के क्षेत्र में प्रदूषण नुकसान को रोकने या कम करने के लिए निवारक उपाय किए गए हैं, वहां किसी ऐसे संविदाकारी पक्षों के दावे लाये जा सकेंगे । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि भारत में एक निधि की स्थापना पर, उच्च न्यायालय या केंद्रीय सरकार के पास निधि के प्रभाजन और वितरण से संबंधित विषयों को अवधारित करने की अधिकारिता होगी ।

खंड 181—यह खंड उपबंध करने के लिए है कि स्वामी किसी घटना के संबंध में भाग 9 के अध्याय 3 के अधीन अपने दायित्व को सिविल दायित्व अभिसमय के अनुच्छेद 5 के अनुसार समग्र रकम तक परिसीमित कर सकेगा, जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि प्रदूषण से हुआ नुकसान उसके व्यक्तिगत कार्य या लोप के परिणामस्वरूप हुआ है जो ऐसे नुकसान के बनने के आशय से या लापरवाही से या

इस ज्ञान के साथ की गई थी कि ऐसा नुकसान संभवतः हो सकेगा ।

खंड 182—यह खंड स्वामी, बीमाकर्ता या स्वामी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिसीमा निधि का गठन करने हेतु उपबंध करने के लिए है और केन्द्रीय सरकार को समय-सीमा और रीति, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाएगा, विहित करने की शक्ति देता है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि परिसीमा निधि के लिए आवेदन उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को किया जाएगा और निधि का गठन या तो रकम जमा करके या उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार के पास बैंक प्रत्याभूति या अन्य प्रतिभूति प्रस्तुत करके किया जा सकेगा । यह, यह भी उपबंध करता है कि निधि के गठन से निधि में जमा या प्रत्याभूत रकम से अधिक पूर्ण प्रतिकर के लिए स्वामी के विरुद्ध किसी भी दावेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

खंड 183—यह खंड केन्द्रीय सरकार को परिसीमा निधि स्थापित को होने पर प्रतिकर के लिए दावा करने की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए शक्ति देता है और, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को निधि के विरुद्ध दावा आमंत्रित करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा होती है । यह भाग 9 के अध्याय 5 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण प्रतिकर निधि की कार्यवाही की सूचना जारी करने को भी विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 184—यह खंड उपबंध करने के लिए है कि जहां निधि वितरित किए जाने से पहले, स्वामी या उसके किसी भी सेवक या अभिकर्ता या उसे बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति ने किसी घटना के परिणामस्वरूप प्रदूषण नुकसान के लिए प्रतिकर दिया है, वहां ऐसे व्यक्ति को उस रकम तक, जो उसने संदत्त की है, प्रतिस्थापन द्वारा उन अधिकारों को अर्जित करेगा, जो उस व्यक्ति को भाग 9 के अध्याय 3 के अधीन प्राप्त हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि उच्च न्यायालय आदेश दे सकेगा कि ऐसे स्वामी या बीमाकर्ता को निधि के विरुद्ध बाद की तारीख में अपने दावे को प्रवृत करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त राशि अनंतिम रूप से अलग रखी जाए ।

खंड 185—यह खंड, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या केंद्रीय सरकार को निधि के विरुद्ध सभी दावों को समेकित करने और निधि में रकम को सभी दावेदारों के बीच उनके दावों के अनुपात में वितरित करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि प्रदूषण नुकसान को रोकने या उसे कम करने के लिए स्वामी द्वारा स्वेच्छा से उपगत किए गए यथोचित व्यय या उचित रूप से किए गए त्याग के संबंध में कोई दावा, निधि के विरुद्ध अन्य दावों के बराबर माना जाएगा ।

खंड 186—यह खंड उपबंध करता है कि जहां उच्च न्यायालय प्रतिकर के लिए कोई आदेश देता है जिसका स्वामी ने अनुपालन नहीं किया है और स्वामी ने भाग 9 के इस अध्याय 3 के अनुसार परिसीमा निधि स्थापित नहीं की है, वहां घटना के लिए उत्तरदायी पोत या ऐसे स्वामित्व वाले किसी अन्य पोत को विहित समय के भीतर प्रतिकर के आदेश का अनुपालन न करने के लिए गिरफ्तार करने का आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय, भाग 9 के अध्याय 5 के अनुसार आईओपीसी निधि के दायित्व

का अवधारण करने के पश्चात्, विधेयक के अनुसार पोत और उसके उपस्करों को उद्ग्रहीत करके और विक्रय करके असंदत्त शेष प्रतिकर की रकम वसूलने का निदेश दे सकेगा । यह उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को तेल प्रदूषण की घटना में सम्मिलित किसी पोत के स्वामी खंड 185 के उपखंड (4) अधीन प्रतिकर के आदेश का सम्यक रूप से अनुपालन नहीं कर लेता है, जो भी पहले हो ।

खंड 187—यह खंड परिसीमा निधि की स्थापना के पश्चात् स्वामी के विरुद्ध दावों के प्रवर्तन पर निर्बंधन लगाने का उपबंध करता है, यदि उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को ऐसी रकम का संदाय और उसका ऐसा भाग,जो दावे के तत्समान है, वास्तविक रूप में दावेदार के लिए उपलब्ध है ।

खंड 188—यह खंड स्थोरा के रूप में भारी मात्रा में दो हजार टन से अधिक तेल ले जाने वाले किसी पोत के स्वामी से सिविल दायित्व अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट रकम के लिए भाग 9 के अध्याय 3 के अधीन प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व को आच्छादित करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखने की अपेक्षा करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय सरकार को पोत के संबंध में यथाविहित थोक में इतने टन तेल ले जाने वाले पोत के स्वामी से, ऐसी परिसीमाओं तक, जो विहित की जाए,प्रदूषण नुकसान के लिए अपने दायित्व को कवर करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखने की अपेक्षा करने की शक्ति देता है और इस आशय का प्रमाणन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक भारतीय जलयान और किसी विदेशी जलयान के स्वामी या अभिकर्ता को फीस के संदाय पर, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं,जारी किया जाएगा ।

खंड 189—यह खंड उपबंध करने के लिए है कि भारत के बाहर किसी राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जो सिविल दायित्व अभिसमय का संविदाकारी पक्ष है, किसी पोत को जारी किया गया प्रमाणपत्र, चाहे वह जहां भी रजिस्ट्रीकृत है,भारत में किसी पतन या स्थान पर इस प्रकार स्वीकार किया जाएगा, मानों वह विधेयक के उपबंधों के अधीन जारी किया गया हो ।

खंड 190—यह खंड उपबंध करता है कि जिस पोत पर स्थोरा के रूप में भारी मात्रा दो हजार टन से अधिक तेल फलक पर है, वह भारत में किसी पतन या स्थान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास खंड 188 या खंड 189 के अधीन यथाअपेक्षित प्रमाणपत्र न हो । इसके अतिरिक्त यह भी उपबंध करता है कि उचित अधिकारी किसी पोत को आंतरिक प्रवेश या बाह्य निकासी तभी मंजूर करेगा, जब उसका स्वामी ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

खंड 191—यह खंड प्रतिकर के संदाय के लिए वित्तीय प्रतिभूति प्रदान करने वाला कोई बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष दायित्व का उपबंध करने के लिए है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति खंड 181 के उपबंधों के अनुसार अपना दायित्व सीमित कर सकेगा, यदि स्वामी को अपने दायित्व को सीमित करने का हकदार नहीं है । यह,यह भी उपबंध करता है कि ऐसा बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति उन प्रतिवादों का अवलंब ले सकेगा कि प्रदूषण नुकसान स्वामी स्वयं के जानबूझकर किए गए अवचार के कारण हुआ है किंतु वह किसी अन्य प्रतिवाद का लाभ नहीं उठा सकेगा जिसका वह,उसके पोत के स्वामी द्वारा गई कार्रवाइयों में अवलंब लेने का हकदार था ।

खंड 192—यह खंड सिविल दायित्व अभिसमय के अधीन सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय को पारस्परिक मान्यता देने का उपबंध करता है ।

खंड 193—यह खंड तेल प्रदूषण नुकसान होने की तारीख से प्रतिकर का दावा करने के लिए तीन वर्ष और नुकसान का कारण बनने वाली घटना की तारीख से, जिसके कारण नुकसान हुआ है,छह वर्ष और घटनाओं की एक आवली की तारीख से, पहली घटना की तारीख को परिसीमा अवधि का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 194—यह खंड सरकार द्वारा उपयोग किए गए युद्धपोत या किसी पोत को भाग 9 के अध्याय 3 के लागू होने से छूट प्रदान करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 195—यह खंड केन्द्रीय सरकार को भाग 9 के अध्याय 3 के अधीन आने वाले विषयों के लिए नियम बनाने हेतु शक्ति देने के लिए है और उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 196—यह खंड बंकर तेल प्रदूषण नुकसान के लिए सिविल दायित्व से संबंधित भाग 9 के अध्याय 4 के लागू होने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 197—यह खंड भाग 9 के अध्याय 4 में विनिर्दिष्ट कतिपय पदों को परिभाषित करने के लिए है, जैसे "बंकर तेल", "पोत", आदि ।

खंड 198—यह खंड बंकर तेल के निस्सारण या निकलने के कारण होने वाले किसी प्रदूषण नुकसान जिसके लिए पोत स्वामी दायी होगा के दायित्व को विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

खंड 199—यह खंड इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय स्थितियों में पोत स्वामी को दायित्व से छूट देने के लिए है ।

खंड 200—यह खंड पोत स्वामी या बीमाकर्ता को समुद्री दावे के लिए दायित्व की परिसीमाओं से संबंधित भाग 9 के अध्याय 2 के अनुसार इसमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक घटनाओं के लिए अपने दायित्व को सीमित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 201—यह खंड उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा दायित्व की परिसीमाओं के अवधारण का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 202—यह खंड उच्च न्यायालय या केन्द्रीय सरकार को सभी दावों को समेकित करने और खंड 170 के अनुसार दावेदारों के बीच रकम वितरित करने की शक्ति देता है ।

खंड 203—यह खंड प्रतिकर का दावा करने की अवधि को बंकर तेल प्रदूषण नुकसान की घटना की तारीख से तीन वर्ष या ऐसे नुकसान का कारण बनने वाली घटना की तारीख से छह वर्ष तक और यदि घटना में घटनाओं की संख्या अंतर्वलित है तो ऐसी पहली घटना की तारीख से सीमित करने के लिए है ।

खंड 204—यह खंड उपबंध करता है कि एक हजार टन भार से अधिक सकल टन भार वाले पोत के स्वामी को एलएलएमसी अभिसमय के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन अनिवार्य बीमा रक्षण या वित्तीय प्रतिभूति को बनाए रखना होगा ।

खंड 205—यह खंड वित्तीय प्रतिभूति का उपबंध करने वाले बीमाकर्ता या अन्य

व्यक्ति के विरुद्ध सीधी कार्रवाई का उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करती है कि यदि स्वामी खंड 200 के उपबंधों के अनुसार दायित्व को परिसीमित करने का हकदार नहीं है तो बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति अपनी दायित्व को परिसीमित कर सकेगा । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति उन प्रतिवादों का अवलंब ले सकेगा जिनका स्वामी स्वयं अवलंब लेने का हकदार है । यह, यह भी उपबंध करता है कि बीमाकर्ता या अन्य व्यक्ति इस प्रतिवाद का अवलंब ले सकेगा कि प्रदूषण नुकसान पोत स्वामी के जानबूझकर किए गए अवचार के परिमाणस्वरूप हुआ है किंतु ऐसे किसी प्रतिवाद का अवलंब नहीं लेगा जिसका ऐसे बीमाकर्ता या व्यक्ति के विरुद्ध पोत स्वामी द्वारा की गई कार्रवाई में अवलंब लेने का हकदार हुआ होता है ।

खंड 206—यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार प्रत्येक पोत के संबंध में जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए फीस की संदाय पर बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूति बनाए रखता है और इसकी समाप्ति पर नवीनीकरण के लिए उपबंध करेगी ।

खंड 207—यह खंड 206 के अधीन जारी प्रमाणपत्र के बिना किसी पोत को भारत में किसी भी पतन या स्थान में प्रवेश करने या छोड़ने से रोकने के लिए है और उचित अधिकारी स्वामी द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर किसी भी पोत को केवल आवक प्रवेश या जावक निकासी प्रदान करेगा ।

खंड 208—यह खंड पोत स्वामी को किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसके दायित्व के लिए अवलंबन के अधिकार का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 209—यह खंड बंकर अभिसमय के लिए किसी अन्य संविदाकारी पक्ष के न्यायालय के निर्णय की पारस्परिक मान्यता और प्रवर्तन का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 210—यह खंड केन्द्रीय सरकार को भाग 9 के अध्याय 4 के अधीन आनेवाले विषयों के लिए नियम बनाने की शक्ति के लिए है । यह उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 211—यह खण्ड विधेयक के भाग 9 के अध्याय 5 को तटीय जल में दो सौ समुद्री मील तक होने वाले तेल प्रदूषण नुकसान के लिए लागू करने और तेल प्रदूषण नुकसान को रोकने या न्यूनतम करने के लिए किए गए निवारक उपायों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 212—यह खंड भाग 9 के अध्याय 5 में विनिर्दिष्ट पदों को परिभाषित करने के लिए है, जैसे "सहयुक्त व्यक्ति", "अभिदायी तेल", आदि ।

खंड 213—यह खंड तेल की न्यूनतम मात्रा एक लाख पचास हजार टन तेल के प्रतिवर्ष आयात के मामले में जो निधि अभिसमय में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए निधि अभिसमय के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 12 के अनुसार भारत में पतनों या सीमांत प्रतिष्ठानों में समुद्री मार्ग द्वारा वहन किए गए अभिदायी तेल के संबंध में आयातक या प्राप्तकर्ता द्वारा निधि के अंशदान का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 214—यह खंड निधि में व्यक्तियों द्वारा देय न्यूनतम अंशदान की अपेक्षाओं का उपबंध करने के लिए है जो निधि अभिसमय के अधीन अनुच्छेद 12 के अधीन अवधारित किया जाता है और यह केंद्रीय सरकार को शक्ति देता है कि वह

व्यक्तियों से केन्द्रीय सरकार या निधि में अंशदान के संदाय के लिए वित्तीय प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सके ।

खंड 215—यह खंड उन स्थितियों का उपबंध करने के लिए है जहां निधि को इसमें विनिर्दिष्ट प्रतिकर के संदाय के लिए अवलंबित किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त यह उन स्थितियों के लिए भी उपबंध करता है जहां निधि पर प्रतिकर के संदाय की बाध्यता नहीं है ।

खंड 216—निधि अभिसमय के अनुच्छेद 4 के अनुसार निधि के दायित्व की परिसीमा का उपबंध करता है ।

खंड 217—केन्द्रीय सरकार को सूचना मांगने के लिए सशक्त बनाता है, विशेष रूप से निधि में अभिदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम और पते और प्रकटन करने वाले व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों को विनिर्दिष्ट करता है । यह आगे खंड के अधीन नोटिस की शर्तों का पालन करने से मना करने को दंडनीय अपराध बनाता है ।

खंड 218—यह उपबंध करता है कि विधेयक के भाग 9 के अध्याय 5 के अधीन प्रतिकर के लिए निधि के विरुद्ध कोई भी दावा सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा ।यह स्वामी या उसके प्रत्याभूति दाता के विरुद्ध उच्च न्यायालय में संस्थित किसी भी विधिक कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में हस्तक्षेप करने के निधि के अधिकार का भी उपबंध करता है तथा उच्च न्यायालय के विनिश्चय को बाध्यकारी बनाता है, भले ही निधि ने अपनी कार्यवाही में हस्तक्षेप न किया हो ।

खंड 219—निधि के विरुद्ध दावे के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित करता है, जो क्षति होने से तीन वर्ष तक की हो सकती है तथा दावे को प्रवृत करने के लिए कोई भी कार्रवाई ऐसी क्षति का कारण बनने वाली घटना की तारीख से छह वर्ष के पश्चात नहीं की जाएगी ।

खंड 220—उस अधिकार के प्रत्यासन के लिए उपबंध करता है जिसका इस प्रकार प्रतिकर प्राप्त करने वाला व्यक्ति निधि अभिसमय के अधीन तब आनंद उठाता जब कोई राशि निधि या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा संदत्त की जाती है ।

खंड 221—केन्द्रीय सरकार को भाग 9 के अधीन संदेय रकम से अधिक प्रदूषण क्षति के लिए प्रतिकर के उपबंध के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 222— केन्द्रीय सरकार को भाग 9 में शामिल निधि अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त बनाता है तथा उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 223—भारतीय जलयानों और विदेशी जलयानों के प्रचालन के संबंध में समुद्री घटनाओं पर विधेयक के भाग 10 के अनुप्रयोग का उपबंध करता है ।

खंड 224—"समुद्री घटना" और "समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया" जैसी कतिपय अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है जो भाग 10 के लिए विनिर्दिष्ट हैं ।

खंड 225—समुद्री घटनाओं के प्रशासन और पर्यवेक्षण तथा केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन तदनुरूप आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक या एक से अधिक नोडल प्राधिकरण की नियुक्ति करने का उपबंध

करता है ।

खंड 226—समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र में शामिल होने के लिए प्राथमिक प्रतिक्रिया पक्ष जैसे कि पोत के स्वामी या मास्टर, संबंधित जलयान से समुद्र यात्रा वृत्तिक और ऐसे अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करने का प्रयास करता है जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।यह उपबंध करता है कि प्राथमिक प्रतिक्रिया पक्ष, नोडल प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों, सलाह और अनुदेशों का पालन करेगा ।

खंड 227—केन्द्रीय सरकार को समुद्री दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए योजनाओं और प्रक्रियाओं तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 228—नोडल प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन प्रशासनिक निकायों को निदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है ।यह आगे नोडल प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संसाधन की सेवाओं की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है ।यह आगे केन्द्रीय सरकार को उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है जिनमें नोडल प्राधिकरण द्वारा समुद्री घटना के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है ।

खंड 229—भारतीय जलयान या किसी अन्य जलयान के प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी से, जो भारत में या तटीय जल में किसी पतन, पोत प्रांगण या अपतटीय टर्मिनल या स्थान में प्रवेश करता है, यह अपेक्षा करता है कि वह वैध बीमा कवरेज या वित्तीय प्रतिभूति अपने पास रखे तथा भाग 10 के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के प्रयोजनार्थ ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन को दर्शाने वाला प्रमाणपत्र या दस्तावेज अपने साथ रखे ।

खंड 230—विधेयक के भाग 10 के अधीन आने वाले प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाता है तथा उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 231—भारतीय जलयानों या किसी अन्य जलयान के प्रचालन के संबंध में, इसमें विनिर्दिष्ट समुद्री दुर्घटना से संबंधित मामलों में विधेयक के भाग 11 के अधीन जांच और पूछताछ की प्रक्रिया का उपबंध करता है ।यह केन्द्रीय सरकार को समुद्री दुर्घटना का प्रारंभिक निर्धारण करने और सुरक्षा अभिसमय के अनुसार समुद्री सुरक्षा जांच करने के लिए एक निकाय नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 232—केन्द्रीय सरकार को प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने या विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निदेश पारित करने के लिए सशक्त बनाता है, यदि खंड 231 के उपखंड (6) के अधीन समुद्री सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह राय है कि प्रथम दृष्टया, किसी व्यक्ति की ओर से किसी भी समय लागू विधि की अक्षमता, कदाचार या उल्लंघन विद्यमान है ।

खंड 233—भारत के तटीय जल सहित भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित जहाज़ के अवशेषों पर विधेयक के भाग 12 के अध्याय 1 के लागू होने को विनिर्दिष्ट करता है । इसमें आगे यह उपबंध है कि यह भाग तेल प्रदूषण दुर्घटनाओं, 1969 के मामलों में उच्च समुद्रों पर हस्तक्षेप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन किए गए

किसी भी उपाय और गैर-वाणिज्यिक सेवा के लिए सरकार के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा संचालित युद्धपोतों या जलयानों पर लागू नहीं होगा ।

खंड 234—भाग 12 के अध्याय 1 के लिए विनिर्दिष्ट कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है ।

खंड 235—केन्द्रीय सरकार को जहाज के मलबे को प्राप्त करने, उसे अपने कब्जे में लेने तथा समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उपलब्ध साधनों द्वारा निपटान या हटाने के लिए कार्रवाई करने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 236—भारतीय और विदेशी जलयान के प्रत्येक मास्टर या स्वामी या प्रचालक से किसी समुद्री दुर्घटना में शामिल होने की अपेक्षा करता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी क्षेत्र में आए जहाज़ के मलबे पर भाग 12 का अध्याय 1 लागू होता है, कि वह बिना किसी देरी के महानिदेशक और समुद्रीय बचाव समन्वय केंद्र या समुद्रीय बचाव उप-केंद्र को ऐसी घटना की सूचना दे ।यह आगे किसी भी राज्य के अभिसमय क्षेत्र में जहाज़ के मलबे में फंसने वाले समुद्रीय दुर्घटना में शामिल भारतीय जलयान के मास्टर और प्रचालक को ऐसी घटना की सूचना प्रभावित राज्य और महानिदेशक समुद्रीय बचाव समन्वय केंद्र या समुद्रीय बचाव उप-केंद्र को देने की आवश्यकता बताता है ।

खंड 237—केन्द्रीय सरकार से यह अवधारित करने की अपेक्षा करता है कि क्या कोई मलबा इसमें विनिर्दिष्ट विभिन्न मानदंडों के अनुसार परिसंकटमय हो सकता है ।

खंड 238—पोत के स्वामी या प्रचालक को मलबे को हटाए जाने तक अपने स्वयं के खर्च पर चिह्नित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मलबे का पता लगाने और चिह्नित करने की लागत पोत के स्वामी या प्रचालन द्वारा वहन की जाए ।

खंड 239—पोत के क्षतिग्रस्त व्यक्तियों, उसके कार्गो और उपस्करों को बचाने के लिए जलयान को सहायता प्रदान करने के लिए सभी व्यक्तियों को समीपवर्ती भूमि से गुजरने की शक्ति प्रदान करता है और संबंधित व्यक्तियों को क्षति को न्यूनतम करने के लिए बाध्य करता है तथा भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा क्षति से संबंधित विवादों का विनिश्चय मजिस्ट्रेट द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन पर किया जाएगा ।

खंड 240—कतिपय कार्यों को प्रतिषिद्ध करता है, जैसे बिना अनुमति के क्षतिग्रस्त पोत पर चढ़ने या उतरने का प्रयास करना या किसी पोत को बचाने में बाधा या अड़चन डालने का प्रयास करना आदि ।

खंड 241—पोत के मलबे के प्राप्तकर्ता को सशक्त बनाता है कि यदि उसे संदेह हो कि पोत का मलबा छोड़ा गया है और उस पर किसी ऐसे व्यक्ति का कब्जा है जो उसका स्वामी नहीं है तो वह तलाशी वारंट के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है और ऐसा मजिस्ट्रेट प्राप्तकर्ता को उस पोत के मलबे की तलाशी के लिए प्राधिकृत करने वाला वारंट जारी करेगा जो उस व्यक्ति के कब्जे में है जो पोत का स्वामी नहीं है ।

खंड 242—मलबे को हटाने को सुकर बनाने के लिए उपाय प्रदान करने का

उपबंध करता है तथा मलबे के प्राप्त से संभावित खतरों के अवधारण पर विस्तृत जानकारी केन्द्रीय सरकार को भेजने की अपेक्षा करता है ।इसमें केन्द्रीय सरकार से संबंधित सरकार, प्रभावित राज्य तथा पोत के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को मलबे को हटाने के लिए खतरों तथा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सूचित करने की अपेक्षा की जाती है तथा इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।इसमें क्षतिग्रस्त पोत के स्वामी से केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सुरक्षा या बीमा का प्रमाण उपबंध करने की भी अपेक्षा की जाती है तथा केन्द्रीय सरकार को मामले दर मामले के आधार पर, स्वामी या प्रचालक के खर्च पर समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मलबे को हटाने की समय सीमा विनिर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है, जैसा अपेक्षित हो ।

खंड 243—मलबे का पता लगाने, उसे चिह्नित करने और हटाने के लिए उसके द्वारा वहन की जाने वाली लागतों के संबंध में स्वामी के दायित्व का उपबंध करता है, जब तक कि स्वामी यह साबित नहीं कर देता कि मलबे के कारण हुई समुद्री दुर्घटना युद्ध, शत्रुता या संबंधित अधिकारियों द्वारा रोशनी या नौपरिवहन सहायता के गैर-रखरखाव के किसी भी कार्य के कारण हुई थी ।

खंड 244—भारतीय पोत के प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी तथा तीन सौ टन या उससे अधिक सकल टन भार वाले भारतीय जलयान के अलावा किसी अन्य पोत के प्रत्येक स्वामी या प्रचालक को वैध बीमा कवरेज या वित्तीय सुरक्षा रखने की अपेक्षा रखता है, जैसा विहित किया जाए ।यह आगे उपबंध करता है कि भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उद्भूत होने वाले किसी भी दावे को बीमा या वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सीधे लाया जा सकता है तथा ऐसे बीमा या वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति को इसमें विनिर्दिष्ट बचाव का आह्वान करने का हक देता है ।

खंड 245—पोत के स्वामी के मलबे के दावों और ऐसे मलबे को अपने कब्जे में लेने के उसके अधिकार की समय-सीमा को विनिर्दिष्ट करने का प्रयास करता है, जो मलबे के प्राप्तकर्ता के कब्जे में है और उस राज्य के राजदूत को, जहां पोत रजिस्ट्रीकृत है या, कार्गो की दशा में, जिस राज्य के स्वामी हैं, को पोत के मलबे से वस्तुओं की हिरासत और निपटान के लिए स्वामी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है ।

खंड 246—पोत का पता लगाने और उसे चिह्नित करने के लिए लागत की वसूली के लिए समय सीमा प्रदान करने का उपबंध करता है, जो खतरे के निर्धारण की तारीख से तीन वर्ष और पोत के मलबे में हुई समुद्री दुर्घटना की तारीख से छह वर्ष है और उन मामलों में जहां समुद्री दुर्घटना में कई घटनाएं शामिल हैं, छह वर्ष की अवधि पहली घटना की तारीख से मानी जाएगी ।

खंड 247—तटीय जल सहित भारत के क्षेत्र में उद्धारण प्रचालनों के लिए विधेयक के भाग 12 के अध्याय 2 के अनुप्रयोग का उपबंध करता है ।यह आगे उन इकाइयों, युद्धपोतों और अन्य गैर-वाणिज्यिक जलयानों को विनिर्दिष्ट करता है जिन पर यह लागू नहीं होगा ।

खंड 248—विधेयक के भाग 12 के अध्याय 2 के लिए विनिर्दिष्ट कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है ।

खंड 249—उन स्थितियों, परिस्थितियों और स्थान को विनिर्दिष्ट करता है जब जीवन, माल या मलबे को बचाने के लिए उद्धारक को उद्धारण संदाय किया जाता है ।

खंड 250—सरकार द्वारा या उसके निमित्त या भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल के जलयानों और पतन प्राधिकारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर उद्धारण संदाय के अधिकार का उपबंध करता है ।

खंड 251—जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा उद्धारकों के साथ उन सभी उद्धारण प्रचालनों के लिए उद्धारण संविदाओं के समापन की अपेक्षा करता है जिन पर भाग 12 का अध्याय 2 लागू होता है । यह आगे उपबंध करता है कि जलयान का मास्टर, जलयान पर विद्यमान संपत्ति के स्वामी की ओर से उद्धारण प्रचालनों के लिए संविदाओं का समापन करेगा ।

खंड 252—खतरे में पड़े जलयान या अन्य संपत्ति के स्वामी के प्रति उद्धारक के कर्तव्यों का उपबंध करता है और खतरे में पड़े जलयान के स्वामी या मास्टर या अन्य संपत्ति के स्वामी के उद्धारक के प्रति कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 253—उद्धारण प्रचालनों के लिए उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए संदाय के लिए उद्धारक के अधिकारों का उपबंध करता है और खतरे में पड़े जलयान के स्वामी या मास्टर या किसी अन्य संपत्ति के स्वामी द्वारा संदाय से इनकार करने की स्थिति में, उद्धारक द्वारा पुरस्कार और समुद्री ग्रहणाधिकार का दावा करने के लिए मानदंड, परिस्थितियों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 254—समुद्री दुर्घटना से उद्भूत प्रदूषण के खतरे से अपनी तटरेखा की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के लिए उपबंध करता है और केन्द्रीय सरकार को स्वामी या मास्टर या उद्धारक और उद्धारण प्रचालनों से जुड़े अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों को निदेश देने और संकट में फंसे जलयान के लिए उद्धारण सेवाएं शुरू करने के लिए उनका सहयोग लेने के लिए सशक्त करता है ।यह केन्द्रीय सरकार को उन परिस्थितियों को विहित करने में भी सशक्त करता है जिनमें उसके द्वारा उद्धारण प्रचालन किया जाएगा ।

खंड 255—केन्द्रीय सरकार को ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तथा विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन उद्धारकों की सूची अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 256—यह उपबंध करता है कि महानिदेशक पोत स्वामी और उद्धारकों के बीच उद्भूत विवादों को विहित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में निपटाने में सहायता करेगा ।

खंड 257—पक्षकारों को खंड 256 के अधीन हल न किए गए विवाद के लिए उद्धारण संविदा के अनुसार मध्यस्थता को अधिमान देने का उपबंध करता है और यदि मामला उद्धारण रकम के एक से अधिक दावेदारों से संबंधित है तो पीड़ित पक्ष द्वारा मध्यस्थता विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जाएगी ।

खंड 258—दावे उठाने और उस पर कार्रवाई करने के लिए उद्धारण प्रचालनों के पूरा होने की तारीख से दो वर्ष की समय-सीमा विनिर्दिष्ट करता है ।

खंड 259 यह उपबंध करता है कि विधेयक के भाग 12 के अध्याय 2 की कोई

बात किसी विदेशी राज्य के साथ किसी व्यवस्था या संधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका भारतीय पक्षकार है, जो उनके संबंधित तटों पर जहाज के मलबे की आय के निपटान के संदर्भ में है, या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 29 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

खंड 260—केन्द्रीय सरकार को भाग 12 में अंतर्विष्ट विषयों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है तथा उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 261—विधेयक के भाग 13 को नौकायन जलयानों, मछली पकड़ने वाले जलयानों और उन जलयानों पर लागू करने के लिए उपबंध करता है जिनका शुद्ध टन भार पंद्रह टन से कम है और जो केवल भारत के तटीय व्यापार में लगे हुए हैं और उस सीमा तक विधेयक के अन्य उपबंध ऐसे जलयानों पर लागू होंगे ।

खंड 262—भाग 13 के लिए विनिर्दिष्ट कतिपय अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है जैसे "सी-188 कन्वेंशन", "भारतीय मछली पकड़ने वाले जलयान" और "एसटीसीडब्ल्यू-एफ कन्वेंशन" ।

खंड 263—महानिदेशक को यह विनिश्चय लेने के लिए सशक्त बनाता है कि जलयान भाग 13 के अधीन आता है या नहीं और इस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा । और यह भी उपबंध करता है कि जहां प्रश्न मछली पकड़ने वाले जलयानों से संबंधित है, महानिदेशक परामर्श के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करके ऐसा विनिश्चय लेंगे ।

खंड 264—यह उपबंध करता है कि भाग 13 के अधीन आने वाले जलयानों के संचालन के लिए नियम बनाए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा, संरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जलयान पर ले जाए जाने वाले फिटिंग, सामग्री, साधित्र और उपकरण शामिल हैं । यह और उपबंध करता है कि मछली पकड़ने वाले जलयानों की दशा में, केप टाउन करार और सी-188 अभिसमय सहित ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानकों या उनके भागों का अनुपालन किया जाएगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है । यह भी उपबंध करता है कि भाग 13 के अधीन आने वाले जलयानों के स्वामी अपने संबंधित जलयानों के चालक दल के सभी सदस्यों के लिए बीमा पॉलिसी प्रदान करेंगे ।

खंड 265—मछली पकड़ने वाले जलयानों को ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाने की अपेक्षा करता है जिनके पास मछली पकड़ने वाले जलयान कार्मिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों के उपबंधों के अनुसार ऐसी अर्हताएं और मानव संसाधन अपेक्षित हों, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के मछली पकड़ने वाले जलयानों और मछली पकड़ने के प्रचालनों के प्रकारों के लिए विहित किया जा सकता है ।

खंड 266—मत्स्य पालन जलयान कार्मिक अभिसमय के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा मत्स्य पालन जलयानों पर मछुआरों को सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने का उपबंध करता है ।

खंड 267—महानिदेशक को, सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान

करने के लिए प्रशिक्षण और निर्धारण से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 268—उपबंध करता है कि सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र केवल इस निमित आयोजित परीक्षा में सम्यक रुप से उत्तीर्ण होने के पश्चात ही प्रदान किया जाएगा ।

खंड 269—सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र को वापस लेने, निलंबित करने या रद्द करने का उपबंध करता है ।

खंड 270—यह उपबंध करता है कि यथास्थिति, प्रत्येक जलयान का स्वामी, मास्टर, टिंडल या कप्तान, विधेयक के अधीन विनिर्दिष्ट सक्षमता या प्रवीणता प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्रमाणपत्र, मांगे जाने पर समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

खंड 271—प्रत्येक भारतीय मछली पकड़ने वाले जलयान के स्वामी या उसके अभिकर्ता या कप्तान को प्रत्येक मछुआरे के साथ लिखित संविदा करने की अपेक्षा करता है, जिसे वह अपने मछली पकड़ने वाले जलयान को चलाने के लिए लगाता है, जो सी-188 कन्वेंशन के उपबंधों के अधीन है, जैसा केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

खंड 272—केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा प्रत्येक वर्ग के भारतीय मछली पकड़ने वाले जलयान से मत्स्य पालन के संबंध में रजिस्ट्रार को ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने के लिए सशक्त करता है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

खंड 273—जलयानों से समुद्र में जाने से पहले भाग 13 में विनिर्दिष्ट सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा करता है । यह केन्द्रीय सरकार को नियमों द्वारा यह विहित करने के लिए सशक्त करता है कि सुरक्षा प्रमाणपत्र किस रीति में जारी किए जाए और प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि क्या हो ।

खंड 274—केन्द्रीय सरकार को गैर-यांत्रिक रुप से चालित जलयानों के रजिस्ट्रीकरण का निलंबित या रद्द करने के लिए सशक्त करता है, यदि उनके पास जलयान के स्वामी, मास्टर या चार्टरर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जलयान के लिए वैध प्रमाण-पत्र नहीं है ।

खंड 275—किसी जलयान के स्वामी, मास्टर या टिंडल या कप्तान से जलयान के चालक दल के बारे में एक विवरण बनाए रखने या बनाए रखने को कारित करने की अपेक्षा करता है जिसमें उसने विनिर्दिष्ट विशिष्टियां शामिल हैं और चालक दल में परिवर्तन और शिपिंग मास्टर को इसके बारे में संसूचित करने की अपेक्षा करता है ।

खंड 276—यह उपबंध करता है कि जब कभी जलयान से माल उतारा जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समुचित अधिकारी को सूचना दी जाएगी, तथा समुचित अधिकारी को जांच करने का अधिकार दिया जाएगा ।

खंड 277—ऐसे जलयान को निरुद्ध करने का उपबंध करता है जो अतिभारित स्थिति में या प्रमाणित क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की स्थिति में समुद्र में जाने का प्रयास करता है और समुचित अधिकारी को जब भी आवश्यक हो जलयान पर चढ़ने को सशक्त् करता है और जलयान के स्वामी, मास्टर और प्रत्येक अधिकारी

से सर्वेक्षण या लेखा परीक्षा के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा करता है ।

खंड 278—उस जलयान को रोकने का उपबंध करता है जो समुद्र में चलने लायक नहीं है या जिससे सुरक्षा या पर्यावरण को खतरा होने की संभावना है ।यह खंड ऐसे जलयान के प्रभारी व्यक्ति के दायित्व का भी उपबंध करता है ।

खंड 279—केन्द्रीय सरकार को जलयानों को लागू अपेक्षाओं से छूट देने के लिए सशक्त बनाता है, यदि यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है या मामले की परिस्थितियों में अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट दी जानी चाहिए ।

खंड 280—केन्द्रीय सरकार को भाग 13 में अंतर्विष्ट उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है तथा उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे ।

खंड 281—उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करता है, विधेयक की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों का दोषी होगा और उन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दंड या कारावास या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा ।

खंड 282—उपबंध करता है कि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकारी प्रधान अधिकारी होगा । यह आगे प्रधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक के समक्ष अपील करने का भी उपबंध करता है ।

खंड 283—उपबंध करता है कि विधेयक के अधीन कोई अपराध करने वाले किसी व्यक्ति पर उस स्थान पर, जहां वह पाया जाए, या किसी ऐसे न्यायालय में, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निदेश दे, या किसी ऐसे न्यायालय में, जहां उस पर किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकेगा ।

खंड 284—प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को, विधेयक या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर विधेयक द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत कोई भी दंड पारित करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 285—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को विधेयक के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार देता है, जो कम से कम सात वर्षों से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो ।

खंड 286—विशेष व्यापार यात्री जलयानों के स्वामियों या स्वामियों के विरुद्ध, धारा 281 के अधीन शास्ति के प्रवर्तन के लिए समुचित अधिकारी की रिपोर्ट की अपेक्षा करता है ।

खंड 287—उपबंध करता है कि यदि विधेयक के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी भी अपराध का दोषी मानी जाएगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा

सकेगी तथा उसे तदनुसार दंडित किया जा सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित तत्परता बरती थी, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध उसकी सहमति या मिलीभगत से किया गया था या किसी उपेक्षा के कारण किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति को तदनुसार दंडित किया जाएगा ।

खंड 288—उपबंध करता है कि यदि विषय-वस्तु के संबंध में किसी गवाह की गवाही की अपेक्षित है और प्रतिवादी या अभियुक्त व्यक्ति विधेयक के अधीन किसी न्यायालय या अधिकारियों या प्राधिकरण के समक्ष गवाह को पेश नहीं करता है, तो किसी न्यायालय या अधिकारियों या प्राधिकरण के समक्ष उसी विषय-वस्तु के संबंध में गवाह द्वारा पहले दिया गया कोई भी बयान भारत में किसी अन्य स्थान पर या कहीं और यदि किसी भारतीय राजदूत के समक्ष, विधेयक के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा ।इसमें आगे यह भी अपेक्षा की गई है कि ऐसा बयान उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या भारतीय राजदूत के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जिसके समक्ष यह बयान दिया गया है और यह उसमें विनिर्दिष्ट कुछ अन्य शर्तों के अधीन होगा ।

धारा 289—उच्च न्यायालय को उस विदेशी जलयान को निरुद्ध करने का अधिकार देती है जिसने सरकार या भारत के किसी नागरिक या किसी कंपनी की संपति को नुकसान पहुंचाया है ।जब ऐसा जलयान भारतीय अधिकार क्षेत्र में पाया जाता है और समुचित अधिकारी को ऐसे जलयान को निरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि यह अपेक्षित हो कि जलयान चला जाएगा और जलयान को निरुद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में आवेदन किए जाने की अनुमति देता है ।

खंड 290—उपबंध करता है कि जब जलयान को रोके रखने का आदेश दिया जाता है, तो भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल का कोई भी कमीशन प्राप्त अधिकारी या कोई पतन अधिकारी, पुलिस, पायलट, पतन मास्टर, पतन संरक्षक या सीमाशुल्क आयुक्त समुचित अधिकारी के अनुदेश के अधीन जलयान को रोक सकता है ।

खंड 291—उपबंध करता है कि यदि किसी भी मजदूरी या अन्य धनराशि के संदाय के लिए किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया जाता है, किंतु संदाय नहीं किया जाता है, तो ऐसा संदाय उस व्यक्ति की चल संपति की बिक्री से किया जाएगा जिसे ऐसे न्यायालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए जारी किए जाने वाले वारंट के अधीन संदाय करने का निदेश दिया गया है ।

खंड 292—उन तरीकों के बारे में उपबंध करता है जिनसे इसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को दस्तावेज तामील किए जा सकते हैं ।

खंड 293—किसी जलयान के मास्टर से यह अपेक्षा करता है कि वह जन्म, मृत्यु और मृत्यु के कारण या किसी अन्य सुसंगत विवरण के बारे में, जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अगले पतन या ठहरने के स्थान पर विनिर्दिष्ट करे ।

खंड 294—भारतीय जलयान के मास्टर से महानिदेशक और अगले पोत पर पोत के समुचित अधिकारी को किसी भी व्यक्ति के जलयान पर लापता या मरने की

सूचना देने की अपेक्षा करता है ।यह आगे समुचित अधिकारी को मृत्यु के कारणों की जांच करने और आधिकारिक लॉग बुक में इस आशय का एक पृष्ठांकन करने का अधिकार देता है और यदि समुचित अधिकारी को लगता है कि मृत्यु हिंसा या अन्य अनुचित साधनों के कारण हुई है, तो वह महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा और आपात स्थिति में, अपराधी को मुकदमे में लाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा ।

खंड 295—भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 के खंड (28) के अर्थांतर्गत में लोक सेवक होने के लिए इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शक्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 296—जांच और पूछताछ करने वाले अधिकारी को किसी जलयान पर चढ़ने या उसे रोकने आदि के लिए सशक्त बनाता है, और किसी भी व्यक्ति को किसी अधिकारी या ऐसे व्यक्ति को जलयान पर चढ़ने से रोकने या उसके कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी शक्तियों के प्रयोग में अन्यथा बाधा डालने पर प्रतिषेध करता है ।

खंड 297—केन्द्रीय सरकार को आदेश द्वारा ऐसे वैकल्पिक प्रबंध और व्यवस्थाओं की अनुमति देने के लिए सशक्त बनाता है, ताकि अभिसमय की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके या अन्यथा ।

खंड 298—केन्द्रीय सरकार परमाणु जलयान को समुद्र में जाने के लिए अनुमति देने तथा जलयान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को सुरक्षोपाय लेने के लिए ऐसा निदेश देने के लिए सशक्त बनाता है, जैसा आवश्यक हो ।

खंड 299—सरकार या किसी भी वर्ग के ऐसे जलयानों पर विधेयक के लागू होने की छूट देता है ।

खंड 300—केन्द्रीय सरकार को आदेश द्वारा सशक्त बनाता है कि विधेयक के अनुसरण में विहित या ऐसी अंतर्विष्ट किसी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से किसी जलयान या टिंडल या समुद्र यात्रा वृतिक या पतन या जलयान की श्रेणियों को अधिरोपित करे या छूट प्रदान करे या ऐसी किसी अपेक्षा से छूट प्रदान करे यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षाओं का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है या मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा के अनुपालन की छूट दी जा सके । यह और उपबंध करता है कि ऐसी कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो सुरक्षा अभिसमय या प्रदूषण निवारण अभिसमय द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है ।

खंड 301—महानिदेशक को, विधेयक कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए किसी भी जलयान, समुद्र यात्रा वृतिक या टिंडल या पोत स्वामी उसका अभिकर्ता या समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान या भर्ती नियुक्ति सेवा प्रदाता या पतन को निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है ।

धारा 302—महानिदेशक को किसी भी चूक के लिए जलयान के स्वामी को उसके द्वारा निदेशित उपाय करने का निदेश देने का अधिकार देता है और गैर-अनुपालन की स्थिति में जलयान या कार्गो या दोनों का निपटान करने का भी अधिकार देता है । यह और उपबंध करता है कि ऐसे जलयान से होने वाले नुकसान को रोकने में होने वाली कोई भी लागत सरकारी बकाया के रूप में उद्ग्रहीत होगी, जिसे जलयान या कार्गो या दोनों के निपटान से सृजित धन में समायोजित किया जा सकता है ।

खंड 303—केन्द्रीय सरकार को तटीय जल में विधेयक के किसी भी उपबंध का

उल्लंघन करने वाले किसी भी विदेशी पोत का खुले समुद्र में पीछा करने का अधिकार देता है ।

खंड 304—केन्द्रीय सरकार को तटीय जल में ऐसे जलयान को अपने नियंत्रण में लेने और निरुद्ध करने का अधिकार देता है, जो विधिक रूप से किसी राज्य का झंडा फहराने का हकदार नहीं है । यह आगे कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के झंडे के नीचे चलने वाले जलयान को, जो सुविधानुसार उनका उपयोग करते हैं, राष्ट्रीयता रहित जलयान माना जाएगा ।

खंड 305—सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी मुकदमे या अन्य विधिक कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करता है ।

खंड 306—विधेयक के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य राज्यों या संगठनों के साथ करार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाता है ।

खंड 307—जहाजों को निरुद्ध करने सहित नियंत्रण उपायों का उपबंध करता है । यह महानिदेशक को नियंत्रण उपायों को उपांतरित करने या जलयानों को उन शर्तों के अधीन छोड़ने का आदेश देने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जो उचित समझी जाए ।

खंड 308—निरुद्ध किए गए जलयान के स्वामी से सर्वेक्षण लागत सहित जलयान को निरुद्ध किए जाने से संबंधित लागतों की वसूली का उपबंध करता है । यह और भी उपबंध करता है कि ऐसे जलयान को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक लागतों का संदाय नहीं कर दिया जाता और दोषों को ठीक नहीं कर दिया जाता । यह केन्द्रीय सरकार को नियमों द्वारा निरुद्धीकरण के लिए दावों, प्रतिकर और क्षतियों के अवधारण के प्रतिरुप और रीति में विहित करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 309—भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान को निरुद्ध करने की प्रक्रिया स्थापित करता है जो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के भीतर है जिसके विरुद्ध किसी विदेशी देश से, जो किसी अभिसमय का पक्षकार, यह सूचना प्राप्त होती है कि उक्त जलयान में ऐसे अभिसमय के उपबंधों का उल्लंघन किया है ।

खंड 310—महानिदेशक से उन अभिसमयों के अधीन भारत में पत्तनों के विनियामक कार्यों का पर्यवेक्षण और निगरानी करने की अपेक्षा करता है, जिनका भारत एक पक्ष है तथा सूचना मांगने और ऐसे निदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है जैसा वह उचित समझे ।

खंड 311—केन्द्रीय सरकार को पत्तन प्राधिकरण या समुद्री बोर्ड या अन्य प्राधिकरणों या अभिकरणों को भारत के तट पर या उसके निकट या तटीय जल में छोड़े गए किसी भी जलयान के संबंध में सहायता प्रदान करने का निदेश देने के लिए सशक्त करता है ताकि संरक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, छोड़े गए जलयान को जीवन या संपति या पर्यावरण के लिए खतरा बनने से रोका जा सके जिसमें भारत के समुद्री तट या संबंधित हितों को प्रदूषण या छोड़े गए जहाज से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के खतरे से बचाना शामिल है । यह और उपबंध करता है कि ऐसे आदेश का पालन करने के लिए ऐसे अधिकारियों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति विहित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है और ऐसे खर्च या लागत केन्द्रीय सरकार को देय ऋण माने जाएंगे और जलयान की बिक्री से प्राप्त आय से वसूल किए जा सकेंगे ।यह भी उपबंध करता है कि ऐसे दावे की प्राथमिकता मजदूरी के दावों और जीवन की हानि

या व्यक्तिगत चोट के दावों के तुरंत पश्चात होगी, जो नावधिकरण (समुद्रीय दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 (2017 का 22) में उपबंधित समुद्री दावों की प्राथमिकता होते हुए भी, समुद्री ग्रहणाधिकार का गठन करते हैं ।

खंड 312—केन्द्रीय सरकार को विधेयक के अधीन किसी समुद्र यात्रा वृतिक को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र को जांच रिपोर्ट के आधार पर या उसमें विनिर्दिष्ट समुद्र यात्रा वृतिक के किसी अन्य व्यतिक्रम के आधार पर आदेश के माध्यम से रद्द या निलंबित करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 313—केन्द्रीय सरकार को नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज की दशा में साधारण रुप् से या उसके एक हिस्से के लिए पुन:सुनवाई का आदेश देने के लिए सशक्त करता है, जिसे जांच के समय पेश नहीं किया जा सका था, या यदि किसी अन्य कारण से उसकी राय में न्यायहानि हुई है ।

खंड 314—भारतीय जलयान के प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी से अनिवार्य रुप से पर्याप्त बीमा या ऐसे वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने की अपेक्षा करता है, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

खंड 315—किसी भी प्ररुप, दस्तावेज को फाइल करने, किसी भी प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति आदि को जारी करने और इलैक्ट्रानिक साधनों से धन की किसी प्राप्ति या संदाय का उपबंध करता है ।यह केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है कि वह ऐसे इलैक्ट्रानिक फार्म को फाइल करने, बनाने या जारी करने की रीति और प्ररुप तथा संदाय की पद्धति को विहित करे ।यह भी उपबंध करता है कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा संगृहित किए जाने वाले किसी भी करार, अभिलेख, लॉगबुक, अभिलेख पुस्तिका को इलैक्ट्रानिक रुप् में बनाए रखा जा सकता है ।

खंड 316—केन्द्रीय सरकार को जलयानों द्वारा किए गए क्रियाकलापों या प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर जलयानों को विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकृत करने के लिए सशक्त बनाता है ।

खंड 317—आयात, निर्यात, या घरेलू परिवहन के संबंध में तटीय जल में प्रचालन करने वाले भारतीय जलयान या अन्य जलयान के संबंध में सेवा प्रदाता या अभिकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह यथास्थिति, भारत में निर्यातक या आयातक या प्रेक्षक या प्रेक्षक द्वारा संदाय किए जाने वाले सभी प्रभारों को बिल ऑफ लैडिंग या किसी अन्य परिवहन दस्तावेज में ऐसे तरीके और रीति से विनिर्दिष्ट करे जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए । यह आगे केन्द्रीय सरकार को प्रभारों के विनिर्देशन और बिल ऑफ लैडिंग या किसी अन्य परिवहन दस्तावेज की जारी करने के लिए नियम और शर्तें विहित करने का अधिकार देता है ।

खंड 318—महानिदेशक को ऐसी जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जो विधेयक के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

खंड 319—केन्द्रीय सरकार को साधारणतया विधेयक के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है तथा उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं ।

खंड 320—राजपत्र में नियमों के प्रकाशन का उपबंध करता है तथा इसके उल्लंघन को भी दंडनीय बनाता है ।यह और भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार

द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित होगा ।

खंड 321—केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध बनाने के लिए सशक्त करता है तथा विधेयक के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा आदेश करने की शक्ति को निर्बंधित करता है और प्रत्येक ऐसे आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अनिवार्य करता है ।

खंड 322—केन्द्रीय सरकार को विधेयक के अधीन किसी नियम या फीस के मान को बनाने या उसमें परिवर्तन करने या विधेयक से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए विचार करते समय सलाह देने के प्रयोजनार्थ समितियों का गठन करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 323—केन्द्रीय सरकार को लिखित आदेश द्वारा यह विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है कि खंड के उपबंध भा3रतीय पोत परिवहन के हितों की रक्षा के लिए समुद्र द्वारा माल या यात्रियों को ले जाने के लिए निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए किसी अन्य देश द्वारा किए गए उपायों पर लागू होंगे ।

खंड 324—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44), उसके भाग 14 के सिवाय किन्तु इसके अन्तर्गत धारा 411क नहीं है और कॉस्टिंग ऑफ वैसल्स अधिनियम, 1838 (1838 का 19) का निरसन करता है । यह उक्त अधिनियमितियों के अधीन किए गए विभिन्न कार्यों की व्यावृति का उपबंध करता है, जैसा इसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ।

खंड 325—नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) में एक नई धारा 48क अंत:स्थापित करके उसे संशोधित करता है, ताकि विधेयक के अधीन नियुक्त महानिदेशक को उस अधिनियम के अधीन नियुक्त महानिदेशक को यथावश्यक ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का निरसन और पुन: अधिनियमित करने के लिए है । पोत परिवहन महानिदेशक की प्रमुखता वाला पोत परिवहन महानिदेशालय (विधेयक के खंड 7 के अधीन सामुद्रिक प्रशासन महानिदेशक के रूप में पुन: नामित होने के लिए प्रस्तावित), जो विधेयक के कार्यान्वयन को सुकर बनाएगा, पहले से ही अस्तित्व में है । उक्त निदेशालय का तथा विधेयक के अधीन उल्लिखित अधिकारियों के संबंध में व्यय वार्षिक सरकारी बजटीय समर्थन से पूरा किया जाता है ।

2. विधेयक का खंड 13 जलयानों और पतन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए निकाय के गठन का उपबंध करता है । जब भी इस निकाय का गठन किया जाएगा, तो उक्त निकाय हेतु उपगत व्यय, व्यय विभाग द्वारा ऐसे आबंटन के पश्चात् बजटीय आबंटन से पूरा किया जाएगा । इस प्रक्रम पर यह व्यय आंका नहीं जा सकता है क्योंकि संरचना, पद, अधिकारियों की संख्या और अन्य पहलू अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुए हैं ।

3. पोत परिवहन महानिदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बजटीय आबंटन राजस्व शीर्ष में एक सौ छियासी करोड़ अठारह लाख रुपए तथा पूंजी शीर्ष में पच्चीस करोड़ छियहत्तर लाख रुपए है । इसके अतिरिक्त, 28 नवम्बर, 2024 की तारीख तक एक वर्ष में निदेशालय द्वारा गैर-कर राजस्व की प्राप्ति अठहत्तर करोड़, उन्नीस हजार, चौंसठ रुपए है ।

4. विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अन्तर्वलित नहीं करेगा ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

वाणिज्य पोत परिवहन, 2024 का खंड 6 केंद्रीय सरकार को विधेयक के अध्याय 1 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को निर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 4 के उपखंड (8) के अधीन पद की अवधि, रिक्तियों को भरने की रीति और पोत परिवहन के सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भते और अध्यक्ष की सेवा की शर्तें; (ii) खंड 4 के उपखंड (9) के अधीन पोत परिवहन के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा की शर्तें; (iii) कल्याण बोर्ड की संरचना, उसके सदस्यों के पद की अवधि, कारबार के संचालन की प्रक्रिया और खंड 5 के उपखंड (2) के अधीन ऐसे सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भते; (iv) खंड 5 के उपखंड (3) के अधीन जलयानों के स्वामियों द्वारा देय फीस, फीस एकत्र करने की प्रक्रिया और वह रीति जिससे ऐसी फीस की आय का उपयोग किया जाएगा; और (v) खंड 5 के उपखंड (4) के अधीन पतन आधारित कल्याण सुविधा और नाविकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले अन्य उपाय ।

2. विधेयक का खंड 44, विधेयक के भाग 3 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 15 के उपखंड (6) के अधीन भारतीय जलयान के पंजीकरण की शर्तें; (ii) खंड 15 के उपखंड (8) के अधीन परित्यक्त जलयान के पंजीकरण की प्रक्रिया; (iii) खंड 16 के अधीन भारतीय चार्टरर द्वारा बेयरबोट चार्टर सह-मृत्यु संविदा पर किराए पर लिए गए विदेशी जलयान के पंजीकरण की रीति और शर्तें; (iv) खंड 17 के अधीन पुनर्धक्रित किए जाने वाले जलयान के अस्थायी पंजीकरण की रीति, अवधि और शर्तें; (v) उपखंड (1) के अधीन पंजीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया (vi) खंड 20 के उपखंड (1) और (2) के अधीन भारतीय जलयान के पंजीकरण और नवीकरण के लिए प्रक्रिया, अवधि और फीस; (vii) खंड 20 के उपखंड (4) के अधीन भारतीय जलयान के हक की जांच के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य देने की रीति और प्रक्रिया; (viii) खंड 20 के उपखंड (5) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने का प्रारूप और रीति तथा टन भार प्रमाणपत्र के लिए सकल और शुद्ध टन भार के निर्धारण की रीति; (ix) खंड 20 के उपखंड (6) के अधीन विरूपित या विकृत हो चुके मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र के बदले में नया प्रमाणपत्र प्रदान करने की रीति; (x) खंड 20 के उपखंड (7) के अधीन पंजीकृत जलयान के स्वामी द्वारा प्रक्रिया का अनुपालन; (xi) खंड 20 के उपखंड (8) के अधीन भारतीय पोत का नाम, कॉल साइन और आधिकारिक संख्या का वर्णन करने की रीति; (xii) खंड 20 के उपखंड (9) के अधीन रजिस्टर बुक रखने और उसमें प्रविष्टियां करने तथा इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत जलयानों के अभिलेखों के रखरखाव की रीति; (xiii) खंड 20 के उपखंड (10) के अधीन पंजीकरण और नया प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया, (xiv) अस्थायी पास प्रदान करने की विशेष परिस्थितियां और वह प्रारूप जिसमें खंड 21 के अधीन ऐसा पास प्रदान किया जाएगा; (xv) लिखत का प्ररूप और रीति जिसके द्वारा भारतीय जलयान या उसमें का शेयर अंतरित किया जाएगा और खंड 23 के उपखंड (4) और (5) के अधीन उसके पंजीकरण की प्रक्रिया; (xvi) खंड 24 के अधीन मृत्यु, दिवालियापन आदि पर भारतीय पोत में

संपति के हस्तांतरण की प्रक्रिया; (xvii) खंड 25 के अधीन वह रीति जिससे किसी जलयान को, जो भारतीय जलयान नहीं रह गया है, के विक्रय के लिए आदेशित किया जाता है; (xviii) खंड 26 के उपखंड (1) के अधीन बंधक का प्ररूप तथा प्रक्रिया और रीति जिससे रजिस्ट्रार बंधक को रजिस्टर बुक में दर्ज करेगा; (xix) खंड 26 के उपखंड (4) के अधीन जलयान के पंजीकृत बंधक के उन्मोचन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज; (xx) खंड 27 के उपखंड (3) के अधीन नोटिस का प्ररूप; (xxi) खंड 28 के मद (घ) के अधीन बंधकदार की अन्य देनदारियां; (xxii) खंड 30 के उपखंड (1) के अधीन बंधक के अंतरण की रीति और बंधक के अंतरण को प्रभावी करने वाले लिखत का प्ररूप; (xxiii) खंड 31 के अधीन बंधक में ब्याज के अंतरण की प्रक्रिया और शर्तें; (xxiv) खंड 32 के उपखंड (3) के अधीन वह रीति जिससे किसी भारतीय जलयान का नाम बदला जा सकेगा; (xxv) खंड 42 के उपखंड (1) के अधीन जलयान रजिस्टर बुक के निरीक्षण और रजिस्टर बुक की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए फीस; (xxvi) खंड 43 के उपखंड (1) के अधीन जलयान पंजीकरण बंद करने के लिए आवेदन का प्ररूप और रीति; और (xxvii) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

3. विधेयक का खंड 53, विधेयक के भाग IV के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं। इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 45 के उपखंड (1) के अधीन नाविकों के मैनिंग स्केल; (ii) खंड 45 के उपखंड (2) के अधीन प्रमाण पत्र का ग्रेड और शर्तें तथा निर्बंधन; (iii) अपेक्षाएं और प्रक्रिया, अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र या प्रवीणता के प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र का रूप, शुल्क और ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता और वह रीति जिसमें खंड 46 के उपखंड (1), (3) और (4) के अधीन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड रखे जाने हैं; (iv) खंड 47 के उपखंड (5) के अधीन कार्रवाई करने की प्रक्रिया; (v) खंड 48 के उपखंड (3) के अधीन परीक्षा आयोजित करने की रीति, ली जाने वाली फीस और परीक्षकों को किया जाने वाला भुगतान; (vi) खंड 48 के उपखंड (7) के अधीन जारी करने वाले प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया; (vii) खंड 48 के उपखंड (8) के अधीन प्रमाण-पत्र खो जाने या वंचित रह जाने की स्थिति में उसे प्रदान करने के लिए फीस; (viii) खंड 50 के उपखंड (2) के अधीन पृष्ठांकन प्रमाण-पत्र; और (ix) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

4. विधेयक का खंड 78 और खंड 113, विधेयक के भाग 5 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने और समुद्री श्रम अभिसमय की संहिता के भाग क और भाग ख के उपबंधों और समुद्री श्रम अभिसमय के किसी अन्य उपबंध को प्रभावी बनाने के लिए है, जिसे इस विधेयक में प्रभावी नहीं किया गया है । इन मामलों में शामिल हैं, (1) नाविकों की श्रेणियां और न्यूनतम मैनिंग स्केल और खंड 56 के उपखंड (2) के अधीन जलयानों के विभिन्न वर्गों के लिए स्केल; (ii) वे शर्तें जिनके अधीन जलयान खंड 57 के उपखंड (2) के अधीन प्रमाण पत्र के कब्जे में होगा; (iii) खंड 58 के उपखंड (1) के खंड (ग) के अधीन निरंतर उन्मोचन प्रमाणपत्र और नाविक के पहचान दस्तावेजों के अनुदान का प्रारूप और रीति; (iv) वे शर्तें जिनके अधीन खंड 58 के उपखंड (2) के उपखंड (क) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी; (v) नाविक के पास रखे जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप और वह प्राधिकारी जो खंड 60 के अधीन उस प्रमाणपत्र को प्रदान करता है; (vi) खंड 62 के

उपखंड (6) के खंड (ङ) और (च) के अधीन वह प्राधिकारी जिसे तथा वह प्रारूप, रीति और समय जिसके भीतर घटना की रिपोर्ट की जाती है और प्रस्तुत की जाती है; (vii) खंड 62 के उपखंड (6) के खंड (छ) के अधीन भर्ती और नियुक्ति अभिकरण की अन्य जिम्मेदारियां; (viii) खंड 63 के उपखंड (1) के अधीन नाविक के रोजगार समझौते का प्रारूप और रीति; (ix) खंड 64 के उपखंड (2) के अधीन नाविक को देय मजदूरी पर ब्याज की दर; (x) खंड 64 के अधीन प्रत्येक नाविक को दिए जाने वाले आराम के घंटे; (xi) खंड 66 के अधीन वार्षिक सवेतन छुट्टी की शर्तें; (xii) खंड 67 के उपखंड (1) के अधीन नाविकों के संप्रत्यावर्तन की परिस्थितियां और शर्तें; (xiii) खंड 67 के उपखंड (2) के अधीन वित्तीय सुरक्षा और प्रत्यावर्तन की रीति; (xiv) खंड 68 के अधीन नाविक को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति रकम; (xv) खंड 69 के अधीन नियोजित किए जाने वाले नाविकों की संख्या; (xvi) खंड 70 के अधीन नाविकों के लिए आवास और मनोरंजन की सुविधाएं; (xvii) खंड 72 के अधीन नाविकों को स्वास्थ्य और चिकित्सीय देखभाल की सुरक्षा प्रदान करने के उपाय; (xviii) खंड 75 के अधीन नाविकों को सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की शाखाएं; (xix) नियम और शर्तें तथा वह अवधि जिसके दौरान नाविक खंड 79 के उपखंड (1) के अधीन मजदूरी पाने का हकदार नहीं होगा; (xx) अपवाद जहां नाविक खंड 79 के उपखंड (2) के अधीन मजदूरी का दावा करने से वंचित नहीं होगा; (xxi) खंड 80 के उपखंड (1) के अधीन नाविक को सेवा से मुक्त करने की रीति; (xxii) खंड 81 के अधीन संपति के मुक्त करने की रीति; (xxiii) खंड 82 के अधीन शिपिंग मास्टर के पास जमा की गई या उसके द्वारा वसूल की गई किसी रकम के उपयोग के लिए प्रतिबंध और शर्तें; (xxiv) उपखंड (1) के अधीन न्यायाधिकरण में नियुक्त व्यक्तियों की योग्यताएं और अनुभव तथा खंड 89 के उपखंड (4)(ङ) के अधीन कोई अन्य विषय; (xxx) खंड 89 के उपखंड (7) के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भ का निपटान करने और पंचाट प्रस्तुत करने की अवधि; (xxxi) खंड 91 के उपखंड (2) के अधीन वह सीमा और शर्तें, जिसके दौरान नाविक को रखा जाएगा या उचित रूप से वापस पत्तन पर भेजा जाएगा; (xxxii) खंड 93 के उपखंड (3) के अधीन प्रमाण पत्र का प्ररूप और रीति; (xxxiii) खंड 94 के उपखंड (2) के अधीन नाविक को संरक्षण देने के निबंधन, शर्तें और रीति; (xxxiv) खंड 112 के उपखंड (1) के अधीन लॉग बुक रखने का प्ररूप और रीति; और (xxxv) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

5. विधेयक का खंड 130 , विधेयक के भाग 6 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन विषयों में शामिल हैं, (i) वे शर्तें जिनके अधीन जलयान उन सम्मेलनों, समझौतों या संधियों का अनुपालन करेगा जिनका भारत एक पक्ष है, और खंड 116 के उपखंड (1) के अधीन सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं; (ii) जलयानों के विभिन्न वर्गों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा अपेक्षाएं और खंड 116 के उपखंड (2) के अधीन प्रमाण पत्र; (iii) खंड 117 के उपखंड (1) और (2) के अधीन घटनाओं के विवरण की रिपोर्ट करने की रीति और प्राधिकार; (iv) खंड 118 के उपखंड (9) के अधीन घटनाओं के विवरण की रिपोर्टिंग के लिए रीति और प्राधिकार; (v) खंड 120 के अधीन उपस्कर और प्रमाणित ऑपरेटर; (vi) खंड 121 के उपखंड (2) के अधीन यात्री जलयान की स्थिरता से संबंधित सूचना; (vii) खंड 129 के उपखंड (1) के अधीन सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन की अपेक्षाएं; और (viii) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

6. विधेयक का खंड 143, विधेयक के भाग 7 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 131 के दूसरे परंतुक के अधीन किसी पोत या व्यक्ति को समतुल्यता प्रदान करने या छूट देने की रीति; (ii) खंड 132 के खंड (क) के अधीन "हानिकारक पदार्थ" के अर्थ में पदार्थ; (iii) खंड 133 के उपखंड (2) के अधीन उपस्कर तथा अपेक्षाएं और शर्तें; (iv) खंड 133 के उपखंड (4) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रदूषण निवारण मानक और अपेक्षाएं;(v) खंड 133 के उपखंड (5) के अधीन प्रमाण पत्र देने का प्ररूप, अवधि और शर्तें; (vi) खंड 133 के उपखंड (7) के अधीन तटीय सागरखंड में डंपिंग के लिए अनुमति प्राप्त करने की रीति; (vii) खंड 134 के उपखंड (1) और (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिसमयों, करारों या संधियों के अनुपालन की शर्तें तथा प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के प्रकार; (viii) 135 के उपखंड (2) के अधीन सर्वेक्षक द्वारा प्रमाणपत्रों के निरीक्षण की रीति; (ix) अभिलेख पुस्तिका को बनाए रखने का प्ररूप और रीति, उसमें की जाने वाली प्रविष्टियों की प्रकृति, उसकी अभिरक्षा और निपटान तथा खण्ड 136 के अधीन अन्य मामले; (x) खण्ड 138 के उपखंड (1) के अधीन घटना का विवरण, प्राधिकारी और रिपोर्टिंग की रीति; (xi) खण्ड 140 के अधीन प्रदूषण की निगरानी, पता लगाने और नियंत्रण के उपाय; (xii) खण्ड 142 के उपखंड (1) के अधीन स्वागत सुविधाएं, निगरानी, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन; और (xiii) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

7. विधेयक का खंड 152, विधेयक के भाग 8 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 144 के उपखंड (1) के अंतर्गत सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन के लिए विभिन्न वर्गों के जलयानों, कंपनी या पत्तनों की आवश्यकताएं; (ii) खंड 144 के उपखंड (4) के अधीन जलयानों, कंपनी या पत्तनों का पुनः सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा और प्रमाणन तथा प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का संशोधन, प्रतिसंहरण, निलंबन, निरस्तीकरण या समर्पण की रीति; (iii) खंड 145 के अधीन जलयान, कंपनी या पत्तन द्वारा रखे जाने वाले प्रमाणपत्र, (iv) मद 147(ट) के अधीन सर्वेक्षण, लेखा परीक्षा या प्रमाणन से संबंधित कोई अन्य परिपाटी; (v) खंड 150 के उपखंड (2)(घ) के अधीन सर्वेक्षक या अन्य व्यक्ति की कोई अन्य शक्ति; (vi) कोई अन्य मामला जिसके अनुपालन के लिए खंड 151 के उपखंड (1) (ग) के अधीन निरीक्षण किया जा सकेगा; (vii) खंड 151 के उपखंड (2) के अधीन रिपोर्टिंग का प्ररूप और रीति; और (viii) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

8. भाग 9 के अध्याय 1 और अध्याय 2 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन विषयों में शामिल हैं, (i) वह समय जिसके भीतर मास्टर या पतन स्वामी या उसका अभिकर्ता खंड 160 के अधीन दुर्घटना की रिपोर्ट करेगा; (ii) खंड 165 के उपखंड (1) के उपबंध के अधीन दायित्व की सीमाएं; (iii) खंड 166 के अधीन जलयान के यात्रियों की जान जाने या व्यक्तिगत चोट लगने पर जलयान स्वामी के दायित्व की सीमा की रकम; (iv) खंड 172 के उपखंड (1) और (4) के अधीन निरुद्ध में रखने के लिए सक्षम अन्य

वितीय सुरक्षा और प्राधिकारी; और (v) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

9. विधेयक का खंड 195, विधेयक के अध्याय 3 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 182 के उपखंड (1) के अधीन सीमा निधि के गठन की समय-सीमा और रीति; (ii) खंड 183 के उपखंड (1) के अधीन नोटिस का समय और अन्य विवरण; (iii) खंड 183 के उपखंड (4) के अधीन निधि की स्थापना और तेल प्रदूषण की घटनाओं से उत्पन्न दावों के न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया; (iv) खंड 188 के उपखंड (1) के उपबंध के अधीन थोक में ले जाए जाने वाले तेल के टन भार की सीमा और प्रदूषण क्षति के लिए दायित्व की सीमा; (v) खंड 188 के उपखंड (2) के अधीन प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप, विवरण और शुल्क; (vi) खंड 192 के उपखंड (2) के अधीन निर्णय के प्रवर्तन की प्रक्रिया; और (vii) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

10. विधेयक का खंड 210, विधेयक के अध्याय 4 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन विषयों में शामिल हैं, (i) खंड 205 के उपखंड (2) के अधीन बीमाकर्ता या वितीय सुरक्षा प्रदान करने वाले अन्य व्यक्ति के दायित्वों की सीमाएं; (ii) खंड 206 के उपखंड (1) के अधीन प्रमाणपत्र का प्रारूप, विवरण, शर्तें और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क; (iii) खंड 206 के उपखंड (2) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण की रीति और शुल्क; (iv) खंड 209 के उपखंड (2) के अधीन निर्णय के प्रवर्तन की प्रक्रिया; और (v) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

11. विधेयक का खंड 222, विधेयक के अध्याय 5 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन विषयों में शामिल हैं, (i) खंड 212 के उपखंड (1) के खंड (क) के अधीन सहायक या सामान्य रूप से नियंत्रित इकाई या व्यक्ति; (ii) खंड 216 के उपखंड (4) के अधीन विशेष आहरण अधिकारों से रुपए में परिवर्तन का ढंग और रीति; (iii) खंड 221 के अधीन स्थापित निधि का जलयान और निधि से मुआवजे के संवितरण की रीति; (iv) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

12. विधेयक का खंड 230, विधेयक के भाग 10 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) परिस्थितियाँ जिनके अधीन नोडल प्राधिकरण खंड 228 के उपखंड (4) के अधीन समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया करेगा; (ii) खंड 229 के अधीन पर्याप्त बीमा कवरेज या अन्य वितीय सुरक्षा; और (iii) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

13. विधेयक का खंड 260, विधेयक के भाग 12 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है । उक्त खंड का

उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 237 के मद (थ) के अधीन यह निर्धारित करने के लिए अन्य मानदंड कि कोई जोखिम बनता है या नहीं; (ii) खंड 238 के उपखंड (1) के खंड (क) के अधीन जोखिम को चिह्नित करने की रीति; (iii) खंड 242 के उपखंड (1) के अधीन जोखिम की विस्तृत जानकारी देने की रीति; (iv) खंड 244 के उपखंड (1) के अधीन अन्य वित्तीय सुरक्षा; (v) खंड 253 के उपखंड (2) के अधीन पुरस्कारों का दावा करने के मानदंड, पुरस्कार तय करने की रीति, विशेष मुआवजे का भुगतान संदाय का प्रभाजन और पुरस्कार या संदाय पर उबारक के कदाचार का प्रभाव; (vii) योग्यता, अनुभव, निबंधन और शर्तें जिनके अधीन बचावकर्ता खंड 255 के अधीन अनुमोदित किए जाएंगे; (viii) खंड 256 के अधीन विवाद को निपटाने की प्रक्रिया; और (ix) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

14. विधेयक का खंड 280, विधेयक के भाग 12 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं । इन मामलों में शामिल हैं, (i) खंड 263 के उपखंड (2) के अधीन निर्णय की रीति; (ii) खंड 264 के उपखंड (1) के अधीन मैनिंग और फिटिंग, सामग्री, उपस्करों और तंत्र का पैमाना; (iii) 264 के उपखंड (2) के अधीन बीमा पॉलिसी; (घ) भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग मैनिंग स्केल, उपखंड (1) के अधीन मछली पकड़ने के संचालन के क्षेत्र और प्रकार, एक भारतीय मछली पकड़ने वाले जलयान पर सेवा करने के लिए शर्तें और प्रतिबंध और मछली पकड़ने वाले जलयानों के संचालन के लिए व्यक्तियों की संख्या और उनकी योग्यताएं और खंड 265 के उपखंड (2) और (3) के अधीन अन्य आवश्यकताएं; (v) खंड 266 के उपखंड (1) के अधीन प्रमाण पत्र देने की अपेक्षाएं और रीति; (vi) खंड 266 के उपखंड (3) के अधीन प्रमाण पत्र, अपेक्षाएं और रीति; (vii) खंड 266 के उपखंड (4) के अधीन प्रमाण पत्र का प्रारूप, शुल्क और वैधता अवधि; (viii) खंड 267 के उपखंड (2) के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अनुमोदित करने वाले प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन की विधि के मानदंड; (ix) खंड 268 के उपखंड (3) के अधीन परीक्षा आयोजित करने के लिए प्ररूप और रीति तथा देय शुल्क; (x) खंड 271 के मद (क) के अधीन मछुआरों के साथ समझौते के लिए प्ररूप और रीति; (xi) खंड 273 के उपखंड (1) के अधीन किसी जलयान द्वारा समुद्र में चलने या आगे बढ़ने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र; (xii) खंड 273 के उपखंड (2) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने की रीति और ऐसे प्रमाणपत्र की अवधि; (xiii) खंड 275 के उपखंड (1) के अधीन जलयान के चालक दल का विवरण और अन्य विवरण बनाए रखने के लिए प्ररूप; और (xiv) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

15. विधेयक का खंड 319, विधेयक में अन्यत्र निहित उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है। उक्त खंड का उपखंड (2) उन मामलों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं। इन मामलों में शामिल हैं, (1) खंड 8 के उपखंड (2) के अधीन अधिकारियों के वेतन, भते और सेवा की अन्य शर्तें; (ii) खंड 10 के उपखंड (2) के अधीन वरिष्ठ रेडियो सर्वेक्षकों और रेडियो निरीक्षकों की शक्तियां और कार्य; (iii) खंड 13 के उपखंड (3) के अधीन जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित मामले; (iv) खंड 13 के

उपखंड (4) के खंड (घ) के अधीन निकाय के अन्य कार्य; (v) खंड 282 के उपखंड (2) के अधीन महानिदेशक के समक्ष अपील करने का प्रारूप और रीति; (vi) खंड 304 के उपखंड (1) के अधीन जलयान को रोके रखने की रीति; (vii) खंड 307 के उपखंड (1) के अधीन अन्य सुसंगत अपेक्षाएं; (viii) ऐसे अन्य उपाय जो खंड 307 के उपखंड (5)(ज) के अधीन नियंत्रण उपाय होंगे; (ix) खंड 307 के स्पष्टीकरण के अधीन ऐसी अन्य अपेक्षाएं; (x) खंड 308 के उपखंड (2) के अधीन किसी जलयान के रोके जाने के लिए दावों और मुआवजे या क्षति के निर्धारण का प्ररूप और तरीका; (xi) खंड 311 के उपखंड (4) के अधीन प्राधिकरण या अभिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के लिए दरों के निर्धारण की रीति सहित लागतों या खर्चों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया; (xii) खंड 314 के अधीन किसी भारतीय जलयान के पंजीकृत स्वामी द्वारा बनाए रखे जाने वाली बीमा कवरेज या अन्य वित्तीय सुरक्षा; (xiii) खंड 315 के उपखंड (2) (क) और (ख) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्ररूपों और दस्तावेजों को फाइल करने, बनाने या जारी की रीति और प्ररूप तथा ऐसे फाइल करने, बनाने या जारी करने के लिए शुल्क या प्रभारों के भुगतान की रीति या ढंग; (xiv) खंड 317 के उपखंड (4) के अधीन अपील और अधिकारी को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया; और (xv) खंड 323 के उपखंड (2) के अधीन किसी अन्य देश द्वारा किए गए उपायों के अनुसरण में लगाए गए या लगाए जाने की धमकी दी गई या लगाए जाने वाले किसी अपेक्षा या प्रतिषेध के बारे में केंद्रीय सरकार को सूचित करने का प्ररूप और तरीका; मद (xvi) कोई अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित है ।

16. जिन विषयों के संबंध में उपर्युक्त नियम बनाए जा सकते हैं, वे प्रक्रिया और प्रशासनिक विवरण के विषय हैं, और इस प्रकार, प्रस्तावित विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यावहारिक नहीं है । इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन एक सामान्य प्रकृति का है।